

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के निर्धारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2022 की प्रतिवेदन संख्या 6

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

**रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के
निर्धारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा**

संघ सरकार

राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर

2022 की प्रतिवेदन संख्या 6

_____ को लोकसभा/राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया

विषय सूची

विषय		
	प्राक्कथन	i
	कार्यकारी सार	iii-xi
	सिफारिशों का सार	xii-xviii
अध्याय 1	प्रस्तावना	1-11
अध्याय 2	रत्न और आभूषण क्षेत्र के नमूने और चयनित वस्तुओं का विश्लेषण	13-31
अध्याय 3	रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों को शासित करने वाले नियामक कानून और प्रक्रिया	33-53
अध्याय 4	रत्न और आभूषण क्षेत्र के सत्वों के निर्धारण से संबंधित 360-डिग्री विश्लेषण और अनुपालन मामले	55-146
अध्याय 5	रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के निर्धारण से संबंधित प्रणालीगत मामले	147-184
अध्याय 6	आयकर विभाग में समन्वय और मॉनीटरिंग तंत्र	185-209
	अनुलग्नक	211-248
	शब्दावली	249-250

प्राक्कथन

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान आयकर विभाग, राजस्व विभाग, संघ सरकार द्वारा पूरे किए गए रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के निर्धारण की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम दिए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टांत वे हैं जो जून 2020 से अक्टूबर 2020 तककी गई लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए। लेखापरीक्षा नमूने से संबंधित अतिरिक्त मामलों की भी अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 के दौरान जांच की गई, जहां ऐसा करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गयी है।

कार्यकारी सार

रत्न एवं आभूषण क्षेत्र तेजी से बढ़नेवाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है और यह अत्यधिक निर्यातमुख और श्रम प्रधान है। आज भारत सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और हीरे की कटिंग और पालिश करने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी है। भारत विश्व में पॉलिश किए गए हीरे का विनिर्माण करता है जो मूल्य के रूप में 65 प्रतिशत से अधिक, मात्रा के रूप में 85 प्रतिशत और नगों की संख्या के रूप में 92 प्रतिशत है। उद्योग की आर्थिक कार्यकलापों में प्रमुख स्थिति है तथा इसकी वृद्धि की भारी संभाव्यता है। हीरे तथा सोने के आयातों की बड़ी राशि के कारण संव्यवहारों के उच्च मूल्य और विदेशी मुद्रा के शामिल होने को देखते हुए, रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में दुरुपयोग और धन की हेराफेरी होने की संभावना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सीमाशुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा इकाई (अप्रत्यक्ष कर- सीएण्डएजी की सीमाशुल्क लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2016 की संख्या 6) और राजस्व आसूचना निदेशालय ने अनियमितताएं इंगित की थीं जिसमें सोने के जेवरात की बड़े पैमाने पर सोने के जेवरात की राउंड ट्रिपिंग और मशीन-निर्मित क्रूड का निर्यात शामिल है ताकि प्रास्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए और बैंको से क्रेडिट सीमाएं/वित्त पोषण को बढ़ाने के लिए टर्नओवर में कृत्रिम रूप से वृद्धि की जा सके। उपरोक्त के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उजागर किए गए मुद्दों और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के संबंध में समय-समय पर सूचित विभिन्न अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए, 'रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण' पर इस निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) को प्रत्यक्ष करों के निर्धारण के परिप्रेक्ष्य से जांच के लिए लिया गया था।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य निम्नवत थे:

- रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के संबंध में समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता की जांच करना और मौजूदा कानून और प्रक्रिया में कमियों/संदिग्धता की पड़ताल करना।
- रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के संबंध में आयकर अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में निर्धारण अधिकारियों की दक्षता और प्रभावकारिता का निर्धारण करना।
- यह सुनिश्चित करना कि क्या विभाग के अन्दर और बाह्य विभागों के साथ प्रणालियां, आंतरिक नियंत्रण, प्रक्रियाएं और मॉनीटरिंग तथा समन्वय

तंत्र पर्याप्त और मजबूत हैं ताकि रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों का प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

निष्पादन लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान पूरे किए गए निर्धारणों को कवर किया गया। डीजीआईटी (सिस्टम) ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान पूरे किए गए रत्न एवं आभूषण कारोबार में लगे निर्धारितियों के निर्धारणों पर समग्र और निर्धारित-वार डेटा प्रदान किया। डीजीआईटी (सिस्टम्स) से प्राप्त डेटा का विश्लेषण किया गया था और लेखापरीक्षा मापदंडों के आधार पर तैयार निष्कर्षों से नमूना प्राप्त करने के लिए क्षेत्रवार पृथक किया गया था।

डीजीआईटी (सिस्टम्स) ने 1,52,927 मामलों का समग्र डेटा प्रदान किया जिसमें से 3,171 मामलों को निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। इसके अतिरिक्त मांग एवं संग्रहण रजिस्ट्रों (डी एंड सीआर) से 61 अतिरिक्त मामलों का भी चयन किया गया था और इस लेखापरीक्षा के लिए कुल नमूने 3,232 थे। लेखापरीक्षा नमूने में 360-डिग्री विश्लेषण के लिए अखिल भारतीय आधार पर चुने गए 74 मामले शामिल थे। 3,232 मामलों के नमूने को कम कर 2,593 मामले किया जो कोविड महामारी (जुलाई 2020 से अक्टूबर 2020) के दौरान बाह्य-स्टेशन लेखापरीक्षाएं करने में पूरे देश में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा सामना की गयी बाधाओं और यात्रा प्रतिबंधों के कारण था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार नीचे दिया गया है:

- 2010 से 2020 के दौरान अनगढ़ हीरे के आयातों और निर्यातों की मात्रा और मूल्य की वृद्धि में अनियमित प्रवृत्तियां लेखापरीक्षा में पाई गई जिसका आयातों और निर्यातों के विस्तृत खुरदरे स्तर पर जांच करने की आवश्यकता है।

(पैरा 2.2.2)

- 2009-10 से 2019-20 की अवधि के दौरान अनगढ़ हीरे के आयातों और निर्यातों के देशवार विश्लेषण से पता चला कि अनगढ़ हीरे के कुल आयातों का 76 प्रतिशत और कुल निर्यातों का 80 प्रतिशत तीन देशों से था यथा यूनाइटेड अरब अमीरात, बेल्जियम और हांगकांग जिनका योगदान वैश्विक हीरा खनन में नगण्य था।

(पैरा 2.2.3)

- मोतियों के आयात और निर्यात के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि यद्यपि वि.व. 2012-13 से वि.व. 2017-18 (वि.व. 2012-13 और 2013-14 के अतिरिक्त) के दौरान मोती के निर्यात में अधिक अंतर नहीं था, तथापि उक्त अवधि के दौरान मोतियों के आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई जिसके बाद वि.व. 2018-19 से आयात में अचानक गिरावट हुई।
- लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान मोतियों का भारत से आयात वैश्विक मोती उत्पादन के औसत वार्षिक मूल्य से 3 से 10 गुना तक अधिक था। इसके अतिरिक्त देश में मोतियों के आयात दर में कई गुना वृद्धि हुई। भारत में मोतियों के आयातों का मूल्य मोतियों के वैश्विक उत्पादन के मूल्य से काफी अधिक होना इस बात का संकेत देता है कि व्यापार के गलत बीजक बनाए गए और निधियों की राउंडट्रिपिंग हुई जिसे रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के संबंध में गम्भीर चिंता के रूप में उजागर किया गया है।
- मोतियों के आयात मुख्य रूप से यूई, हांगकांग और थाईलैंड से किए गए, जिनका वैश्विक मोती उत्पादन में नगण्य योगदान था।
- प्रवर्तन निदेशालय ने एन ग्रुप के मामलों (मई 2018) के संबंध में अपनी जांच रिपोर्ट में पाया कि ग्रुप द्वारा नियंत्रित यूई और हांगकांग में स्थित 20 इकाइयों को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से निधि की लेयर्स और लॉन्ड्रिंग को सुविधाजनक करने के लिए बनाया गया था ताकि पीएनबी से निकाले गए धन के लाभार्थियों की वास्तविक मंशा और पहचान को छिपाया जा सके। वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान संव्यवहार में निर्धारण से बचने वाली आय की महत्वपूर्ण मात्रा के अंतर्निहित जोखिम के साथ मोतियों के आयात पर संभावित अधिबीजकन शामिल हो सकता है।

(पैरा 2.2.4)

- 84 संवीक्षा मामलों में से सात में लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर विभाग ने धारा 10ए के अन्तर्गत ₹ 5,654.39 करोड़ के कुल निर्यात टर्नओवर के प्रति ₹ 115.45 करोड़ की समग्र कटौतियाँ अनुमत की भले ही ₹ 3,878.95 करोड़ की राशि की निर्यात प्राप्तियों का बड़ा भाग (कुल निर्यात टर्नओवर के 40 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक) छह महीने से अधिक बकाया था। इन मामलों में संभावित राजस्व हानि ₹ 28.57 करोड़ बनती थी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में पाया गया कि धारा 10ए के अन्तर्गत कटौती का दावा करने के लिए एसईजेड यूनिटों द्वारा निर्यात

प्राप्तियों के समय पर प्रेषण के लिए आयकर अधिनियम 1961 में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। आयकर अधिनियम में प्रावधानों के अभाव में उन मामलों में भी आयकर विभाग द्वारा कटौतियां अनुमत की जा रही थीं जहां निर्यात प्राप्तियों का प्रमुख-भाग उगाही के लिए लंबित था।

(पैरा 3.1)

- यद्यपि सरकार ने खंड (viiiबी) को समाविष्ट कर धारा 56(2) में संशोधन किया जो बहुत उच्च प्रीमियम पर शेयर जारी कर प्रवर्तकों/निदेशकों के बेहिसाबी धन को लाने की प्रथा रोकने के लिए था, तथापि विदेशी निवेशकों विशेषकर कर मुक्त देशों से आने वाले धन और जहां निवेशिती कंपनी की भारी शेयर प्रीमियम की प्राप्ति का औचित्य दर्शाने के लिए अधिक निवल संपत्ति अथवा कारोबार योजना नहीं थी, के लिए मार्ग खुला रखा गया था।

(पैरा 3.2.1)

- लंबी अवधि के लिए आवंटन के लंबित रहते शेयर आवेदन धन के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए आयकर अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। अधिक समय से आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन धन का सत्यापन न करना काले धन या अवैध धन के रूटिंग के जोखिम को दर्शाता है।

(पैरा 3.2.2)

- लेखापरीक्षा में जांच किए गए नमूना मामलों से लेखापरीक्षा ने पाया कि कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों में प्रकटन और निर्धारितियों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर निर्धारण पूरे किए गए थे। निर्धारण अभिलेखों में मूल्यांकन विवरणों की विस्तृत जांच के साक्ष्य के अभाव में लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि आयकर रिटर्न में निर्धारितियों द्वारा और कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों द्वारा प्रकटित मालसूची के मूल्यांकन की परिशुद्धता के बारे में विभाग ने स्वयं को कैसे संतुष्ट किया। साथ ही रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए विशिष्ट निर्धारितियों के निर्धारण को पूरा करने के लिए सीबीडीटी द्वारा कोई मानक परिचालन क्रियाविधि (एसओपी) अथवा अनुदेश/ मार्गदर्शन निर्धारित नहीं किया गया है।

(पैरा 3.3)

- लेखापरीक्षा ने नोट किया कि हीरे का मूल्यांकन चार सी पर निर्भर करता है अर्थात् कट, स्पष्टता, रंग और कैरेटेज। तथापि कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हीरे के केवल कैरेट-वार मात्रात्मक विवरण (अनगढ़, अस्वीकृत और

पॉलिश किया गया) दिए गए हैं, और ग्रेड-वार विवरण (कट, स्पष्टता, रंग और कैरेटेज) नहीं दिए गए हैं। हीरे के ग्रेड वार विवरण के अभाव में यह स्पष्ट नहीं था कि विभाग अपने को कैसे संतुष्ट कर रहा था कि निर्धारिती द्वारा घोषित हीरे का मूल्य सही था। कट, स्पष्टता, रंग और कैरेट में अंतर के आधार पर हीरे या कीमती रत्न का ग्रेडेशन इसे मानक मूल्यांकन कार्यप्रणाली का होनेवाला बनाने में अत्यधिक कठिन बनाता है।

(पैरा 3.3.1)

- संवीक्षा निर्धारण के दौरान विस्तृत सत्यापन या जांच के लिए सीएएसएस के अन्तर्गत रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के निर्धारण मामलों के चयन के लिए मालसूची या स्टॉक का मूल्यांकन एक सुसंगत रूप से कम संभावित मापदंड है।

(पैरा 3.3.2)

- लेखापरीक्षा में नोट किया गया कि आईटीआर और टीएआर के मौजूदा फॉर्म रत्न एवं आभूषण कारोबार में लगे किसी सत्व द्वारा संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने वाले निर्यातों और आयातों के विवरण नहीं रखते। इसके अतिरिक्त मौजूदा कारोबार कोड रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में व्यापार किए जाने वाले वस्तुओं की पहचान करने में आयकर विभाग को समर्थ नहीं बनाते। इस प्रकार, उन्हीं संबंधित पार्टियों को किए गए आयातों और निर्यातों के कारण और रत्न एवं आभूषण के कारोबार में व्यापारित वस्तुओं के साथ इसे सम्बद्ध करने के कारण संदेहास्पद संव्यवहारों की पहचान करना मौजूदा रिपोर्टों और रिटर्नों के माध्यम से अभिगृहीत डेटा से संभव नहीं होगा।

(पैरा 4.1.2.1)

- 360-डिग्री विश्लेषण के अन्तर्गत सात निर्धारितियों के संबंध में मामलों की जांच करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा विभिन्न अनियमितताएं पाई गईं जैसे संदेहास्पद कारोबार कार्यकलापों की जांच न करना; घोषित न किया गया अधिक आउटपुट, स्टॉक का कम लेखांकन और ₹ 37,909.38 करोड़ के कर प्रभाव वाले 33 महत्वपूर्ण मुद्दों में संबंधित पार्टियों के अभिलेखों की तुलना में निर्धारिती के अभिलेखों के अनुसार निर्धारिती द्वारा किए गए दावों में अन्तरों का सत्यापन न करना।

- 74 मामलों में से, बारह मामलों में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जिसके कारण 360-डिग्री विश्लेषण के लिए चयनित मामलों की जांच में बाधा आई।

- 173 मामलों में से, लेखापरीक्षा 59 संबंधित पक्षों से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण केवल 114 संबंधित पक्षों के अभिलेखों की जांच कर सकी।
- इस तरह की अनियमितताओं में कर अपवंचन का अंतर्निहित जोखिम था जिसके लिए आगे की जांच और विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है।
(पैरा 4.2)
- लेखापरीक्षा ने नौ राज्यों में गलत अनुमति से कारोबार व्यय संबंधित ₹ 188.40 करोड़ कर प्रभाव वाले 40 मामले नोट किए।
(पैरा 4.4)
- लेखापरीक्षा ने 10 राज्यों में 34 मामलों में पाया कि आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत आय पर विचार करने में निर्धारण अधिकारी विफल रहे। ऐसी आय में देयता का समापन, धारा 115 जेबी के अन्तर्गत आय की संगणना, स्टॉक/बिक्री की कम रिपोर्टिंग आदि शामिल हैं। इन सभी मामलों में शामिल कुल कर प्रभाव ₹ 58.86 करोड़ बनता था।
(पैरा 4.6.2)
- लेखापरीक्षा में ऐसे दृष्टांत पाए जहां निर्धारण अधिकारी ने कर, अधिभार, ब्याज, शास्ति और प्रतिदाय की संगणना में गलती की जिसके कारण 10 राज्यों में 58 निर्धारण मामलों में ₹ 112.31 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।
- त्रुटियाँ इस तथ्य का संकेत हैं कि आईटीडी सिस्टम में कमी या अपेक्षित कार्यक्षमता नहीं थी।
(पैरा 4.7)
- लेखापरीक्षा में जांच किए गए नमूना मामलों से लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि आईटीआर में निर्धारितियों द्वारा भरे गए कारोबार कोड की परिशुद्धता का सत्यापन निर्धारण प्रक्रिया के दौरान नहीं किया गया था। फलस्वरूप क्षेत्र विशेष की सटीक सूचना तैयार करना संभव नहीं है।
(पैरा 5.1)
- 19 निर्धारितियों से सम्बन्धित (यूनिक पैन) ₹ 30,560.46 करोड़ के बिक्री टर्नओवर वाले 33 निर्धारण मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी चार निर्धारण वर्षों में आईटीआर दाखिल नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया

गया कि सम्बन्धित निर्धारण अधिकारियों द्वारा नान-फाइलर्स के विरुद्ध उपचारी कार्रवाई करने के लिए विभाग के अन्दर सूचना के समय पर आदान-प्रदान को भी सुनिश्चित नहीं किए जाने के कारण प्रणाली की प्रभावी ढंग से मॉनीटरिंग नहीं की गयी थी।

(पैरा 5.2.1)

- लेखापरीक्षा ने निर्धारण इकाइयों में निर्धारण रिकॉर्ड के अनुसार आंकड़ों की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम) द्वारा केंद्रीय रूप से व्यवस्थित आंकड़ों के बीच बेमेलता के उदाहरणों को देखा। डेटा बेमेलता के उदाहरण, प्रणालीगत मुद्दों, प्रवेश स्तर पर डेटा की हैंडलिंग में कमी और आईटीडी के क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा निर्धारण डेटा के गैर-अपडेशन को दर्शाते थे।

(पैरा 5.3)

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि 346 दृष्टांतों में निर्धारितियों ने आईटीआर और/या कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों में मालसूची के मात्रात्मक विवरणों का प्रकटन नहीं किया था; 362 दृष्टांतों में, कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से प्रकटनों की तुलना में आईटीआर के अनुसार मात्रात्मक विवरणों में बेमेलता थी और 330 मामलों में कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों में विसंगतियां थीं जैसे अन्त स्टॉक का गलत अग्रेयन, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित विभिन्न प्रकटनों में गलतियां। विसंगतियां इस तथ्य को दर्शाती थीं कि आईटीडी प्रणालियों में ऐसे मामलों में सीपीसी बेंगलुरु के माध्यम से आईटीआर संसाधित करने के चरण में विसंगतियों और अंतराल का पता लगाने में कमी थी। इसके अलावा उपलब्ध अभिलेखों से लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने इन विसंगतियों की जांच नहीं की थी। ऐसी विसंगतियों का सत्यापन न करने से निर्धारण से छूट गयी आय का जोखिम भी हो गया।

(पैरा 5.4)

- 81 संवीक्षा निर्धारण मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि आईटीआर/कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रकटित मात्रात्मक विवरणों के अनुसार स्टॉक में कमी थी/आधिक्य था, तथापि यह दर्शाने के लिए निर्धारण अभिलेखों में कुछ भी उपलब्ध नहीं था कि ऐसी विसंगतियों का सम्बन्ध में विभाग ने कोई जांच की थी/सत्यापन किया था।

(पैरा 5.6)

- निर्धारण मामलों की जांच के विभिन्न स्तरों पर और अंतिम रूप देने में अप्रतिभूत कर्जों के कारण अनुमत दावों की सत्यता और सटीकता का

सत्यापन करने के लिए विभाग के अन्दर मौजूदा तंत्र को लेखापरीक्षा अभिनिश्चित नहीं कर सका यथा नमूना जांच किए गए नमूने में सीपीसी के माध्यम से संक्षिप्त प्रक्रिया और आयकर विभाग की प्रणाली के माध्यम से संवीक्षा निर्धारण।

(पैरा 5.7)

- आयकर विभाग (आईटीडी) के अन्दर सूचना साझा करने का निर्धारण के साथ-साथ गैर-निर्धारण इकाइयों द्वारा विभाग के अन्दर समन्वय की कमी के कारण प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया था, जिससे संवीक्षा निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित हुई, और राजस्व की हानि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 6.1)

- लेखापरीक्षा ने पांच राज्यों में 178 मामला अभिलेखों की जांच की जिनमें लाभार्थियों ने कुल ₹ 2,477.73 करोड़ के जाली बीजक प्राप्त किए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारणों को पूरा करते समय निर्धारण अधिकारी ने जाली खरीदों की प्रविष्टियों के कारण आंशिक अनुमति की जो या तो उनके अपने अनुमानों पर आधारित थीं या जांचकर्ता इकाइयों से उस प्रभाव तक सूचना की विवेकी पश्च प्राप्त के आधार पर थी। इस प्रकार जाली प्रविष्टियों तथा खरीदों के प्रति किए गए परिवर्धनों में निर्धारणों में कोई समानता या संगतता नहीं थी जो परिवर्धनों के वैसे ही आधार होने के बावजूद थी और कुछ मामलों में निर्धारण प्रभार भी वही थे। अननुमति की प्रतिशतता में 3 से 100 प्रतिशत तक अन्तर था। लेखापरीक्षा में पाया गया है कि समायोजन प्रविष्टियों/ जाली खरीदों की अस्वीकृति के लिए कोई दिशा-निर्देश/ एसओपी नहीं है। संवर्धन एक मनमाने ढंग से या विवेकाधीन तरीके से किए गए थे और अपीलीय चरण में संवर्धन की गैर-स्थिरता के एक अंतर्निहित जोखिम के साथ निर्धारण आदेश में उचित औचित्य दर्ज किए बिना किए गए थे।

(पैरा 6.1.2.2)

- लेखापरीक्षा आयकर विभाग और अन्य विभागों के बीच समन्वय की सीमा को लेखापरीक्षा के दौरान मांगी गयी सूचना प्रस्तुत न करने के कारण सुनिश्चित नहीं कर सकी। लेखापरीक्षा यह सत्यापन नहीं कर सकी कि क्या रत्न एवं आभूषण कारोबार में लगे सत्वों से संबंधित संव्यवहारों सम्बन्धी विसंगतियों या अनियमितताओं का पता लगाने के लिए बाह्य एजेंसियों के साथ सूचना का आदान-प्रदान किया गया था।

(पैरा 6.2)

- लेखापरीक्षा में रत्न और आभूषण क्षेत्र के संबंध में आयकर विभाग में कमजोर मॉनीटरिंग तंत्र के संकेत वाले मामलों को पाया। इन क्षेत्रों में रत्न और आभूषण क्षेत्र की वस्तुओं के निर्यात और आयात में असामान्य प्रवृत्ति, फाइलिंग चरण में या मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान आईटीआर में निर्धारितियों द्वारा दर्ज किए गए करोबार कोड की सटीकता का सत्यापन न करना, धारा 10ए के तहत कटौती का दावा करने के लिए भारत में निर्यात आय लाने के लिए समय सीमा की अनुपस्थिति, जांच मूल्यांकन के दौरान आईटीआर और टीएआर में इन्वेंट्री के मात्रात्मक प्रकटीकरण का सत्यापन न करना और एसओपी या रत्न और आभूषण क्षेत्र के विशिष्ट निर्धारितियों के निर्धारण के लिए निर्देशों/ दिशानिर्देशों की कमी शामिल है।
- इन क्षेत्रों में सख्त निगरानी की आवश्यकता होती है क्योंकि रत्न और आभूषण क्षेत्र में लेन-देन और दावों की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग, राउंड ट्रिपिंग, मिस-इनवॉइसिंग और काले धन के रूटिंग के जोखिम का महत्वपूर्ण जोखिम शामिल है। लेखापरीक्षा में पाया गया है कि ये मुद्दे दिशानिर्देशों/ एसओपी और जोखिमों को संबोधित करने के लिए इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट निर्देशों के अभाव में आईटीडी द्वारा जांच से बच जाते हैं, जो समय-समय पर विभिन्न सरकारी समितियों और एफएटीएफ द्वारा भी उजागर किए जाते हैं। इसके अलावा, इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट जोखिमों को दूर करने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण की अनुपस्थिति क्षेत्र स्तर पर सत्यापन और निगरानी तंत्र में कमियों के कारण जटिल हो जाती है।

(पैरा 6.4)

सिफारिशों का सार

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

- राजस्व विभाग (डीओआर) अनगढ़ हीरे और मोतियों के आयात और निर्यात में जांच संबंधी प्रवृत्तियों पर विचार कर सकता है ताकि काले धन अधिनियम के तहत अधिसूचित विशिष्ट शक्तियों का उपयोग करने के माध्यम से आयकर निर्धारण दृष्टिकोण से अधिक मूल्यांकन/ कम मूल्यांकन के प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र से संबंधित उन विदेशी संव्यवहारों पर सूचना प्राप्त करने के लिए दोहरे कराधान परिहार्य करारों का निर्धारण किया जा सके जो संव्यवहार रत्न एवं आभूषण के कारोबार में लगे सत्वों के आईटीआर के माध्यम से रिपोर्ट नहीं किए गए हैं या जिनका प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

[पैरा 2.2.2 से 2.2.4, 2.4(क)]

- राजस्व विभाग, वैश्विक उत्पादन में नगण्य योगदान वाले देशों से अनगढ़ हीरे के उच्च मूल्य के आयातों के कारणों को सत्यापित करने के लिए अनगढ़ हीरे के निर्यात और आयात की राष्ट्र-वार प्रवृत्तियों की जांच करने पर विचार कर सकता है जो अनगढ़ हीरे के आयात पर लगाए गए नाममात्र सीमा शुल्क और बेईमान व्यापारियों द्वारा काले धन को वैध बनाने के लिए एक वाहक के रूप में उपयोग किए जा रहे इस वस्तु के दुरुपयोग की संभावना को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

[पैरा 2.2.3, 2.4(ख)]

- राजस्व विभाग को अन्य सरकारी विभागों/ एजेंसियों के सहयोग से भारत में मोतियों के आयातों की प्रमाणिकता की जांच करने पर विचार करना चाहिए क्योंकि 2013-14 से 2017-18 के दौरान असामान्य प्रवृत्तियों में राउंड-ट्रिपिंग और बीजक को गलत तैयार करने की संभावना को दर्शाया गया था।

[पैरा 2.2.4, 2.4(ग)]

- सीबीडीटी अधिनियम की धारा 10ए के तहत कटौती का दावा करने के लिए भारत में निर्यात प्राप्तियों के विरुद्ध विचार करने के लिए एक समय सीमा निर्दिष्ट करने पर विचार करे।

[पैरा 3.1, 3.5(क)]

- सीबीडीटी विदेशी निवेशकों को धारा 56(2)(viiबी) के क्षेत्र के तहत लाने पर विचार कर सकता है ताकि शेयर आवेदन राशि/शेयर प्रीमियम के रूप में कर अपवंचन की संभावना को समाप्त किया जा सके।

[पैरा 3.2.1, 3.5(ख)]

- सीबीडीटी कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रतिदाय के लिए देय होने के बाद लंबित शेयर आवेदन राशि के मुद्दे को हल करने के लिए प्रणाली को मजबूत करे ताकि इसके दुरुपयोग और शेयर आवेदन धन के रूप में कालेधन के रूटिंग की संभावना को रोका जा सके।

[पैरा 3.2.2, 3.5(ग)]

- रत्न और आभूषण मामलों की संवीक्षा के निर्धारण के दौरान की जाने वाली जांचों को शामिल करते हुए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) और मानक दिशानिर्देश न्यायालय में स्वीकार्य संवर्धन करने और हीरा व्यापारियों/विनिर्माताओं द्वारा अपनाई गई अनैतिक व्यापार प्रचलनोंको रोकने के लिए भी अनिवार्य है।

[पैरा 3.3, 3.5(घ)]

- सीबीडीटी ₹ 500 करोड़ या ₹ 1000 करोड़ से अधिक का सकल टर्नओवर या सीबीडीटी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी अन्य सीमा जैसे अत्याधिक उच्च सीमा वाले बहुत उच्च मूल्य वाले मामलों में हीरा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप हीरे के मूल्य निर्धारण के लिए आवश्यक ग्रेड-वार ब्यौरे को शामिल करने के लिए कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रारूप को संशोधित करने पर विचार कर सकता है।

[पैरा 3.3.1, 3.5(ड)]

- सीबीडीटी जाली खरीद, बड़े हुए बीजक आदि के संबंध में वर्तमान प्रावधानों की पर्याप्तता की जांच कर सकता है क्योंकि इनसे अप्रकटित आय मौजूदा प्रावधानों के तहत कवर नहीं की जाती है।

[पैरा 3.3.1, 3.5(च)]

- वस्तुओं की माल सूची या स्टॉक के प्रकटीकरण में विसंगतियों को चयन के साथ-साथ जांच निर्धारण के तहत विस्तृत जांच के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है।

[पैरा 3.3.2, 3.5(छ)]

- सीबीडीटी रत्न और आभूषण कारोबार में लगी संस्थाओं के निर्धारण के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार कर सकता है

जिसमें त्रुटि मुक्त निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट जोखिम क्षेत्रों के लिए निर्देश शामिल हैं। सीबीडीटी निम्नलिखित लाइनों पर रत्न और आभूषण कारोबार में लगे निर्धारितियों के संबंध में कंप्यूटर सहायित प्राप्त संवीक्षा चयन (सीएएसएस) के तहत सीमित और पूर्ण संवीक्षा के लिए मामलों की पहचान के लिए जोखिम मापदंडों के संयोजन को लागू करने पर विचार कर सकता है: बिक्री टर्नओवर ₹ 500 करोड़ या ₹ 1000 करोड़ की सीमा मूल्य से अधिक या बोर्ड द्वारा सही समझे जाने वाले किसी भी अन्य उच्च मूल्य से अधिक है, बिक्री टर्नओवर के 0.5 प्रतिशत से कम की आय, एक वर्ष से अधिक समय से रत्न और आभूषणों की मदों के निर्यात के बदले विदेशी मुद्रा आय की वसूली न करना, प्रपत्र 3सीईबी फाइल न करना आदि।

[पैरा 4.1, 4.10(क)]

- सीबीडीटी संदिग्ध प्रकृति के संव्यवहार की पहचान करने और कर अपवंचन की संभावना को रोकने के लिए रत्न और आभूषण कारोबार में लगी किसी भी सत्व द्वारा सीबीडीटी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली एक निश्चित सीमा से परे संबंधित पक्षों के साथ किए गए निर्यात और आयात संव्यवहार के विवरण को प्राप्त करने पर विचार कर सकता है, हालांकि संवीक्षा के अधीन ऐसे मामलों की विस्तृत संवीक्षा की जा रही है।

[पैरा 4.1.2.1, 4.10(ख)]

- सीबीडीटी फॉर्म 3सीडी के माध्यम से सीबीडीटी द्वारा निर्दिष्ट एक निश्चित सीमा से परे संव्यवहार के लिए संबंधित पक्षों के पैर विवरण का अनिवार्य प्रकटीकरण सुनिश्चित कर सकता है और संबंधित पक्षों के पैर के सत्यापन पर भी विचार कर सकता है।

[पैरा 4.2, 4.10(ग)]

- आयकर विभाग लाभ और हानि खाते और टीएआर के अनुसार स्टॉक के प्रकटीकरण में अंतर के गैर-सत्यापन के कारणों की संवीक्षा विशेष रूप से बड़े बिक्री टर्नओवर वाली सत्वों में और अस्पष्टीकृत अतिरिक्त आउटपुट का गैर-सत्यापन करने के लिए बिक्री के छिपाव और बेहिसाब कच्चे माल की शुरुआत के माध्यम से अपवंचन की संभावना को रोकने के लिए विचार कर सकता है।

[पैरा 4.2, 4.10(घ)]

- आयकर विभाग सिस्टम संवीक्षा निर्धारण के तहत विस्तृत जाँच के लिए एक विशेष निर्धारण वर्ष में एक ही निर्धारिती द्वारा विभिन्न स्रोतों के माध्यम से किए गए स्टॉक के मात्रात्मक विवरणों में प्रकटीकरण में अंतर से जुड़े मामलों के चयन को प्राथमिकता दे सकता है।

[पैरा 4.2, 4.10(ड)]

- रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों की कारोबारी गतिविधि की विशेष प्रकृति और इस तरह के कारोबार में शामिल संव्यवहार की बहुलता को ध्यान में रखते हुए, सीबीडीटी स्टॉक के मात्रात्मक विवरणों के अनुचित प्रकटीकरण, असामान्य प्राप्ति/ अपव्यय से संबंधित मुद्दों, संबंधित पक्षों आदि के अभिलेखों में प्रकटीकरण की तुलना में मुख्य निर्धारिती के अभिलेखों के अनुसार दावों की जाँच करने के लिए निर्धारितियों और उनके संबंधित पक्षों की धारा 142(2ए) के तहत विशेष लेखापरीक्षा करने पर विचार कर सकता है।

[पैरा 4.2.8, 4.10(च)]

- सीबीडीटी, ऐसी त्रुटियों के कारणों का पता लगाने के लिए आय, कर, ब्याज आदि की गणना में त्रुटियों और अनियमितताओं से जुड़े निर्धारणों पर फिर से विचार कर सकता है और ऐसी परिहार्य त्रुटियों की संभावना को समाप्त करने और निर्धारण अधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित कर सकता है।

[पैरा 4.7, 4.10(छ)]

- इस अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद अस्वीकार्य दावों और व्यय की मदों की अनियमित अनुमति तथा कटौती के कारणों की सीबीडीटी द्वारा समीक्षा की जा सकती है। आयकर विभाग अनियमित अनुमति की उच्च प्रवृत्ति के साथ व्यय और कटौती की मदों की पहचान कर सकता है और अनियमित अनुमति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए एक चेकलिस्ट तैयार कर सकता है।

[पैरा 4.3, 4.4, 4.10(ज)]

- सीबीडीटी यह सुनिश्चित कर सकता है कि क्या त्रुटियां/ अनियमितताएं कमीशन की त्रुटियां हैं और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा। आयकर विभाग, त्रुटियों और अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय कर सकता है।

[पैरा 4.3 से 4.8, 4.10(झ)]

- सीबीडीटी अन्य जोखिम कारकों के साथ संयोजन में अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के संबंध में फॉर्म 3सीईबी को फाइल न करने से जुड़े मामलों के चयन को प्राथमिकता दे सकता है क्योंकि निर्धारितियों द्वारा फॉर्म 3सीईबी फाइल करने की संभावना हो सकती है जिससे सीएसएस के मापदंडों के तहत ऐसे मामलों के चयन की संभावना कम हो सकती है।

[पैरा 4.8.2, 4.10(ज)]

- सीबीडीटी रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों द्वारा दर्ज कारोबार कोड की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्धारण अधिकारियों को निर्देश जारी कर सकता है। इसके अलावा, सीबीडीटी रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए निर्धारित कारोबारी कोड की बेहतर मॉनीटरिंग, बेहतर सतर्कता, विस्तृत संवीक्षा के लिए निर्धारितियों की पहचान और अन्य हितधारकों को प्रासंगिक जानकारी समय पर साझा करने के लिए अधिक विस्तार से विचार किया जा सकता है।

[पैरा 5.1, 5.11(क)]

- रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए निर्धारित कारोबारी कोड प्रमुख वस्तुओं जैसे (i) हीरा, (ii) सोना, (iii) चांदी, (iv) मोती, (v) इन सभी का एक संयोजन और (vi) रत्न और आभूषण की अन्य वस्तुओं के संयोजन में लगे सत्वों को शामिल करने के लिए अधिक विस्तारपूर्वक हो सकते हैं ताकि बेहतर मॉनीटरिंग, बेहतर सतर्कता, विस्तृत संवीक्षा के लिए निर्धारितियों की पहचान की जा सके और अन्य हितधारकों को प्रासंगिक जानकारी समय पर साझा की जा सके।

[पैरा 5.1, 5.11(ख)]

- आयकर विभाग को अपूर्ण आईटीआर को अस्वीकार करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए, जहां भी निर्धारित धारा 44एबी के तहत लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है और स्टॉक/खरीद/खपत/बिक्री आदि के मात्रात्मक विवरण फाइल नहीं करता है। सिस्टम को आईटीआर स्वीकार नहीं करना चाहिए और निर्धारित को आईटीआर के निर्धारित खंडों में विवरण भरने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके अलावा, फाइलिंग चरण में विवरण के प्रकटीकरण में निर्धारित द्वारा अपनाए गए अनौपचारिक दृष्टिकोण को रोकने के लिए कारोबार कोड, अंत स्टॉक आदि

जैसे गलत/ शून्य डेटा को उद्धृत करने के लिए निर्धारिती पर देयता निर्धारित की जानी चाहिए।

[पैरा 5.4.4 से 5.4.6, 5.11(ग)]

- ऐसी विसंगतियों की प्रणालीगत पहचान के लिए अगले वर्ष के अथ स्टॉक के साथ पिछले वर्ष के अंत स्टॉक से मिलान करने के लिए आयकर विभाग सिस्टम में अंतनिर्हित तंत्र हो सकता है।

[पैरा 5.4.4 से 5.4.6, 5.11(घ)]

- सीबीडीटी एसओपी के माध्यम से निर्धारण अधिकारी को आईटीआर और टीएआर में स्टॉक के गैर-प्रकटीकरण और स्टॉक में बेमेलता के कारणों की जांच करने पर विचार कर सकता है। इसके अलावा, रत्न और आभूषण क्षेत्र की इकाइयों द्वारा बेहिसाब स्टॉक की रूटिंग के जोखिम को कम करने और कर अपवंचन की संभावना को रोकने के लिए, जहां स्टॉक का मूल्य आईटीआर और वार्षिक लेखाओं में दिखाया गया है लेकिन मात्रात्मक विवरण का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, और इसके साथ-साथ, इसके कारणों और लाभप्रदता पर उनके प्रभाव का निर्धारणों में पता लगाया जाना चाहिए।

[पैरा 5.4, 5.11(ड)]

- राउंड-ट्रिपिंग को प्रतिबंधित करने के लिए, डीजीएफटी की विदेश व्यापार नीति प्रक्रिया की पुस्तिका के माध्यम से रत्न और आभूषण क्षेत्र की कुछ मदों के आयात और निर्यात के लिए मूल्यसंवर्धन और अपव्यय मानदंड निर्धारित करती है। सीबीडीटी को नगण्य मूल्यसंवर्धन के साथ महत्वपूर्ण रूप से अन्य आयात और निर्यात वाले मामलों को विस्तृत संवीक्षा के लिए एक मानदंड के रूप में चुनने पर विचार कर सकता है। इसी तरह, जहां उद्योग के औसत की तुलना में प्राप्त या अपव्यय असाधारण रूप से कम या अधिक है, निर्धारण अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य रूप से कारणों की मांग करनी चाहिए कि निर्धारिती लाभ को छिपा तो नहीं रहा है।

[पैरा 5.7, 5.11(च)]

- आयकर विभाग को आयकर विभाग के भीतर विभिन्न इकाइयों के बीच सामयिक जानकारी साझा करने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए ताकि रत्न और आभूषण क्षेत्र में खरीद, बिक्री, देनदारों, लेनदारों, असुरक्षित ऋणों और संबंधित पार्टी संव्यवहार आदि पर जाली बीजकों,

जाली खरीद और समायोजन प्रविष्टियों के बारे में जानकारी साझा न किए जाने/उनका उपयोग न किए जाने के कारण कर अपवंचन के जोखिम को ध्यान में रखते हुए अन्य इनपुट के सत्यापन की सुविधा प्रदान की जा सके।

[पैरा 6.1.1, 6.6(क)]

- सीबीडीटी निर्धारिती (ओं) द्वारा की गई समायोजन प्रविष्टि, यदि कोई हो, से संबंधित मामले की जांच के दौरान उपयोग के लिए काउंटर पार्टियों के निर्धारण अधिकारियों के साथ रत्न और आभूषण क्षेत्र में समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं की सूची साझा करने सहित इनपुट की अंतर-क्षेत्राधिकार साझाकरण के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत कर सकता है। इसके अलावा, न्यायालय में स्थायी परिवर्धन के लिए अपनाए गए आधार में निरंतरता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड समायोजन प्रविष्टि के मामलों के संबंध में संवर्धन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश निर्धारित कर सकता है।

[पैरा 6.1.2, 6.6(ख)]

- आयकर विभाग को एक ऑनलाइन सिस्टम डिजाइन करना चाहिए जहां एक निर्धारण अधिकारी जो आवश्यक जानकारी साझा करना या प्राप्त करना चाहता है, उसे व्यक्तियों (पैन के साथ) के सत्यापन के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को दिया जा सकता है।

[पैरा 6.1.3, 6.6(ग)]

- डीओआर को सूचना के अंतर-विभागीय साझाकरण के लिए सख्त मॉनिटरिंग तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए ताकि प्रमुख आयातकों, निर्यातकों और घरेलू विक्रेताओं की पहचान की जा सके और कर राजस्वों की हानि की संभावना को रोकने के लिए कराधान के दृष्टिकोण से सत्यापित किया जा सके।

[पैरा 6.2, 6.6(घ)]

अध्याय-1: प्रस्तावना

1.1 विहंगावलोकन

रत्न और आभूषण क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है और यह अत्यंत निर्यात उन्मुख और श्रम गहन है। यह क्षेत्र 2.5 मिलियन कामगारों को रोजगार प्रदान करता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग छः प्रतिशत से सात प्रतिशत का योगदान देता है। आज, भारत सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के साथ-साथ हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग का सबसे बड़ा प्लेयर है। भारत मूल्य के मामले में विश्व में पॉलिश किए हीरे के 65 प्रतिशत से अधिक, मात्रा के मामले में 85 प्रतिशत और नग की संख्या के मामले में 92 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन करता है। भारत रत्न और आभूषण का सबसे बड़ा निर्यातक है और यह उद्योग विदेशी मुद्रा आय और सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।


अधिकांश विनिर्माण गतिविधि भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात, विशेष रूप से सूरत में केंद्रित है। मुंबई में भारत डायमंड सराफा बाजार, आधुनिक और नया व्यापारिक परिसर जिसने 2010 में परिचालन शुरू किया था, विश्व का सबसे बड़ा बाजार है और भारत के कुल हीरे के आयात और निर्यात में इसका लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा है।

भारत में आभूषणों और रंगीन रत्नों के विनिर्माण की भी लंबी परंपरा है। रंगीन रत्नों के व्यापार का केंद्र जयपुर टैंजानाइट और पन्ना सहित कई विभिन्न रत्नों का विश्व का सबसे बड़ा विनिर्माता है।

रत्न और आभूषण बाजार में निम्नलिखित खंड शामिल हैं:

- अनगढ़ हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग
- हीरे जड़ित आभूषण
- सोने के आभूषण
- चांदी के आभूषण और
- कीमती और अर्ध-कीमती रत्न और इसके आभूषण।


चित्र 1.1: रत्न और आभूषण क्षेत्र के खंड



आभूषणों से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में बहुमूल्य पत्थरों और धातुओं का खनन और निष्कर्षण शामिल है जैसे हीरे का खनन, रंगीन रत्न का खनन, सोने का खनन और प्लैटिनम का खनन; रत्न प्रसंस्करण (कटिंग और पॉलिशिंग) सहित कटिंग और पॉलिशिंग आभूषण के डिजाइन और गढ़ाई को कवर करते हुए गढ़ाई और खुदरा बिक्री में आभूषण खुदरा बिक्री शामिल है।

1.2 रत्न और आभूषणों के आयात और निर्यात के रुझान

विकास की संभावनाओं के आधार पर, रत्न और आभूषण उद्योग को निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक ध्यानार्कषण क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। भारत सरकार ने भी इस क्षेत्र को सुविधा देने के लिए रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की है। वर्ष 2008-09 से 2020-21 के दौरान रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्यात और आयात में वृद्धि की प्रवृत्ति नीचे दिए गए चार्ट 1.2 में दर्शाई गई है:



[स्रोत: भारत में रत्न और आभूषण उद्योग/वस्तु वार निर्यात - जीजेईपीसी भारत]

जैसा कि वि.व. 2015-16 से 2019-20 के बीच की अवधि के लिए रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्यात से संबंधित आंकड़ों से देखा जा सकता है, वित्त वर्ष 2016-17 में सकारात्मक वृद्धि (10 प्रतिशत) को छोड़कर वार्षिक आधार पर कुल निर्यात के मूल्य की वृद्धि में (-) 5.1 प्रतिशत से (-) 10.4 प्रतिशत तक कमी आई। निर्यात के मूल्य की वृद्धि में वित्त वर्ष 2020-21 में वार्षिक आधार पर 28.7 प्रतिशत तक कमी आई।

1.3 वस्तु-वार निर्यात और आयात

कट और पॉलिश किए गए हीरे का निर्यात रत्न और आभूषणों के कुल निर्यात समूह का प्रमुख घटक है। वित्त वर्ष 2008-09 में कट और पॉलिश किए गए हीरे के निर्यात में रत्न और आभूषण क्षेत्र से किए गए कुल निर्यात का लगभग 60 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2012-13 में यह अनुपात धीरे-धीरे घटकर 50 प्रतिशत हो गया जो रत्न और आभूषणों के निर्यात समूह के अन्य महत्वपूर्ण घटक सोने के आभूषणों (42 प्रतिशत) के निर्यात में वृद्धि के कारण था। वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, इस क्षेत्र के कुल निर्यात समूह में कट और पॉलिश किए गए हीरे के निर्यात के अनुपात में 52 प्रतिशत से 61 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव आया। वित्त वर्ष 2008-09 से 2020-21 के दौरान रत्न और आभूषणों के कुल निर्यात समूह में स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण पदक और सिक्कों की हिस्सेदारी में 20 प्रतिशत से 42 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव हुआ। रत्न और आभूषणों के निर्यात समूह में कट और पॉलिश किए गए हीरे और सोने के आभूषण, सोने के मेडल और सिक्कों के निर्यात की कुल हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2008-09 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 84 प्रतिशत से 95 प्रतिशत के बीच थी। वित्त वर्ष 2008-09 से 2020-21 के दौरान रत्न और आभूषण क्षेत्र के मद-वार सकल निर्यात और आयात को नीचे दी गई तालिका 1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: रत्न और आभूषण क्षेत्र का मद-वार सकल निर्यात और आयात (वि.व. 2008-09 से 2020-21)														
													(यूएस \$ मिलियन में)	
वि.व.→ मद↓	निर्यात/ आयात	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कट और पॉलिश किए गए हीरे	निर्यात	15143 (60%)	19356 (63%)	30574 (67%)	26672 (57%)	21607 (50%)	24498 (61%)	23160 (58%)	20668 (53%)	22784 (53%)	23723 (58%)	23817 (60%)	18665 (52%)	16288 (54%)
कट और पॉलिश किए गए हीरे	आयात	8807 (35%)	11610 (39%)	20808 (49%)	14472 (34%)	5559 (15%)	6541 (21%)	6640 (21%)	2771 (11%)	2634 (9%)	2235 (7%)	1328 (5%)	1713 (7%)	2183 (13%)
सोने के आभूषण, सोने के पदक और सिक्के	निर्यात	8812 (35%)	9726 (32%)	12276 (27%)	16612 (36%)	18421 (42%)	11404 (28%)	12726 (32%)	13797 (35%)	13675 (32%)	11286 (28%)	12796 (32%)	12872 (36%)	5178 (20%)
सोने की	आयात	5033 (20%)	8709 (29%)	8850 (21%)	10963 (26%)	11192 (30%)	5663 (18%)	5458 (17%)	4283 (18%)	4292 (15%)	5856 (18%)	8025 (30%)	7962 (32%)	1533 (9%)

2022 की प्रतिवेदन संख्या 6 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

तालिका 1.1: रत्न और आभूषण क्षेत्र का मद-वार सकल निर्यात और आयात (वि.व. 2008-09 से 2020-21)														
(यूएस \$ मिलियन में)														
छड़														
चांदी के आभूषण	निर्यात	238 (1%)	375 (1%)	569 (1%)	742 (2%)	931 (2%)	1474 (4%)	2050 (5%)	2957 (8%)	3948 (9%)	3382 (8%)	837 (2%)	1687 (5%)	2331 (9%)
चांदी की छड़	आयात	30 (0%)	32 (0%)	68 (0%)	100 (0%)	52 (0%)	37 (0%)	35 (0%)	42 (0%)	51 (0%)	56 (0%)	42 (0%)	41 (0%)	38 (0%)
अनगढ़ हीरे	निर्यात	776 (3%)	744 (2%)	1137 (2%)	1774 (4%)	1579 (4%)	1585 (4%)	1419 (4%)	1170 (3%)	1500 (3%)	1430 (3%)	1354 (3%)	1109 (3%)	503 (2%)
अनगढ़ हीरे	आयात	7957 (31%)	9050 (30%)	11994 (28%)	15163 (35%)	14927 (40%)	16716 (54%)	16757 (53%)	14048 (58%)	17085 (59%)	18889 (60%)	15724 (59%)	13026 (53%)	10903 (66%)
तराशे गए रंगीन रत्न	निर्यात	281 (1%)	306 (1%)	349 (1%)	420 (1%)	729 (2%)	648 (2%)	453 (1%)	433 (1%)	420 (1%)	433 (1%)	398 (1%)	321 (1%)	189 (1%)
अनगढ़ रंगीन रत्न	आयात	111 (0%)	117 (0%)	150 (0%)	146 (0%)	208 (1%)	238 (1%)	282 (1%)	370 (2%)	572 (2%)	906 (3%)	351 (1%)	250 (1%)	177 (1%)
मोती (तराशे गए/गैर-तराशे)	निर्यात	4 (0%)	4 (0%)	6 (0%)	5 (0%)	90 (0%)	326 (1%)	3 (0%)	2 (0%)	6 (0%)	3 (0%)	2 (0%)	2 (0%)	1 (0%)
कच्चे मोती	आयात	5 (0%)	5 (0%)	7 (0%)	8 (0%)	170 (0%)	79 (0%)	3 (0%)	306 (1%)	602 (2%)	1039 (3%)	8 (0%)	11 (0%)	1 (0%)
निर्यात की अन्य मद	निर्यात	84 (0%)	89 (0%)	635 (1%)	565 (1%)	218 (1%)	236 (1%)	170 (0%)	219 (1%)	824 (2%)	708 (2%)	519 (1%)	939 (3%)	879 (3%)
आयात के अन्य मद	आयात	3539 (14%)	531 (2%)	758 (2%)	1869 (4%)	5283 (14%)	1795 (6%)	2158 (7%)	2588 (11%)	3563 (12%)	2709 (9%)	1091 (4%)	1523 (6%)	1646 (10%)
रत्न और आभूषण का कुल सकल निर्यात		25338	30600	45546	46790	43575	40171	39981	39246	43157	40965	39723	35595	25369
रत्न और आभूषण का कुल आयात		25482	30054	42635	42721	37391	31069	31333	24408	28799	31690	26569	24526	16481

स्रोत: भारत में रत्न और आभूषण उद्योग | वस्तुवार निर्यात - जीजेईपीसी भारत
 [निर्यात और आयात के प्रति कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े रत्न और आभूषणों के क्रमशः निर्यात समूह में वस्तु-वार प्रतिशत हिस्सेदारी और आयात समूह में प्रतिशत हिस्सेदारी दर्शाते हैं।]

इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2008-09 से 2020-21 के बीच की अवधि के लिए रत्न और आभूषण क्षेत्र के वस्तु-वार आयातों से संबंधित आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि अनगढ़ हीरा, सोने की छड़ और कट और पॉलिश किए गए हीरे में रत्न और आभूषणों के कुल आयात समूह के महत्वपूर्ण घटक शामिल थे। उक्त अवधि के दौरान रत्न और आभूषण के कुल आयात में अनगढ़ हीरे का आयात 28 प्रतिशत से 66 प्रतिशत के बीच रहा जबकि सोने की छड़ों का आयात का 9 प्रतिशत से 32 प्रतिशत के बीच रहा। वित्त वर्ष 2008-09 में अनगढ़ हीरे के आयात के अनुपात में 31 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2020-21 में 66 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि के लिए इस प्रतिवेदन के पैरा 2.2.1 में दर्शाए आयातों के अधिक मूल्य निर्धारण के संबंध में उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और जांच की आवश्यकता है। कट और पॉलिश किए गए हीरे का आयात रत्न और आभूषण के कुल आयात के 5 प्रतिशत से 49 प्रतिशत के बीच था। रत्न और आभूषणों के आयात समूह में अनगढ़ हीरे, सोने की छड़ और कट और पॉलिश किए गए हीरे के आयात की कुल हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2008-09 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 83 प्रतिशत से 98 प्रतिशत के बीच थी।

1.4 कानूनी प्रावधान

रत्न और आभूषण कारोबार में लगे आयकर निर्धारितियों के लिए कोई विशिष्ट कानूनी प्रावधान निर्दिष्ट नहीं हैं। रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के लिए प्रासंगिक आयकर अधिनियम के सामान्य प्रावधान **अनुलग्नक ए1** में दिए गए हैं।

रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों के कराधान से संबंधित प्रासंगिक नवीनतम न्यायिक निर्णयों का सार **अनुलग्नक ए2** में दिया गया है।

1.5 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

1.5.1 हमने यह विषय क्यों चुना

- इस उद्योग की आर्थिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसमें विकास की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, जैसे रियायतें, छूट और शुल्कों में कमी और इसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में शुल्क को छोड़ दिया गया है।
- हीरे और सोने के आयात की बड़ी मात्रा के कारण संव्यवहार और विदेशी मुद्रा विनिमय के उच्च मूल्य को देखते हुए, रत्न और आभूषण क्षेत्र दुरुपयोग और धन शोधन के लिए अतिसंवेदनशील है। अक्टूबर, 2013 की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने ऐसे मामलों की सूचना दी है जहां हीरे की कीमतों का शोधन और संदिग्ध वित्तपोषण के उद्देश्यों हेतु अधिक मूल्य निर्धारण किया गया था। एफएटीएफ की इस रिपोर्ट में प्रकाशित हीरे के धोखाधड़ीपूर्ण आयात के कारण लाल फ्लैग संकेतकों में अन्य बातों के साथ-साथ हीरे का सकल अधिक मूल्यनिर्धारण, वैध प्रमाणन की कमी, हीरे का सर्क्युलर व्यापार, दोनों के नागरिक होने के नाते मालिकों और विदेशी समकक्ष के प्रबंधक शामिल थे और प्रति कैरट औसत मूल्य व्यापार प्रथाओं के अनुरूप नहीं थे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हीरे के लिए ज्ञात और स्थिर कीमतों की कमी से कीमत में हेरफेर हो सकती है। इसके अलावा, देश में हीरे के कीमत निर्धारण के लिये कोई निर्धारित मानक नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप एजेंट महंगे और बेशकीमती रत्नों का अधिक मूल्य निर्धारण कर रहे थे।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क, सीएजी की 2016¹ की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 6) की सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा

¹ 29 अप्रैल 2016 को संसद में प्रस्तुत किए गए प्राकृतिक या कृत्रिम मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थरों, कीमती धातुओं, कीमती धातु से बने धातु क्लेड और उससे बनी वस्तुएं, नकली आभूषणों, सिक्कों (सीटीएच के अध्याय 71) पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर 2016 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 06

इकाई के साथ-साथ राजस्व आसूचना निदेशालय² ने बड़े पैमाने पर सोने के आभूषणों की राउंड ट्रिपिंग और मशीन-निर्मित कच्चे तेल के निर्यात के बारे में इंगित किया ताकि स्थिति प्रमाण पत्र लेने के लिए और बैंकों से क्रेडिट सीमा/ वित्तपोषण में बढ़ोतरी के लिए कारोबार को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सके। लेखापरीक्षा में सीमा शुल्क विभाग की आयुक्तालयों में उपलब्ध वास्तविक आंकड़ों की तुलना में मूल्यनिर्धारण महानिदेशालय³ द्वारा अनुरक्षित डेटाबेस के अनुसार आयात और निर्यात आंकड़ों में भिन्नताओं और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ आंकड़ों के सहभाजन के लिए तंत्र या प्रोटोकॉल की कमी का भी उल्लेख किया गया था। इसलिए यह सिफारिश की गई थी कि सीबीईसी को सभी टैरिफ लाइनों के लिए मजबूत और अद्यतित मूल्य निर्धारण आंकड़े अनुरक्षित करने चाहिए ताकि इनका उपयोग किया जा सके और उन्हें अन्य संबंधित विभागों के साथ साझा किया जा सके। इस लेखापरीक्षा के माध्यम से उठाए गए अन्य मुद्दों में शुल्क के अपवंचन की संभावना वाली वस्तुओं, जिनमें सोना, चांदी, हीरा और अन्य कीमती और अर्ध-कीमती धातुएं/पत्थर शामिल हैं, की तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए अपर्याप्त एसईजेड नियम और एसईजेड इकाइयों द्वारा आयातित सोने/चांदी का गैर-लेखाकरण शामिल है। गलत बीजक के माध्यम से मूल्य निर्धारण और अपवंचन से संबंधित अभ्युक्तियों के निहितार्थ रत्न और आभूषण कारोबार में लगे सत्तों द्वारा सूचित प्रत्यक्ष करों और राजस्व के निर्धारण और आयकर विभाग द्वारा किए गए मूल्यनिर्धारण को भी प्रभावित करेंगे।

- ऊपर उल्लिखित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए मामलों और रत्न एवं आभूषण के क्षेत्र के संबंध में समय-समय पर सूचित की गई विभिन्न अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए, रत्न और आभूषण क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण पर इस निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) को प्रत्यक्ष करों के निर्धारण के परिपेक्ष्य में जांच के लिए शुरू की गई थी।

² राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) तस्करी विरोधी मामलों पर भारत सरकार की प्रमुख आसूचना और प्रवर्तन एजेंसी है।

³ मूल्य निर्धारण निदेशालय (डीओवी) की स्थापना वर्ष 1997 में राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी। इसके कार्यों और कर्तव्यों में अन्य बातों के साथ-साथ सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्य निर्धारण से संबंधित नीतिगत मामलों में सीबीईसी को सहायता और सलाह देना और समान कानूनों के प्रभावी और समान अनुप्रयोग के लिए मूल्य निर्धारण उपकरण विकसित करना शामिल है।

1.5.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के उद्देश्य थे:

- रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के संबंध में समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता की जांच करना और मौजूदा कानून और पद्धति में कमियों/अस्पष्टता की जांच करना।
- रत्न और आभूषण क्षेत्र के संबंध में आयकर अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में निर्धारण अधिकारियों (नि.अ.) की दक्षता और प्रभावशीलता का निर्धारण करना।
- यह पता लगाने के लिए कि क्या विभाग के अंदर और बाह्य विभागों के साथ प्रणालियों, आंतरिक नियंत्रण, प्रक्रियाएं और निगरानी और समन्वय तंत्र पर्याप्त और मजबूत हैं ताकि रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के प्रभावी निर्धारण को सुनिश्चित किया जा सके।

1.5.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और नमूना आकार

निष्पादन लेखापरीक्षा में वित्त वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान पूरे किए गए निर्धारणों को शामिल किया गया था। डीजीआईटी (प्रणाली) ने वित्त वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान पूरे किए गए रत्न और आभूषण कारोबार में लगे निर्धारितियों के निर्धारण पर समग्र और निर्धारिती-वार डेटा प्रदान किया था। डीजीआईटी (प्रणाली) से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था और लेखापरीक्षा मानदंडों के आधार पर बनाए गए निष्कर्षों को नमूने प्राप्त करने के लिए क्षेत्र-वार अलग किया गया था।

डीजीआईटी (प्रणाली) ने 1,52,927 मामलों का कुल डेटा प्रदान किया था, जिनमें से 3,171 मामलों का निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया था। इसके अलावा, मांग और संग्रह रजिस्ट्रों (डी एंड सीआर) से 61 अतिरिक्त मामलों का भी चयन किया गया था और इस लेखापरीक्षा के लिए कुल नमूना 3,232 था। लेखापरीक्षा नमूने में 360-डिग्री विश्लेषण के लिए अखिल भारतीय आधार पर चयनित 74 मामलें⁴ शामिल थे। कोविड महामारी (जुलाई 2020 से अक्टूबर 2020) के दौरान स्टेशन से बाहर लेखापरीक्षा करने में देश भर के क्षेत्रीय कार्यालयों के सामने आई बाधाओं और यात्रा प्रतिबंधों के कारण 3,232 मामलों का नमूना घटाकर 2,593 मामलों तक कम कर दिया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा नमूने में

⁴ 74 मामलों में से, 20 मामलों को अधिनियम की धारा 143(1) के तहत संसाधित किया गया था और 48 मामलों को अधिनियम की धारा 143(3) के तहत संसाधित किया गया था। इसके अलावा, 45 मामले कॉरपोरेट निर्धारितियों से संबंधित थे जबकि 29 मामले गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों से संबंधित थे।

शामिल मामलों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी/रिकॉर्ड की भी अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 के दौरान जांच की गई थी, जहां भी ऐसा करना आवश्यक पाया गया था।

1.5.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण

सीबीडीटी के साथ 28 जनवरी 2020 को एंटी कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया था। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा, लेखापरीक्षा मांगों के माध्यम से सूचना का संग्रहण, लेखापरीक्षा मानदंडों के संदर्भ में आंकड़ों का विश्लेषण और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ जारी करना शामिल था। निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल मामलों के अलावा, निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई 83 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर भी इस प्रतिवेदन में विचार किया गया है।

इसके अलावा, ऑडिट ने आयकर विभाग और अन्य विभागों को पत्र जारी कर सांख्यिकीय जानकारी मांगी है। ऑडिट ने आयकर विभाग को एक प्रश्नावली भी जारी की है जिसमें रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के मूल्यनिर्धारण और निर्धारण के बारे में उनके मत मांगे गए हैं।

मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मंत्रालय/ सीबीडीटी को पहली बार 11 नवंबर 2021 को उनकी टिप्पणियों के लिए जारी की गई थी। जनवरी 2022 में सीबीडीटी की प्रतिक्रिया की प्राप्ति के बाद, 28 जनवरी 2022 को सीबीडीटी के साथ एक एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था ताकि उनकी टिप्पणियों के साथ साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों और लेखापरीक्षा सिफारिशों पर चर्चा की जा सके। चर्चा के परिणामों, सीबीडीटी की टिप्पणियों को और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विधिवत रूप से शामिल किया गया है।

1.5.5 सीबीडीटी द्वारा रिकॉर्ड और सूचना प्रस्तुत न करना

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित और मांगे गए कुल 3,232 मामलों में से; आयकर विभाग द्वारा 2,261 मामलों को प्रस्तुत किया गया था, जबकि 292 मामलों को विभिन्न स्तरों पर बार-बार अनुरोध, अनुस्मारकों और चर्चाओं के बावजूद लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। यद्यपि आयकर विभाग ने 1,52,927 निर्धारण मामलों से संबंधित विस्तृत डेटा प्रस्तुत किए हैं, तथापि 292 मामलों से संबंधित रिकॉर्ड को किसी भी कारण का हवाला दिए बिना क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में जांच किए गए मामलों और प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों के निर्धारण के ब्यौरे क्रमशः अनुलग्नक बी और सी में दर्शाए गए हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा प्रस्तुत ग्रेनुलर आंकड़ों में प्रस्तुत किए गए 40 मामले रत्न और आभूषण क्षेत्र से संबंधित नहीं थे। इसके अलावा, जांच किए गए मामलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी अभिलेख जैसे आयकर रिटर्न, कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट और आईटीएनएस [आयकर गणना पत्रक] उपलब्ध नहीं थे। इसलिए अभिलेखों के आंशिक प्रस्तुतीकरण के कारण अभिलेखों की पूरी जांच बाधित हो गई थी। निर्धारण इकाइयां अधिनियम की धारा 143(1) और धारा 154 के तहत संसाधित आदेशों को यह कहते हुए प्रस्तुत नहीं कर सकीं कि यह सीपीसी बेंगलुरु के पास उपलब्ध थे। ऐसे मामलों का विवरण अक्टूबर 2020 में सीआईटी (सीपीसी) बेंगलुरु को मामलों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां साझा करने के अनुरोध के साथ भेजा गया था। अनुरोध किए गए दस्तावेजों को लेखापरीक्षा के साथ केंद्रीय रूप से साझा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित मामलों में रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने के अलावा, योजना चरण [जनवरी 2020, फरवरी 2020, मार्च 2020] में बार-बार अनुरोध करने और नवंबर 2020, जुलाई 2021 और सितंबर 2021 में अनुवर्ती अनुस्मारकों के बावजूद समस्त निर्धारित-वार विस्तृत डेटा का डिफ़िकल्ट पैन विवरण भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। अकेले लेखापरीक्षा नमूने में चयनित मामलों का डिफ़िकल्ट पैन विवरण जून 2020 में विस्तृत ग्रेनुलर डेटा (अगस्त 2019) प्रस्तुत करने के 11 महीने बाद प्रस्तुत किया गया था। लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि रत्न और आभूषण के कारोबार में लगे सभी सत्व सभी क्षेत्राधिकारों में कर के दायरे में थे या नहीं। अपेक्षित सूचना और दस्तावेज अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं (जनवरी 2022)।

आयकर विभाग में समन्वय का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा ने आयकर विभाग के जांच विंग और प्रधान आयुक्तालयों (केंद्रीय) से वित्त वर्ष 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों की फरवरी 2020 और अक्टूबर 2020 के बीच की गई जांच, नकली बीजकों, फर्जी खरीद, लाभार्थियों से प्राप्त अनियमित लाभ और अन्य संबंधित विवरणों पर जानकारी देने का अनुरोध किया। हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान मांगी गई जानकारी अभी तक (जनवरी 2022) प्राप्त नहीं हुई है।

सीमा शुल्क विभाग के साथ आयकर विभाग के समन्वय तंत्र को सत्यापित करने के लिए, लेखापरीक्षा में 2012-13 से 2018-19 की अवधि के दौरान अधिक बीजक बनाने/कम बीजक बनाने में शामिल आयातकों/निर्यातकों के बारे में जानकारी देने का अनुरोध किया गया [फरवरी 2020 और अक्टूबर 2020 के बीच जारी पत्रों के

माध्यम से मांगी गई। हालांकि, सीमा शुल्क विभाग से विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2022)।

1.5.6 अन्य बाधाएं

निष्पादन लेखापरीक्षा करते समय लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित बाधाओं का सामना करना पड़ा:

- i. निष्पादन लेखापरीक्षा व्याप्त कोविड-19 महामारी के दौरान की गई है। कर्मचारियों की बाध्यताओं और आयकर विभाग के कर्मचारियों के रोस्टर के आधार पर कार्य करने के कारण, निर्धारण अधिकारी समय पर अभिलेख/आंकड़े उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं थे।
- ii. फेसलेस निर्धारण की शुरुआत के बाद अगस्त 2020 में पूर्ण क्षेत्राधिकार के पुनर्गठन, जिसमें प्रभारों का पुनःसंवितरण और निर्धारणों और अंतर्निहित रिकॉर्ड और दस्तावेजों पर क्षेत्राधिकार नियंत्रण में स्पष्टता की कमी शामिल है, ने क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को गंभीर रूप से बाधित कर दिया।
- iii. जैसा कि इस अध्याय के पैरा 1.5.3 में दर्शाया गया है, महामारी (जुलाई 2020 से अक्टूबर 2020) के दौरान, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा पार्टियों ने स्टेशन से बाहर की यात्रा सहित और कई बाध्यताओं एवं प्रतिबंधों का सामना किया जिसके कारण स्टेशन से बाहर के मामलों के अतिरिक्त, 3,232 मामलों के मूल नमूनों को घटाकर 2,593 मामलों तक कम किया गया। इसके अलावा, डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा प्रस्तुत ग्रेनुलर आंकड़ों में दिए गए 40 मामले रत्न और आभूषण क्षेत्र से संबंधित नहीं थे।
- iv. निर्धारण फ़ोल्डरों में सीमित दस्तावेज उपलब्ध थे क्योंकि अधिकांश मामलों का चयन आयकर विभाग द्वारा सीमित संवीक्षा के तहत किया गया था।
- v. रत्न और आभूषण क्षेत्र के उन आयातकों/निर्यातकों, के संबंध में सूचना मुंबई और अहमदाबाद में प्रस्तुत नहीं की गई थी जिनके संबंध में राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा अनियमितताओं का पता चला था। डीआरआई द्वारा प्रत्यक्ष कर पर पाई गई अनियमितताओं के प्रभाव की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी। केंद्रीय जीएसटी / राज्य जीएसटी विभाग से लाभार्थियों द्वारा लाभान्वित फर्जी खरीद या मांगे गए नकली जीएसटी बीजक [फरवरी 2020 और अक्टूबर 2020 के बीच जारी पत्रों के माध्यम से मांगी गई] के बारे में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी।

1.5.7 आभार

लेखापरीक्षा निर्धारण रिकॉर्ड प्रदान करने और इस निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए आयकर विभाग के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है। आयकर विभाग ने कोविड-19 महामारी के कारण कठिन परिस्थितियों में भी अपेक्षित रिकॉर्ड प्रदान करने में अपना सहयोग दिया। उनके सहयोग के बिना, लेखापरीक्षा कार्य को अंतिम रूप देना संभव नहीं हो सकता था।

अध्याय-2: रत्न और आभूषण क्षेत्र के नमूने और चयनित वस्तुओं का विश्लेषण

डीजीआईटी (प्रणाली) ने वित्त वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान पूरा किए गए रत्न और आभूषण के कारोबार में लगे निर्धारितियों के निर्धारण के 1,52,927 रिकॉर्ड का कुल और निर्धारिती-वार डेटा प्रदान किया। लेखापरीक्षा मापदंडों के आधार पर 1,52,927 अभिलेखों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और 3,171 मामलों के केंद्रीय रूप से व्युत्पन्न लेखापरीक्षा नमूना प्राप्त करने के लिए क्षेत्र-वार पृथक किया गया। इस अध्याय में, निर्धारितियों की पैन पंजीकरण श्रेणी, लेखापरीक्षा में जांच किए गए निर्धारणों के निर्धारण वर्ष, निर्धारितियों द्वारा फाइल किए गए आईटीआर फार्म के प्रकार, रिटर्न में दर्शाई गई आय का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार-वार प्रोफाइल, निर्धारित आय, बढ़ी हुई मांग और सकल टर्नओवर जैसे कई मानदंडों के आधार पर लेखापरीक्षा नमूने की प्रोफाइल पर चर्चा की गई है। आयकर विभाग प्रमुख सरकारी विभाग है जो देश में काले धन के खतरे का सामना करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। विभाग के पास उपलब्ध साधनों में संवीक्षा निर्धारण और सूचना आधारित जांच करना शामिल है। चूंकि रत्न और आभूषण क्षेत्र में हीरे, सोने, मोती आदि जैसी मूल्यवान वस्तुओं के निर्यात और आयात के माध्यम से किए गए उच्च मूल्य के विदेशी मुद्रा विनिमय शामिल हैं और यह दुरुपयोग और धन शोधन के लिए अतिसंवेदनशील है, इसलिए लेखापरीक्षा ने समग्र आयात और निर्यात की तुलना में भारत में चुनिंदा वस्तुओं जैसे अनगढ़ हीरे और मोती के आयात और निर्यात की वस्तु-वार और देश-वार प्रवृत्ति का विश्लेषण करने का प्रयास किया। जैसा कि इस अध्याय में चर्चा की गई है, लेखापरीक्षा ने अनगढ़ हीरे और मोती के आयात और निर्यात में असामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख किया, जिसके लिए आयकर विभाग द्वारा विस्तृत स्तर पर आगे की जांच की आवश्यकता है।

2.1 रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारणों के लेखापरीक्षा नमूने का प्रोफाइल

चयनित 3,171 मामलों में से, संवीक्षा पद्धति, संक्षिप्त पद्धति से और आयकर अधिनियम (अपील, परिशोधन आदि) की अन्य धाराओं में निर्धारित किए गए मामलों की संख्या क्रमशः 907, 1,437 और 827 थी। इसी प्रकार, 61 अतिरिक्त चयनित मामलों में से 59 मामलों का संवीक्षा के तहत निर्धारण किया गया और 2 मामलों का निर्धारण संक्षिप्त पद्धति से किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित और मांगे गए कुल 3,232 मामलों में से; आयकर विभाग द्वारा

2,261 मामले⁵ प्रस्तुत किए गए थे और 292 मामलों को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। विवरण नीचे तालिका 2.1 में सारणीबद्ध हैं:

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा के दौरान चयनित और जांच किए गए नमूने के मूल्यांकन-वार विवरण का प्रकार

निर्धारणों के प्रकार (संवीक्षा या अन्य)	डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में मामलों की संख्या	चयनित नमूना			मामला अभिलेखों की स्थिति			
		डेटाबेस द्वारा	अतिरिक्त मामले	कुल नमूना	प्रस्तुत	गैर-प्रस्तुत	रत्न और आभूषण से गैर-संबंधित	कुल
संवीक्षा	2,894	907	59	965	572	123	13	708
सार	1,46,911	1,437	2	1,440	1,147	108	20	1,275
अन्य ⁶	3,122	827	0	827	542	61	7	610
कुल	1,52,927	3,171	61	3,232	2,261	292	40	2,593 ⁷

इन 2,261 मामलों में से, 50.73 प्रतिशत को अधिनियम की धारा 143(1) के तहत संक्षेप में संसाधित किया गया था, जबकि 25.30 प्रतिशत का निर्धारण आयकर रिटर्न के माध्यम से निर्धारित द्वारा प्रकटित आय और प्रस्तुत किए गए दावों की विस्तृत जांच के माध्यम से संवीक्षा के तहत किया गया था।

2.1.1 श्रेणी-वार चयनित नमूना

आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए रत्न और आभूषण क्षेत्र के कुल 1,52,927 निर्धारितियों में से, 1,50,138 निर्धारित (98.18 प्रतिशत) गैर-कॉरपोरेट थे और केवल 2,789 (1.82 प्रतिशत) कॉरपोरेट निर्धारित थे। 3,171 मामलों में से चयनित लेखापरीक्षा नमूने में से, कॉरपोरेट और गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों की संख्या क्रमशः 750 और 2,421 थी। इसी तरह, 61 अतिरिक्त मामलों में से, 28 कॉरपोरेट निर्धारित और 33 मामले गैर-कॉरपोरेट निर्धारित थे। विवरणों को नीचे तालिका 2.2 में सारणीबद्ध किया गया है:

⁵ 2,261 मामलों में से, अधिनियम की धारा 143(1) के तहत संसाधित मामलों की संख्या 1,147 थी; अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारित किए गए मामलों की संख्या 572 थी; अधिनियम की अन्य धाराओं अर्थात्; 147, 144, 154, 250 आदि के अंतर्गत निर्धारित किए गए मामलों की संख्या 542 थी।

⁶ इनमें आयकर अधिनियम की धारा 144, 147, 154, 92सीए (4), 250, 254, 263 आदि के तहत निर्धारित मामले शामिल हैं। कल

⁷ डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से चयनित कुल नमूने और लेखापरीक्षा में जांच किए गए में अंतर, महामारी के दौरान यात्रा प्रतिबंधों के कारण क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा स्टेशन के बाहर के मामलों को छोड़ने के कारण था, जिसके लिए लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी थी।

तालिका 2.2: लेखापरीक्षा के दौरान चयनित और जांच किए गए नमूने का श्रेणी-वार विवरण

निर्धारित श्रेणी	डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में मामलों की संख्या	चयनित नमूना			मामला अभिलेखों की स्थिति			
		डेटाबेस द्वारा	अतिरिक्त मामला	कुल नमूना	प्रस्तुत	गैर-प्रस्तुत	रत्न और आभूषण से गैर-संबद्ध	कुल
कॉरपोरेट	2,789	750	28	778	613	62	30	675
गैर-कॉरपोरेट	1,50,138	2,421	33	2,454	1,648	230	10	1,878
कुल	1,52,927	3,171	61	3,232	2,261	292	40	2,593

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 3,232 निर्धारितियों के नमूने में भी 24.07 प्रतिशत और 75.93 प्रतिशत क्रमशः कॉरपोरेट और गैर-कॉरपोरेट निर्धारिती थे।

2.1.2 लेखापरीक्षा नमूने का पैन पंजीकरण-वार प्रोफ़ाइल

लेखापरीक्षा में जांच किए गए चयनित निर्धारणों में कंपनी, फर्मों, व्यक्तियों, एचयूएफ, एओपी और एओपी [ट्रस्ट] की पैन पंजीकरण स्थिति वाले निर्धारितियों को शामिल किया गया था। नीचे दी गई तालिका 2.3 में नमूना चयन का पैन पंजीकरण श्रेणी-वार वितरण शामिल है।

तालिका 2.3: लेखापरीक्षा नमूने का पैन पंजीकरण-वार प्रोफ़ाइल

पैन पंजीकरण श्रेणी	अभिलेखों की संख्या
व्यक्तियों का संघ	25
कंपनी	613
फर्म	690
एचयूएफ	37
व्यक्ति	889
व्यक्तियों का संघ [ट्रस्ट]	7
सकल योग	2,261

लेखापरीक्षा के नमूने में शामिल व्यक्तियों, कंपनियों और फर्मों के रूप में पंजीकृत निर्धारितियों के मामले क्रमशः 39 प्रतिशत, 31 प्रतिशत और 27 प्रतिशत थे। नमूने में कुल चयनित के शेष तीन प्रतिशत में हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और एओपी के रूप में पंजीकृत निर्धारितियों के मामलों का क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत शामिल था।

2.1.3 निर्धारण का वर्षवार लेखापरीक्षा नमूना

2,261 मामलों के नमूने में नि.व. 2007-08 और नि.व.2018-19 के दौरान निर्धारित किए गए मामले शामिल हैं। लेखापरीक्षा में जांच किए गए 2,261 निर्धारण मामलों⁸ में से, 26 प्रतिशत मामले नि.व. 2018-19 से संबंधित थे, इसके बाद 19 प्रतिशत, 14 प्रतिशत, 13 प्रतिशत और 11 प्रतिशत नि.व. 2015-16, 2016-17, 2014-15 और 2017-18 से संबंधित थे। लेखापरीक्षा नमूने का संवितरण नीचे तालिका 2.4 में दिया गया है:

तालिका 2.4: निर्धारण वर्ष-वार लेखापरीक्षा नमूना वितरण

(₹ करोड़ में)

नि.व.	मामलों की संख्या	बिक्री टर्नओवर / सकल प्राप्तियां	रिटर्न आय	निर्धारित आय	की गई मांग
2007-08	8	2,639.31	83.95	87.56	0.99
2008-09	27	10,017.02	273.68	386.02	82.91
2009-10	28	10,976.06	103.69	210.43	90.14
2010-11	31	9,336.12	192.84	268.68	96.25
2011-12	42	21,833.51	419.86	471.13	44.27
2012-13	56	36,566.88	818.94	1,081.04	161.45
2013-14	185	77,061.12	1,282.05	1,954.96	631.45
2014-15	296	1,01,658.86	2,330.53	2,625.39	267.94
2015-16	419	1,23,140.34	2,519.96	2,952.79	429.80
2016-17	326	1,10,606.37	1,982.28	4,380.86	231.41
2017-18	259	1,16,312.34	2,503.09	1,628.98	181.77
2018-19	583	12,449.14	125.90	79.88	1.70
सकल योग	2,260*	6,32,597.05	12,636.76	16,127.72	2,220.10

2.1.4 आईटीआर फॉर्म प्रकार-वार लेखापरीक्षा नमूना

लेखापरीक्षा नमूने में 2,261 निर्धारण मामलों में से, 33.5 प्रतिशत मामलों में, कंपनी के लिए लागू आईटीआर-6 फॉर्म का उपयोग रिटर्न फाइल करने के लिए किया गया था। शेष नमूने में, कुल चयनों के 30.6 प्रतिशत, 17.5 प्रतिशत, 11.4 प्रतिशत और 4.6 प्रतिशत में रिटर्न फाइल करने के लिए क्रमशः आईटीआर-5, आईटीआर-3 और आईटीआर-4 तथा आईटीआर-4एस फॉर्म प्रकारों का उपयोग किया गया था। लेखापरीक्षा नमूने का आईटीआर प्रपत्र प्रकार-वार वितरण नीचे तालिका 2.5 में दिया गया है।

⁸ नि.व. का विवरण एक मामले में उपलब्ध नहीं था।

तालिका 2.5: आईटीआर प्रपत्र प्रकार-वार लेखापरीक्षा नमूना वितरण

आईटीआर फॉर्म का प्रकार	प्रयोग	अभिलेखों की संख्या
आईटीआर-6	धारा 11 के तहत छूट का दावा नहीं कर रही कंपनियां	607
आईटीआर-5	भागीदारी फर्म, एओपी	720
आईटीआर-3	व्यक्तिगत, एचयूएफ, कारोबार आय के साथ फर्म में भागीदार	482
आईटीआर-4	व्यक्तिगत एचयूएफ, अनुमानित कारोबार आय वाली फर्म	300
आईटीआर-4S	व्यक्तिगत, एचयूएफ, अनुमानित कारोबार आय वाली फर्म	133
आईटीआर-7	ट्रस्ट	5
आईटीआर-1	निवासी भारतीय व्यक्ति	1
विवरण उपलब्ध नहीं है		13
सकल जोड़		2,261

निर्धारितियों द्वारा उपयोग किए गए आईटीआर फॉर्म के प्रकार के ब्यौरे 2.1 प्रतिशत में नमूने में उपलब्ध नहीं थे।

2.1.5 लेखापरीक्षा नमूने का क्षेत्र-वार वितरण

लेखापरीक्षा नमूने में चयनित निर्धारणों में देश भर में आयकर विभाग के क्षेत्राधिकारों से सभी क्षेत्रों/राज्यों से संबंधित मामले शामिल थे। 2,261 मामलों⁹ के नमूने में महाराष्ट्र के 48.2 प्रतिशत मामले, गुजरात के 16.5 प्रतिशत मामले, दिल्ली के 5.5 प्रतिशत मामले और राजस्थान के 5.1 प्रतिशत मामले शामिल हैं, जैसा कि अनुलग्नक बी में दर्शाया गया है। इन 2261 मामलों में से, 50.73 प्रतिशत को अधिनियम की धारा 143(1) के तहत संक्षेप में संसाधित किया गया था, जबकि 25.30 प्रतिशत का निर्धारण आयकर रिटर्न के माध्यम से निर्धारितियों द्वारा दर्शाई गई आय और किए गए दावों की विस्तृत जांच के माध्यम से संवीक्षा के तहत किया गया था।


लेखापरीक्षा में जांच किए गए 2,261 निर्धारणों में सूचित और निर्धारित किए गए बिक्री टर्नओवर या सकल प्राप्तियां ₹ 6,32,597.05 करोड़ था, जबकि रिटर्न में दर्शाई गई आय, निर्धारित आय और की गई मांग क्रमशः ₹ 12,636.76 करोड़, ₹ 16,127.72 करोड़ और ₹ 2,220.10 करोड़ थी। इस प्रकार, इन मामलों में

⁹ लेखापरीक्षित कुल 2,261 मामलों में से, अधिनियम की धारा 143(1) के तहत संसाधित मामलों की संख्या 1147 थी। अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारित किए गए मामलों की संख्या 572 थी; अधिनियम की अन्य धाराओं अर्थात्; 147, 144, 154, 250 आदि के अंतर्गत निर्धारित किए गए मामलों की संख्या 542 थी।

निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारणों की विस्तृत जांच के आधार पर ₹ 3,490.96 करोड़ की राशि के संवर्धन किए गए थे, जो कि रिटर्न में दर्शाई गई आय का लगभग 27.6 प्रतिशत था।

महाराष्ट्र क्षेत्र के बिक्री टर्नओवर या सकल प्राप्तियों की राशि आयकर रिटर्न के माध्यम से ₹ 5,47,632.13 करोड़ सूचित की गई थी और निर्धारण रिकॉर्ड के अनुसार इसमें कुल नमूना मामलों के ₹ 6,32,597.05 करोड़ के कुल बिक्री मूल्य का 86.6 प्रतिशत शामिल था। केरल के नमूना चयनों में सूचित और निर्धारित बिक्री टर्नओवर या सकल प्राप्तियां ₹ 31,166.77 करोड़ थी, जिसमें कुल बिक्री टर्नओवर या सकल प्राप्तियों के मूल्य का 4.9 प्रतिशत शामिल है, जबकि लेखापरीक्षा नमूने में गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु का ₹ 18,208.87 करोड़, ₹ 15,699.72 करोड़ और ₹ 11,620.78 करोड़ था जिसमें कुल बिक्री टर्नओवर या सकल प्राप्तियों का क्रमशः 2.9 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत शामिल हैं। शेष क्षेत्रों/राज्यों के मामलों का बिक्री टर्नओवर या सकल प्राप्तियों की मात्रा नगण्य थी [कुल नमूना मामलों के कुल बिक्री मूल्य का लगभग 0 से 0.4 प्रतिशत]। लेखापरीक्षा नमूने का बिक्री टर्नओवर या सकल प्राप्तियों के कुल मूल्य के अनुपात के रूप में कुल नमूना मामलों का बिक्री टर्नओवर या सकल प्राप्तियों का क्षेत्र-वार वितरण चार्ट 2.1 में दर्शाया गया है।


चार्ट 2.1: लेखापरीक्षा नमूने का क्षेत्र-वार बिक्री टर्नओवर / प्राप्तियाँ



स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

₹ 12,636.76 करोड़ की लेखापरीक्षा नमूने की रिटर्न में दर्शाई गई आय के कुल मूल्य के अनुपात के रूप में नमूना मामलों की रिटर्न में दर्शाई गई आय का क्षेत्र-वार संवितरण चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है। महाराष्ट्र क्षेत्र के नमूना मामलों ने 84.8 प्रतिशत हिस्सेदारी सहित ₹ 10,720.89 करोड़ की रिटर्न में दर्शाई गई आय का योगदान दिया, जबकि केरल


चार्ट 2.2: लेखापरीक्षा नमूने की क्षेत्रवार रिटर्न के अनुसार आय



और गुजरात के मामलों में ₹ 879.51 करोड़ और ₹ 511.42 करोड़ की रिटर्न में दर्शाई गई आय के साथ क्रमशः 7.0 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत हिस्सा था। तमिलनाडु और राजस्थान में ₹ 212.81 करोड़ और ₹ 160.66 करोड़ की रिटर्न में दर्शाई गई आय के साथ लेखापरीक्षा नमूने की रिटर्न में दर्शाई गई आय के कुल मूल्य का क्रमशः 1.7 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत हिस्सा शामिल था। कुल नमूना मामलों की रिटर्न में दर्शाई गई आय में शेष क्षेत्रों की हिस्सेदारी 0 से 0.3 प्रतिशत बताई गई।

लेखापरीक्षा नमूने की निर्धारित आय के कुल मूल्य के अनुपात के रूप में नमूना मामलों की निर्धारित आय का क्षेत्र-वार वितरण चार्ट 2.3 में दिया गया है। महाराष्ट्र क्षेत्र ₹ 13,615.24 करोड़ पर निर्धारित आय का 84.4 प्रतिशत हिस्सेदार था, जबकि ₹ 880.58

चार्ट 2.3: लेखापरीक्षा नमूने की क्षेत्रवार निर्धारित आय



करोड़ और ₹ 763.96 करोड़ की निर्धारित आय के साथ केरल और दिल्ली के मामले लेखापरीक्षा नमूने की निर्धारित आय के कुल मूल्य का क्रमशः 5.5 प्रतिशत और

4.7 प्रतिशत था। अन्य क्षेत्रों/राज्यों ने लेखापरीक्षा नमूने की निर्धारित आय के कुल मूल्य के नाममात्र या शून्य अनुपात की सूचना दी।

2.1.6 नमूना मामलों के निर्धारणों और उठाई गई मांगों का विश्लेषण

रिटर्न में दर्शाई गई आय, निर्धारित आय और उठाई गई मांग के क्षेत्र/राज्य-वार प्रोफाइल को नीचे दी गई तालिका 2.6 में दर्शाया गया।

तालिका 2.6: लेखापरीक्षा नमूने का क्षेत्र-वार निर्धारण विवरण			(₹ करोड़ में)
क्षेत्र	रिटर्न में दर्शाई गई आय	निर्धारित आय	नए आदेश के अनुसार उठाई गई मांग
महाराष्ट्र	10,720.89	13,615.24	1,692.87
दिल्ली	39.7	763.96	425.11
तमिलनाडु	212.81	212.65	70.07
राजस्थान	160.66	185.78	18.35
कर्नाटक और गोवा	37.09	46.88	4.39
गुजरात	511.42	350.17	3.88
ओडिशा	6.74	12.46	2.67
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	2.34	4.71	1.57
केरल	879.51	880.58	0.58
पश्चिम बंगाल और सिक्किम	27.29	24.01	0.58
बिहार और झारखंड	0.97	1	0.01
उत्तर पश्चिम क्षेत्र	9.04	8.6	0.01
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	18.58	13.74	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1.69	0	0
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	7.08	7.08	0
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0.95	0.86	0
कुल जोड़	12,636.76	16,127.72	2,220.10

स्रोत: आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा सेट और निर्धारण प्रश्नों के निर्धारण अभिलेख।

रिटर्न में दर्शाई गई आय, निर्धारित आय और उठाई गई मांग के साथ महाराष्ट्र के नमूना मामलों में ₹ 10,720.89 करोड़, ₹ 13,615.24 करोड़ और ₹ 1,692.87 करोड़ थे जिसमें रिटर्न में दर्शाई गई आय, निर्धारित आय और की गई मांग कुल मूल्य का क्रमशः 86.6 प्रतिशत, 84.8 प्रतिशत और 84.4 प्रतिशत की प्रमुख हिस्सेदारी थी।

हालांकि, ₹ 39.70 करोड़ की रिटर्न में दर्शाई गई आय और ₹ 763.96 करोड़ की निर्धारित आय के साथ दिल्ली के नमूना मामलों की रिटर्न में दर्शाई गई आय और निर्धारित आय के कुल मूल्य में क्रमशः 0.3 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, इसने ₹ 425.11 करोड़ की मांग की सूचना दी, जिसमें उठाई गई मांग के कुल मूल्य की 19.1 प्रतिशत हिस्सेदारी शामिल है, जो आय की कम रिपोर्टिंग या किए गए अधिक दावों के अपेक्षाकृत अधिक जोखिम को दर्शाती है।

₹ 879.51 करोड़ की रिटर्न में दर्शाई गई आय और ₹ 880.58 करोड़ की निर्धारित आय के साथ केरल के नमूना मामलों में रिटर्न में दर्शाई गई आय और निर्धारित आय के कुल मूल्य का क्रमशः 7.0 प्रतिशत और 5.5 प्रतिशत हिस्सा शामिल था, जबकि मांग के कुल मूल्य के शून्य प्रतिशत हिस्से के साथ ₹ 0.58 करोड़ की मांग की सूचना दी थी।

इसी प्रकार, ₹ 511.42 करोड़ की रिटर्न में दर्शाई गई आय और ₹ 350.17 करोड़ की निर्धारित आय वाले गुजरात के नमूना मामलों में रिटर्न में दर्शाई गई आय और निर्धारित आय के कुल मूल्य का क्रमशः 4.0 प्रतिशत और 2.2 प्रतिशत हिस्सा शामिल था, जबकि इसने ₹ 3.88 करोड़ की मांग की सूचना दी गई थी, जिसमें उठाई गई मांग के कुल मूल्य के हिस्से का 0.2 प्रतिशत शामिल था।

2.2 काले धन के निर्धारण में आयकर विभाग की भूमिका

काले धन पर श्वेत पत्र में काले धन¹⁰ को "उन संपत्ति या संसाधनों के रूप में परिभाषित करता किया गया है जो न तो उनके सृजन के समय सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचित की गई हैं और न ही उनके कब्जे के दौरान किसी भी समय उजागर की गई हैं"। रिपोर्ट के अनुसार, बुलियन और आभूषण एक ऐसा क्षेत्र है जो काले धन के सृजन और खपत दोनों के लिए प्रवृत्त है। आयकर विभाग (आईटीडी) प्रमुख सरकारी विभाग है जो देश में काले धन के खतरे का सामना करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इस उद्देश्य के लिए, यह आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार कर अपवंचन के दोषी पाए गए लोगों को दंडित करने और कर अपवंचन का पता लगाने के लिए संवीक्षा निर्धारण के साथ-साथ सूचना आधारित जांच के साधनों का उपयोग करता है।

विदेशों में जमा अघोषित (काले) धन को वापस लाने के लिए, सरकार ने 'काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015' (इसके बाद संक्षेप में 'काला धन अधिनियम' के रूप में संदर्भित) नामक एक नया अधिनियम जारी किया, जिसे मई 2015 में अधिसूचित किया गया था और इसे 1 अप्रैल 2016 से लागू किया गया था। 'काला धन अधिनियम, 2015' में काले धन की समस्या से निपटने के लिए प्रावधान शामिल हैं जो अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां हैं, ऐसी आय और परिसंपत्तियों से निपटने की प्रक्रिया और भारत के बाहर धारित किसी भी अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियों पर कर लगाने और उससे जुड़े या उसके साथ प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान है। काला धन और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 की धारा 3 में ऐसी अघोषित आय और परिसंपत्तियों के 30 प्रतिशत की दर से कुल अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्ति पर कर

¹⁰ वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सीबीडीटी द्वारा काले धन पर श्वेत पत्र दिनांक 16 मई, 2012 को जारी किया गया।

प्रभारित करने का आधार प्रदान किया गया है। अघोषित परिसंपत्ति के मूल्य का अर्थ किसी परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य है [किसी भी सत्व में वित्तीय हित सहित]। इस अधिनियम की धारा 4 निर्दिष्ट करती है कि भारत के बाहर स्थित उन स्रोतों और परिसंपत्तियों से कुल अघोषित आय का मूल्य इस अधिनियम के दायरे में आता है, जिन्हे रिटर्न में दर्शाई गई आय में उजागर नहीं किया गया है। इस अधिनियम के तहत अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्ति के तहत शामिल आय आयकर अधिनियम के अंतर्गत कुल आय का हिस्सा नहीं होगी। धारा 6 इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कर प्राधिकारियों के लिए एक सशक्त धारा है। निर्धारित कर प्राधिकारियों को साक्ष्य का पता लगाने और प्रस्तुत करने के संबंध में और लेखाबही और अन्य दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के लिए बाध्य करने की शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

काला धन और कर अधिरोपण अधिनियम के तहत, कर निर्धारण अधिकारी (नि.अ.), को किसी भी लागू कानून के तहत आयकर प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने पर संबंधित निर्धारण वर्ष में दस्तावेजों, लेखाओं या साक्ष्यों की प्रस्तुति के लिए किसी भी व्यक्ति को नोटिस देने के लिए प्राधिकार दिया गया है या किसी व्यक्ति की अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियों के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक जांच कर सकता है। निर्धारण अधिकारी के पास अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियों का निर्धारण करने [या पुनःनिर्धारण] करने और निर्धारिती द्वारा देय राशि निर्धारित करने की शक्तियां हैं। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ विदेशों अथवा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के साथ हुए करारों [अर्थात् दोहरा कराधान परिहार करार (डीटीएए)] के पालन में कर देय राशियों की वसूली का प्रावधान किया गया है।

2.2.1 अनगढ़ हीरे और मोतियों के आयात और निर्यात की वस्तु-वार प्रवृत्ति का विश्लेषण

लेखापरीक्षा में समग्र विश्व के आयातों और निर्यातों की तुलना में भारत में अनगढ़ हीरे और मोती के आयातों और निर्यातों की वस्तु-वार प्रवृत्ति का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया था।

2.2.2 अनगढ़ हीरे के उत्पादन, आयातों और निर्यातों का विश्लेषण

वर्ष 2010 से 2020 के लिए अनगढ़ हीरे के घरेलू उत्पादन, आयातों और निर्यातों के आंकड़ों¹¹ के विश्लेषण से पता चलता है कि हीरे के वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी नगण्य है। वैश्विक उत्पादन के अनुपात में अनगढ़ हीरे का घरेलू उत्पादन,

¹¹ https://kimberleyprocessstatistics.org/public_statistics

उत्पादन की मात्रा के संदर्भ में 0.01 प्रतिशत से 0.03 प्रतिशत के बीच और उत्पादित अनगढ़ हीरे के मूल्य के संदर्भ में 0.02 प्रतिशत से 0.06 प्रतिशत के बीच था। इसके अलावा, इन सभी वर्षों में भारत में आयातित अनगढ़ हीरे की मात्रा वैश्विक रूप से खनन किए गए अनगढ़ हीरे की मात्रा से अधिक थी (तालिका 2.7)।

तालिका 2.7: अनगढ़ हीरे का घरेलू उत्पादन, आयात और निर्यात की प्रवृत्ति:								
वर्ष	अनगढ़ हीरे का घरेलू उत्पादन		अनगढ़ हीरे का आयात		अनगढ़ हीरे का निर्यात		अनगढ़ हीरे का वैश्विक उत्पादन	
	मात्रा, (हजार कैरेट में)	मूल्य, (मिलियन अमरीकी डॉलर में)	मात्रा, (हजार कैरेट में)	मूल्य, (मिलियन अमरीकी डॉलर में)	परिमाण, (हजार कैरेट में)	मूल्य, (मिलियन अमरीकी डॉलर में)	मात्रा, (हजार कैरेट में)	मूल्य, (मिलियन अमरीकी डॉलर में)
2010	18.08	3.35	1,65,219.03	11,234.79	32,993.16	967.81	1,28,317.46	11,392.95
2011	12.32 [(-)31.86%]	2.20 [(-)34.33%]	1,35,066.98 [(-)18.25%]	14,731.05 [31.12%]	37,070.73 [12.36%]	1,799.86 [85.97%]	1,22,828.81 [(-)4.28%]	14,065.25 [23.46%]
2012	26.99 [119.07%]	4.81 [118.67%]	1,48,896.75 [10.24%]	14,737.02 [0.04%]	34,439.40 [(-)7.10%]	1,803.56 [0.21%]	1,27,965.78 [4.18%]	12,645.63 [(-)10.09%]
2013	36.60 [35.61%]	6.46 [34.30%]	1,59,429.13 [7.07%]	15,975.71 [8.41%]	48,891.56 [41.96%]	1,846.81 [2.40%]	1,29,840.91 [1.47%]	13,581.61 [7.40%]
2014	37.02 [1.15%]	6.70 [3.72%]	1,53,616.41 [(-)3.65%]	17,154.56 [7.38%]	36,483.89 [(-)25.38%]	1,716.45 [(-)7.06%]	1,25,420.51 [(-)3.40%]	15,626.31 [15.05%]
2015	33.50 [(-)9.51%]	6.97 [4.03%]	1,30,100.34 [(-)15.31%]	13,364.97 [(-)22.09%]	34,255.56 [(-)6.11%]	1,540.44 [(-)10.25%]	1,28,294.75 [2.29%]	14,241.02 [(-)8.87%]
2016	33.00 [(-)1.49%]	7.39 [6.03%]	1,49,319.26 [14.77%]	16,665.72 [24.70%]	38,485.10 [12.35%]	1,787.49 [16.04%]	1,26,380.58 [(-)1.49%]	12,268.65 [(-)13.85%]
2017	41.70 [26.36%]	7.35 [(-)0.54%]	1,95,003.87 [30.60%]	18,976.94 [13.87%]	45,609.09 [18.51%]	2,087.70 [16.80%]	1,50936.36 [19.43%]	14,124.51 [15.13%]
2018	39.45 [(-)5.40%]	8.49 [15.51%]	1,70,008.08 [(-)12.82%]	17,218.32 [(-)9.27%]	39,394.95 [(-)13.62%]	1,812.32 [(-)13.19%]	1,48,434.77 [(-)1.66%]	14,465.92 [2.42%]
2019	36.38 [(-)7.78%]	6.05 [(-)28.74%]	1,58,626.84 [(-)6.69%]	14,084.51 [(-)18.20%]	28,933.50 [(-)26.56%]	1,678.86 [(-)7.36%]	1,38,139.37 [(-)6.94%]	13,570.54 [(-)6.19%]
2020	22.04 [(-)39.42%]	3.06 [(-)49.42%]	1,16,414.89 [(-)26.61%]	9,725.75 [(-)30.95%]	18,927.83 [(-)34.58%]	801.58 [(-)52.25%]	1,07,076.74 [(-)22.49%]	9,235.32 [(-)31.95%]
कुल	337.08	62.83	16,81,701.58	1,63,869.34	3,95,484.77	17,842.88	14,33,636.04	1,45,217.71

स्रोत : https://kimberleyprocessstatistics.org/public_statistics

i) अनगढ़ हीरे के आयात और निर्यात के प्रति कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े अनगढ़ हीरे के आयात और निर्यात में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हैं।

ii) अनगढ़ हीरे के घरेलू उत्पादन और वैश्विक उत्पादन की मात्रा/मूल्य के प्रति कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े अनगढ़ हीरे के क्रमशः घरेलू उत्पादन और वैश्विक उत्पादन की मात्रा/मूल्य की वार्षिक प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हैं।

iii) भारत में अनगढ़ हीरे के घरेलू उत्पादन, निर्यात और आयात के आंकड़े, अनगढ़ हीरे का वैश्विक उत्पादन कैलेंडर वर्ष के संबंध में हैं।

इसके अलावा, वर्ष 2010 से 2020 के दौरान देश में आयातित अनगढ़ हीरे की मात्रा का 23 प्रतिशत से अधिक निर्यात किया गया है।

2010 से 2020 के दौरान अनगढ़ हीरे के आयात की मात्रा में वृद्धि (-)26.61 प्रतिशत की गिरावट और 30.60 प्रतिशत की वृद्धि के बीच उतार-चढ़ाव हुए, जबकि उक्त अवधि के दौरान अनगढ़ हीरे के आयात के मूल्य में वृद्धि (-)30.95 प्रतिशत की गिरावट और 31.12 प्रतिशत की वृद्धि के बीच उतार-चढ़ाव हुए। 2011 के दौरान, अनगढ़ हीरे के आयात की मात्रा में वर्ष-दर-वर्ष

(-)18.25 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जबकि अनगढ़ हीरे के आयात के मूल्य में 31.12 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। वर्ष 2012 के दौरान, अनगढ़ हीरे के आयात की मात्रा में 10.24 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई जबकि अनगढ़ हीरे के आयात के मूल्य में केवल 0.04 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की न्यूनतम वृद्धि देखी गई।

अनगढ़ हीरे के निर्यात की मात्रा में वृद्धि में 2010 से 2020 के दौरान (-)34.58 प्रतिशत की गिरावट और 41.96 प्रतिशत की वृद्धि के बीच उतार-चढ़ाव हुआ, जबकि उक्त अवधि के दौरान अनगढ़ हीरे के निर्यात मूल्य में वृद्धि में (-)52.25 प्रतिशत की गिरावट और 85.97 प्रतिशत की वृद्धि के बीच उतार-चढ़ाव हुआ। 2011 के दौरान, अनगढ़ हीरे के निर्यात की मात्रा में वर्ष -दर-वर्ष 12.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि अनगढ़ हीरे के निर्यात के मूल्य में 85.97 प्रतिशत (वर्ष -दर-वर्ष) की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। वर्ष 2013 के दौरान, अनगढ़ हीरे के निर्यात की मात्रा में 41.96 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देखी गई, जबकि अनगढ़ हीरे के निर्यात के मूल्य में केवल 2.40 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि देखी गई। अनगढ़ हीरे के आयात और निर्यात की मात्रा और मूल्य में वृद्धि में अनियमित प्रवृत्तियों के कारणों की आयकर विभाग द्वारा आयात और निर्यात के विस्तृत ग्रेनुलर स्तर पर जांच की आवश्यकता है।

2.2.3 अनगढ़ हीरे के आयात और निर्यात का देश-वार विश्लेषण

2009-10 से 2019-20 के बीच की अवधि के लिए अनगढ़ हीरे¹² के आयात और निर्यात (तालिका 2.8) के देश-वार विश्लेषण से पता चलता है कि कुल आयात का 76 प्रतिशत और अनगढ़ हीरे के कुल निर्यात का 80 प्रतिशत तीन देशों अर्थात् संयुक्त अरब अमीरात, बेल्जियम और हांगकांग से था, जिनका वैश्विक हीरा खनन में योगदान नगण्य था। प्रमुख देश, जहां अनगढ़ हीरे का खनन¹³ किया जाता है, वे रूस, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा हैं।

¹² रत्न आभूषण आयात और निर्यात सांख्यिकी-जीजेईपीसी इंडिया

¹³ किम्बरले प्रक्रिया (केपी) | किम्बरलेप्रोसेस

तालिका 2.8: अनगढ़ हीरे के निर्यात और आयात के लिए शीर्ष देश															
(यू एस डॉलर मिलियन में)															
क्रमांक	देश	देश-वार	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल योग	प्रतिशत में हिस्सेदारी
1	संयुक्त अरब अमीरात	निर्यात	252.94	455.56	647.99	797.34	676.02	640.55	480.95	463.37	476.44	321.84	177.93	5390.93	36.42
		आयात	986.99	1703.04	2671.83	2827.42	3055.09	3421.93	3411.42	4854.75	5572.95	5157.17	4054.87	37717.46	23.09
		आयात पर निर्यात का प्रतिशत	25.63	26.75	24.25	28.20	22.13	18.72	14.10	9.54	8.55	6.24	4.39	14.29	
2	बेल्जियम	निर्यात	308.94	357.93	674.91	451.3	534.03	499.47	462.88	566.73	352	267.17	587.69	5063.05	34.21
		आयात	5445.19	7004.1	8310.41	8122.02	8869.49	8865.87	6917.37	7031.29	7179.96	5794.05	3866.21	77405.96	47.38
		आयात पर निर्यात का प्रतिशत	5.67	5.11	8.12	5.56	6.02	5.63	6.69	8.06	4.90	4.61	15.20	6.54	
3	हंगकांग	निर्यात	119.08	158.09	204.30	222.34	192.56	154.66	85.85	67.20	76.99	100.24	45.80	1427.11	9.64
		आयात	379.19	493.08	637.89	679.41	1268.44	727.75	672.14	1089.59	2449.62	648.33	341.50	9386.94	5.75
		आयात पर निर्यात का प्रतिशत	31.40	32.06	32.03	32.73	15.18	21.25	12.77	6.17	3.14	15.46	13.41	15.20	
4	सिंगापुर	निर्यात	0.39	0	2.54	1.52	2.21	0.98	92.64	203.28	188.41	175.66	131.06	798.69	5.40
		आयात	8.44	1.48	3.26	21.15	95.52	159.66	71.14	220.51	231.003	266.1	171.95	1250.213	0.77
		आयात पर निर्यात का प्रतिशत	4.62	0.00	77.91	7.19	2.31	0.61	130.22	92.19	81.56	66.01	76.22	63.88	
5	यूनाइटेड किंगडम	निर्यात	2.56	37.66	39.64	3.11	2.15	4.05	1.67	42.62	172.74	285.83	1.18	593.21	4.01
		आयात	1066.4	1119.6	1491.7	1202.5	661.89	10.18	4.97	59.61	396.15	249	48.29	6310.34	3.86
		आयात पर निर्यात का प्रतिशत	0.24	3.36	2.66	0.26	0.32	39.78	33.60	71.50	43.60	114.79	2.44	9.40	
6	नैदरलैंड	निर्यात	19.72	66.86	53.1	41.97	46	34.58	6.43	78.05	52.74	47.65	66.21	513.31	3.47
		आयात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99	0.01
		आयात पर निर्यात का प्रतिशत	बहुत ऊँचा	बहुत ऊँचा	बहुत ऊँचा	बहुत ऊँचा	बहुत ऊँचा	बहुत ऊँचा	बहुत ऊँचा	बहुत ऊँचा	बहुत ऊँचा	बहुत ऊँचा	बहुत ऊँचा	बहुत ऊँचा	2567.83
7	इजराइल	निर्यात	27.58	35.85	73.96	36.29	52.72	39.3	19.58	23.07	85.99	37.56	62.2	494.10	3.34
		आयात	697.61	1046.88	990.85	1005.01	1073.62	933.30	930.53	1015.53	847.80	707.56	404.73	9653.42	5.91
		आयात पर निर्यात का प्रतिशत	3.95	3.42	7.46	3.61	4.91	4.21	2.10	2.27	10.14	5.31	15.37	5.12	
8	संयुक्त राज्य अमेरिका	निर्यात	1.72	4.63	19.64	15.82	28.47	30.85	7.72	9.99	2.87	99	2.43	223.14	1.51
		आयात	57.95	99.87	51.61	45.13	90.02	193.67	199.65	176.2	159.8	156.77	19.32	1249.99	0.77
		आयात पर निर्यात का प्रतिशत	2.97	4.64	38.05	35.05	31.63	15.93	3.87	5.67	1.80	63.15	12.58	17.85	
9	दक्षिण अफ्रीका	निर्यात	3.13	3.74	13.83	2.32	11.94	3.02	2.33	27.11	17.35	12.52	16.38	113.67	0.77
		आयात	23.52	24.39	39.002	36.23	248.68	1491	1044.7	1655.8	823.99	981.06	964.3	7332.68	4.49
		आयात पर निर्यात का प्रतिशत	13.31	15.33	35.46	6.40	4.80	0.20	0.22	1.64	2.11	1.28	1.70	1.55	
10	रूस	निर्यात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.55	0.00
		आयात	233.96	370.18	687.85	685.42	797.37	648.89	603.5	727.31	716.33	809.91	1276	7556.67	4.63
		आयात पर निर्यात का प्रतिशत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.01
11	अन्य	निर्यात	8.41	16.86	43.95	7.33	38.69	11.13	9.92	18.88	3.64	6.87	18.01	183.69	1.24
		आयात	150.52	131.37	278.90	302.62	556.11	303.25	174.23	254.15	511.05	954.28	1878.79	5495.24	3.36
		आयात पर निर्यात का प्रतिशत	5.59	12.83	15.76	2.42	6.96	3.67	5.69	7.43	0.71	0.72	0.96	3.34	
कुल योग	निर्यात	744.47	1137.18	1773.86	1579.34	1584.79	1418.59	1169.97	1500.30	1429.72	1354.34	1108.89	14801.45	100.00	
	आयात	9049.74	11993.99	15163.34	14926.95	16716.23	16757.36	14047.82	17084.71	18888.65	15724.23	13025.91	163378.90	100.00	
	आयात पर निर्यात का प्रतिशत	8.23	9.48	11.70	10.58	9.48	8.47	8.33	8.78	7.57	8.61	8.51	9.06		

स्रोत: जीजेईपीसी

इसके अतिरिक्त, संबंधित देशों¹⁴ के आयात आंकड़ों की तुलना में निर्यात आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग जैसे देशों के संबंध में अनगढ़ हीरे के आयात की तुलना में निर्यात काफी अधिक था जो क्रमशः 14.29 प्रतिशत और 15.20 प्रतिशत था। बेल्जियम को किया गया निर्यात केवल 6.54 प्रतिशत रहा, यद्यपि अनगढ़ हीरे (47 प्रतिशत) का अधिकांश आयात बेल्जियम से किया गया था। इसी प्रकार, सिंगापुर, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका को किया गया निर्यात बहुत अधिक था।

संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग जैसे देशों में आयात और निर्यात में अनियमित प्रवृत्तियों में संदिग्ध कारोबार लेनदेन और कर अपवंचन का संभावित जोखिम है जिसे विनियमित विभागों के साथ समन्वय में जांचने की आवश्यकता है। चूंकि हीरे के आयात और निर्यात, सीमा शुल्क विभाग द्वारा स्वीकृतियों के अध्यक्षीन होते हैं और उनके जांच क्षेत्राधिकार में आते हैं, इसलिए सीमा शुल्क विभाग के माध्यम से मंजूरी प्राप्त करने वाली रत्न और आभूषण क्षेत्र के सत्वों द्वारा की गई घोषणाओं को जोखिम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके आयकर विभाग द्वारा सत्यापित और जांचना अपेक्षित होता है। इसके अलावा, जाँच के समर्थन में प्रलेखन को निर्धारण रिकॉर्ड में रखने की भी आवश्यकता होती है ताकि एक निर्धारिती को अनुमति दिए गए दावों को सही ठहराया जा सके और कीमती विदेशी मुद्रा के आउटगो की संभावना को और कम किया जा सके, जो अवैध चैनलों के माध्यम से बंद किया गया हो।

2.2.4 धन की संदिग्ध राउंड ट्रिपिंग और मोतियों के आयात के अधिक बीजक बनाना

रत्न और आभूषण क्षेत्र में मोती महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक है। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा में 2009-10 से 2019-20 की अवधि के लिए वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट से मोतियों¹⁵ के आयात और निर्यात डेटा का संकलन और विश्लेषण किया गया।

¹⁴ अनगढ़ हीरे के निर्यात के संबंध में 'अन्य' में कनाडा, थाईलैंड, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, चीन पी गणराज्य, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, नामीबिया, जर्मनी, कोरिया, जापान, आयरलैंड, ताइवान, आर्मेनिया, फ्रांस, पेरू, इटली, फिलिपींस, मॉरीशस, किरिबाती गणराज्य, तुर्की, बांग्लादेश, एस्टोनिया, यमन गणराज्य, ब्राजील, कंबोडिया, फिनलैंड, लेबनान और जिम्बाब्वे शामिल हैं।

अनगढ़ हीरे के आयात के संबंध में 'अन्य' में आयरलैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड, बोत्सवाना, अंगोला, सिएरा लियोन, कांगो डी गणराज्य, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, थाईलैंड, लेसोथो, नामीबिया, चीन पी गणराज्य, कांगो पी गणराज्य, श्रीलंका, नीदरलैंड, जर्मनी, घाना, इटली, स्लोवाकिया, जापान, तंजानिया, ब्राजील, आर्मेनिया, यूक्रेन, गुइनेस, कोरिया, मलेशिया, बेलारूस, गुयाना, अल्जीरिया, कोलंबिया, कंबोडिया, फ्रांस, मालदीव और ताइवान शामिल हैं।

¹⁵ (आईटीसी एचएस कोड 7101)

मोतियों के आयात और निर्यात के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान [वि.व. 2012-13 और 2013-14 के अतिरिक्त] मोती के निर्यात में बहुत अधिक अंतर नहीं था, लेकिन उक्त अवधि के दौरान मोतियों के आयात में अचानक वृद्धि हुई थी, जिसके बाद वित्त वर्ष 2018-19 से आयात में अचानक गिरावट आई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान भारत का मोतियों का आयात वैश्विक मोती उत्पादन के औसत वार्षिक मूल्य से 3 से 10 गुना अधिक था। देश में जिस दर से मोती का आयात किया गया था, उसमें कई गुना वृद्धि हुई थी। वैश्विक उत्पादन के मूल्य की तुलना में बहुत अधिक होने के कारण भारत में मोतियों के आयात का मूल्य संभावित व्यापार के गलत बीजक बनाने और निधियों की राउंड-ट्रिपिंग का सूचक है, जिन्हें रत्न और आभूषण क्षेत्र के संबंध में महत्वपूर्ण मामलों के रूप में दर्शाया गया है।


जांच का एक अन्य क्षेत्र मुख्यतः संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और थाईलैंड से किए जा रहे मोतियों का आयात हो सकता है, जिसका वैश्विक मोती उत्पादन में योगदान नगण्य था। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ)¹⁶ की रिपोर्ट के अनुसार, जापान, चीन और फ्रेंच पोलिनेशिया प्रमुख मोती उत्पादक देश / क्षेत्र हैं। मोतियों, मोती की वस्तुओं और मोतियों के साथ बने सोने के आभूषणों के आयात और निर्यात के ब्यौरे तालिका 2.9 और ग्राफ 2.4 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.9: मोतियों, मोती की वस्तुओं और मोतियों के साथ बने सोने के आभूषणों के आयात और निर्यात						
वित्त वर्ष	निर्यात (मिलियन अमरीकी डॉलर में)			आयात (मिलियन अमरीकी डॉलर में)		
	मोती	प्राकृतिक/कृत्रिम मोतियों से बनी वस्तुएं	मोती के साथ बने सोने के आभूषण	मोती	जी एवं जे क्षेत्र का कुल आयात	
2009-10	3.58	0.36	86.54	8.63	46,321.87	
2010-11	1.04	0.05	97.56	9.91	77,054.45	
2011-12	2.12	0.08	82.72	11.04	91,074.99	
2012-13	90.98	0.14	38.06	100.01	83,896.46	
2013-14	329.58	0.02	491.17	821.61	58,464.77	
2014-15	3.47	0.00	95.62	674.82	62,379.93	
2015-16	3.99	0.03	50.55	1,354.60	56,536.97	
2016-17	5.31	0.13	21.50	2,174.76	53,767.41	
2017-18	3.98	0.19	27.04	2,412.34	74,710.43	
2018-19	2.65	0.58	22.42	19.81	64,720.24	
2019-20	1.77	0.29	9.23	20.03	54,493.81	
कुल	448.47	1.87	1022.41	7,607.56	7,23,421.33	

(स्रोत: भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय)

¹⁶ संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि यद्यपि वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान मोतियों के आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई थी, लेकिन इसी अवधि के दौरान रत्न और आभूषण क्षेत्र का कुल आयात स्थिर रहा या इसमें गिरावट आई।



(स्रोत: भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय)

मोतियों के राष्ट्र-वार आयात के अगले विश्लेषण (तालिका 2.10) से पता चला कि आयात मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और थाईलैंड जैसे देशों से किया गया था, जिनका वैश्विक मोती उत्पादन में योगदान नगण्य था।

क्र.सं.	देश का नाम	आयात का वर्ष										
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	हांग कांग	1.93	2.48	4.77	6.35	435.09	434.89	634.24	1,451.74	2,070.42	9.79	8.55
2	यू अरब अमीरात	0.03	0.03	0.05	85.61	379.19	235.18	677.66	704.22	301.63	0.01	1.42
3	थाईलैंड	0.03	1.15	0.11	0.09	0.11	0.1	5.04	9.69	22.31	0.26	0.37
4	चीन पी गणराज्य	1.68	1.71	2.33	3.28	2.68	1.74	5.5	5.26	9.89	4.51	4.1
5	जापान	3.02	3.31	3.12	3.54	4.08	1.58	2.32	3.22	5.35	3.99	1.47
6	अन्य देश	1.93	1.22	0.65	1.13	0.47	1.31	29.85	0.62	2.74	1.26	4.11
	कुल आयात	8.62	9.91	11.04	100.01	821.61	674.82	1,354.59	2,174.76	2,412.34	19.81	20.03

(स्रोत: <https://commerce-app.gov.in/eidb>)

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि मोतियों का अधिकांश आयात एक एकल कॉर्पोरेट समूह अर्थात एन समूह द्वारा किया गया था, जो वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान मोतियों के कुल आयात का लगभग 11.46 प्रतिशत से 84.3 प्रतिशत मात्रा-वार और 52.52 प्रतिशत से 97.97 प्रतिशत मूल्य-वार था। एन समूह द्वारा मोतियों के आयात और निर्यात के विश्लेषण पर आधारित लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को इस प्रतिवेदन के पैरा 4.1.2.1 में प्रकाशित किया गया है। लेखापरीक्षा का विचार है कि इस बात की एक अलग संभावना है कि 2012-13 से 2017-18 की अवधि के दौरान मोतियों का आयात वास्तविक नहीं हो

सकता है और यह हवाला ऑपरेटरों द्वारा आयात के ओवर इनवॉइसिंग और राउंड ट्रिपिंग द्वारा धन की हेराफेरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोतियों के जोखिम से भरा था, जैसा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एन ग्रुप ऑफ केस (मई 2018) के संबंध में अपनी जांच रिपोर्ट में भी निष्कर्ष निकाला है जिसमें पाया गया कि समूह द्वारा नियंत्रित संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग में स्थित 20 सत्त्वों को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से निधि की परतों और लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए बनाया गया था ताकि पीएनबी से निकाले गए धन के लाभार्थियों के वास्तविक उद्देश्य और पहचान को छिपाया जा सके। वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए संव्यवहार में निर्धारण से बचने वाली आय के महत्वपूर्ण मूल्य के अंतर्निहित जोखिम के साथ मोती के आयात पर संभावित ओवर-इनवॉइसिंग शामिल हो सकती है।

परिणामस्वरूप, 2012-13 से 2017-18 की अवधि के दौरान विशेष रूप से हांगकांग, यूएई और थाईलैंड से किए गए मोतियों के आयात की किसी अधिक बीजक बनाने या राउंड ट्रिपिंग के पहलू की जांच करने के लिए जांच एजेंसियों द्वारा एक व्यापक और समन्वित जांच किए जाने की आवश्यकता है, जैसा कि एफएटीएफ ने अपनी रिपोर्ट¹⁷ में संकेत दिया था (अक्टूबर 2013) कि अधिकांश हाइब्रिड हवाला संव्यवहार दुबई (यूएई) जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के माध्यम से किए गए थे।

2.3 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में 2010 से 2020 के दौरान अनगढ़ हीरे के आयातों और निर्यातों की मात्रा और मूल्य में वृद्धि में अनियमित रुझान देखे गए, जिनके लिए आयात और निर्यात के विस्तृत ग्रेनुलर स्तर पर जांच किए जाने की आवश्यकता है। 2009-10 से 2019-20 की अवधि के दौरान अनगढ़ हीरे के आयात और निर्यात के देश-वार विश्लेषण से पता चला कि कुल आयातों का 76 प्रतिशत और अनगढ़ हीरे के कुल निर्यातों का 80 प्रतिशत तीन देशों अर्थात् संयुक्त अरब अमीरात, बेलजियम और हांगकांग से था, जिनका वैश्विक हीरा खनन में योगदान नगण्य था।

मोतियों के आयात और निर्यात के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि हालांकि वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान [वि.व. 2012-13 और 2013-14 को छोड़कर] मोती के निर्यात में बहुत अधिक भिन्नता नहीं थी, लेकिन उक्त अवधि के दौरान मोतियों के आयात में अचानक वृद्धि हुई थी, जिसके बाद वित्त वर्ष 2018-19 से आयात में अचानक गिरावट आई थी। मोतियों का आयात मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और थाईलैंड से किया जा रहा है,

¹⁷ रिपोर्ट के पैरा 3.6.4 में

जिसका वैश्विक मोती उत्पादन में योगदान नगण्य था। प्रवर्तन निदेशालय ने एन समूह के मामलों (मई 2018) के संबंध में अपनी जांच रिपोर्ट में पाया कि समूह द्वारा नियंत्रित यूई और हांगकांग में स्थित 20 सत्वों को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से निधि की परतों और लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए बनाया गया था ताकि पीएनबी से निकाले गए धन के लाभार्थियों के वास्तविक इरादे और पहचान को छिपाया जा सके। वित्त वर्ष 2012-13 से 2017-18 के दौरान किए गए संव्यवहार में निर्धारण से बचने वाली आय के महत्वपूर्ण मूल्य के अंतर्निहित जोखिम के साथ मोती के आयात पर संभावित रूप से ओवर-इंवाइसिंग की क्षमता शामिल हो सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान भारत का मोतियों का आयात वैश्विक मोती उत्पादन के औसत वार्षिक मूल्य से 3 से 10 गुना अधिक था। इसके अलावा, देश में जिस दर पर मोती का आयात किया गया था, उसमें कई गुना वृद्धि हुई थी। मोतियों के वैश्विक उत्पादन के मूल्य की तुलना में भारत में मोतियों के आयात का मूल्य बहुत अधिक होने के कारण यह व्यापार के अधिक बीजक बनाने और निधियों की राउंड-ट्रिपिंग का संकेतक है, जिन्हें रत्न और आभूषण क्षेत्र के संबंध में महत्वपूर्ण मामलों के रूप में चिन्हित किया गया है। आयकर विभाग को व्यापार में गलत बीजक और हवाला लेनदेन के मद्देनजर काला धन अधिनियम और डीटीए के तहत शक्तियों के उपयोग के माध्यम से उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी।

2.4 सिफारिशों का सार

क) राजस्व विभाग (डीओआर) अनगढ़ हीरे और मोतियों के आयात और निर्यात में जांच संबंधी प्रवृत्तियों पर विचार कर सकता है ताकि काले धन अधिनियम के तहत अधिसूचित विशिष्ट शक्तियों का उपयोग करने के माध्यम से आयकर निर्धारण दृष्टिकोण से अधिक मूल्यांकन/कम मूल्यांकन के प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र से संबंधित उन विदेशी संव्यवहारों पर सूचना प्राप्त करने के लिए दोहरे कराधान परिहार्य करारों का निर्धारण किया जा सके जो संव्यवहार रत्न एवं आभूषण के कारोबार में लगे सत्वों के आईटीआर के माध्यम से रिपोर्ट नहीं किए गए हैं या जिनका प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

(पैरा 2.2.2 से 2.2.4)

ख) राजस्व विभाग, वैश्विक उत्पादन में नगण्य योगदान वाले देशों से अनगढ़ हीरे के उच्च मूल्य के आयातों के कारणों को सत्यापित करने के लिए अनगढ़ हीरे के निर्यात और आयात की राष्ट्र-वार प्रवृत्तियों की जांच करने पर विचार कर सकता है

जो अनगढ़ हीरे के आयात पर लगाए गए नाममात्र सीमा शुल्क और बेईमान व्यापारियों द्वारा काले धन को वैध बनाने के लिए एक वाहक के रूप में उपयोग किए जा रहे इस वस्तु के दुरुपयोग की संभावना को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

(पैरा 2.2.3)

ग) राजस्व विभाग को अन्य सरकारी विभागों/एजेंसियों के सहयोग से भारत में मोतियों के आयातों की प्रमाणिकता की जांच करने पर विचार करना चाहिए क्योंकि 2013-14 से 2017-18 के दौरान असामान्य प्रवृत्तियों में राउंड-ट्रिपिंग और बीजक को गलत तैयार करने की संभावना को दर्शाया गया था।

(पैरा 2.2.4)

अध्याय-3: रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों को शासित करने वाले नियामक कानून और प्रक्रिया

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा उद्देश्यों में से एक उद्देश्य रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के संबंध में मौजूदा नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता की जांच करना और मौजूदा कानून और प्रक्रिया में कमियों/अस्पष्टता, यदि कोई हो, की जांच करना था। लेखापरीक्षा ने इस लेखापरीक्षा के दौरान 2,261 निर्धारणों¹⁸ की जांच करते समय रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के लिए विशिष्ट आयकर अधिनियम के तहत मौजूदा विनियामक कानून और प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि रत्न और आभूषण संबंधी कारोबार में लगी संस्थाओं के निर्धारणों को अंतिम रूप देने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा कोई मानक प्रचालन प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर लेखापरीक्षा रिपोर्टें [टीएआर] के माध्यम से चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा मात्रात्मक प्रकटीकरण पर विश्वास रखते हुए निर्धारण पूरा किया जाता है। लेखापरीक्षा में टीएआर के माध्यम से किए गए मालसूची से संबंधित प्रकटनों में कई विसंगतियां देखी गईं, जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैरा 5.4 में चर्चा की गई है, जो संवीक्षा निर्धारणों के दौरान आगे के सत्यापन को प्रामाणिक ठहराती है।

आयकर अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अन्य शासी उपबंधों अर्थात् धारा 10ए के अनुपालन की जांच करते समय, लेखापरीक्षा ने उस विधायी उद्देश्य के साथ-साथ अधिनियम के उपबंधों में कमी पाई जिसके लिए ऐसे प्रावधानों को लागू किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिनियम की धारा 10ए के तहत कटौती का दावा करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाइयों द्वारा निर्यात आय के समय पर प्रेषण के लिए आयकर अधिनियम में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अधिनियम में स्पष्टता के अभाव में, आयकर विभाग द्वारा उन मामलों में भी कटौती की अनुमति दी गई थी जहां निर्यात आय के बड़े हिस्से की वसूली लंबित थी। अनुमानित आधार पर कटौती की अनुमति में फर्जी लेन-देन की अनुमति का जोखिम शामिल हो सकता है। साथ ही, लंबे समय से आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि से निपटने के लिए अधिनियम के तहत कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस अध्याय में कानून और प्रक्रिया में कमियों और अंतरालों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई है।

¹⁸ 2,261 मामलों में 1,147 मामले [अधिनियम की धारा 143(1) के तहत संसाधित], 572 [अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारित] और 542 मामले [अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत मूल्य निर्धारित] शामिल थे।

लेखापरीक्षा में देखे गए मुद्दों और उनके कर प्रभाव को तालिका 3.1 में संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 3.1: लेखापरीक्षा और उनके कर प्रभाव में देखे गए मुद्दे

क्रम संख्या	पैरा सं. और संक्षिप्त विवरण	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	3.1 भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्यात आय लाने के लिए समय सीमा का अभाव, जिससे धारा 10ए के तहत कटौती की अनियमित अनुमति होती है	7	28.57
2	3.2.1 अनिवासी निवेशकों से प्राप्त शेयर प्रीमियम पर उचित बाजार मूल्य से अधिक कर लगाने के प्रावधान का अभाव	1	प्रणाली मुद्दे
3	3.2.2 शेयर आवेदन राशि से निपटने के लिए प्रावधान का अभाव जो लंबे समय से शेयरों के आवंटन के लिए लंबित है	1	प्रणाली मुद्दे
4	3.3 रत्न और आभूषण के मूल्य निर्धारण पहलुओं की जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया/ निर्देशों/ दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति	-	प्रणाली मुद्दे
	कुल	9	28.57

3.1 भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्यात आय लाने के लिए समय सीमा का अभाव, जिससे धारा 10ए के तहत कटौती की अनियमित अनुमति होती है

सरकार ने आर्थिक कार्यकलापों के सृजन और अवसंरचना के विकास के लिए रत्न एवं आभूषण क्षेत्र सहित वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट प्रोत्साहनों के साथ विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना की है। रत्न और आभूषण क्षेत्र में काफी उच्च मूल्य वाले विदेशी विनिमय संव्यवहार शामिल हैं और इसमें धन शोधन के जोखिम की संभावना शामिल है। पात्र आय या लाभ पर कटौती और छूट की अनुमति सुनिश्चित करने के लिए संव्यवहारों की मॉनीटरिंग महत्वपूर्ण है।

आयकर अधिनियम की धारा 10ए के तहत एसईजेड में नवस्थापित इकाइयों के लिए 15 वर्षों के लिए कर से छूट (विशेष रिजर्व के सृजन के अध्यक्षीन पहले पांच वर्षों के लिए निर्यात से प्राप्त लाभ और प्राप्तियों का 100 प्रतिशत, अगले पांच वर्षों के लिए ऐसे लाभ और प्राप्तियों का 50 प्रतिशत और अगले पांच वर्षों के लिए 50 प्रतिशत की और कटौती) उपलब्ध है।

धारा 10ए की व्याख्या 1 के अनुसार, “निर्यात टर्नओवर” का तात्पर्य निर्धारिती द्वारा भारत में प्राप्त या लाए गए निर्यात से संबंधित प्रतिफल है। इसके अलावा, धारा 10ए की उपधारा 5 के साथ पठित धारा 10ए(8) के अनुसार कटौती तब तक स्वीकार्य नहीं होगी जब तक कि निर्धारिती फार्म 56एफ में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

प्रस्तुत नहीं कर देता जिसमें निर्यात आय का उद्ग्रहण दर्शाया गया हो। इस प्रकार, धारा 10ए के तहत कटौती इस शर्त के अधीन है कि निर्यात टर्नओवर के प्रति प्रतिफल भारत में लाया जाना चाहिए; तथापि, इस अधिनियम में ऐसा कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है जिसमें भारत में ऐसे निर्यात प्रतिफल को लाने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई हो।

यद्यपि, भारतीय रिजर्व बैंक निर्यात आय के समय पर प्रेषण की निगरानी करता है और निर्यात आय की प्राप्ति की अवधि को निर्दिष्ट करते हुए समय-समय पर परिपत्र जारी करता है, यह परिपत्र विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अनुसार विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए है। तथापि, आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 10ए के अंतर्गत कटौती का दावा करने के लिए निर्यात आय के समय पर प्रेषण के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, हालांकि व्याख्या 1 के अनुसार यह स्पष्ट प्रावधान है कि कटौती की अनुमति देने के लिए निर्यात प्रतिफल को भारत में लाया जाना आवश्यक है। आयकर अधिनियम में स्पष्टता के अभाव में, आयकर विभाग द्वारा, निर्यात आय की प्राप्ति के अनुपात में इसकी अनुमति देने की बजाय कटौती की पूर्ण अनुमति दी जा रही है।

इसके अतिरिक्त, एक बार धारा 10ए के तहत कटौती की अनुमति दिए जाने के बाद, आयकर विभाग के पास निर्यात आय के अनुवर्ती उद्ग्रहण/गैर-उद्ग्रहण की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।

लेखापरीक्षा ने 84 संवीक्षा मामलों की जांच की जहां निर्धारितियों ने अधिनियम की धारा 10ए के तहत ₹ 3,101.32 करोड़ की कुल कटौती का दावा किया था। इन 84 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने महाराष्ट्र में सात संवीक्षा निर्धारण मामले देखे जहां आयकर विभाग ने धारा 10ए के तहत ₹ 5,654.39 करोड़ के कुल निर्यात टर्नओवर के प्रति ₹ 115.45 करोड़ की कुल कटौती की अनुमति दी, यद्यपि निर्यात आय के प्रति उद्ग्रहण का मुख्य हिस्सा ₹ 3,878.95 करोड़ छह महीने से अधिक समय से बकाया था। इन मामलों में लंबित निर्यात उद्ग्रहण में कुल निर्यात टर्नओवर के 40 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक अंतर था। अनुमानित आधार पर कटौती की अनुमति में जाली लेनदेन की अनुमति का जोखिम शामिल है, जिसकी मॉनिटरिंग दावों के दुरुपयोग को रोकने के लिए की जानी चाहिए। इन मामलों में संभावित राजस्व हानि ₹ 28.57 करोड़ आंकी गई। ऐसे दो मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

बॉक्स 3.1: निर्यात आय भारत में लाए बिना धारा 10ए के तहत कटौती की अनुमति

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-8, मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स आर प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2016-17

नि.व. 2016-17 के लिए एक निर्धारिती कंपनी की आय का रिटर्न अक्टूबर 2016 में ₹ 19.15 करोड़ की हानि पर फाइल किया गया था और इसका निर्धारण अधिनियम की धारा 144 के तहत संवीक्षा पद्धति से पूरा किया गया (दिसंबर 2018) था जिसमें ₹ 19.09 करोड़ की हानि और ₹ 5.28 लाख का बही-लाभ निर्धारित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लाभ और हानि खाते के अनुसार, निर्धारिती कंपनी का कुल टर्नओवर ₹ 938.80 करोड़ था।

लेखापरीक्षा ने धारा 10ए के तहत दावा की गई कटौती के समर्थन में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत फॉर्म 56 एफ से देखा (मई 2019) कि इसने अपनी सूरत की एसईजेड इकाई से ₹ 19.19 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया था और पूरे लाभ का धारा 10ए के तहत कटौती के रूप में दावा किया गया था। फॉर्म 56एफ में प्रस्तुत ब्यौरे के अनुसार, विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 589.18 करोड़ के कुल निर्यात मूल्य में से केवल ₹ एक लाख का निर्यात प्रतिफल प्राप्त हुआ था। लेखापरीक्षा ने फॉर्म 56एफ से आगे देखा कि लेखापरीक्षक ने निर्धारित कॉलम संख्या 16 में उल्लेख किया था कि निर्यात के लिए परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में पूर्ण प्रतिफल को पिछले वर्ष के अंत से छह महीने की अवधि के भीतर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत ऐसी आगे की विस्तारित अवधि के भीतर भारत में नहीं लाया गया था। इस प्रकार, हालांकि निर्यात आय की एक पर्याप्त राशि प्राप्त नहीं हुई थी, फिर भी निर्धारण अधिकारी ने न तो निर्धारिती से कोई स्पष्टीकरण देने के लिए कहा और न ही धारा 10ए के तहत कटौती को अस्वीकृत किया। लेखापरीक्षा का मत है कि निर्यात आय का उद्ग्रहण होने के मामलों में कटौती को अस्वीकार करने के लिए आयकर अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति के कारण धारा 10ए के तहत ₹ 19.19 करोड़ की कटौती की अस्वीकृति नहीं की गई थी। इस मामले में संभावित राजस्व प्रभाव ₹ 6.64 करोड़ तक गिना गया।

मंत्रालय ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं [जनवरी, 2022] किया है कि आयकर अधिनियम के अनुसार अधिनियम की धारा 10ए के तहत निर्यात आय की प्राप्ति के लिए समय-सीमा निर्धारित करने का कोई विशिष्ट

प्रावधान नहीं है। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एसईजेड का मुख्य उद्देश्य भारत में निर्यात आय लाना है; हालांकि, समय सीमा के अभाव से यह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। यद्यपि धारा 10एए एक समापक खंड है, फिर भी खंड के दुरुपयोग से बचाव के लिए इसमें समय-सीमा निर्धारित करने के लिए एक स्पष्टीकरण डाला जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, कटौती की अनुमति देने के उद्देश्य से, आयकर विभाग लागू समय के लिए विदेशी मुद्रा में संव्यवहार के लिए प्राधिकृत सक्षम प्राधिकरण अर्थात् आरबीआई द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन कर सकता है। इसके अलावा, 10एए के अंतर्गत कटौती मार्च 2035 तक निर्धारण करने के लिए उपलब्ध होगी, यदि इकाई मार्च 2020 में स्थापित की गई है। अतः मंत्रालय पैरा पर पुनःविचार कर सकता है।

(ख) प्रभार: प्र.सीआईटी 5, मुंबई
निर्धारिती: मैसर्स डब्ल्यू लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2012-13

नि.व. 2012-13 के लिए एक निर्धारिती कंपनी की आय का रिटर्न नवंबर 2012 में ₹ 41.62 करोड़ की आय पर फाइल किया गया था और संवीक्षा निर्धारण अधिनियम की धारा 144सी(3) के साथ पठित धारा 143(3) के तहत पूरा (अप्रैल 2016) किया गया था, जिसमें ₹ 45.69 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया था, जिससे नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 1.53 करोड़ की मांग सृजित हुई थी। वि.व. 2011-12 के लिए लाभ और हानि खाते के अनुसार, निर्धारिती कंपनी का कुल टर्नओवर ₹ 5,527.99 करोड़ था जिसमें ₹ 4,500.26 करोड़ का निर्यात टर्नओवर शामिल है।

लेखापरीक्षा ने निर्धारण अभिलेखों से देखा (जनवरी 2018) कि निर्धारिती ने तीन एसईजेड इकाइयों से प्राप्त लाभ के संबंध में धारा 10एए के तहत ₹ 77.89 करोड़ की कटौती का दावा किया था और इस संबंध में निर्धारण आदेश में कोई चर्चा और अस्वीकृति नहीं थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने वित्त वर्ष 2011-12 के फार्म 56एफ और बैलेंस शीट में पाया कि निर्यात आय का लगभग 64 प्रतिशत अर्थात् ₹ 2,877.10 करोड़ अभी भी छह महीने से अधिक समय से बकाया है। हालांकि इस मामले में भी, निर्यात आय का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी निर्धारण अधिकारी ने न तो निर्धारिती से कोई स्पष्टीकरण मांगा और न ही धारा 10एए के तहत कटौती को अस्वीकृत किया। लेखापरीक्षा का मत है कि निर्यात आय का उद्ग्रहण न होने के मामलों में कटौती को अस्वीकार करने के लिए आयकर अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति के कारण धारा 10एए के तहत

₹ 77.89 करोड़ की कटौती की अस्वीकृति नहीं की गई थी। इस मामले में संभावित राजस्व प्रभाव ₹ 17.31 करोड़ गिना गया है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है [जनवरी 2022]।

3.2 शेयर प्रीमियम और शेयर आवेदन राशि के माध्यम से बेहिसाब धन की शुरुआत

सीबीडीटी के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट 'भारत और विदेश में काले धन से निपटने के उपाय' (मार्च, 2012) के पैरा 3.24 में बताया था कि 'कई मामलों में यह देखा गया है कि व्यापारिक समूहों की बेहिसाब आय को जाली निवेश कंपनियाँ, जिनको लोकप्रिय रूप से 'जमा-खरची' कंपनियों के रूप में जाना जाता है, के माध्यम से शेयर एप्लिकेशन, शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम के रूप में नियमित बही खाता में वापस लाया गया है। उपरोक्त पद्धति पर अंकुश लगाने के लिए समिति ने सिफारिश की कि 'अधिनियम में आवश्यक संशोधन लाना अनिवार्य है जिसमें शेयर पूंजी और शेयर अधिनियम की ऐसी प्राप्ति को नकद क्रेडिट के बराबर मानते हुए शेयरधारक की साख, सत्यता और पहचान को साबित करने की जिम्मेदारी निर्धारिती की है। कॉरपोरेट निर्धारिती के मामले में, यदि निदेशक दिए गए पते पर उपलब्ध नहीं हैं, तो पहचान को सुस्थापित नहीं माना जाना चाहिए। इस तरह के विधान काले धन के पुनर्निवेश पर रोक लगाने में काफी मददगार साबित होंगे'।

3.2.1 अनिवासी निवेशकों से प्राप्त उचित बाजार मूल्य से अधिक शेयर प्रीमियम पर कर लगाने के प्रावधान का अभाव

निवासी निवेशकों से प्राप्त शेयर प्रीमियम के माध्यम से 'अघोषित धन के सृजन और परिसंचरण को रोकने' के लिए संशोधन किए गए थे और धारा 56¹⁹ की उपधारा (2) के खंड (viiबी) को वित्त अधिनियम, 2013, जो नि.व. 2013-14 से लागू किया गया था, के माध्यम से अंतःस्थापित किया गया था। तथापि, उक्त धारा को अनिवासी निवेशकों से प्राप्त प्रतिफल (शेयर आवेदन राशि/शेयर प्रीमियम) के लिए लागू नहीं किया गया था। फिर भी, विभाग को अधिनियम की धारा 68 के मौजूदा प्रावधानों के तहत संव्यवहारों की वास्तविकता का सत्यापन करना है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार, जहां किसी राशि

¹⁹ धारा 56(2) (viiबी) - जहां कोई कंपनी, ऐसी कंपनी न हो जिसमें जनता की पर्याप्त रुचि हो, किसी भी पिछले वर्ष में, किसी भी व्यक्ति के निवासी होने से, ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक के शेयरों के निर्गम के लिए कोई विचार, कुल मिलाकर इस तरह के शेयरों के लिए प्राप्त विचार शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक है, वो "अन्य स्रोतों से आय" के शीर्ष के तहत आयकर के लिए प्रभाय होगी।

को किसी भी पिछले वर्ष के लिए बनाए गए लेखा बही में क्रेडिट पाया जाता है, और निर्धारिती उस की प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में संतोषजनक नहीं है, तो इस प्रकार की क्रेडिट की गई राशि को निर्धारिती की उस पिछले वर्ष के निर्धारिती की आय के रूप में आयकर के लिए प्रभारित किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने 37 संवीक्षा मामलों की जांच की जहां निर्धारितियों को कुल ₹ 1,475.28 करोड़ का शेयर प्रीमियम प्राप्त किया था और कर्नाटक में एक संवीक्षा मामले में पाया गया कि यद्यपि निर्धारितियों को अनिवासी से उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) से अधिक शेयर प्रीमियम प्राप्त हुआ था, फिर भी निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम में प्रावधान के अभाव के कारण इसे नहीं जोड़ा। मामले को नीचे दर्शाया गया है।

बॉक्स 3.2: अनिवासी निवेशकों से उचित बाजार मूल्य से अधिक प्राप्त शेयर प्रीमियम पर कर लगाने के प्रावधान के अभाव की व्याख्या

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-4, बंगलौर

निर्धारिती: मैसर्स एम प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2016-17

नि.व. 2016-17 के लिए एक कंपनी निर्धारिती की आय का रिटर्न अगस्त 2016 में ₹ 1.20 करोड़ की आय पर फाइल किया गया था और जून 2018 में धारा 143(3) के तहत संवीक्षा के तरीके से निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें आय को ₹ 6.13 करोड़ पर निर्धारित किया गया था, जिससे नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 2.07 करोड़ की मांग सृजित हुई। वित्त वर्ष 2015-16 के लाभ-हानि लेखा के अनुसार, निर्धारिती कंपनी का कुल टर्नओवर ₹ 64.89 करोड़ था।

लेखापरीक्षा ने वित्त वर्ष 2015-16 की बैलेंस शीट से देखा (अक्टूबर 2020) कि निर्धारिती ने मैसर्स एच एलएलपी (अनिवासी निवेशक) को ₹ 490 प्रति शेयर के प्रीमियम पर 18,720 शेयर जारी किए थे और ₹ 0.91 करोड़ का शेयर प्रीमियम प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने मैसर्स डी प्राइवेट लिमिटेड (निवासी निवेशक) को ₹ 990 प्रति शेयर के प्रीमियम पर 50,000 शेयर जारी किए थे और ₹ 4.95 करोड़ का शेयर प्रीमियम प्राप्त किया था। इस प्रकार, निर्धारिती ने कुल 68,720 शेयर जारी करके कुल ₹ 5.87 करोड़ का शेयर प्रीमियम प्राप्त किया। निर्धारिती ने शेयर प्रीमियम के प्रभार को सही ठहराने के लिए मूल्य निर्धारण रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, परंतु निर्धारण अधिकारी ने उक्त मूल्य निर्धारण रिपोर्ट को

खारिज करते हुए आयकर नियमावली के नियम 11 यूए के तहत ₹ 12.58 प्रति शेयर पर शेयर के उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) का निर्धारण किया और निवासी निवेशक से प्राप्त ₹ 4.94 करोड़ के अतिरिक्त शेयर प्रीमियम को निर्धारिती की आय में जोड़ दिया। तथापि, अनिवासी निवेशक से प्राप्त अतिरिक्त शेयर प्रीमियम की निर्धारण अधिकारी द्वारा न तो गणना की और न ही कोई संवर्धन किया, हालांकि उसके द्वारा निर्धारण के दौरान प्रीमियम अत्यधिक पाया गया था। लेखापरीक्षा ने निर्धारण आदेश [पैरा 5(ई)] से पाया कि निर्धारिती के प्रस्तुतीकरण के अनुसार अनिवासी से प्राप्त शेयर प्रीमियम की राशि को धारा 56(2)(viiबी) के तहत कवर नहीं किया जाएगा। चूंकि, निर्धारण अधिकारी ने अनिवासी से प्राप्त अतिरिक्त प्रीमियम की गणना नहीं की थी, इसलिए यह निहित है कि निर्धारिती के पूर्वोक्त तर्क को इसके द्वारा स्वीकार किया गया था। इस प्रकार, अधिनियम में उपयुक्त प्रावधान के अभाव के कारण, निर्धारण अधिकारी गैर-निवेशकों से प्राप्त अतिरिक्त शेयर प्रीमियम के प्रति संवर्धन करने में सक्षम नहीं था। निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित ₹ 12.58 प्रति शेयर के एफएमवी के आधार पर, अनिवासी निवेशक के प्रति अतिरिक्त शेयर प्रीमियम ₹ 0.29 करोड़ के संभावित राजस्व प्रभाव के साथ ₹ 0.89 करोड़ गिना है।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (दिसंबर 2021) कि अनिवासी सत्व से प्राप्त शेयर प्रीमियम को आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(viiबी) के प्रावधानों के अनुसार के तहत नहीं लाया जा सकता है क्योंकि उपरोक्त प्रावधान निवासियों पर लागू है परंतु अनिवासियों पर लागू नहीं है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अत्यधिक शेयर प्रीमियम की आड़ में देश में बेहिसाब धन को लाए जाने की संभावना को रोकने के लिए शेयर प्रीमियम की वास्तविकता की जांच की जानी चाहिए।

3.2.2 लंबी अवधि के लिए शेयरों के आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि से निपटने के प्रावधान का अभाव

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अनुसार, कंपनियां शेयर आवेदन राशि की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर शेयर आवंटित करेंगी; अन्यथा शेयर आवेदन राशि 60 दिनों की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी। यदि कोई कंपनी उपरोक्त अवधि के भीतर आवेदन राशि को चुकाने में विफल रहती है, तो वह 60वें दिन की समाप्ति से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ उस धन को चुकाने के लिए उत्तरदायी होगी। तथापि, आयकर अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान

मौजूद नहीं है जहां निर्धारिती शेयर आवेदन राशि स्वीकार करता है और ऐसी प्राप्तियों को आय के रूप में मानने के लिए लंबे समय तक शेयर जारी नहीं करता है।

लेखापरीक्षा ने एक संवीक्षा मामले में पाया कि शेयर आवेदन राशि आवंटन के लिए लंबित थी; तथापि, निर्धारण अधिकारी ने इसके स्रोत की जांच नहीं की और अधिनियम में प्रावधान के अभाव के कारण कोई संवर्धन भी नहीं किया। लंबे समय से आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि का सत्यापन न होना काले धन या अवैध धन के रूटिंग के जोखिम का संकेत है। मामले को नीचे दर्शाया गया है:

बॉक्स 3.3: लंबी अवधि के लिए शेयरों के आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि की व्याख्या

प्रभार: प्र.सीआईटी-6, दिल्ली

निर्धारिती: मैसर्स वाई प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2016-17

नि.व. 2016-17 के लिए एक कंपनी निर्धारिती की आय का रिटर्न अक्टूबर 2016 में ₹ 11.82 लाख की आय पर फाइल किया गया था और दिसंबर 2018 में धारा 143(3) के तहत संवीक्षा के तरीके से निर्धारण किया गया था, जिसमें रिटर्न में दर्शाई गई आय को स्वीकार किया गया था, जिससे नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 243 की मांग की गई थी। वित्त वर्ष 2015-16 के लाभ-हानि लेखा के अनुसार, निर्धारिती कंपनी का कुल टर्नओवर ₹ 5.78 करोड़ था।

नि.व. 2016-17 के लिए उपरोक्त निर्धारिती के मामले को विभाग द्वारा सीमित संवीक्षा के लिए यह जांचने के लिए चुना गया था (अगस्त 2017) कि क्या शेयर आवेदन राशि प्रामाणिक और प्रकटित स्रोतों से थी। लेखापरीक्षा में पाया गया (अक्टूबर 2020) कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण आदेश के साथ संलग्न कार्यालय टिप्पणी में उल्लेख किया था कि नि.व. 2015-16 के साथ-साथ नि.व. 2016-17 में आवंटन के लिए ₹ 2.19 करोड़ का वही शेयर आवेदन धन लंबित था; इसलिए, विचाराधीन निर्धारण वर्ष के दौरान आवंटन हेतु लंबित शेयर पूंजी या शेयर आवेदक धन में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेखापरीक्षा ने पहले के वर्षों की निर्धारिती की बैलेंस शीट से आगे देखा कि ₹ 2.19 करोड़ की शेयर आवेदन राशि वास्तव में वित्त वर्ष 2005-06 में प्राप्त हुई थी और यह नि.व. 2016-17 में भी आवंटन के लिए लंबित थी; तथापि, 10 साल बीत जाने के बाद भी निर्धारिती

कंपनी ने आवेदकों को कोई शेयर आवंटित नहीं किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण रिकॉर्ड में यह दर्शाने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं था, कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण के दौरान यह जांच की थी कि शेयर आवेदन राशि वास्तव में आवंटन के लिए कितने समय से लंबित थी और आवेदकों को कोई शेयर आवंटित नहीं करने के क्या कारण थे। इसलिए, लेखापरीक्षा निर्धारण रिकॉर्ड से यह पता नहीं लगा सकी कि निर्धारण अधिकारी ने संव्यवहार की प्रामाणिकता के बारे में खुद को कैसे संतुष्ट किया।

ऐसे मामलों में; निर्धारिती द्वारा शेयर आवेदन धन के माध्यम से अपने स्वयं के बेहिसाबी धन को रूट करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है; तथापि, यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था, कि निर्धारण अधिकारी ने शेयर आवेदन धन के रूप में धन के परिसंचरण के इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे की जांच की है। इस प्रकार, आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि से आय में कोई संवर्धन नहीं किया गया था, हालांकि यह आवंटन दस वर्षों से लंबित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि लंबित शेयर आवेदन राशि के मामले पर सीएसएस के तहत मामलों का चयन किया जा रहा था, फिर भी इस अधिनियम में ऐसी शेयर आवेदन राशि, जो बिना किसी वैध कारण के लंबी अवधि से आवंटन के लिए लंबित थी, पर कर लगाने के लिए कोई उपयुक्त प्रावधान नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

3.3 रत्न और आभूषण के मूल्य निर्धारण पहलुओं की जांच करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया/निर्देशों/दिशानिर्देशों का अभाव

रत्न एवं आभूषण क्षेत्र से संबंधित आयातों के अधिक आंकलन का मुद्दा नीति निर्माताओं और पणधारकों के लिए चिंता का विषय रहा है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न संख्या 3917 उठाया गया था [10 अगस्त 2018 को उत्तर दिया गया]। हीरे के आयात में ₹ 2,000 करोड़ के घोटाले, जिसकी अभी भी जांच की जा रही थी, का ब्यौरा देते हुए सरकार ने अपने उत्तर में कहा कि 'अनगढ़ हीरों' के कुछ प्रेषणों के संबंध में जांच की गई थी। कुछ मामलों में, ₹ 156 करोड़ के घोषित मूल्य के प्रति मूल्य को ₹ 1.2 करोड़ पर पुनः निर्धारित किया गया था। इसी प्रकार, कुछ अन्य मामलों में, प्रेषणों का मूल्य ₹ 2.62 करोड़ था, जबकि घोषित मूल्य ₹ 62.66 करोड़ था।

फिक्की की अध्ययन रिपोर्ट (2016)²⁰ के अनुसार, 2011 से 2015 के दौरान भारत द्वारा सोने के आयात की मात्रा दुनिया के बाकी हिस्सों द्वारा भारत को निर्यात की गई सोने की मात्रा से लगभग 1,295 टन अधिक थी, जो यह दर्शाता है कि भारतीय बाज़ार में आयातित सोने की मात्रा के मूल्य से अधिक के बीजक के माध्यम से 'ऋणात्मक' तकनीकी तस्करी के रूप में बड़ी मात्रा में सोना प्रवेश कर चुका है। 2011-2015 के दौरान औसत तकनीकी तस्करी का लगभग 259 टन अनुमान लगाया गया था, जो 2011 में अधिकतम 781.34 टन था। इसके अतिरिक्त, फिक्की की रिपोर्ट में प्रति यूनिट [प्रति टन अमरीकी मिलियन डालर] मूल्य के संदर्भ में सोने के निर्यात और आयात के प्रतिरूप आंकड़ों का विश्लेषण सोने के अल्प मूल्यांकन को दर्शाता है। वर्ष 2011-2015 के दौरान उल्लिखित औसत कम मूल्य निर्धारण प्रति टन 3.7 से 8.4 अमरीकी डालर के बीच था।

लेखापरीक्षा ने 2,261 मामलों²¹ की जांच की, जिनमें से 257 मामलों का निर्धारण अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पूर्ण संवीक्षा के साथ किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या मूल्य निर्धारण रिपोर्ट बाह्य मूल्यांकनकर्ता से मांगी गई थी। इन 257 मामलों का बिक्री टर्नओवर ₹ 2,09,030 करोड़ था, जबकि रिटर्न में दर्शाई गई आय और निर्धारित आय ₹ 3,970.77 करोड़ और ₹ 5,035.51 करोड़ थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पूर्ण संवीक्षा के तहत निर्धारित किए गए 257 मामलों में से, केवल महाराष्ट्र क्षेत्र के दो मामलों में विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ता ने मूल्य निर्धारण किया था। इन मामलों में, अनगढ़ हीरे की बिक्री का विवरण निर्धारिती द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण में उपलब्ध था और निर्धारिती की आय को ₹ 53.68 करोड़ पर स्वीकार करते हुए निर्धारण पूरा हो गया था। रत्न और आभूषण कारोबार से संबंधित शेष 255 निर्धारण मामलों में, जिनकी रिटर्न में दर्शाई गई आय और निर्धारित आय क्रमशः ₹ 3,917.08 करोड़ और ₹ 4,981.82 करोड़ के साथ बिक्री टर्नओवर ₹ 2,07,716.64 करोड़ था, बाह्य विशेषज्ञ द्वारा किए गए मूल्यनिर्धारण के संबंध में निर्धारण रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। लेखापरीक्षा में जांचे गए नमूना मामलों के ब्यौरे नीचे दी गई तालिका 3.2 में उल्लिखित हैं:

²⁰ अदृश्य शत्रु: हमारे राष्ट्रीय हित के लिए खतरा, स्रोत: ficci.in

²¹ 2261 मामलों में 1147 मामले [अधिनियम की धारा 143(1) के तहत संसाधित], 572 [अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारित] और 542 मामले [अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत निर्धारित] शामिल थे।

तालिका 3.2: लेखापरीक्षा में जांच किए गए पूर्ण संवीक्षा के तहत नमूना मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा में जांचे गए नमूना मामलों का विवरण	संख्या	बिक्री टर्नओवर	रिटर्न में दर्शाई गई आय	निर्धारित आय	किए गए संवर्धन
अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पूर्ण संवीक्षा के तहत निर्धारित मामले	257	2,09,030.00	3,970.77	5,035.51	1,064.74
ऐसे मामले जहां रिटर्न में दर्शाई गई आय को निर्धारित आय के रूप में स्वीकार किया गया था	99	24,056.60	510.71	510.71	शून्य
ऐसे मामले जहां संवीक्षा निर्धारण के बाद रिटर्न में दर्शाई गई आय में संवर्धन किए गए	146	1,79,087.00	3,341.79	4,415.76	1,073.97
ऐसे मामले जहां रिटर्न में दर्शाई गई आय निर्धारित आय से अधिक थी	12	5,886.39	118.28	109.04	(-)9.24
<i>स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख</i>					

कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों में किए गए प्रकटीकरण और निर्धारिती द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर निर्धारण पूरा किया गया था। निर्धारण अभिलेखों में मूल्य निर्धारण विवरणों की विस्तृत जांच के प्रमाण के अभाव में, लेखापरीक्षा आयकर रिटर्न, कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों और निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत अन्य संबंधित अभिलेखों के माध्यम से निर्धारितियों द्वारा किए गए मालसूची प्रकटनों के मात्रात्मक विवरणों के मूल्य निर्धारण के लिए एक पर्याप्त तंत्र के अस्तित्व का पता नहीं लगा सका।

जैसा कि अनुवर्ती अध्यायों में भी चर्चा की गई है, स्टॉक का मूल्य निर्धारण संवीक्षा निर्धारण के दौरान विस्तृत सत्यापन या जांच के अधीन नहीं है। लेखापरीक्षा ने पाया कि कि कई मामलों में, आयकर रिटर्न के माध्यम से निर्धारिती द्वारा किए गए प्रकटीकरणों पर अंकित मूल्य पर विचार किया जाता है या स्वीकार किया जाता है और कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से प्रमाणित प्रकटीकरणों को संवीक्षा निर्धारण के दौरान सत्यापित नहीं किया जा रहा है।

3.3.1 हीरे सहित मालसूची के मूल्य निर्धारण के मुद्दे

मालसूची का मूल्य निर्धारण करना रत्न और आभूषण उद्योग का प्रशासन करने वाले नियामकों और निकायों द्वारा सामना की गई एक बड़ी चुनौती है। आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक-2 (एएस-2) में निर्धारित किया गया है कि मालसूची

का मूल्य निर्धारण निम्नतर लागत या निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) पर किया जाना चाहिए। हीरे के स्टॉक में आम तौर पर अनगढ़ हीरे (कच्चा माल), कट और पॉलिश किए गए हीरे (तैयार माल) और अस्वीकृत हीरे (अस्वीकृत कच्चा माल) समाहित होते हैं।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के योजना चरण के दौरान, लेखापरीक्षा ने हीरे के मूल्य निर्धारण से संबंधित एक प्रश्नावली के माध्यम से आयकर विभाग में मौजूदा निर्धारण और मूल्य निर्धारण तंत्र को सुनिश्चित किया (मार्च 2019) जैसा कि नीचे बताया गया है।

- i. रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के निर्धारण के लिए विशेष सीबीडीटी द्वारा कोई विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) या निर्देश/दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, आयकर विभाग के आई-टैक्सनेट पोर्टल पर निर्देशन उपलब्ध है जिसमें निर्धारण करने में निर्धारण अधिकारी की सहायता करने के लिए आभूषणों, बुलियन और कीमती पत्थरों के क्षेत्र के निर्धारण में जांच की तकनीकों पर एक लेखन उपलब्ध है।
- ii. निर्धारणों के दौरान हीरे के मूल्य निर्धारण की जांच के लिए, कोई मूल्य निर्धारण रिपोर्ट नहीं मांगी जाती है। अनगढ़ और पॉलिश किए गए हीरे के मूल्य निर्धारण के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, तैयार उत्पाद, औसत परिचालन लाभ सीमांत, श्रम व्यय आदि की प्राप्ति में व्यापक भिन्नता, जिनका निर्धारिती की लाभप्रदता पर असर पड़ता है के संबंध में निर्धारण के दौरान कोई मानक मानदंड लागू नहीं किए गए थे और कोई जांच नहीं की गई थी।
- iii. विभाग के पास रत्न, आभूषण, बुलियन, अन्य कीमती धातुओं और पत्थरों के मूल्य निर्धारण के लिए पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता का एक पैनल है। तथापि, उनकी सेवाओं का उपयोग मुख्य रूप से केवल खोज और सर्वेक्षण कार्यों में किया जाता है जहां वे वस्तुओं को मूल्य निर्धारण करने से पहले सावधानी से सत्यापित करते हैं, जो संवीक्षा के मामलों में संभव नहीं है क्योंकि संबंधित निर्धारण वर्ष समाप्त हो चुका है।
- iv. विभाग ने न तो जाली खरीद/समायोजन प्रविष्टियों के संबंध में कोई अध्ययन किया था और न ही जाली खरीद के लिए किए जाने वाले संवर्धन के प्रतिशत को अपनाने के संबंध में कोई मानक संचालन प्रक्रिया/दिशा-निर्देश जारी किए थे।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि हीरे का मूल्य निर्धारण एक बहुत ही चेतना-संबंधी मामला है, और यह इसकी चार सी अर्थात् कटाई, स्पष्टता, रंग और कैरेटेज (अनुलग्नक-डी) पर निर्भरता के कारण यह बहुत कठिन और जटिल हो जाता है। तथापि, कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में हीरे के केवल कैरेट-वार मात्रात्मक ब्यौरे शामिल हैं (अनगढ़, अस्वीकृत और पॉलिश) और इसमें ग्रेड-वार (कटाई, स्पष्टता, रंग और कैरेटेज) ब्यौरे नहीं दिए गए हैं। हीरे के ग्रेड वार विवरण के अभाव में, यह स्पष्ट नहीं था कि विभाग खुद को कैसे संतुष्ट कर रहा था कि निर्धारिती द्वारा घोषित हीरे का मूल्य सही था। कटाई, स्पष्टता, रंग और कैरेट में भिन्नता के आधार पर हीरे या कीमती रत्नों का श्रेणीकरण एक मानक मूल्य निर्धारण पद्धति को प्राप्त करना कठिन बनाता है।

लेखापरीक्षा ने सीबीआईसी (सितंबर 2021) से रत्न और आभूषण क्षेत्र की वस्तुओं के आयात और निर्यात के निर्धारण और मूल्य निर्धारण के लिए सीमा शुल्क विभाग में प्रयोग होने वाले तंत्र का विवरण मांगा। सीबीआईसी ने अपने उत्तर में कहा कि (अक्टूबर 2021) कीमती कार्गो सीमा शुल्क निकासी केंद्र (पीसीसीसी) में आयातित और निर्यातित वस्तुओं का मूल्य निर्धारण सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क मूल्य निर्धारण नियमों (आयात और निर्यात दोनों के लिए) के आधार पर किया जाता है। कटे हुए और पॉलिश किए गए हीरों का मूल्य निर्धारण प्रचलित व्यापार छूट प्रदान करने के बाद या समान वस्तुओं के पिछले आयात/निर्यात के अनुसार रप्पापोर्ट डायमंड रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। मूल्य निर्धारण के संबंध में विभाग और आयातक/निर्यातक के बीच विवादों के मामले में, मामले को पैनल²² के विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ताओं को भेजा जाता है। यह भी कहा गया था कि रत्न और आभूषण क्षेत्र की वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के लिए कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश/एसओपी जारी नहीं किए गए हैं।

लेखापरीक्षा इसका पता नहीं लगा सकी क्योंकि रत्न और आभूषण क्षेत्र की वस्तुओं के संबंध में आयात और निर्यातों के अधिक बीजक और कम बीजक के संबंध में मांगे गए ब्यौरे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैरा 1.5.5 में बताया गया है।

3.3.2 सीएसएस मापदंड के रूप में मूल्य निर्धारण की प्रासंगिकता

लेखापरीक्षा ने पाया कि मालसूची के स्टॉक में विसंगति या लाभ-हानि लेखा और कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में किए गए प्रकटनों के आधार पर अथ स्टॉक या अंत स्टॉक

²² दिनांक 19.12.2018 के सार्वजनिक सूचना संख्या 30/2018 के अनुसार, सीमा-शुल्क पैनल और आयातक या निर्यातक या ब्रोकर के बीच किसी भी विशिष्ट आसूचना के मामले को छोड़कर, विशेषज्ञों के पैनल की राय को स्वीकार करेगा।

में भिन्नता कंप्यूटर सहाय्यित संवीक्षा चयन [सीएसएस] के तहत विस्तृत संवीक्षा या जांच के लिए निर्धारण मामले के चयन के लिए अपेक्षाकृत कम संभावित मापदंड है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा नमूने में केवल 0.09 प्रतिशत मामलों में, संवीक्षा चयन के लिए मानदंड स्टॉक में भिन्नता या स्टॉक के मूल्य निर्धारण के औचित्य के सत्यापन में अंतर था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या लेखापरीक्षा में जांच किए गए नमूना मामलों में मूल्य निर्धारण के ब्यौरे के प्रमाण के अभाव में संवीक्षा निर्धारण के दौरान मालसूची के मात्रात्मक प्रकटीकरण की विस्तृत जांच के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र का निर्माण किया गया था या नहीं। जांच एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट किए गए मूल्य निर्धारण में हेरफेर को ध्यान में रखते हुए रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारण के स्टॉक के मूल्य निर्धारण के लिए अन्य विभागों के साथ गहरे समन्वय में विस्तृत संवीक्षा की आवश्यकता है।

3.4 निष्कर्ष

धारा 10ए के तहत कटौती का दावा करने के लिए एसईजेड इकाइयों द्वारा निर्यात प्राप्तियों की समय पर प्रेषण के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आयकर अधिनियम में प्रावधानों के अभाव में, आयकर विभाग द्वारा उन मामलों में भी कटौती की अनुमति दी जा रही थी जहां निर्यात प्राप्तियों का बड़ा हिस्सा वसूली के लिए लंबित था। अनुमानित आधार पर कटौती की अनुमति में फर्जी लेनदेन की अनुमति का जोखिम शामिल है, जिसकी मॉनिटरिंग दावों के दुरुपयोग को रोकने के लिए की जानी चाहिए।

यद्यपि सरकार ने बहुत अधिक प्रीमियम पर शेयर जारी करके प्रवर्तकों/निदेशकों के बेहिसाबी धन को लाने की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए खंड (viiबी) को सम्मिलित करके धारा 56(2) में संशोधन किया था, फिर भी विदेशी निवेशकों, विशेषरूप से अत्यंत कम कर वाले देशों से आने वाले धन और जहां निवेशकर्ता कंपनी के पास भारी शेयर प्रीमियम की प्राप्ति को उचित ठहराने के लिए अधिक निवल मूल्य या व्यावसायिक योजना नहीं थी, के लिए द्वार खुला छोड़ दिया गया था।

आयकर अधिनियम में ऐसे शेयर आवेदन राशि से निपटने का कोई प्रावधान नहीं है जो लंबे समय से आय में यथासंभव संवर्धन के लिए आवंटन हेतु लंबित है। लंबे समय से आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि का सत्यापन न होना काले धन या अवैध धन के रूटिंग के जोखिम का संकेत है।

रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए विशिष्ट निर्धारितियों के निर्धारण को पूरा करने के लिए सीबीडीटी द्वारा कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) या निर्देश/दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं।

कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, वर्तमान रूप में, हीरे के केवल कैरेट-वार मात्रात्मक ब्यौरे शामिल हैं और इसमें ग्रेड-वार ब्यौरे नहीं दिए गए हैं। ग्रेड-वार ब्यौरे जैसे कटाई, स्पष्टता, रंग और कैरेटेज के अभाव में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि विभाग यह आश्वासन कैसे मांग रहा था कि निर्धारिती द्वारा घोषित हीरे का मूल्य और स्टॉक सही था।

क) जांच आंकलन के दौरान विस्तृत सत्यापन या परीक्षा के लिए सीएसएस के अंतर्गत रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारण मामलों के चयन के लिए मालसूची या स्टॉक का मूल्य निर्धारण अपेक्षाकृत कम संभावित मापदंड है।

ख) लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या लेखापरीक्षा में जांचे गए नमूना मामलों में मूल्य निर्धारण के ब्यौरे के प्रमाण के अभाव में संवीक्षा निर्धारण के दौरान मालसूची के मात्रात्मक प्रकटनों की विस्तृत जांच के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र अंतर्निहित था या नहीं।

3.5 सिफारिशों का सार

क) *सीबीडीटी अधिनियम की धारा 10ए के तहत कटौती का दावा करने के लिए भारत में निर्यात प्राप्तियों के विरुद्ध विचार करने के लिए एक समय सीमा निर्दिष्ट करने पर विचार करे।*

[पैरा 3.1]

सीबीडीटी ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2022) कि इस धारा के प्रावधान विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं जो किसी भी समय सीमा का आदेश नहीं देता है। अधिनियम की धारा 10ए एक सावधि विधि खंड है क्योंकि यह केवल 1 अप्रैल 2020 से पहले की स्थापित इकाइयों पर लागू होता है। इसलिए इस चरण में इस अतिरिक्त शर्त को रखना उचित नहीं है।

सीबीडीटी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मौजूदा परिदृश्य में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10ए के तहत कटौती की अनुमति दिए जाने के बाद आयकर विभाग के पास निर्यात प्राप्तियों के बाद की वसूली या गैर-वसूली को मॉनीटर करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। यह पता नहीं लगाया जा सका कि निर्यात संवर्धन के लिए कर लाभ प्राप्त करने वाले निर्धारितियों के संबंध में विशेष रूप से

निर्यात प्राप्तियों की वसूली का सत्यापन और मॉनीटर किस प्रकार किया जा रहा है। चूंकि निर्यात प्राप्तियों की वसूली के लिए गहन मॉनीटरिंग की आवश्यकता होती है, इसलिए सीबीडीटी अधिनियम की धारा 10ए के तहत कटौती का दावा करने के लिए भारत में निर्यात प्राप्तियों के विरुद्ध विचार करने के लिए समय-सीमा को विनिर्दिष्ट करने के लिए पुनर्विचार कर सकता है, जैसा कि अधिनियम की अन्य धाराओं अर्थात् धारा 10ए या 10बी के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है ताकि अपात्र आय या मुनाफे के लिए कटौती के भत्ते के मामलों को रोका जा सके या धन शोधन के जोखिमों को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, हालांकि धारा 10ए एक सावधि विधि खंड है, इस संबंध में समय सीमा निर्धारित करने हेतु एक स्पष्टीकरण लाया जा सकता है, क्योंकि इस धारा के तहत निर्धारितियों द्वारा मार्च 2035 तक कटौती प्राप्त की जाएगी।

ख) सीबीडीटी विदेशी निवेशकों को धारा 56(2)(viiबी) के क्षेत्र के तहत लाने पर विचार कर सकता है ताकि शेयर आवेदन राशि/शेयर प्रीमियम के रूप में कर अपवंचन की संभावना को समाप्त किया जा सके।

[पैरा 3.2.1]

सीबीडीटी ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2022) कि यह एक परिहार-विरोधी उपाय है जो विशेष रूप से ऐसे निवासियों, जिनके मामले में दुरुपयोग नोट किया गया था। अनिवासी निवेशकों के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी विनियम विदेशी पक्षों को शामिल करते हुए निजी इक्विटी/शेयरधारिता के संबंध में लागू हैं। अधिनियम की धारा 68 में शेयर आवेदन प्रविष्टियों से निपटने के लिए भी प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

सीबीडीटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि धारा 56(2)(viiबी) के लागू करने के पीछे विधायी उद्देश्य शेयर प्रीमियम की आड़ में प्राप्त बेहिसाबी धन को कर के दायरे में लाना था। इसके अतिरिक्त, शेयर प्रीमियम की सत्यता की जांच निवासियों एवं अनिवासियों, दोनों के मामले में की जानी चाहिए। आरबीआई का उद्देश्य देश में विदेशी मुद्रा लाने का है; हालांकि, आयकर विभाग मुख्य रूप से यह जांच करने के लिए जिम्मेदार है कि क्या अत्यधिक शेयर प्रीमियम की आड़ में देश में कोई बेहिसाबी धन लाया जाता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनिवासियों के मामले में उचित बाजार मूल्य से अधिक प्राप्त शेयर प्रीमियम के कारण निर्धारण के दौरान किए गए संवर्धन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56(2)(viiबी) के तहत

प्रावधान में खामियों के कारण न्यायालयों में स्वीकार नहीं किए जा सके²³। इसलिए सीबीडीटी लेखापरीक्षा सिफारिश पर पुनर्विचार कर सकता है।

ग) सीबीडीटी कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रतिदाय के लिए देय होने के बाद लंबित शेयर आवेदन राशि के मुद्दे को हल करने के लिए प्रणाली को मजबूत करे ताकि इसके दुरुपयोग और शेयर आवेदन धन के रूप में काले धन के रूटिंग की संभावना को रोका जा सके।

[पैरा 3.2.2]

सीबीडीटी ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2022) कि सेबी और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय शेयरधारिता और संबंधित मामलों को मॉनीटर करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह पूंजीगत अंशदान से संबंधित है, न कि आय से, और इसलिए आयकर अधिनियम के माध्यम से विनियमित नहीं किया जाना चाहिए।

सीबीडीटी लेखापरीक्षा की सिफारिश पर पुनर्विचार करें क्योंकि मार्च 2012 में प्रकाशित 'भारत और विदेश में काले धन से निपटने के उपायों' पर सीबीडीटी की रिपोर्ट में इस मुद्दे को एक चिंता के रूप में भी फ्लैग किया गया था, जिसमें यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि 'काले धन के समावेशन के लिए कई निजी कंपनियों द्वारा अपनाई गई एक कार्य-पद्धति है, जैसे शेयर आवेदन राशि, शेयर पूंजी या असुरक्षित ऋण के माध्यम से निष्क्रिय शेयर आवेदन की राशि ब्याज रहित असुरक्षित ऋण की तरह हैं।' यद्यपि शेयरधारिता और संबंधित मामलों का विनियमन सेबी और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है, सीबीडीटी इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए विनियामक निकायों के साथ समन्वय में लंबे समय तक आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि की आड़ में बेहिसाबी धन की कर योग्यता के मुद्दे की जांच करने पर विचार कर सकता है। इसके अतिरिक्त, शेयर प्रीमियम और असुरक्षित ऋण पूंजी के प्रकार हैं, परंतु आयकर अधिनियम में न्यायसंगत नहीं पाए जाने पर इनके संवर्धन का प्रावधान है।

घ) रत्न और आभूषण मामलों की संवीक्षा के निर्धारण के दौरान की जाने वाली जांचों को शामिल करते हुए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और मानक दिशानिर्देश न्यायालय में स्वीकार्य संवर्धन करने और हीरा व्यापारियों/विनिर्माताओं द्वारा अपनाई गई अनैतिक व्यापार प्रचलनों को रोकने के लिए भी अनिवार्य है।

[पैरा 3.3]

²³ आईटीए संख्या 176/इंड/2020 [रुचि जे. ओएल प्राइवेट लिमिटेड बनाम पीसीआईटी उज्जेन, आईटीएटी इंदौर]

सीबीडीटी ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2022) कि दिशानिर्देश तैयार करने के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सुझाव को नोट कर लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है।

ड) सीबीडीटी ₹ 500 करोड़ या ₹ 1000 करोड़ से अधिक का सकल टर्नओवर या सीबीडीटी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी अन्य सीमा जैसे अत्याधिक उच्च सीमा वाले बहुत उच्च मूल्य वाले मामलों में हीरा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप हीरे के मूल्य निर्धारण के लिए आवश्यक ग्रेड-वार ब्यौरे को शामिल करने के लिए कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रारूप को संशोधित करने पर विचार कर सकता है।

[पैरा 3.3.1]

सीबीडीटी ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2022) कि कर प्रशासन की भूमिका यह जांचने की है कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जाता है या नहीं। किसी भी फॉर्म को डिजाइन करते समय कर प्रवर्तन और अनुपालन करने में सरलता के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। यदि प्रत्येक वर्गीकरण को शामिल किया जाता है, तो फॉर्म बहुत बड़ा हो जाएगा और करदाताओं पर अनुपालन का कठोर बोझ डालेगा। इसलिए इस स्तर पर, यह सुझाव सुसंगत नहीं है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि अंतिम स्टॉक के मूल्य निर्धारण से संबंधित दस्तावेजों को मालसूची के मूल्य निर्धारण के लिए लेखा मानक की आवश्यकताओं के अनुरूप रखा जाना है। सीबीडीटी रत्न और आभूषण कारोबार में प्रयुक्त अधिक मूल्य के निर्धारितियों के मामले में स्टॉक के ग्रेड-वार ब्यौरे को कैप्चर करने के संबंध में सिफारिश पर पुनर्विचार कर सकता है, जिसमें सीबीडीटी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अत्याधिक सीमा है ताकि मूल्य निर्धारण के औचित्य को उस सीमा तक सुनिश्चित किया जा सके जिसका लाभप्रदता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लेखापरीक्षा ने नोट किया कि निर्धारण अधिकारी कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (टीएआर), निर्धारिती द्वारा फाइल किया गया आयकर रिटर्न (आईटीआर) और मूल्य निर्धारण के लिए विशिष्ट निर्धारिती द्वारा किए गए अन्य प्रस्तुतियों में किए गए प्रकटनों पर बहुत अधिक अश्रित हैं। इसके अतिरिक्त, आईटीआर संवीक्षा के समय, कवर की गई अवधि बहुत पहले बीत चुकी है और बाह्य मूल्यांकनकर्ता के लिए पूर्व में किए गए हीरे की मालसूची के मूल्य निर्धारण का सरलता से वास्तविक निर्धारण करना पूर्वकथनीय नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीडीटी के लिए यह अनिवार्य है कि वह टीएआर और आईटीआर के माध्यम से किए गए प्रकटनों की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता पर फिर से विचार करे।

च) सीबीडीटी जाली खरीद, बढ़े हुए बीजक आदि के संबंध में वर्तमान प्रावधानों की पर्याप्तता की जांच कर सकता है क्योंकि इनसे अप्रकटित आय मौजूदा प्रावधानों के तहत कवर नहीं की जाती है।

[पैरा 3.3.1]

सीबीडीटी ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2022) कि पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम की धारा 271 एएडी के तहत, बही में गलत प्रविष्टि, बढ़े हुए बीजक, जाली खरीद आदि पाए जाने पर शास्ति लगायी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति द्वारा देय शास्ति गलत प्रविष्टियों या चूक की गई प्रविष्टियों की कुल राशि के बराबर होगी। अधिनियम की धारा 277 के तहत, सत्यापन में झूठा विवरण प्रस्तुत करने के लिए अभियोजन के प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 69सी में अस्पष्टीकृत व्यय से संबंधित प्रावधान हैं जिन पर 60 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि सीबीडीटी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रावधानों अर्थात् आयकर अधिनियम की धारा 271एएडी, धारा 277 और धारा 69सी जाली खरीद, बढ़े हुए बीजक आदि के कारण उत्पन्न दावों के निर्धारण के लिए प्रासंगिक हैं। धारा 271एएडी शास्ति से संबंधित है, परंतु जाली खरीद के विरुद्ध प्रतिशत संवर्धन के मुद्दे को संबोधित नहीं करती है। लेखापरीक्षा ने समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं से जाली खरीद पर किए गए संवर्धनों में विसंगतियों का उल्लेख किया है, जबकि इस प्रतिवेदन के पैरा 6.1.2.2 में संवर्धन के समान मामले उल्लिखित हैं। जाली खरीद और बढ़े हुए बीजकों के कारण किए गए संवर्धन या कर में किए गए अनुपात में एकरूपता/स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए; आयकर विभाग एक मानक संचालन प्रक्रिया/दिशानिर्देश तैयार करने से पहले बढ़े हुए या जाली दावों के कराधान में एकरूपता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक अध्ययन कर सकता है।

छ) वस्तुओं की माल सूची या स्टॉक के प्रकटीकरण में विसंगतियों को चयन के साथ-साथ जांच निर्धारण के तहत विस्तृत जांच के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है।

[पैरा 3.3.2]

सीबीडीटी ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2022) कि सीएएसएस के तहत संवीक्षा के लिए मामलों के चयन के लिए इसी तरह के जोखिम मापदंड पहले से मौजूद हैं।

यद्यपि मालसूची या वस्तुओं के प्रकटीकरण में विसंगतियों के संबंध में जोखिम मापदंड मौजूद हैं, लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा में जांच किए गए नमूना मामलों में इस मापदंड के तहत मामलों के चयन की संभावना बहुत कम है। यद्यपि

लेखापरीक्षा में इस प्रतिवेदन के अध्याय 4 और 5 में चर्चा की गई वस्तुओं की मालसूची या स्टॉक के प्रकटीकरण में विसंगतियों के उदाहरण देखे गए हैं, परंतु निर्धारण के दौरान विसंगतियों के सत्यापन का प्रमाण या तो अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था या सत्यापनों के ब्यौरे निर्धारण आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किए गए थे। इस प्रकार रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के मामले में मालसूची या स्टॉक के प्रकटीकरण में विसंगतियों की जांच नहीं होने का एक अंतर्निहित जोखिम था।

अध्याय-4: रत्न और आभूषण क्षेत्र के सत्त्वों के निर्धारण से संबंधित 360-डिग्री विश्लेषण और अनुपालन मामले

लेखापरीक्षा में यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि क्या रत्न और आभूषण क्षेत्र से संबंधित निर्धारणों में अधिनियम के सामान्य प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा प्रणालियां और नियंत्रण पर्याप्त थे। निर्धारितियों द्वारा फाइल आयकर रिटर्न (आईटीआर) के प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में आयकर अधिनियम के तहत किए गए निर्धारणों में अधिनियम की धारा 143(1) के तहत सार प्रसंस्करण²⁴ और अधिनियम की धारा 143(3) के तहत किए गए संवीक्षा निर्धारण²⁵ शामिल हैं। लेखापरीक्षा ने अधिनियम के प्रावधानों के आवेदन में कमी /एकरूपता से संबंधित मामलों की जांच करने और इस क्षेत्र के निर्धारितियों के निर्धारण के दौरान प्रासंगिक नियमों और न्यायिक घोषणाओं के अनुपालन की मांग की।

आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में मात्रात्मक ब्यौरे और अन्य संबंधित जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित संभावित राजस्व निहितार्थ के अनुसार लेखापरीक्षा में अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने के ₹ 38,449.56 करोड़ संभावित कर प्रभाव²⁶ वाले 230 उदाहरणों²⁷ को देखा गया, निर्धारण में पाई

²⁴ आईटीआर का संक्षिप्त प्रसंस्करण आईटीआर में त्रुटियों की प्रारंभिक जांच है, जो किसी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेजों को मँगवाए बगैर की जाती है, जैसा कि संवीक्षा निर्धारण के मामले में होता है। फाइल किए गए आईटीआर के सत्यापन के बाद धारा 143(1) के तहत सूचना जारी की जाती है, जिसमें देय होने के लिए निर्धारित राशि, या करदाता को देय प्रतिदाय की राशि को निर्दिष्ट होती है। यदि कोई राशि देय या प्रतिदेय नहीं है, तो आईटीआर की अभिस्वीकृति को सूचना माना जाएगा।

²⁵ अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण एक विस्तृत निर्धारण है जिसे संवीक्षा निर्धारण के रूप में संदर्भित किया जाता है। संवीक्षा निर्धारण में आईटीआर में करदाता द्वारा किए गए विभिन्न दावों, कटौती आदि के औचित्य और प्रमाणिकता की पुष्टि करने के लिए आईटीआर की विस्तृत संवीक्षा की जाती है। संवीक्षा निर्धारण का उद्देश्य यह पुष्टि करना है कि करदाता ने आय को कम नहीं बताया है या अत्यधिक हानि की गणना नहीं की है या किसी भी रूप में कर का कम भुगतान नहीं किया है। निर्धारितियों को अधिनियम की धारा 143(2) के तहत सूचना जारी की जा सकती है, जिसमें संवीक्षा निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए जानकारी, आवश्यक साक्ष्य और स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

²⁶ 360-डिग्री विश्लेषण के तहत ₹ 37,909.38 करोड़ की राशि के मामलों की जांच किए गए मामलों से संबंधित कर निहितार्थ में अन्य बातों के साथ-साथ, मैसर्स जीजे प्राइवेट लिमिटेड [पीसीआईटी (सेंट्रल)-1, चेन्नई] के संबंध में ₹ 36,178.44 करोड़ [इस रिपोर्ट के पैरा 4.2.4.1 से 4.2.4.5 में] का संभावित कर निहितार्थ और मैसर्स डीएफ इंटरनेशनल [पीसीआईटी-22, मुंबई] के संबंध में ₹ 1,719.81 करोड़ [इस रिपोर्ट के पैरा 4.2.1.1 से 4.2.1.7 में] का संभावित कर निहितार्थ शामिल था। लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित कर निहितार्थ आईटीडी के निर्धारण रिकॉर्ड में विवरण के अनुसार अनंतिम मूल्यों पर आधारित है और इसमें आईटीडी के रिकॉर्ड के अनुसार विभिन्न मदों के मात्रात्मक विवरण के तदनुसारी ओवरलैप के आधार पर राशियों की ओवरलैपिंग शामिल हो सकती है, जिसकी आईटीडी द्वारा बारीकी से जांच और सत्यापित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, आईटीडी द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए निर्धारण रिकॉर्ड में स्टॉक की मात्रा के पूर्ण विवरण के अभाव में ओवरलैपिंग से इनकार नहीं किया जा सकता है।

²⁷ 230 मामलों में धारा 143(1) के तहत संसाधित 45 मामले और आयकर अधिनियम की धारा 143(3), 144, 147, 154, 250 आदि के तहत संसाधित 185 मामले शामिल हैं। गैर-अनुपालन के इन 230 उदाहरणों में 49 स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एलएआर) पैरा शामिल हैं जो ₹ 228.95 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियां हैं।

गई श्रेणी-वार त्रुटियां और इसमें शामिल तदनुसूची कर प्रभाव को नीचे तालिका 4.1 में तालिकाबद्ध किया गया है और इस अध्याय के पैरा 4.2 से 4.8 में त्रुटियों की विभिन्न श्रेणियों के तहत विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई है।

तालिका 4.1 : लेखापरीक्षा में पाए गए श्रेणी-वार अनुपालन मामले			
क्र.सं.	पैरा सं और त्रुटियों की प्रकृति	मामलों की संख्या	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
1	4.2 360 -डिग्री विश्लेषण के लेखापरीक्षा निष्कर्ष	33	37,909.38
2	4.3 प्रदत्त अनियमित छूट/कटौती/राहत	8	18.64
3	4.4 व्यावसायिक व्यय की अनियमित अनुमति	40	188.40
4	4.5 हानि का अनियमित समंजन/अग्रेशन	14	40.14
5	4.6 निर्धारण से बची हुई आय	67	164.28
6	4.7 कर और ब्याज की गणना में त्रुटियाँ	58	112.31
7	4.8 आर्म्स लेंथ कीमत और अंतरण कीमत-निर्धारण अधिकारी को मामलों का संदर्भ	10	16.41
	कुल	230	38,449.56


4.1 एम समूह और एन समूह की दो समूह कंपनियों के निर्धारण प्रोफाइल का विश्लेषण

लेखापरीक्षा ने एम समूह और एन समूह की कंपनियों के दो समूहों से संबंधित 11 निर्धारितियों के 44 आकलनों²⁸ की जांच की ताकि रत्न और आभूषणों के कारोबार में शामिल ऐसे सत्वों की प्रोफाइल का पता लगाया जा सके।

लेखापरीक्षा में निर्धारण के विभिन्न चरणों से जुड़े विभिन्न प्रकार के जोखिमों नामतः आईटीआर प्रसंस्करण के चरण से संबंधित अनुपालन मामले, जांच या संवीक्षा निर्धारण से संबंधित सत्यापन और जानकारी संबंधित मामले, विस्तृत और संदिग्ध कारोबार गतिविधियों की ओर संकेत करते हुए मामलों का पता लगाने का भी प्रयास किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान जांचे गए यह मामले पूछताछ संबंधित एप्लीकेशन के माध्यम से नोट निष्कर्षों से प्राप्त किए गए थे।

²⁸ 44 निर्धारण में धारा 143(1) के तहत संसाधित 17 मामले, अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण 13 मामले और अधिनियम की अन्य धाराओं [144, 154, 250 आदि] के तहत निर्धारित किए गए 14 मामले शामिल हैं।

पाए गए मामलों को मुख्य रूप से चार श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है: अनुपालन मामले, जानकारी से संबंधित मामले, सत्यापन मामले और संदिग्ध कारोबार गतिविधियां (चार्ट नीचे)।



आयकर रिटर्न दाखिल करने, आईटीआर फार्म की शुद्धता और कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने के संबंध में पाई गई त्रुटियों या विसंगतियों को अनुपालन मामलों के तहत वर्गीकृत किया गया था; बेमेल डेटा से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों, आयकर रिटर्न और कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से किए गए प्रकटनों में त्रुटियों या आईटीआर और टीएआर में महत्वपूर्ण विवरणों का गैर-प्रकटीकरण सूचना से संबंधित जोखिम के तहत समूहीकृत किया गया था; असुरक्षित ऋणों की साख के गैर-सत्यापन, स्टॉक/मालसूची के मात्रात्मक ब्यौरे और प्रतिफल में भिन्नता के निष्कर्षों को सत्यापन मामलों के तहत वर्गीकृत किया गया था जबकि संदिग्ध कारोबार गतिविधियों से जुड़े मामलों में जाली खरीद या समायोजन प्रविष्टि के कारण किए गए संवर्धन में विसंगतियां शामिल थीं।

4.1.1 एम समूह के निर्धारण प्रोफाइल का विश्लेषण

लेखापरीक्षा ने एम समूह की समूह कंपनियों जिनका बिक्री टर्नओवर ₹ 64,041.79 करोड़ था के रूप में काम करने वाले सत्वों के 35 मामलों की जांच की। इन 35 मामलों के संबंध में सकल प्राप्तियों या बिक्री टर्नओवर, रिटर्न आय, निर्धारित आय और की गई मांग की निर्धारित-वार प्रोफाइल को तालिका 4.2 में दर्शाया गया है।

2022 की प्रतिवेदन संख्या 6 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

तालिका 4.2: एम समूह से संबंधित लेखापरीक्षा नमूने में कंपनियों का विवरण							[₹ करोड़ में]
क्र. सं.	निर्धारिती	निर्धारण की धारा/दिनांक के तहत निर्धारित	निर्धारण वर्ष	बिक्री टर्नओवर	रिटर्न आय	निर्धारित आय	नवीनतम आदेश के अनुसार मांग
1	मैसर्स जी1 लिमिटेड	143(3) 29/12/2016 पूर्ण	2013	472.08	-182.44	8.50	453.72
2		143(3) 29/01/2018 पूर्ण	2014	395.00	-25.24	55.56	77.27
3		144 14/02/2019	2015	8,427.94	0.00	410.22	202.42
4		143(1) उपलब्ध नहीं है	2017	10,464.77	0.00	0.00	13.85
5	मैसर्स जी2 लिमिटेड	154 29/12/2018	2011	1,341.10	36.92	36.92	2.47
6		143(3) 29/12/2016 पूर्ण	2013	2,283.99	6.05	6.15	0.10
7		143(3) 23/12/2016 पूर्ण	2014	1,494.38	0.00	0.03	0.00
8		143(1) 30/06/2016	2015	1,347.19	0.00	0.00	0.00
9		143(1) 11/12/2016	2016	1,484.07	0.00	0.00	0.00
10	मैसर्स डी	154 21/10/2016	2010	291.42	3.95	3.95	0.00
11		250 29/12/2016	2013	332.89	0.00	0.00	0.02
12		143(3) 26/12/2016 पूर्ण	2014	324.74	0.00	0.00	0.00
13		143(1) 20/11/2016	2015	336.09	0.00	0.00	0.00
14		144 26/12/2018	2016	334.43	0.05	7.58	3.19
15	मैसर्स जी3 लिमिटेड	143(3) 22/05/2015 पूर्ण	2012	1,833.56	14.15	49.54	13.07
16		143(3) 29/12/2016 पूर्ण	2013	2,329.58	-30.07	41.65	10.74
17		143(3) 24/12/2016 पूर्ण	2014	2,014.06	0.00	0.00	0.00
18		143(1) 05/11/2016	2015	2,297.59	0.00	0.00	0.00
19	मैसर्स जी4 लिमिटेड	250 02/01/2018	2013	1,377.55	38.39	38.39	0.42
20		143(3) 26/12/2016 पूर्ण	2014	1,260.02	0.00	0.14	0.00
21		143(1) 07/04/2016	2015	1,481.86	0.00	0.00	0.00
22		144 26/12/2018	2016	1,803.95	0.00	155.47	66.36

तालिका 4.2: एम समूह से संबंधित लेखापरीक्षा नमूने में कंपनियों का विवरण							[₹ करोड़ में]
क्र. सं.	निर्धारिती	निर्धारण की धारा/दिनांक के तहत निर्धारित	निर्धारण वर्ष	बिक्री टर्नओवर	रिटर्न आय	निर्धारित आय	नवीनतम आदेश के अनुसार मांग
23		143(1) 28/02/2019	2017	2,343.45	0.00	0.00	6.62
24	मैसर्स एन लिमिटेड	143(1) 17/08/2009	2008	163.64	6.03	6.03	0.03
25		143(3) 17/04/2016	2012	982.75	21.03	21.06	0.00
26		250 08/06/2018	2013	1,289.25	11.40	11.49	0.23
27		143(3) 26/12/2016 पूर्ण	2014	1,240.48	0.00	0.10	0.03
28		143(1) 23/02/2017	2015	2,605.10	0.00	0.00	0.17
29		144 28/12/2018	2016	3,042.95	115.11	115.11	36.16
30		144 01/03/2019	2017	3,802.23	0.00	0.00	18.05
31	मैसर्स ए लिमिटेड	154 29/12/2018	2011	748.19	9.96	14.17	3.02
32		250 29/12/2016	2013	1,367.82	-22.62	-22.56	0.27
33		143(3) 23/12/2016 पूर्ण	2014	1,142.92	0.00	0.00	0.00
34		143(1) 12/01/2016	2015	1,226.04	0.00	0.00	0.00
35	मैसर्स जी5 लिमिटेड	154 10/12/2018	2013	358.71	0.87	2.87	1.09
	कुल			64,041.79	3.54	962.37	909.3

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण रिकॉर्ड

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, ₹ 37,419.67 करोड़ के बिक्री टर्नओवर से जुड़े सात निर्धारितियों के 19 मामलों में शून्य संवर्धन या अस्वीकृति की गई थी। इन 19 मामलों में से, ₹ 6,216.67 करोड़ के टर्नओवर वाले पाँच मामलों में, ₹ 2.00 करोड़ की आय रिटर्न और निर्धारित की गई, जबकि ₹ 31,203 करोड़ के टर्नओवर वाले शेष 15 मामलों में, शून्य आय रिटर्न और निर्धारित की गई।

₹ 26,622.12 करोड़ के बिक्री टर्नओवर के शेष 16 मामलों में, ₹ 958.83 करोड़ का संवर्धन किया गया था जो बिक्री टर्नओवर का लगभग 3.60 प्रतिशत था। इन 16 मामलों में से, ₹ 14,226.78 करोड़ के टर्नओवर वाले पांच मामलों में, आय को 'शून्य' में रिटर्न किया गया था और टर्नओवर के लगभग 3.98 प्रतिशत पर किए गए संवर्धन के साथ ₹ 565.96 करोड़ पर निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त, ₹ 7,830.87 करोड़ के टर्नओवर वाले सात मामलों में जहां आय ₹ 63.52

करोड़ पर रिटर्न की गई थी, ₹ 49.34 करोड़ का संवर्धन किया गया था जो टर्नओवर का लगभग 0.63 प्रतिशत था जबकि शेष चार मामलों में ₹ 4,564.48 करोड़ के टर्नओवर के साथ जहां आय ₹ 260.37 करोड़ की हानि पर रिटर्न की थी, ₹ 343.52 करोड़ का संवर्धन किया गया था जो टर्नओवर का लगभग 7.53 प्रतिशत था।

शून्य और एक धनात्मक जोड़ वाले सत्त्वों का निर्धारण विवरण का सार नीचे तालिका 4.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.3: एम समूह के 35 सत्त्वों का निर्धारण विवरण							
							[₹ करोड़ में]
की गई अस्वीकृतियों का विवरण	रिटर्न आय का विवरण	निर्धारण मामलों की संख्या	बिक्री टर्नओवर	रिटर्न आय	निर्धारित आय	किए गए संवर्धन	की गई मांग
ऐसे मामले जहां शून्य संवर्धन किए गए थे	शून्य आरआई	14	31,203.00	0.00	0.00	0.00	38.72
	धनात्मक आरआई	05	6,216.67	200.40	200.40	0.00	39.08
	उप-योग (क)	19	37,419.67	200.40	200.40	0.00	77.80
ऐसे मामले जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा संवर्धन किए गए थे	शून्य आरआई	05	14,226.77	0.00	565.96	565.96	268.80
	धनात्मक आरआई	07	7,830.87	63.52	112.86	49.34	20.69
	रिटर्न नुकसान	04	4,564.48	-260.37	83.15	343.52	542.01
	उप-योग (ख)	16	26,622.12	-196.85	761.98	958.83	831.50
कुल	(क)+(ख)	35	64,041.79	3.55	962.38	958.83	909.30

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने अनुपालन आवश्यकताओं, सूचना से संबंधित जोखिमों, सत्यापन जोखिम और संदिग्ध कारोबार संव्यवाहनों के जोखिम के संदर्भ में इन मामलों से जुड़े जोखिमों का पता लगाने का प्रयास किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 35 मामलों में से, ₹ 39,922.45 करोड़ के टर्नओवर वाले 19 मामलों में असुरक्षित ऋण, प्रतिफल आदि जैसे महत्वपूर्ण विवरणों का सत्यापन नहीं किए जाने के उदाहरण थे; ₹ 40,414.59 करोड़ के टर्नओवर के 16 मामलों में व्यापारित और विनिर्मित वस्तुओं के मात्रात्मक विवरण के प्रकटीकरण में विसंगतियां; ₹ 20,736.24 करोड़ के टर्नओवर के 10 मामलों में आईटीआर के अनुसार फॉर्म 3सीडी की तुलना में डेटा बेमेल होने के साक्ष्य; ₹ 18,581.17 करोड़ के टर्नओवर के सात मामलों में जाली संव्यवहार के कारण असंगत संवर्धन के साक्ष्य और ₹ 16,472.57 करोड़ के टर्नओवर के छः मामलों में आईटीआर दाखिल करने में देरी/कार्रवाई नहीं किए जाने के साक्ष्य।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एम समूह के 35 में से 30 मामलों में आईटीआर फाइलिंग चरण में गैर-अनुपालन, आईटीआर और टीएआर के अनुसार प्रकटीकरण में विसंगतियां, डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार डेटा बेमेल, जाली संव्यवहार के कारण किए गए असंगत संवर्धन के मामले सामने आए हैं। इस समूह के लेखापरीक्षा निष्कर्षों के कंपनी-वार ब्यौरे इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक ई** में दिए गए हैं। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

लेखापरीक्षा ने नि.वि.2013-14 से 2017-18 के लिए एम समूह की एक कंपनी अर्थात् मैसर्स जी4 लिमिटेड निर्धारण विवरणों की विस्तार से जांच की ताकि रिटर्न और रिपोर्ट के माध्यम से किए गए प्रकटनों के आधार पर निर्धारिती से जुड़े जोखिमों का निर्धारण किया जा सके। निर्धारिती के निर्धारण के दौरान जांचे गए विवरणों पर नीचे चर्चा की गई है:

निर्धारिती: मैसर्स जी4 लिमिटेड

नि.व.: 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18

प्रभार: प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-1 मुंबई

निर्धारिती के संबंध में सकल प्राप्तियों या टर्नओवर, रिटर्न आय, निर्धारित आय और की गई मांग के निर्धारण विवरण का सार नीचे तालिका 4.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.4: मैसर्स जी4 लिमिटेड का निर्धारण प्रोफाइल						[₹ करोड़ में]
नि.व., धारा के तहत निर्धारण	आईटीआर फाइल करने की तारीख	निर्धारण की तारीख	सकल टर्नओवर	रिटर्न आय	निर्धारित आय	किए गए संवर्धन
2013-14 250	30-11-2013	02-01-2018	1377.55	38.39	38.39	0.00
2014-15 143(3)	30-11-2014	26-12-2016	1260.02	0.00	0.14	0.14
2015-16 143(1)	30-11-2015	07-04-2016	1481.86	0.00	0.00	0.00
2016-17 144	30-11-2016	26-12-2018	1803.95	0.00	155.47	155.47
2017-18 143(1)	30-11-2017	28-02-2019	2343.45	0.00	0.00	0.00
2018-19		गैर-फाइलर				
2019-20		गैर-फाइलर				

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

लेखापरीक्षा ने नोट किया कि नि.व. 2016-17 के लिए निर्धारिती का निर्धारण अधिनियम (नवंबर 2016) की धारा 144 के तहत निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत बही लेखों को अस्वीकार करने के बाद ₹ 155.47 करोड़ की आय पर पूरा किया गया था। नि.व. 2016-17 के लिए निर्धारण पूरा करते समय निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा की गई जाली खरीद जो निर्धारिती द्वारा किए जा रहे संदिग्ध संव्यवहारों के जोखिम की ओर इंगित करती है, के कारण ₹ 123.70 करोड़ की राशि की अनुमति नहीं दी।

लेखापरीक्षा ने आभूषणों के संबंध में फॉर्म 3सीडी (अर्थात कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) में कंपनी द्वारा प्रकट किए गए मात्रात्मक विवरणों का आगे विश्लेषण किया और निम्नलिखित विवरणों को पाया जैसा कि नीचे तालिका 4.5 में तालिकाबद्ध है:

तालिका 4.5: आभूषणों के लिए मैसर्स जी4 लिमिटेड की कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में किया गया मात्रात्मक प्रकटीकरण [इकाई संख्या में]						
नि.व./ धारा के तहत मूल्यांकन किया गया	प्रारम्भिक स्टॉक	खरीद	तैयार मात्रा	बिक्री	अंतिम स्टॉक	टीएआर के अनुसार कमी
2013-14 250	61,746	8,999	7,42,828	7,46,592	66,986	0
2014-15 143(3)	66,986	1,10,153	1,79,960	2,28,868	1,28,231	0
2015-16 143(1)	77,204	0	39,59,843	35,58,693	4,78,353	0
2016-17 144	4,78,353	6,19,375	0	8,39,917	2,57,812	0
2017-18 143(1)	2,57,812	1,59,101	0	1,15,898	3,01,015	0

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण रिकॉर्ड

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में किए गए प्रकटनों के अनुसार, नि.व. 2015-16 के दौरान आभूषणों के विनिर्माण की मात्रा नि.व. 2014-15 में 1,79,960 संख्या की तुलना में असामान्य रूप से बढ़कर 39,59,843 हो गई, जबकि खरीद नि.व. 2014-15 में 1,10,153 इकाइयों की तुलना में नि.व. 2015-16 में शून्य हो गई। इसके बाद, 2016-17 और 2017-18 के दौरान निर्मित मात्रा को शून्य बताया गया था, जबकि नि.व. 2016-17 और 2017-18 में क्रमशः 6,19,375 और 1,59,101 की खरीद का प्रकटीकरण किया गया था। इसके अतिरिक्त, नि.व. 2014-15 में आभूषणों के अंत स्टॉक को 1,28,231 बताया गया था, जबकि नि.व. 2015-16 में अथ स्टॉक केवल 77,204 बताया गया था। हालांकि नि.व. 2014-15 के लिए आभूषणों का अंत स्टॉक नि.व. 2015-16 के प्रारंभिक

स्टॉक से मेल नहीं खाता था, परंतु आयकर विभाग के आईटी सिस्टम द्वारा विसंगति को इंगित नहीं किया गया था क्योंकि नि.व. 2015-16 के मामले को सीपीसी बेंगलुरु के माध्यम से सार निर्धारण के तहत संसाधित किया गया था। टीएआर के माध्यम से प्रकट किए गए स्टॉक में विसंगति की विशेष रूप से जांच करने की आवश्यकता थी क्योंकि निर्धारिती द्वारा की गई जाली खरीद के कारण नि.व. 2016-17 के दौरान निर्धारिती के लेखा बही को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने नि.व. 2018-19 और 2019-20 के दौरान आईटीआर फाइल नहीं किया था।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त निर्धारिती के संबंध में गैर-अनुपालन और संदिग्ध संव्यवहार का जोखिम था। लेखापरीक्षा इन मामलों में आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का पता नहीं लगा सका। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.1.2 एन समूह के निर्धारण प्रोफ़ाइल का विश्लेषण

लेखापरीक्षा ने ₹ 20,953.25 करोड़ के टर्नओवर के साथ एन समूह की समूह कंपनियों के रूप में काम करने वाले सत्त्वों के नौ मामलों की जांच की, जिसे निम्न तालिका 4.6 में उल्लिखित किया गया है।

तालिका 4.6: एन समूह से संबंधित लेखापरीक्षा नमूने में कंपनियों का विवरण							(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	निर्धारिती	धारा के तहत आंकलन/ आंकलन की दिनांक	नि.व.	बिक्री टर्नओवर	रिटर्न आय	निर्धारित आय	नवीनतम आदेश के अनुसार की गई मांग
1	मैसर्स एफआई प्राइवेट लिमिटेड	143(3) 28/03/2016	2012	2,522.80	0.00	0.00	0.17
2		143(3) 20/04/2016	2013	3,454.80	0.00	0.00	0.16
3		143(1) उपलब्ध नहीं है	2017	5,226.14	44.01	44.13	0.00
4	मैसर्स डीआर	143(1) उपलब्ध नहीं है	2015	878.93	0.00	0.00	0.00
5		143(1) उपलब्ध नहीं है	2016	1,485.08	0.73	0.73	0.00
6		143(1) उपलब्ध नहीं है	2017	2,744.66	5.14	5.14	0.00
7	मैसर्स एसडी	143(1) 12/11/2018	2015	657.14	0.00	0.00	0.00
8		143(1) 12/11/2018	2016	1,328.80	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	निर्धारिती	धारा के तहत आंकलन/ आंकलन की दिनांक	नि.व.	बिक्री टर्नओवर	रिटर्न आय	निर्धारित आय	नवीनतम आदेश के अनुसार की गई मांग
9		143(1) 12/11/2018	2017	2,654.90	0.00	0.86	0.00
	कुल			20,953.25	49.88	50.86	0.33

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 13,072.22 करोड़ के बिक्री टर्नओवर से संबंधित सात मामलों में, शून्य संवर्धन या अस्वीकृति की गई थी। सात मामलों में से जहां शून्य संवर्धन किए गए थे, दो मामलों में ₹ 5.87 करोड़ की आय रिटर्न कर दी गई थी और साथ ही निर्धारित की गयी थी, जबकि शेष पांच मामलों में, शून्य आय रिटर्न कर दी गई थी और साथ ही निर्धारित की गयी थी। ₹ 7,881.04 करोड़ के सकल टर्नओवर वाले दो मामलों में, ₹ 97.76 लाख के संवर्धन किए गए थे जो बिक्री टर्नओवर का लगभग 0.01 प्रतिशत था। विवरण नीचे दी गई तालिका 4.7 में दर्शाया गया है।

की गई अस्वीकृतियों का विवरण	रिटर्नड आय का विवरण	निर्धारण मामलों की संख्या	बिक्री टर्नओवर	रिटर्न आय	निर्धारित आय	किए गए संवर्धन	नवीनतम आदेश के अनुसार की गई मांग
ऐसे मामले जहां शून्य संवर्धन किए गए	शून्य आरआई	05	8,842.47	0.00	0.00	0.00	0.34
	घनात्मक आरआई	02	4,229.75	5.87	5.87	0.00	0.00
	उप-योग (क)	7	13,072.22	5.87	5.87	0	0.33
ऐसे मामले जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा संवर्धन किए गए	शून्य आरआई	01	2,654.90	0.00	0.86	0.86	0.00
	घनात्मक आरआई	01	5,226.14	44.01	44.13	0.12	0.00
	उप-योग (ख)	02	7,881.04	44.01	44.99	0.98	0.00
कुल	(क)+(ख)	09	20,953.26	49.88	50.86	0.98	0.33

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण रिकॉर्ड

एन समूह के नौ मामलों में, लेखापरीक्षा में आईटीआर फाइलिंग चरण में गैर-अनुपालन, आईटीआर और टीएआर के अनुसार प्रकटीकरण में विसंगतियों और डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा बनाए गए आंकड़ों के अनुसार डेटा बेमेल होने के

साक्ष्य देखे गए। इस समूह के लेखापरीक्षा निष्कर्षों के निर्धारित-वार ब्यौरे इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक एफ में दिए गए हैं।

4.1.2.1 एन समूह की सत्त्वों द्वारा मोतियों के आयात और निर्यात का विश्लेषण

2009-10 से 2019-20 की अवधि के दौरान वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त मोतियों के आयात और निर्यात आंकड़ों का विश्लेषण यह इंगित करता है कि, जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैरा 2.2.4 में प्रकाशित किया गया है, वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान मोतियों के आयात में अचानक वृद्धि हुई है, जिसके बाद वित्त वर्ष 2018-19 से आयात में अचानक गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, 2013-14 से 2017-18 के दौरान भारत में मोतियों का आयात मोती के वैश्विक उत्पादन के औसत वार्षिक मूल्य से 3 से 10 गुना अधिक था।

लेखापरीक्षा ने वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान आयकर विभाग (अक्टूबर, 2020) से मोती के शीर्ष आयातकों की सूची मांगी थी। आयकर विभाग ने एन समूह से संबंधित पांच सत्त्वों²⁹ के संबंध में मोतियों के आयात और निर्यात का विवरण प्रदान किया। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि इन पांच सत्त्वों द्वारा किया गया मोतियों का आयात वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान हुए मोती के कुल आयात का लगभग 11.46 प्रतिशत से 84.3 प्रतिशत मात्रा-वार और 52.52 प्रतिशत से 97.97 प्रतिशत मूल्य-वार था, जिसका विवरण नीचे तालिका 4.8 में दिया गया है।

तालिका 4.8: एन समूह की पांच सत्त्वों द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान मोतियों का आयात

नि.व.	एन समूह की पांच सत्त्वों द्वारा मोती का आयात*		भारत में मोतियों का कुल आयात**		एन समूह की पांच सत्त्वों द्वारा कुल आयात का प्रतिशत आयात	
	मात्रा टन में	मूल्य (मिलियन यूएसडी)	मात्रा टन में	मूल्य (मिलियन यूएसडी)	मात्रा [प्रतिशत]	मूल्य [प्रतिशत]
2014-15	15.73	643.49	137.24	821.61	11.46	78.32
2015-16	21.24	661.10	50.61	674.82	41.97	97.97
2016-17	49.65	1,078.07	86.93	1,354.60	57.12	79.59
2017-18	84.43	1,735.66	100.16	2,174.76	84.3	79.81
2018-19	55.14	1,267.00	160.25	2,412.34	34.41	52.52

* आयकर विभाग द्वारा प्रदान किए गए डेटा के अनुसार।

** डेटा स्रोत: जीजेईपीसी

²⁹ मैसर्स एसई, मैसर्स एफडी प्रा. लिमिटेड, मैसर्स एफआई प्रा. लिमिटेड, मैसर्स एसडी और मैसर्स डीआर

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि इन पांच सत्त्वों द्वारा किए गए मोती के आयात और मोती जड़ित आभूषणों के निर्यात का अधिकांश हिस्सा केवल हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित उनकी समूह कंपनियों/संबंधित पार्टियों से था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि मैसर्स डीआर और मैसर्स एसडी के मामले में, वि.व. 2015-16 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान मोती जड़ित आभूषणों के सभी निर्यात उन्हीं पार्टियों को किए गए थे जिनसे मोती आयात किए गए थे। वि.व. 2013-14 और वि.व. 2014-15 में, जिनसे मोती आयात किए गए थे, उन्हीं आपूर्तिकर्ताओं को निर्यात के अतिरिक्त, यूएई और हांगकांग में अन्य संबंधित पार्टियों को भी कुछ निर्यात किए गए थे। इसके अतिरिक्त, एफ1 प्रा. लिमिटेड और एफ2 प्रा. लिमिटेड के संबंध में यद्यपि निर्यात उसी पार्टी को नहीं किया गया था, जिससे मोती आयात किए गए थे, परंतु, वो उन देशों में स्थित समूह कंपनियों को किए गए थे।

निर्धारण अभिलेखों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एन समूह के मामलों (मई 2018) की जांच की और पाया कि नीचे दी गई तालिका 4.9 में सूचीबद्ध कंपनियों में से एन समूह द्वारा नियंत्रित यूएई और हांगकांग में स्थित 20 सत्त्व पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से धन की लेयरिंग और लॉन्ड्रिंग के लिए बनाई गई थीं ताकि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से बेइमाने से निकाले गए धन के लाभार्थियों के वास्तविक उद्देश्य और पहचान को छिपाया जा सके।

तालिका 4.9: एन समूह की कंपनियों को मोतियों के निर्यात/ आयात के आपूर्तिकर्ताओं/ प्रेषकों की सूची		
क्र. सं.	सप्लायर/ परेषिती का नाम	देश
1.	एस 1 लिमिटेड	हांग कांग
2.	एस 2 लिमिटेड	हांग कांग
3.	डी2	यूएई
4.	डी3	यूएई
5.	ई 1	यूएई
6.	ई 2 लिमिटेड	हांग कांग
7.	एफ1 लिमिटेड	यूएई
8.	एफ2	यूएई
9.	एफ3 लिमिटेड	यूएई
10.	एच 1	यूएई
11.	एच 2	यूएई
12.	पी	हांग कांग
13.	एस 3	संयुक्त राष्ट्र
14.	एस 4 लिमिटेड	हांग कांग
15.	एस 5 लिमिटेड	हांग कांग

तालिका 4.9: एन समूह की कंपनियों को मोतियों के निर्यात/ आयात के आपूर्तिकर्ताओं/ प्रेषकों की सूची		
16.	टी1	यूई
17.	यू1	यूई
18.	यू2	यूई
19.	यू3 (शाखा)	यूई
20.	वि1 (शाखा)	यूई
21.	डब्ल्यू 1 (शाखा)	यूई
स्रोत: आयकर विभाग		

चूंकि एन समूह के पांच सत्त्वों द्वारा जिन पार्टियों के साथ निर्यात/आयात किए गए थे, उन्हें धन की लॉन्ड्रिंग के लिए बनाया गया था, इसलिए इस बात का काफी अधिक जोखिम था कि मोती/मोती-आभूषणों का आयात और निर्यात वास्तविक नहीं था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में यह उल्लेख किया गया है कि मोती/मोती के आभूषणों के सभी आयात और निर्यात एक ही पत्तन अर्थात् एस विशेष आर्थिक क्षेत्र, गुजरात से किए गए थे।

आयकर विभाग संव्यवहारों की वास्तविकता की आगे की जांच के लिए वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान मोती/ मोती जड़ित आभूषणों के आयात और निर्यात में शामिल सत्त्वों की पहचान की सुसंगतता की जांच कर सकता है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया है कि आईटीआर और टीएआर के मौजूदा फॉर्म में रत्न और आभूषण कारोबार से संबंधित किसी भी सत्व द्वारा संबंधित वित्त वर्ष के दौरान किए गए निर्यात और आयात का विवरण नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा कारोबार कोड आयकर विभाग को रत्न और आभूषण क्षेत्र में व्यापारित की जा रही वस्तुओं की पहचान करने में सक्षम नहीं बनाते हैं। इस प्रकार, एक ही संबंधित पार्टियों को किए गए आयातों और निर्यातों के कारण संदिग्ध संव्यवहारों की पहचान करना और इसे रत्न और आभूषण कारोबार में व्यापारित की गई वस्तुओं से जोड़ना मौजूदा रिपोर्टों और रिटर्न के माध्यम से कैप्चर किए गए आंकड़ों से संभव नहीं होगा। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.1.2.2 उच्च मूल्य वाले अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों के बावजूद तीन साल के लिए फॉर्म 3सीईबी प्रस्तुत नहीं करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 271बीए के तहत शास्ति नहीं लगाया जाना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एन समूह की सभी तीन निर्धारित कंपनियों ने नि.व. 2018-19 और 2019-20 के लिए अपनी आय का रिटर्न फाइल नहीं किया था, हालांकि उन्होंने नि.व. 2016-17 और 2017-18 के लिए अपने आईटीआर फाइल

किए थे। इसके अतिरिक्त, यद्यपि एक निर्धारिती कंपनी ने नि.व. 2015-16, 2016-17 और नि.व. 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 1,254.80 करोड़, ₹ 2,511.90 करोड़ और ₹ 5,406.92 करोड़ की उच्च मूल्य के अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार में किए थे, निर्धारिती ने अधिनियम के तहत अनुपालन आवश्यकता के अनुसार फॉर्म 3सीईबी फाइल नहीं किया था। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 271बीए के तहत शास्ति उद्ग्रहित नहीं की, जिस पर इस प्रतिवेदन के पैरा 4.8.2 में भी चर्चा की गई है, जो नीचे दर्शाया गया है:

निर्धारिती: मैसर्स एसडी

प्रभार: पीसीआईटी (केंद्रीय)-3 मुंबई

नि.व.: 2015-16, 2016-17, 2017-18

नि.व. 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए निर्धारिती द्वारा फाइल रिटर्नड आय को नवंबर 2017 में अधिनियम की धारा 143(1) के तहत संसाधित किया गया था। सभी तीन वर्षों में, निर्धारिती ने अधिक टर्नओवर की सूचना दी परंतु शून्य आय पर रिटर्न [आईटीआर-5] फाइल किया, जो संबंधित जोखिमों का संकेत देते हुए आगे होने वाले सत्यापन और जांच को सुनिश्चित करता है। तीनों वर्षों के सभी मामलों पर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसका अर्थ है कि आयकर विभाग प्रणाली के पास पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों (तालिका 4.10), आईटीआर के प्रसंस्करण में विलंब और अधिनियम में आवश्यकता के अनुसार शास्ति लगाने के बावजूद, फॉर्म 3सीईबी फाइल करने के गैर-अनुपालन को फ्लैग करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण/रोक नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 271 बीए के तहत ₹ 3 लाख की शास्ति उद्ग्रहित नहीं की गयी।

तालिका 4.10: करदाताओं के बही लेखों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों का विवरण				
निर्धारिती का नाम	नि.व., धारा के तहत निर्धारण	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टीपीओ को मामले के रेफरल की तारीख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टीपीओ को मामले के रेफरल के कारण	बही लेखों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों का कुल मूल्य [₹ करोड़ में]
मैसर्स एसडी	2015-16 143(1)	12/11/2018	बड़े अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार	1254.80
मैसर्स एसडी	2016-17 143(1)	12/11/2018	बड़े अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार	2511.90
मैसर्स एसडी	2017-18 143(1)	12/11/2018	बड़े अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार	5406.92

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि जनवरी 2017 में कंपनी में धारा 132 के तहत एक तलाशी कार्रवाई की गई थी। निर्धारण अभिलेख में विवरण के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय, मुंबई ने मामलों के समूह की जांच की और मई 2018 में एक आरोप पत्र फाइल किया। जांच के दौरान, इन नि.व. के संबंध में सूरत एसईजेड में अपनी इकाई से निर्धारिती द्वारा किए गए आयात और निर्यात के बारे में जानकारी मांगी गई थी। इसके बाद, नि.व. 2015-16 और 2017-18 के लिए धारा 144 के साथ पठित धारा 153ए के तहत निर्धारिती का निर्धारण दिसंबर 2019 में ₹ 59.15 करोड़ और ₹ 347.51 करोड़ की आय पर पूरा किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वित्तीय ब्यौरे का पूरा प्रकटीकरण नहीं किया गया था। यद्यपि पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष के टर्नओवर का प्रकटीकरण किया गया था, व्यापार/टर्नओवर में स्टॉक का प्रकटन नि.व. 2016-17 और नि.व. 2017-18 के लिए टीएआर में नहीं किया गया था। फॉर्म 3सीडी के माध्यम से किए गए प्रकटनों के ब्यौरे नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं।

तालिका 4.11: आईटीआर के साथ प्रस्तुत किए गए फॉर्म 3 सीडी में किए गए प्रकटीकरण				
धारा के तहत निर्धारित नि.व.	पार्टनर का नाम/ [लाभ सहभाजन अनुपात]	कुल टर्नओवर [फॉर्म 3सीडी के क्र.सं.40] [पिछला वर्ष]	कुल टर्नओवर [फॉर्म 3सीडी के क्र.सं.40] [पिछले वर्ष से पहले]	व्यापार/ टर्नओवर में स्टॉक [फॉर्म 3सीडी के क्र.सं.40]
2015-16 143(1)	एन परिवार ट्रस्ट; एन परिवार; 25:75	633.25	1,788.85	0
2016-17 143(1)	एन परिवार ट्रस्ट; एन परिवार; 25:75	1,292.38	633.25	उपलब्ध नहीं है
2017-18 143(1)	एन परिवार ट्रस्ट; एन परिवार; एम ट्रस्ट; एमजेएस 0.5:0.5:49.5:49.5	2,654.90	1,292.38	उपलब्ध नहीं है

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने नि.व. 2018-19 और 2019-20 में आय का रिटर्न फाइल नहीं किया गया। इस संबंध में आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का पता लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से नहीं लगाया जा सका।

इस प्रकार निर्धारिती नि.व. 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान फॉर्म 3सीडीबी को प्रस्तुत नहीं करने के कारण और नि.व. 2018-19 और 2019-20 के दौरान ऐसा आईटीआर प्रस्तुत के कारण, जो तत्काल मामलों में कई स्थितियों में

अनुपालन नहीं करने के जोखिम की ओर संकेत देते हैं, अनुपालन नहीं करने का दोषी था। तथापि, तात्कालिक मामले में समय पर उपचारात्मक कार्रवाई करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप राजकोष को भारी राजस्व हानि हुई, क्योंकि बकाया मांगों की वसूली की संभावना सुदूर होती है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.2 निर्धारण का 360-डिग्री विश्लेषण

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, 31 प्रमुख निर्धारितियों के संबंध में 74 मामलों को अखिल भारतीय आधार पर 360-डिग्री विश्लेषण के लिए चुना गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या आय और व्यय, बिक्री/खरीद, असुरक्षित ऋण, अन्य निर्धारितियों, विविध देनदारों और विविध क्रेडिटर्स को दिए गए या प्राप्त किए गए ऋण और अग्रिमों जैसे विभिन्न संव्यवहारों की विश्वसनीयता/प्रामाणिकता और क्या इन निर्धारणों को पूरा करते समय निर्धारिती के रिकॉर्ड में परिलक्षित विवरणों को संबंधित पार्टियों के रिकॉर्ड के अनुसार सत्यापित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में 31 प्रमुख निर्धारितियों के संबंध में संबंधित पक्षकारों के 173 मामलों की पहचान की गई ताकि मुख्य निर्धारितियों द्वारा किए गए विभिन्न व्ययों (वेतन, किराया, आदि) के दावों की सत्यता का पता लगाया जा सके और संबंधित पार्टियों के अभिलेखों के अनुसार ब्यौरे की तुलना में इसकी सत्यता का पता लगाया जा सके।

चुने गए 74 मामलों में से, धारा 143(3) के तहत संवीक्षा में 48 मामलों का निर्धारण किया गया था और शेष 20 मामलों को आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत सार पद्धति से संसाधित किया गया था। उपरोक्त 74 मामलों में से, 45 कॉरपोरेट निर्धारितियों ने कुल ₹ 89,127.80 करोड़ का टर्नओवर और ₹ 1,404.66 करोड़ की रिटर्न्ड आय दिखाई थी, जबकि आयकर विभाग ने इन निर्धारितियों की आय का निर्धारण ₹ 1,848.16 करोड़ किया और इन मामलों में ₹ 797.34 करोड़ की मांग की। शेष 29 मामले गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों से संबंधित थे, जिन्होंने कुल टर्नओवर ₹ 16,983.94 करोड़ और रिटर्न आय ₹ 63.11 करोड़ दिखायी थी, जबकि आयकर विभाग ने इन निर्धारितियों की आय का निर्धारण ₹ 87.16 करोड़ किया और इन मामलों में ₹ 17.02 करोड़ की मांग की। विवरण नीचे तालिका 4.12 में दिया गया है:

तालिका 4.12: 360-डिग्री विश्लेषण के लिए जांच किए गए मामलों का मूल्य निर्धारण विवरण						
[₹ करोड़ में]						
निर्धारित का प्रकार	निर्धारण का प्रकार	निर्धारित मामलों की संख्या	टर्नओवर	रिटर्न आय	निर्धारित आय	मांग
कंपनी	संवीक्षा	30	71,856.67	1,286.05	1,820.47	783.35
	सार	15	17,271.14	118.61	27.69	13.99
	कुल कंपनी	45	89,127.81	1,404.66	1,848.16	797.34
फर्म	संवीक्षा	13	12,045.98	39.17	68.42	17.01
	सार	2	4,793.69	21.06	16.31	0.00
	ज्ञात नहीं	4				
	कुल फर्म	19	16,839.67	60.23	84.73	17.02
एचयूएफ	संवीक्षा	2	81.74	0.09	0.09	0
	सार	2	59.30	0.46	0.00	0
	कुल एचयूएफ	4	141.04	0.55	0.09	0
व्यक्तिगत/ मालिक	संवीक्षा	3	0.49	2.25	2.25	0.00
	सार	1	2.75	0.09	0.09	0
	ज्ञात नहीं	2				
	कुल व्यक्तिगत	6	3.24	2.33	2.34	0.00
कुल योग		74	1,06,111.75	1,467.77	1,935.32	814.36
<i>स्रोत: आयकर विभाग के आंकलन रिकॉर्ड</i>						

अभिलेखों का गैर-प्रस्तुतीकरण

चयनित 74 मामलों में से, 12 मामलों में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे जिसके कारण चयनित मामलों की जांच नहीं की जा सकी थी। 360-डिग्री विश्लेषण के अंतर्गत जांच किए गए मुख्य निर्धारितियों के संबंध में गैर-प्रस्तुत अभिलेखों का मामला-वार ब्यौरा **अनुलग्नक जी** में दिया गया है।

चयनित संबंधित पार्टियों के 173 मामलों में से, 59 संबंधित पार्टियों से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा 114 संबंधित पार्टियों के अभिलेखों की जांच कर सकती है। गैर-प्रस्तुत अभिलेखों का ब्यौरा इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक एच** में दिया गया है।

चूंकि लेखापरीक्षा जांच 360-डिग्री विश्लेषण और आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत पार्टियों के लिए चुने गए नमूनों तक सीमित थी, इसलिए सीबीडीटी लेखापरीक्षा में जांच नहीं की गई अन्य संबंधित पार्टियों के संबंध में संबंधित पार्टी संव्यवहारों की समीक्षा करने पर विचार कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने कई अनियमितताओं की जांच की, जैसे संदिग्ध कारोबार गतिविधियों की जांच नहीं होना, इन मामलों में संबंधित पार्टी के अभिलेखों के संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए दावों में अंतर का अस्पष्टीकृत अतिरिक्त आउटपुट, स्टॉक का कम लेखाकरण, और निर्धारिती द्वारा किए गए दावों में भिन्नता का सत्यापन न होना।

लेखापरीक्षा ने 360-डिग्री विश्लेषण के लिए चयनित मामलों में ₹ 37,948.16 करोड़ के संभावित कर प्रभाव के साथ और संबंधित पार्टियों के संबंध में ₹ 142.85 करोड़ के कर प्रभाव वाले 32 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के साथ कुल 134 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की। इन अभ्युक्तियों में से ₹ 37,909.38 करोड़ के कर प्रभाव वाले सात निर्धारितियों के संबंध में पाए गए 33 महत्वपूर्ण मामलों पर नीचे पैरा 4.2 में चर्चा की गई है, जबकि शेष मामलों को इस प्रतिवेदन के उपयुक्त शीर्षकों के तहत शामिल किया गया है। इस तरह की अनियमितताएं गैर-सत्यापन और संदिग्ध कारोबार गतिविधियों के जोखिम के कारण कर चोरी के जोखिम का संकेतक थीं, जिनके लिए आयकर विभाग द्वारा विस्तृत जांच और सत्यापन की आवश्यकता होती है।

4.2.1 मैसर्स डीएफ (प्र. सीआईटी-22 मुंबई) के संबंध में लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने नि.व. 2013-14 से नि.व. 2018-19 के लिए मैसर्स डीएफ के निर्धारण अभिलेखों की जांच की, जिसका निर्धारण प्र.सीआईटी-22 मुंबई प्रभार के तहत किया गया था। नि.व. 2015-16 के लिए आयकर रिटर्न को फरवरी 2017 में सार तरीके से संसाधित किया गया था और नि.व. 2018-19 के लिए रिटर्न को अधिनियम की धारा 143(1)³⁰ के तहत संसाधित किया गया था। नि.व. 2013-14 से 2018-19 के लिए निर्धारिती के संबंध में आयकर विभाग द्वारा उठाए गए टर्नओवर, रिटर्न आय, निर्धारित आय और मांग जैसे निर्धारण विवरण नीचे तालिका 4.13 में दिया गया है:

³⁰ नि.व. 2018-19 के लिए अधिनियम की धारा 143(1) के अंतर्गत आदेश लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

तालिका 4.13: मैसर्स डीएफ का निर्धारण विवरण						
(₹ करोड़ में)						
निर्धारण वर्ष	टर्नओवर	रिटर्न आय	निर्धारण धारा	निर्धारित आय	आदेश की तारीख	माँग
2018	2,636.50	4.74	143(1)	धारा 143(1) के तहत आदेश विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था		
2017	2,048.56	2.61	143(3)	2.61	19/12/2019	0
2016	2,882.76	5.84	143(3)	5.84	29/12/2018	0.00
2015	2,157.18	16.31	143(1)	16.31	29/02/17	0.0044
2014	1,896.63	0.30	143(3)	9.15	29/12/2016	0.32
2013	4,449.30	0.00	143(3)	0.00	17/07/2015	0.00

स्रोत: आईटीडी के निर्धारण अभिलेख

निर्धारण वर्ष 2013-14, 2014-15, 2016-17 और 2017-18 के लिए निर्धारिती कि संवीक्षा निर्धारण जुलाई 2015, दिसंबर 2016, दिसंबर 2018 और दिसंबर 2019 में पूरा किया गया था, जो क्रमशः शून्य, ₹ 9.15 करोड़, ₹ 16.31 करोड़, ₹ 5.84 करोड़ और ₹ 2.61 करोड़ की आय का निर्धारण करता है।

मैसर्स डीएफ के संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेख [पीसीआईटी-22 मुंबई]: निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए क्रय और विक्रय (आयात और निर्यात) के पार्टी-वार विवरण और निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए क्रय (आयात) के पार्टी-वार विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अलावा निर्धारण वर्ष 2013-14 निर्धारिती के सबमिशन फोल्डर, बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, फॉर्म 56 एफ में प्रतिवेदन, एसईजेड इकाई का लाभ और हानि लेखा और 10एए कटौती के कार्यकरण के संबंध में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए, अधिनियम की धारा 143(1) के तहत संक्षिप्त प्रसंस्करण से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इस निर्धारिती के निर्धारण की लेखापरीक्षा इसलिए उस हद तक सीमित थी।

निर्धारिती फर्म के निर्धारण अभिलेख के 360-डिग्री विश्लेषण से अनियमितताओं का पता चला जैसे बड़े निर्धारण टर्नओवर की तुलना में महत्वहीन व्यय, [निर्धारण वर्ष 2013-14 से निर्धारण वर्ष 2016-17], सोने की छड़ के अस्पष्टीकृत अतिरिक्त उत्पादन [निर्धारण वर्ष 2016-17, निर्धारण वर्ष 2017-18], इसके सूरत एसईजेड में कोई विनिर्माण गतिविधि नहीं होने के बावजूद धारा 10एए के तहत कटौती का अनियमित अनुमति [निर्धारण वर्ष 2013-14], सोने के शुरुआती स्टॉक में विसंगति का गैर-सत्यापन [निर्धारण वर्ष 2016-17] बनाम पिछले वर्ष के समापन स्टॉक

[निर्धारण वर्ष 2015-16], फॉर्म 3सीडी और आईटीआर के अनुसार मात्रात्मक विवरणों के प्रकटीकरण में विसंगति[निर्धारण वर्ष 2015-16 से निर्धारण वर्ष 2018-19], फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम की गलत अनुमति [निर्धारण वर्ष 2013-14, निर्धारण वर्ष 2014-15] और परिकल्पना हानि की अनियमित अनुमति [निर्धारण वर्ष 2013-14]।

लेखापरीक्षा ने निर्धारिती द्वारा दावा किए गए किराए और ब्याज व्ययों को सत्यापित करने के लिए मैसर्स डीएफ के दो संबंधित पार्टियों³¹ के अभिलेख की जांच की। इन संबंधित पार्टियों ने अपने लेखा की पुस्तकों में किराए और ब्याज आय का विधिवत रूप से लेखाबद्ध किया था। इसके अलावा, क्रय और विक्रय मुख्य रूप से विदेशी पार्टियों से आयात और निर्यात के माध्यम से की गई थी, जिन्हें निर्धारिती द्वारा गैर-संबंधित पार्टियों के रूप में प्रकट किया गया था। इस निर्धारिती के संबंधित पार्टियों का विवरण इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक एच** के क्र.सं.13 पर दिया गया है।

मुख्य निर्धारिती फर्म के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण नीचे पैरा 4.2.1.1 से 4.2.1.7 में लाया गया है:

4.2.1.1 संदिग्ध व्यावसायिक गतिविधियां

लेखापरीक्षा ने निर्धारिती के अभिलेख की जांच की और पाया कि इसके द्वारा दिखाए गए विभिन्न व्यय भारी विक्रय टर्नओवर को सही नहीं ठहरा रहे थे। निर्धारिती ने दिनांक 25-08-2010 के अनुमोदन पत्र के माध्यम से सूरत एसईजेड में एक इकाई शुरू की थी। निर्धारण वर्ष 2013-14 और निर्धारण वर्ष 2014-15 में, निर्धारिती ने सूरत एसईजेड से आभूषणों, मोतियों में व्यापार किया। तत्पश्चात् इसे 07-03-2014 को रुद्रपुर में गोल्ड रिफाइनरी के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय से लाइसेंस प्राप्त हुआ। रिफाइनरी के लिए लाइसेंस प्रारंभ में केवल 2 मेट्रिक टन के लिए प्रदान किया गया था, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की 20:80 योजना ने 20:80 योजना के प्रचालन के दौरान देश में सोने/गोल्ड डोरे बार के आयात को प्रतिबंधित कर दिया था। निर्धारण वर्ष 2015-16 और निर्धारण वर्ष 2016-17 में, निर्धारिती ने मुख्य रूप से अपनी सोने की रिफाइनरी से निर्मित सोने की छड़ों के विक्रय से आय दिखाई थी। चार निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारिती फर्म की गतिविधियों को नीचे दी गई तालिका 4.14 में सारणीबद्ध किया गया है:

³¹ मैसर्स एसएम प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एसएच प्राइवेट लिमिटेड

तालिका 4.14: मैसर्स डीएफ					[₹ लाख में]
वर्ष के दौरान	निर्धारण वर्ष		निर्धारण वर्ष		निर्धारण वर्ष
मुख्य व्यावसायिक गतिविधि	2013-14		2014-15		2015-16
	आभूषणों का व्यापार		मोतियों में व्यापार		गोल्ड रिफाइनरी
माल का विक्रय	4,44,930.90		1,89,663.30		2,15,718.32
श्रम व्यय		0		0	136.22
वेतन और मजदूरी		63.84		1.12	119.12
विद्युत का व्यय		0.99		1.26	4.58
स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख					

डेटा के विश्लेषण से पता चला कि एक अलग संभावना थी कि निर्धारिती कुछ क्षेत्रों में वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियों को नहीं कर रहा था जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- हालांकि इन वर्षों के दौरान निर्धारिती का कुल टर्नओवर ₹ 1896.63 करोड़ से ₹ 4449.31 करोड़ तक था, लेकिन केवल ₹ 0.98 लाख से ₹ 4.67 लाख तक का विद्युत व्यय किया गया था। यह निर्धारण वर्ष 2013-14 और निर्धारण वर्ष 2014-15 के दौरान व्यापारिक गतिविधि के रूप में यथार्थवादी प्रतीत नहीं होता है और निर्धारण वर्ष 2015-16 और निर्धारण वर्ष 2016-17 के दौरान विनिर्माण गतिविधि को इस तरह के बड़े व्यवसाय के लिए पर्याप्त विद्युत व्यय की आवश्यकता होती है। वित्त वर्ष 2015-16 के बाद से, निर्धारिती ने रुद्रपुर में एक रिफाइनरी और सूरत एसइजेड में एक मौजूदा इकाई और मुंबई में एक नए कार्यालय को जोड़ा था। यदि निर्धारिती वास्तव में इतने बड़े व्यवसाय में शामिल था, तो इतने बड़े टर्नओवर को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त विद्युत व्यय होना चाहिए था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हालांकि, निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा इस पहलू को सत्यापित नहीं किया गया था। हमने निर्धारिती फर्म की विद्युत की खपत की तुलना अन्य दो गोल्ड रिफाइनरों के साथ की अर्थात् (i) मैसर्स एसजी रिफाइनरी लिमिटेड, एक कंपनी जो 30 से अधिक वर्षों से गोल्ड रिफाइनरी व्यवसाय में है और एनएसई और बीएसई में सूचीबद्ध है और (ii) मैसर्स एमपी लिमिटेड मैसर्स एम लिमिटेड, एक पीएसयू कंपनी और पी एसए, स्विटजरलैंड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। मैसर्स एमपी लिमिटेड भारत में एकमात्र गोल्ड रिफाइनरी है जिसे एलबीएमए (लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन) द्वारा मान्यता प्राप्त है। मैसर्स एसजी रिफाइनरी लिमिटेड ने 2016 को समाप्त

वर्ष के लिए ₹ 3895.34 करोड़ के टर्नओवर को प्राप्त करने के लिए ₹ 1.23 करोड़ की विद्युत खपत की। इसी प्रकार, मैसर्स एमपी लिमिटेड के टर्नओवर ₹ 24,560.70 करोड़ के साथ ₹ 7.46 करोड़ की विद्युत की खपत हुई, जैसा कि नीचे दी गई तालिका 4.15 में दर्शाया गया है। इसलिए, एक गोल्ड रिफाइनरी और एक एसइजेड इकाई और मुंबई में एक कार्यालय चलाने के लिए निर्धारिती फर्म [₹ 4.6 लाख] द्वारा खपत की गई विद्युत नगण्य थी और अवास्तविक दिखाई दी।

तालिका 4.15: अन्य गोल्ड रिफाइनरों के साथ मैसर्स डीएफ के व्ययों की तुलना (₹ करोड़ में)				
निर्धारण वर्ष (वित्त वर्ष 2015-16)	2016-17	मैसर्स एमपी लिमिटेड ³²	मैसर्स एसजी रिफाइनरी लिमिटेड ³³	मैसर्स डीएफ लिमिटेड
टर्नओवर		24,560.70	3895.34	2882.76
विद्युत		7.46	1.23	0.046
श्रम व्यय		27.82	5.4	1.46

- टर्नओवर की तुलना में श्रम प्रभार और माल ढुलाई प्रभार नगण्य थे और जब अन्य रिफाइनरी की तुलना में यह निर्धारिती द्वारा इतने बड़े पैमाने पर सामग्री के आयात और निर्यात की वास्तविकता के बारे में संदेह पैदा करता है, तो विद्युत और श्रम व्ययों के कारण महत्वहीन व्यय होता है। हालांकि, इस संबंध में निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई सत्यापन नहीं किया गया था।
- निर्धारण वर्ष 2014-15 में, निर्धारिती ने उन पार्टियों के नाम प्रस्तुत किए थे, जिन्हें मोती निर्यात किए गए थे, लेकिन, उन पार्टियों का कोई विवरण नहीं दिया गया था जिनसे व्यापार किए गए सामान का आयात किया गया था। निर्धारण वर्ष 2016-17 में, जिन पार्टियों से गोल्ड डोरे बार क्रय/आयात किए गए थे और जिन पार्टियों को निर्यात किया गया था, वे अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थे। इन विवरणों के अभाव में, लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या आयात वास्तविक सोने के खनिकों से थे या उन्हें संयुक्त अरब अमीरात या अन्य देशों में गठित किसी संबंधित पार्टी/संस्थाओं से क्रय किया गया था और क्या निर्धारिती केवल उत्पाद की राउंड ट्रिपिंग

³² मैसर्स एमपी लिमिटेड, मैसर्स एम लिमिटेड, एक पीएसयू कंपनी और पी एस, स्विट्जरलैंड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। मैसर्स एमपी लिमिटेड भारत में केवल गोल्ड रिफाइनरी है जो एलबीएमए (लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन) द्वारा मान्यता प्राप्त है


³³ मैसर्स एसजी रिफाइनरी लिमिटेड, एक कंपनी जो 30 से अधिक वर्षों से गोल्ड रिफाइनरी व्यवसाय में है और एनएसई और बीएसई में सूचीबद्ध है।

कर रहा था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने नोट किया कि निर्धारण अधिकारी ने किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य जैसे प्रविष्टि के बिल, विदेशी मुद्रा प्राप्ति प्रमाण पत्र, आदि के लिए नहीं बुलाया था जो संव्यवहार की वास्तविकता को स्थापित कर सकता था। विभाग के वार्षिक सूचना विवरणी/व्यक्तिगत संव्यवहार विवरणी में ऐसा कोई विवरण उपलब्ध नहीं था।

यद्यपि उपरोक्त विसंगतियों के लिए निर्धारणकर्ता की गतिविधि की विस्तृत जांच की आवश्यकता थी। हालांकि, ऐसा नहीं किया गया था और निर्धारिती के प्रस्तुतीकरण को विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। यह बात अगस्त 2019 में विभाग को बताई गई थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

रत्न और आभूषण क्षेत्र³⁴ पर सीमा शुल्क निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा में कहा गया था कि मैसर्स डीएफ को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) (मार्च, 2014) द्वारा गोल्ड डोरे बार आयात करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। निर्धारिती को अधिसूचना जारी किए बिना डीजीएफटी द्वारा डोरे बार आयात करने की स्वीकृति दी गई थी, जिसने 14 फरवरी 2014 के अपने परिपत्र में आरबीआई द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किया था। यहां यह उल्लेख करना सार्थक है कि निर्धारिती को ऐसे समय में गोल्ड डोरे बार आयात करने की स्वीकृति दी गई थी जब आरबीआई की 20:80 योजना चालू थी और देश में आयात के लिए सोने की छड़ और गोल्ड डोरे बार के आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया था।

औसतन, एक डोरे बार में 50-75 प्रतिशत शुद्ध सोना³⁵ होता है और बाकी चांदी और/या अन्य आधार और कीमती धातुओं के मिश्रण से बना होता है। डोरे बार की संरचना का सचित्र चित्रण नीचे दिया गया है।



³⁴ प्राकृतिक या सुसंस्कृत मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थरों, कीमती धातुओं, कीमती धातुओं, कीमती धातुओं और उसके लेखों, नकली आभूषणों, सिक्कों (सीटीएच के अध्याय 71) पर प्रदर्शन लेखापरीक्षा पर 2016 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 06

³⁵ <https://www.bullionbypost.co.uk/index/gold/gold-doré/#>

सटीक संरचना इसके स्रोत और प्रसंस्करण इतिहास के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होती है। तथापि, यह देखा गया कि मैसर्स डीएफ के मामले में, शोधन प्रक्रिया के दौरान चांदी की छड़ों या अन्य बहुमूल्य धातुओं के कोई उप-उत्पाद उत्पादित नहीं किए गए थे। यह निर्धारिती की गतिविधि की वास्तविकता पर और संदेह पैदा करता है।

लेखापरीक्षा ने आगे कहा कि भारत में केवल एक लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए)³⁶ मान्यता प्राप्त गोल्ड³⁷ रिफाइनरी, मैसर्स एमपी लिमिटेड है, और इस निर्धारिती को दुनिया भर में गोल्ड रिफाइनरियों की गुड डिलीवरी सूची के अनुसार इसके तहत सूचीबद्ध नहीं किया गया था। केवल रिफाइनर जिनके बार को वैश्विक ओटीसी बाजार में व्यापार के लिए मौजूदा मानकों द्वारा किए गए एलबीएमए द्वारा मान्यता प्राप्त है, वे गुड डिलीवरी सूची में दिखाई देते हैं। इसके लिए उक्त वि.व के दौरान निर्धारिती द्वारा शुरू की गई रिफाइनरी गतिविधि की विश्वसनीयता और सत्यता के संबंध में आगे की जांच की आवश्यकता थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.2.1.2 अस्पष्टीकृत अतिउत्पाद

निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए मैसर्स डीएफ का संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पूरा किया गया था, जिसमें निर्धारिती की ₹ 5.84 करोड़ की रिटर्न्ड आय स्वीकार की गई थी। लेखापरीक्षा ने कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और लाभ और हानि लेखा से (अगस्त 2019) देखा कि वर्ष के दौरान, निर्धारिती ने मुख्य रूप से गोल्ड डोरे बार से गोल्ड बार का निर्माण किया था और उन्हें बेच दिया था। कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपलब्ध विवरणों के अनुसार, निर्धारिती 10,910.88 किलोग्राम गोल्ड डोरे बार (क्र.सं.35 बीए और 35 बीबी) की खपत करके 20,106.52 किलोग्राम सोने की छड़ (99.5 प्रतिशत शुद्ध) का निर्माण करने में सक्षम था। इस प्रकार, प्रसंस्करण के बाद निर्मित मात्रा लगभग दोगुनी हो गई जो किसी भी विनिर्माण गतिविधि में संभव नहीं है। 9,195.64 किलोग्राम (20,106.52 किलोग्राम-10,910.88 किलोग्राम) की अतिरिक्त उत्पादन, इस प्रकार, एक अस्पष्टीकृत इनपुट प्रतीत होता है और इसके अनुरूप मूल्य को निर्धारिती की

³⁶ लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए), 1987 में स्थापित, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ है जो वैश्विक ओवर द काउंटर (ओटीसी) बुलियन बाजार का प्रतिनिधित्व करता है, जो सभी अच्छे वितरण सूचीबद्ध रिफाइनरों के लिए मान्यता प्रक्रिया का प्रबंधन करता है। एलबीएमए सोने और चांदी के लिए अच्छी वितरण सूचियों को बनाए रखता है और प्रकाशित करता है जिसमें मान्यता प्राप्त सोने और चांदी की रिफाइनरियां शामिल हैं जो कड़े स्वीकृति मानदंडों को पूरा करती हैं।

³⁷ स्रोत: www.lbma.org.uk/good-delivery/gold-current-list

आय के लिए अस्पष्टीकृत क्रेडिट के रूप में जोड़ा जाना आवश्यक था। यदि मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार ₹ 2,834 प्रति ग्राम की प्रचलित दर (आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार) पर विचार किया जाता है, तो अस्पष्टीकृत क्रेडिट का संबंधित मूल्य ₹ 2,606.04 करोड़ होगा और परिणामस्वरूप राजस्व निहितार्थ ₹ 901.90 करोड़ होगा। यह बात अगस्त 2019 में विभाग को बताई गई थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

इसी तरह, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पूरा किया गया था, जिसमें निर्धारिती की ₹ 2.61 करोड़ की रिटर्न्ड आय को स्वीकार किया गया था। कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपलब्ध विवरणों के अनुसार, 7,534.07 किलोग्राम गोल्ड डोरे बार का उपभोग करके, निर्धारिती 14,405.15 किलोग्राम सोने की छड़ों का निर्माण करने में सक्षम था। इसलिए, 6,871.09 किलोग्राम की अतिरिक्त उत्पादन को अस्पष्टीकृत क्रेडिट के रूप में माना जाना चाहिए था। यदि मार्च 2017 को (आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार) ₹ 2,895 प्रति ग्राम की प्रचलित दर पर विचार किया जाता है, तो अस्पष्टीकृत क्रेडिट का संबंधित मूल्य ₹ 1,989.18 करोड़ होगा और परिणामस्वरूप राजस्व निहितार्थ ₹ 688.41 करोड़ होगा।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2019 में विभाग से इस मुद्दे की जांच करने और सोने की छड़ों के उत्पादन की ऐसी विसंगतियों के कारणों को सत्यापित करने के लिए कहा था। इसके अलावा, सटीक राजस्व निहितार्थ, यदि कोई हो, की भी जांच करने के लिए कहा गया था।

विभाग ने अपने उत्तर (मार्च 2021) में कहा कि निर्धारण वर्ष 2014-15 में सोने में निर्धारिती द्वारा कोई संव्यवहार नहीं किया गया था और निर्धारण वर्ष 2016-17 के डेटा का उपयोग निर्धारण वर्ष 2014-15 में अभ्युक्ति को इंगित करने के लिए किया गया था।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति निर्धारण वर्ष 2016-17 के संबंध में उठाया गया था, न कि निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए। चार वर्षों का विश्लेषण लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारिती कंपनी की व्यावसायिक गतिविधि की संदिग्ध प्रकृति को इंगित करने के लिए किया गया था। इस स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की फिर से जांच कर सकता है।

4.2.1.3 धारा 10ए के तहत कटौती का गलत अनुमति

निर्धारिती मैसर्स डीएफ ने सितंबर 2013 में निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आय का रिटर्न ₹ शून्य पर दाखिल किया था और जुलाई 2015 में धारा 143(3) के तहत जांच निर्धारण पूरा किया गया था, जिसमें रिटर्न की गई आय को स्वीकार किया गया था, जिससे शून्य मांग हुई थी। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लाभ और हानि लेखा के अनुसार निर्धारिती कंपनी का कुल टर्नओवर ₹ 4,449.30 करोड़ था।

निर्धारिती वर्ष के दौरान आभूषणों के निर्यात और आयात में लगा हुआ था। इसने दावा किया था और गुजरात के सूरत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित तीन एसईजेड इकाइयों से प्राप्त लाभ के संबंध में धारा 10ए के तहत ₹ 16.36 करोड़ की कुल छूट की अनुमति दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2019) कि निर्धारिती सूरत, एसईजेड में केवल व्यापारिक गतिविधि में लगा हुआ था और वर्ष के दौरान कोई विनिर्माण नहीं किया था, जो निम्नलिखित से स्पष्ट था।

- i. फॉर्म 3सीबी में उल्लिखित व्यवसाय की प्रकृति 'ट्रेडिंग' थी।
- ii. 3सीडी प्रतिवेदन में, उपभोग की गई सामग्री को शून्य के रूप में दिखाया गया था।
- iii. विद्युत और ईंधन की खपत केवल ₹ 0.99 लाख थी, जो ₹ 4,449.30 करोड़ के टर्नओवर के साथ किसी भी वास्तविक विनिर्माण गतिविधि के साथ व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।
- iv. कुल कर्मचारी/श्रम व्यय केवल ₹ 63.84 लाख, जो टर्नओवर का 0.01 प्रतिशत था। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नगण्य है कि आभूषणों/हीरे का विनिर्माण श्रम-गहन कार्य है।

अधिनियम की धारा 10ए यह निर्धारित करती है कि निर्धारिती छूट का लाभ उठा सकता है यदि वह आर्टिकल या वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करना शुरू कर देता है। तत्काल मामले में, निर्धारिती आर्टिकल या वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन की गतिविधि में संलग्न नहीं था। एसईजेड अधिनियम के तहत व्यापारिक गतिविधि एक स्वीकार्य गतिविधि हो सकती है, लेकिन धारा 10ए के तहत कटौती का दावा करने के लिए, निर्धारिती को विनिर्माण गतिविधि करनी चाहिए और आर्टिकल या वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए।

इस प्रकार, निर्धारिती द्वारा दावा की गई धारा 10ए के तहत कटौती और निर्धारण में निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमति अनियमित थी। धारा 10ए के तहत कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 5.06 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 16.36 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा ने आगे कहा कि विभाग ने संवीक्षा निर्धारण (दिसंबर 2016) के दौरान निर्धारण वर्ष 2014-15 में धारा 10ए के तहत छूट के निर्धारिती के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि निर्धारिती सूरत एसईजेड इकाई से कोई विनिर्माण गतिविधि नहीं कर रहा था और केवल व्यापारिक गतिविधि में लगा हुआ था। इस प्रकार, इसी तरह के आधार पर, धारा 10ए के तहत कटौती को निर्धारण वर्ष 2013-14 में मामले को पुनः आरंभ करके अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था।

यह अभ्युक्ति नवंबर 2020 में विभाग को बतायी गयी थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.2.1.4 शेरों को आगे बढ़ाने में गलती

कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 में मद 'गोल्ड' के विरुद्ध कोई समापन शेष नहीं दिखाया गया था, जबकि निर्धारण वर्ष 2016-17 में इसके लिए शुरुआती शेष राशि 1,523 ग्राम दर्शाई गई थी। इस प्रकार, अंतिम स्टॉक को आगे बढ़ाने में गलती हुई। इस वजह से 1,523 ग्राम के अनुरूप मूल्य को या तो निर्धारण वर्ष 2015-16 में मामले को पुनः आरंभ करके लाभ को कम बताया या अस्पष्टीकृत क्रेडिट के रूप में निर्धारण वर्ष 2016-17 में जोड़ा जाना चाहिए था। हालांकि, यह दिखाने के लिए कि निर्धारण अधिकारी ने उपरोक्त विसंगति के कारणों की जांच करने के लिए कोई सत्यापन किया था, निर्धारण वर्ष 2016-17 के अभिलेख पर कुछ भी उपलब्ध नहीं था। यदि मार्च 2017 (आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार) की स्थिति के अनुसार ₹ 2,895 प्रति ग्राम की प्रचलित दर पर विचार किया जाता है, तो अस्पष्टीकृत क्रेडिट का संबंधित मूल्य ₹ 44.09 लाख होगा और परिणामस्वरूप राजस्व निहितार्थ ₹ 14.99 लाख होगा।

यह स्टॉक के अनियमित अर्ग्रषित के कारण किसी भी लाभ के अवरोध की रोकथाम के नियंत्रण में कमजोरियों का भी संकेत है। लेखापरीक्षा ने (नवंबर 2020) विभाग से इस मुद्दे की जांच करने और सोने की छड़ों के उत्पादन की ऐसी विसंगतियों के कारणों को सत्यापित करने के लिए कहा था। सटीक राजस्व निहितार्थ, यदि कोई हो, की भी जांच किए जाने की आवश्यकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.2.1.5 आईटीआर की तुलना में कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मात्रात्मक विवरण के प्रकटीकरण में विसंगति

मैसर्स डीएफ के मामले में, स्टॉक (अनगढ़ हीरा, पॉलिश किया हीरा, सोना, आदि) के मात्रात्मक विवरणों में विसंगतियां देखी गईं, जैसा कि निर्धारण वर्ष 2015-16 से निर्धारण वर्ष 2018-19 तक के वर्षों के लिए आईटीआर की तुलना में कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकटीकरण किया गया है। यह देखा गया कि निर्धारण वर्ष 2015-16 में, आईटीआर में गोल्ड डोरे बार की खपत 82,32,286 ग्राम के रूप में दिखाई गई थी, जबकि फॉर्म 3सीडी में 82,89,648 ग्राम थी। इससे गोल्ड डोरे बार के अंतिम स्टॉक के प्रकटीकरण में भी अंतर हुआ जो फॉर्म 3सीडी में 2,470 ग्राम और आईटीआर में 59,832 ग्राम था। इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2018-19 में, मात्रात्मक विवरण आईटीआर में शून्य के रूप में दिखाया गया था, हालांकि कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार वास्तविक स्टॉक थे। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि सोने आभूषण और गोल्ड बार के अंत शेष को गलत तरीके से शून्य के रूप में उल्लेख किया गया जबकि निर्धारण वर्ष 2017-18 में कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में क्रमशः 3,384 इकाइयों और 64,900 ग्राम के वास्तविक अंत शेष था।

निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए संवीक्षा निर्धारण निर्धारिती के मामले में किया गया था; हालांकि, आईटीआर और कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के बीच उपरोक्त बेमेल के कारण की निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई थी, जबकि निर्धारण वर्ष 2015-16 और निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए उपरोक्त मुद्दा असत्यापित रहा क्योंकि इन दो निर्धारण वर्षों के लिए धारा 143(1) के तहत केवल संक्षिप्त निर्धारण किया गया था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि विभाग निर्धारितियों द्वारा अपने लेखा की पुस्तकों में घोषित स्टॉक विवरणों की शुद्धता को कैसे सुनिश्चित कर रहा था, क्योंकि ये विवरण आईटीआर में की गई घोषणा के अनुरूप नहीं थे और विधिवत प्रमाणित कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों में उचित रूप से प्रकट नहीं किए गए थे।

यह अभ्युक्ति नवंबर 2020 में विभाग को इंगित किया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.2.1.6 अग्रोषित संविदा प्रीमियम के प्रति व्यय का अनियमित दावा

निर्धारिती मैसर्स डीएफ ने निर्धारण वर्ष 2013-14 (सितंबर 2013) के लिए आय का रिटर्न ₹ शून्य पर दाखिल किया और संवीक्षा निर्धारण धारा 143(3) (जुलाई 2015)

किया गया था, जिसमें इस तरह की रिटर्न आय को स्वीकार किया गया था, जिससे निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए शून्य मांग बढ़ गई थी। इसके अलावा, निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2014-15 (नवंबर 2014) के लिए आय का रिटर्न ₹ 30.09 लाख पर दाखिल किया और संवीक्षा निर्धारण धारा 143(3) (दिसंबर 2016) के तहत ₹ 9.15 करोड़ की आय निर्धारित करने के लिए किया गया था, जिससे निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 32.42 लाख की मांग बढ़ गई।

लेखापरीक्षा ने (अगस्त 2019) में पाया कि निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 187.19 करोड़ के अग्रेषित संविदा प्रीमियम के लिए व्यय का दावा किया था और विभाग द्वारा बिना किसी और सत्यापन के इसकी अनुमति दी गई थी। यह इंगित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी उपलब्ध नहीं था कि उपरोक्त दावा एक वास्तविक था और वास्तव में व्यवसाय के उद्देश्य के लिए निर्धारिती द्वारा किया गया था। इसके अलावा, टर्नओवर और विभिन्न व्ययों के विवरण से कई विसंगतियों का पता चला है जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है, निर्धारिती की व्यावसायिक गतिविधियों की वास्तविकता के बारे में संदेह पैदा करता है। परिणामस्वरूप, उचित सबूतों के अभाव में निर्धारण के दौरान फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम के दावे को अस्वीकार करने की आवश्यकता थी। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 187.19 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 63.63 करोड़ का कम कर लगाया गया।

इसी तरह की विसंगतियां निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए भी देखी गई थीं, जिसके दौरान ₹ 166.21 करोड़ के अग्रेषित संविदा प्रीमियम को अस्वीकार नहीं किया गया था, जिससे ₹ 56.50 करोड़ के राजस्व का हानि हुई थी।

यह अभ्युक्ति अगस्त 2019 में विभाग को बतायी गयी थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.2.1.7 परिकल्पना हानि का अनियमित दावा

निर्धारिती मैसर्स डीएफ ने निर्धारण वर्ष 2013-14 (सितंबर 2013) के लिए शून्य आय पर आय का रिटर्न दाखिल किया और जुलाई 2015 में धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया, इस तरह से रिटर्न की गई आय को स्वीकार करते हुए, जिससे शून्य मांग बढ़ गई। इसके अलावा, निर्धारिती ने नवंबर 2014 में निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आय का रिटर्न ₹ 30.09 लाख पर दाखिल किया और संवीक्षा निर्धारण धारा 143(3) (दिसंबर 2016) के तहत पूरा किया गया,

जिससे आय का निर्धारण ₹ 9.15 करोड़ हो गया, जिससे निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 32.42 लाख की मांग बढ़ गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 6.03 करोड़ की कमोडिटी डेरिवेटिव पर परिकल्पना हानि का दावा किया था और निर्धारण अधिकारी द्वारा भी इसकी अनुमति दी गई थी। तथापि, एआईआर के विवरणों से यह देखा गया कि निर्धारिती शेयरों/वस्तु के किसी भी टर्नओवर में शामिल नहीं था। हालांकि निर्धारण के दौरान अपने दावे को साबित करने के लिए निर्धारिती द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए थे, निर्धारण अधिकारी ने उपरोक्त हानि की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.05 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण के साथ आय का कम निर्धारण हुआ। इसी तरह, निर्धारण वर्ष 2013-14 में, निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 6.22 करोड़ के परिकल्पना हानि की अनुमति दी गई थी, जिससे ₹ 2.11 करोड़ के राजस्व की हानि हुई थी।

यह अभ्युक्ति अगस्त 2019 में विभाग को बतायी गयी थी।

विभाग ने निर्धारण वर्ष 2014-15 के संबंध में आपत्ति स्वीकार नहीं करते हुए (मार्च 2021) कहा है कि लाभ और हानि लेखा में डेबिट की गई परिकल्पना हानि 'भविष्य और विकल्प और व्युत्पन्न हानि' की प्रकृति में थीं जो एक व्यावसायिक हानि थी। विभाग का उत्तर इस आधार पर व्यवहार्य नहीं है कि निर्धारिती के लेखा और कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिखाए गए विभिन्न व्यय और विवरणों संदिग्ध व्यावसायिक गतिविधि का सुझाव देते हैं, जिसकी संवीक्षा के समय विस्तृत जांच की जानी आवश्यक थी। इसके अलावा, निर्धारिती के उक्त अटकलों से हानि के निर्धारिती के दावे को प्रासंगिक दस्तावेजों (संव्यवहार विवरण, ब्रोकर की प्रतिवेदन, आदि) के साथ समर्थित किया जाना चाहिए था; तथापि, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग लेखापरीक्षा में उल्लिखित अनियमितताओं के मद्देनजर निर्धारिती फर्म के निर्धारण की पुनः जांच कर सकता है।

4.2.2. मैसर्स जीजी लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षा के निष्कर्ष [प्रधान.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, मुंबई]

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2013-14, निर्धारण वर्ष 2014-15, निर्धारण वर्ष 2015-16 और निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए पीसीआईटी (केन्द्रीय)-1, मुंबई के तहत निर्धारण किए गए मैसर्स जीजी लिमिटेड के अभिलेख की जांच की। निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए

दिसंबर 2016, जनवरी 2018 और फरवरी 2019 में क्रमशः ₹ 8.50 करोड़, ₹ 55.56 करोड़ और ₹ 410.22 करोड़ की आय पर पूरा किया गया था। निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न को संक्षिप्त तरीके से संसाधित किया गया था। निर्धारिती के विवरणों जैसे टर्नओवर, रिटर्न आय, निर्धारित आय और इन निर्धारण वर्ष के लिए आईटीडी द्वारा उठाई गई मांग नीचे दी गई तालिका 4.16 में सारणीबद्ध हैं:

तालिका 4.16: मैसर्स जीजी लिमिटेड के निर्धारण विवरण (₹ करोड़ में)						
निर्धारण वर्ष	वर्ष के लिए टर्नओवर	रिटर्न आय	निर्धारण धारा	निर्धारित आय	आदेश की तारीख	मांग
2017	10,464.77	0	143(1)	0	उपलब्ध नहीं	13.85
2015	8,427.94	0	143(3)/144	410.22	14/02/2019	202.41
2014	395.00	0	143(3)	55.57	29/01/2018	77.27
2013	472.08	0	143(3)	8.50	29/12/2016	453.71

स्रोत: आईटीडी के निर्धारण अभिलेख

मैसर्स जीजी लिमिटेड [पीसीआईटी (केन्द्रीय)-1 मुंबई] के संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेख: निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए अधिनियम की धारा 143(1) के तहत पारित आदेश और इस निर्धारिती के संबंध में निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए संवीक्षा निर्धारण फ़ोल्डर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए इस निर्धारिती के निर्धारण की लेखापरीक्षा जांच को बाधित किया गया था।

निर्धारिती कंपनी के निर्धारण अभिलेख के 360-डिग्री विश्लेषण से अनगढ़ हीरे और आभूषणों का क्रय और विक्रय, संशोधित आईटीआर और संशोधित फॉर्म 3सीडी [निर्धारण वर्ष 2015-16] के अनुसार पॉलिश किए गए हीरे का विक्रय और निर्माण के मात्रात्मक विवरणों में अंतर का पता चला। निर्धारण अभिलेखों में मद-वार मूल्य विवरण के अभाव के कारण विक्रय के अल्प प्रकटन के कारण मुद्रा मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में डीजीआईटी (प्रणाली) के अनुसार कतिपय दावों और आय के संबंध में आंकड़ों के बेमेल होने के उदाहरण को देखा गया है।

लेखापरीक्षा ने मैसर्स जीजी लिमिटेड के छह संबंधित पार्टियों³⁸ के अभिलेख की जांच की और डीजीआईटी (सिस्टम) और वास्तविक अभिलेख के बीच; धारा 10ए के तहत छूट की अतिरिक्त अनुमति, समामेलन पर मूल्यहास की अनियमित अनुमति, आदि के आंकड़ों में अंतर से ₹ 142.78 करोड़ संबंधित कर प्रभाव वाली

³⁸ मैसर्स जी3 लिमिटेड; मैसर्स ए लिमिटेड; मैसर्स जी4 लिमिटेड; मैसर्स डी प्रा. लिमिटेड; मैसर्स एन लिमिटेड; मैसर्स जी2 लिमिटेड

12 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां उठाईं। इन अभ्युक्तियों को प्रतिवेदन के उपयुक्त शीर्षकों के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस निर्धारिती के संबंधित पार्टियों का विवरण इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक एच के क्र.सं.7 पर दिया गया है।

मुख्य निर्धारिती कंपनी के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण नीचे पैरा 4.2.2.1 से 4.2.2.2 में लाया गया है:

4.2.2.1 विक्रय का अल्प-प्रकटन

निर्धारिती ने नवंबर 2015 में निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए शून्य आय पर आय का रिटर्न दाखिल किया और निर्धारण अधिकारी ने फरवरी 2019 में धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया, जिसे धारा 144 के साथ ₹ 410.22 करोड़ की आय पर ₹ 202.41 करोड़ की मांग बढ़ी। लेखापरीक्षा ने (अक्टूबर 2020) देखा कि निर्धारिती ने सहयोगी कंपनी के इसके साथ विलय पर संशोधित आईटीआर और कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत की थी। आईटीआर में उल्लिखित मात्रात्मक विवरणों की कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित विवरणों के साथ तुलना करने पर, यह पाया गया कि कच्चे माल की विक्रय और क्रय मात्रा में अंतर था; और तैयार माल की विक्रय और निर्मित मात्रा जैसा कि नीचे तालिका 4.17 में दिखाया गया है:

तालिका 4.17: आईटीआर और फॉर्म 3सीडी के अनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 में मैसर्स जीजी लिमिटेड का मात्रात्मक विवरण					
विवरण	इकाई	संव्यवहार की प्रकृति	संशोधित आईटीआर 6 के अनुसार	संशोधित फॉर्म 3सीडी के अनुसार	अंतर
अनगढ़ हीरे	कैरेट	क्रय	28,49,598	30,95,639	2,46,041
अनगढ़ हीरे	कैरेट	विक्रय	22,01,749	24,47,790	2,46,041
आभूषण कच्चे माल	ग्राम	क्रय	58,43,607	65,07,215	6,63,608
आभूषण कच्चे माल	ग्राम	विक्रय	8,22,166	14,85,774	6,63,608
पॉलिश डायमंड	कैरेट	निर्माण	1,13,738	1,27,231	13,493
पॉलिश डायमंड	कैरेट	विक्रय	8,24,124	8,37,608	13,484

स्रोत: आईटीडी के निर्धारण अभिलेख

इस प्रकार, संशोधित आईटीआर में 2,46,041 कैरेट अनगढ़ हीरे, 6,63,608 ग्राम आभूषण-कच्चे माल (वस्तु का उचित नाम उल्लिखित नहीं था) और 13,484 कैरेट पॉलिश हीरे के विक्रय के संबंध में अल्प प्रकटन किया गया था। बैलेंस शीट और लाभ और हानि लेखा में मद-वार मूल्य की अनुपलब्धता के कारण लेखापरीक्षा अल्प प्रकटन के मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकी। लेखापरीक्षा में कहा गया है कि संवीक्षा के दौरान निर्धारण विवरणों को निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया

था और आईटीआर और फॉर्म 3सीडी के अनुसार उल्लिखित विवरणों में अंतर की जांच करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

यह अभ्युक्ति अक्टूबर 2020 में विभाग को बतायी गयी थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.2.2.2 डीजीआईटी (सिस्टम) द्वारा और विभागीय अभिलेख के अनुसार प्रस्तुत आंकड़ों में अंतर

निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए शून्य आय पर नवंबर 2015 में आय का रिटर्न दाखिल किया और निर्धारण अधिकारी ने ₹ 410.22 करोड़ की आय पर धारा 144 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण (फरवरी 2019) पूरा किया, जिससे ₹ 202.41 करोड़ की मांग बढ़ी। लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2020) में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा रखे गए वास्तविक अभिलेख की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा धारा 10ए के तहत दावा की गई/अनुमत कटौती, सकल प्राप्तियों, मुनाफे आदि के संबंध में प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार सांख्यिकीय विवरणों में अंतर था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने 30.11.2016 को संशोधित आईटीआर प्रस्तुत किया था; हालांकि, डीजीआईटी (सिस्टम्स) ने केवल मूल आईटीआर से डेटा कैप्चर और प्रकट किया।

यह अभ्युक्ति अक्टूबर 2020 में विभाग को बतायी गयी थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.2.3. मैसर्स डीडी प्राइवेट लिमिटेड (प्रधान सीआईटी-5, मुंबई) के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2012-13 से निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए पीसीआईटी-5 मुंबई के तहत निर्धारण किए गए मैसर्स डीडी प्राइवेट लिमिटेड के अभिलेख की जांच की। निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण निर्धारण वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2016-17 के लिए पूरा किया गया था; और निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए संक्षिप्त निर्धारण किया गया था। इन निर्धारण वर्ष के लिए आईटीडी द्वारा उठाए गए टर्नओवर, रिटर्न आय, निर्धारित आय और मांग नीचे दी गई तालिका 4.18 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.18: मैसर्स डीडी प्राइवेट लिमिटेड के निर्धारण विवरण					[₹ करोड़ में]	
निर्धारण वर्ष	टर्नओवर	रिटर्न आय	निर्धारण धारा	निर्धारित आय	मांग	
2017	5439.21	90.92	143(1)	धारा 143(1) के तहत आदेश विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था		
2016	4502.45	49.99	143(3)	50.62	0.00	
2015	5279.14	86.96	143(3)	88.80	0.01	
2014	4150.85	104.69	143(3)	106.50	0.00	
2013	3115.20	53.19	143(3)/ 147	53.42	अनुपलब्ध	
2012	2328.04	43.74	143(3)	46.47	0.00	

स्रोत: आईटीडी के निर्धारण अभिलेख

निर्धारिती कंपनी के निर्धारण अभिलेख के 360-डिग्री विश्लेषण से पता चला है कि निर्धारण वर्ष 2015-16 में जड़े हुए आभूषणों के अंत शेष में अंतर का गैर-सत्यापन, निर्धारण वर्ष 2016-17 में अथ शेष की तुलना में, निर्दिष्ट व्यक्ति की पुस्तकों में प्रकट निर्दिष्ट व्यक्तियों को दिए गए ऋण/जमा का गैर-सत्यापन और माल की क्रय के लिए एक निर्दिष्ट व्यक्ति को किए गए भुगतान का गैर-सत्यापन। यद्यपि फॉर्म 3सीडी में प्रकट निर्दिष्ट व्यक्ति का पैन उपलब्ध नहीं था, लेकिन संवीक्षा निर्धारण के दौरान संव्यवहार की प्रामाणिकता सत्यापित नहीं की गई थी। निर्धारिती कंपनी के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विवरणों को नीचे पैरा 4.2.3.1 में दिया गया है:

4.2.3.1 शेरों में बेमेलता

निर्धारिती ने ₹ 49.99 करोड़ की आय पर निर्धारण वर्ष 2016-17 (नवंबर 2016) के लिए आय का रिटर्न दाखिल किया और विभाग ने ₹ 50.62 करोड़ की आय पर धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण (दिसंबर 2018) पूरा किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि (नवंबर 2020) कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (क्रम संख्या 35) से निर्धारण वर्ष 2015-16 में जड़े हुए आभूषणों (तैयार माल) का अंत शेष शून्य था, जबकि इसे निर्धारण वर्ष 2016-17 के अथ शेष में 2,166 ग्राम के रूप में दिखाया गया था। इसके अलावा, कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कटे और पॉलिश हीरे की 18 कैरेट की कमी को दर्शाया गया था। तथापि, निर्धारण अभिलेखों में ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं था जिससे यह पता चल सके कि विभाग ने इन विसंगतियों के कारणों की जांच करने के लिए इस संबंध में कोई सत्यापन किया है और यह भी सुनिश्चित किया है

कि निर्धारिती स्टाक की कमी/अनियमित अग्रेषित के कारण किसी लाभ को छिपा नहीं रहे हैं।

यह अभ्युक्ति नवंबर 2020 में विभाग को इंगित की गई थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.2.4 मैसर्स जीजे प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षा के निष्कर्ष [प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई]

मैसर्स जीजे प्राइवेट लिमिटेड के मामले को निर्धारण वर्ष 2014-15 से निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए 360-डिग्री विश्लेषण के लिए चुना गया था। निर्धारण वर्ष 2014-15, निर्धारण वर्ष 2015-16, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए जांच निर्धारण मार्च 2016, दिसंबर 2017 और दिसंबर 2019 में पूरा किया गया था, जिसमें क्रमशः ₹ 36.07 करोड़, ₹ 163.73 करोड़ और ₹ 219.25 करोड़ की आय निर्धारित की गई थी। निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए संक्षिप्त निर्धारण धारा 143(1) के तहत संसाधित किया गया था, जिसके लिए निर्धारिती ने ₹ 124.11 करोड़ की आय स्वीकार की थी। इन निर्धारण वर्ष के लिए आईटीडी द्वारा उठाए गए टर्नओवर, रिटर्न आय, निर्धारित आय और मांग नीचे दी गई तालिका 4.19 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.19: मैसर्स जीजे प्राइवेट लिमिटेड के निर्धारण का विवरण।						
						(₹ करोड़ में)
निर्धारण वर्ष	टर्नओवर	रिटर्न आय	निर्धारण धारा	निर्धारित आय	आदेश की तिथि	मांग
2017	8,119.67	215.30	143(3)	219.25	31/12/2019	
2016	6,715.18	124.11	143(1)			
2015	6,208.31	163.42	143(3)	163.73	31/03/2016	0.14
2014	4,691.99	35.13	143(3)	35.13	28/12/2017	4.00

स्रोत: आईटीडी के निर्धारण अभिलेख

निर्धारिती के निर्धारण अभिलेख के 360-डिग्री विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा में कमियों को देखा गया जैसे कि मामले को ट्रांसफर प्राइसिंग अधिकारी (टीपीओ) को संदर्भित न करना, लाभ और हानि लेखा में गोल्ड बुलियन की विक्रय का अवरोध, गोल्ड बुलियन की खपत पर आभूषणों की अधिक उपज, आभूषणों के अंत स्टॉक की कमी/अधिकता, साथ ही आभूषणों की क्रय और विक्रय की अल्प-रिपोर्टिंग।

लेखापरीक्षा ने मैसर्स जीजे प्राइवेट लिमिटेड के 10 संबंधित पार्टियों³⁹ के अभिलेख की जांच की और कोई अभ्युक्ति नहीं पायी गयी। इस निर्धारिती के संबंधित पार्टियों का विवरण इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक एच के क्र.सं.22 पर दिया गया है।

4.2.4.1 ट्रांसफर प्राइसिंग अधिकारी (टीपीओ) को मामले का गैर-रेफरल

यद्यपि निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारिती के मामले को "बड़े निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार" के आधार पर कैस में संवीक्षा के लिए चुना गया था, लेकिन ₹ 119.20 करोड़ के महत्वपूर्ण निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के बावजूद इसे निर्धारण अधिकारी द्वारा टीपीओ को नहीं भेजा गया था। निर्धारण अधिकारी न केवल निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा, बल्कि अंतरण मूल्य निर्धारण तंत्र से उत्पन्न जटिल मुद्दों से निपटने के लिए विभाग द्वारा बनाए गए एक विशेष टीपीओ सेल की सहायता का उपयोग करने में भी विफल रहा।

यह अभ्युक्ति अक्टूबर 2020 में विभाग को इंगित की गई थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.2.4.2 गोल्ड बुलियन की विक्रय का अवरोध

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हालांकि निर्धारिती ने कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (टीएआर) में दिखाया था, निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान गोल्ड बुलियन की विक्रय की महत्वपूर्ण मात्रा को दिखाया था, इन निर्धारण वर्ष के दौरान आईटीआर और लाभ और हानि लेखा में इस तरह के गोल्ड बुलियन की विक्रय के विरुद्ध कोई संबंधित मूल्य का प्रकटीकरण नहीं किया गया था। इसने गोल्ड बुलियन की उपरोक्त मात्राओं की विक्रय के अवरोध की संभावना का संकेत दिया। यदि सोने के प्रचलित बाजार मूल्य को अपनाया जाता है (www.livechennai.com के अनुसार), तो इस तरह के अवरोध का मूल्य और परिणामी राजस्व निहितार्थ नीचे दी गई तालिका 4.20 के अनुसार होगा:

³⁹ मैसर्स जीटी- फर्म, जी आर; जी आर (एचयूएफ); जी.ए.; जीए (एचयूएफ); जीआर1 (एचयूएफ); मैसर्स जीएच प्राइवेट लिमिटेड; पी एस; आर एम और आर वी

तालिका 4.20: आईटीआर, टीएआर और पी एंड एल लेखा के अनुसार विवरण					
निर्धारण वर्ष	टीएआर के अनुसार गोल्ड बुलियन का विक्रय	आईटीआर और पी एंड एल खता अनुसार गोल्ड बुलियन का विक्रय	प्रति ग्राम सोने की बाजार दर	आईटीआर और पी एंड एल लेखा में संबंधित विक्रय मूल्य का गैर-प्रकटीकरण	संभावित राजस्व निहितार्थ ⁴⁰
	(ग्राम में मात्रा)	(₹ करोड़ में)	(₹)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
2014-15	8,50,944	0	2,509	213.50	72.57
2015-16	4,08,413	0	2,420	98.84	33.60
2016-17	2,03,000	0	2,344	47.58	16.46
2017-18	96,606	0	2,647	25.57	8.85

स्रोत: आईटीडी के निर्धारण अभिलेख

विभाग को इस मुद्दे की जांच करने और गोल्ड बुलियन का विक्रय की ऐसी विसंगतियों के कारणों को सत्यापित करने की आवश्यकता है। केवल रिकॉर्ड और बीजक के सत्यापन के बिना निर्धारिती द्वारा की गई घोषणाओं के आधार पर निर्धारण में राजस्व निहितार्थ शामिल हो सकते हैं जैसा कि लेखापरीक्षा में बताया गया है। सटीक राजस्व निहितार्थ, यदि कोई हो, की भी जांच किए जाने की आवश्यकता है।

इन अभ्युक्तियों को अक्टूबर 2020 और अक्टूबर 2021 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.2.4.3 गोल्ड बुलियन की खपत पर आभूषणों की अतिरिक्त उत्पादन

निर्धारिती ने टीएआर में निर्धारण वर्ष 2014-15, 2016-17 और 2017-18 के दौरान गोल्ड बुलियन की खपत से अतिरिक्त सोने के आभूषणों के निर्माण को दिखाया था (तालिका 4.21)। इसने संकेत दिया कि निर्मित मात्रा निर्धारण वर्ष 2014-15 और 2016-17 के दौरान लगभग पांच गुना थी और 2017-18 के दौरान कच्चे माल की खपत के दौरान 1.09 गुना थी। बेहिसाब कच्चे माल को पेश किए बिना यह संभव नहीं था। इसके अलावा, इन निर्धारण वर्ष 2014-15, 2016-17 और 2017-18 के दौरान अतिरिक्त उत्पादन अस्पष्टीकृत इनपुट प्रतीत होती है और

⁴⁰ लेखापरीक्षा द्वारा परिकल्पित कर निहितार्थ, आयकर विभाग के निर्धारण रिकॉर्ड में उपलब्ध विवरणों के अनुसार अनंतिम मूल्यों पर आधारित है और इसमें आईटीडी के रिकॉर्ड के अनुसार विभिन्न मदों के मात्रात्मक विवरण के तदनुरूपी ओवरलैप के आधार पर राशियों का ओवरलैपिंग शामिल हो सकता है, जिसकी विस्तार से जांच और सत्यापन किए जाने की आवश्यकता है। आईटीडी द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए निर्धारण रिकॉर्ड में स्टॉक की मात्रा के पूर्ण विवरण के अभाव में ओवरलैपिंग से इनकार नहीं किया जा सकता है।

इसके संबंधित मूल्य को निर्धारिती की आय के लिए अस्पष्टीकृत क्रेडिट के रूप में जोड़ा जाना आवश्यक था।

यदि इन निर्धारण वर्ष के लिए प्रचलित बाजार मूल्य को अपनाया जाता है (www.livechennai.com के अनुसार), तो इस तरह के अस्पष्टीकृत अतिरिक्त उपज और संबंधित राजस्व निहितार्थ का मूल्य नीचे तालिका 4.21 में दिखाया गया है।

तालिका 4.21: टीएआर, आईटीआर और पी एंड एल लेखा के अनुसार विवरण						
निर्धारण वर्ष	टीएआर (ग्राम) के अनुसार गोल्ड बुलियन की खपत	टीएआर (ग्राम) के अनुसार सोने के आभूषणों का निर्माण	अतिरिक्त निर्माण (ग्राम)	प्रति ग्राम सोने की बाजार दर (₹)	आईटीआर और पी एंड एल लेखा में संबंधित विक्रय मूल्य का गैर-प्रकटीकरण (₹ करोड़ में)	संभावित राजस्व निहितार्थ ⁴¹ (₹ करोड़ में)
2014-15	90,95,156	4,43,66,052	3,52,70,896	2,509	8,849.47	3,007.94
2016-17	1,54,25,705	8,90,91,109	7,36,65,404	2,344	17,267.17	5,975.82
2017-18	1,69,66,138	1,85,82,308	16,16,170	2,647	427.80	148.05

स्रोत: आईटीडी के निर्धारण अभिलेख

विभाग को इस मुद्दे की जांच करने और सोने के आभूषणों की अधिक उत्पादन की ऐसी विसंगतियों के कारणों को सत्यापित करने की आवश्यकता है। निर्धारण केवल रिकॉर्ड और बीजक के सत्यापन के बिना निर्धारिती द्वारा की गई घोषणाओं के आधार पर राजस्व निहितार्थ शामिल हो सकते हैं जैसा कि लेखापरीक्षा में बताया गया है। सटीक राजस्व निहितार्थ, यदि कोई हो, की भी जांच किए जाने की आवश्यकता है।

इन अभ्युक्तियों को अक्टूबर 2020 और अक्टूबर 2021 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

⁴¹ लेखापरीक्षा द्वारा परिकल्पित कर निहितार्थ, आयकर विभाग के निर्धारण रिकॉर्ड में उपलब्ध विवरणों के अनुसार अनंतिम मूल्यों पर आधारित है और इसमें आईटीडी के रिकॉर्ड के अनुसार विभिन्न मदों के मात्रात्मक विवरण के तदनुरूपी ओवरलैप के आधार पर राशियों का ओवरलैपिंग शामिल हो सकता है, जिसकी विस्तार से जांच और सत्यापन किए जाने की आवश्यकता है। आईटीडी द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए निर्धारण रिकॉर्ड में स्टॉक की मात्रा के पूर्ण विवरण के अभाव में ओवरलैपिंग से इनकार नहीं किया जा सकता है।

4.2.4.4 आभूषणों के अंतिम स्टॉक की कमी/अधिकता

लेखापरीक्षा में टीएआर में आभूषणों के लिए उपलब्ध विवरणों से पाया गया कि आभूषणों की अंतिम मात्रा का ठीक से प्रकटीकरण नहीं किया गया था। निर्धारण वर्ष 2014-15 में अंत स्टॉक का संक्षिप्त प्रकटीकरण और निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 में अंत स्टॉक का अधिक प्रकटीकरण था, जैसा कि नीचे तालिका 4.22 में दिखाया गया है।

तालिका 4.22: टीएआर के अनुसार विवरण (ग्राम में मात्रा)							
निर्धारण वर्ष	शुरुआती स्टॉक की मात्रा	क्रय की मात्रा	निर्मित मात्रा	विक्रय मात्रा	टीएआर में दिखाए जाने वाले अंत स्टॉक की मात्रा	टीएआर में प्रकट अंत स्टॉक की वास्तविक मात्रा	अंत स्टॉक की मात्रा के प्रकटीकरण अंतर
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ=क+ख+ग-घ)	(च)	(छ)	
2014-15	1,02,42,759	4,69,12,367	4,43,66,052	5,59,06,378	4,56,14,800	1,27,89,074	(-) 3,28,25,726
2015-16	1,27,89,074	7,56,79,925	10,01,436	8,35,56,069	59,14,366	2,09,38,994	(+) 1,50,24,628
2016-17	2,13,86,822	2,17,740	8,90,91,109	10,43,47,039	63,48,632	2,17,05,500	(+) 1,53,56,868
2017-18	2,17,05,500	9,00,15,203	1,85,82,308	10,56,73,905	2,46,29,106	2,46,29,106	शून्य

स्रोत: आईटीडी के निर्धारण अभिलेख

यह इस तथ्य का संकेत हो सकता है कि निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2014-15 में अंतिम स्टॉक को अवरुद्ध किया था और निर्धारण वर्ष 2015-16 और निर्धारण वर्ष 2016-17 में अपने बेहिसाब शेरों को पेश किया था। तथापि, निर्धारण के दौरान विभाग द्वारा न तो इसका (कमी/अधिकता) प्रकटीकरण/उचित ठहराया गया था और न ही इसकी जांच की गई थी।

यदि निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए सोने का प्रचलित बाजार मूल्य (www.livechennai.com के अनुसार) अपनाया जाता है, तो इन निर्धारण वर्ष के लिए अंत स्टॉक के अवरोध/बेहिसाब स्टॉक की शुरुआत और राजस्व निहितार्थ⁴² के अनुरूप मूल्य नीचे दी गई तालिका 4.22(क) के अनुसार होगा:

⁴² लेखापरीक्षा द्वारा परिकल्पित कर निहितार्थ, आयकर विभाग के निर्धारण रिकॉर्ड में उपलब्ध विवरणों के अनुसार अनंतिम मूल्यों पर आधारित है और इसमें आईटीडी के रिकॉर्ड के अनुसार विभिन्न मदों के मात्रात्मक विवरण के तदनुरूपी ओवरलैप के आधार पर राशियों का ओवरलैपिंग शामिल हो सकता है, जिसकी विस्तार से जांच और सत्यापन किए जाने की आवश्यकता है। आईटीडी द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए निर्धारण रिकॉर्ड में स्टॉक की मात्रा के पूर्ण विवरण के अभाव में ओवरलैपिंग से इनकार नहीं किया जा सकता है।

तालिका 4.22(क): टीएआर के अनुसार विवरण (ग्राम में मात्रा)				
निर्धारण वर्ष	अंतिम स्टॉक की मात्रा के प्रकटीकरण में अंतर (तालिका 4.22 के अनुसार)	सोने का बाजार रेट प्रति ग्राम (₹)	आईटीआर और पी एंड एल लेखा में संबंधित विक्रय मूल्य का गैर-प्रकटीकरण (₹ करोड़ में)	संभावित राजस्व निहितार्थ (₹ करोड़ में)
2014-15	(-) 3,28,25,726	2,509	8,235.97	2,799.41
2015-16	(+) 1,50,24,628	2,420	3,635.96	1,235.86
2016-17	(+) 1,53,56,868	2,344	3,599.65	1,245.77

स्रोत: आईटीडी के निर्धारण अभिलेख

विभाग को इस मुद्दे की जांच करने और अंतिम स्टॉक की कमी और अधिकता की ऐसी विसंगतियों के कारणों को सत्यापित करने की आवश्यकता है। सटीक राजस्व निहितार्थ, यदि कोई हो, की भी जांच किए जाने की आवश्यकता है।

इन अभ्युक्तियों को अक्टूबर 2020 और अक्टूबर 2021 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.2.4.5 आभूषणों की विक्रय और क्रय मूल्य के संबंध में विसंगतियां

लेखापरीक्षा में तैयार आभूषणों (आईटीआर और लाभ एवं हानि लेखा के अनुसार) की विक्रय/क्रय मूल्य की तुलना तदनुसूची मात्रा (टीएआर के अनुसार) से करने पर पाया गया कि विक्रय/क्रय के लिए अपनाई गई प्रति ग्राम दर मौजूदा बाजार दर की तुलना में काफी कम थी। विवरण निम्न तालिका 4.23 में दिखाए गए हैं:

तालिका 4.23: टीएआर, आईटीआर और पी एंड एल लेखा के अनुसार विवरण								
निर्धारण वर्ष	क्रय			विक्रय			प्रति ग्राम प्रचलित बाजार मूल्य (₹)	
	टीएआर के अनुसार ग्राम में मात्रा	आईटीआर और पी एंड एल लेखा के अनुसार मूल्य (₹ करोड़ में)	प्रति ग्राम दर (₹)	टीएआर के अनुसार ग्राम में मात्रा	आईटीआर और पी एंड एल लेखा के अनुसार मूल्य (₹ करोड़ में)	प्रति ग्राम दर (₹)		
2014-15	4,69,12,367	1,540.50	328.00	5,59,06,378	4,323.91	773.42	2,509	
2015-16	7,56,79,925	1,899.88	251.00	8,35,56,069	5,762.04	686.00	2,420	
2016-17	2,17,740	1,759.12	80,790.00	10,43,47,039	6,198.72	594.00	2,344	
2017-18	9,00,15,203	2,158.47	239.78	10,56,73,905	7,480.35	707.87	2,647	

स्रोत: आईटीडी के निर्धारण अभिलेख

उपरोक्त को देखते हुए इतने कम दाम पर सोने के आभूषणों की विक्रय के कारण विक्रय और लाभ छिप गए। यदि निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए सोने का प्रचलित बाजार मूल्य (www.livechennai.com के अनुसार) अपनाया जाता है, तो कम विक्रय मूल्य के कारण विक्रय की अल्प-रिपोर्टिंग का संबंधित मूल्य, और परिणामी राजस्व निहितार्थ⁴³ तालिका 4.23(ए) (कुल ₹ 21,634.11 करोड़) के अनुसार होगा।

तालिका 4.23(ए): टीएआर, आईटीआर और पी एंड एल लेखा के अनुसार विवरण							
निर्धारण वर्ष	क्रय			प्रति ग्राम प्रचलित बाजार मूल्य (₹)	विक्रय के लिए प्रति ग्राम दर का अल्प-अभिग्रहण (₹)	आईटीआर और पीएंडएल लेखा में संबंधित मूल्य का प्रकटीकरण नहीं किया गया (₹ करोड़ में)	राजस्व निहितार्थ (₹ करोड़ में)
	टीएआर के अनुसार ग्राम मात्रा	आईटीआर और पी एंड एल लेखा के अनुसार मूल्य (₹ करोड़ में)	प्रति ग्राम दर (₹)				
2014-15	5,59,06,378	4,323.91	773.42	2,509	1,735.58	9,703.00	3,298.05
2015-16	8,35,56,069	5,762.04	686.00	2,420	1,734.00	14,488.62	4,924.68
2016-17	10,43,47,039	6,198.72	594.00	2,344	1,750.00	18,260.73	6,319.67
2017-18	10,56,73,905	7,480.35	707.87	2,647	1,939.13	20,491.54	7,091.71

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

विभाग को इस मुद्दे की जांच करने और सोने के आभूषणों के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में ऐसी विसंगतियों के कारणों को सत्यापित करने की आवश्यकता है। जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है कि अभिलेखों व बीजकों के सत्यापन के बिना निर्धारण केवल निर्धारिती की घोषणा पर आधारित हैं, जिसमें राजस्व पहलू भी सम्मिलित हो सकते हैं।

इसी तरह, निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2017-18 में आभूषणों की क्रय बहुत कम कीमत पर और बाजार दर की तुलना में निर्धारण वर्ष 2016-17 में बहुत अधिक कीमत पर दिखाया गया था, जो यह संकेत दे सकता है कि निर्धारिती ने नकद में अंतर राशि का भुगतान किया होगा। निर्धारण के दौरान विभाग द्वारा इस पहलू की भी जांच नहीं की गई।

⁴³ लेखा परीक्षा द्वारा परिकल्पित कर निहितार्थ आईटीडी के मूल्यांकन अभिलेखों में उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार अनंतिम मूल्यों पर आधारित है और इसमें आईटीडी के अभिलेखों के अनुसार विभिन्न मदों के मात्रात्मक ब्यौरे के तदनुसूची ओवरलैप के आधार पर राशियों का ओवरलैपिंग शामिल हो सकता है, जिसकी विस्तार से जांच और सत्यापन किए जाने की आवश्यकता है। आईटीडी द्वारा लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किए गए मूल्यांकन रिकॉर्ड में स्टॉक की मात्रा के पूर्ण विवरण के अभाव में ओवरलैपिंग से इनकार नहीं किया जा सकता है।

इन अभ्युक्तियों को अक्टूबर 2020 और अक्टूबर 2021 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.2.5 मैसर्स एटी प्राइवेट लिमिटेड (प्रधान सीआईटी-1, बंगलौर) के संबंध में लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2014-15 से निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए मैसर्स एटी प्राइवेट लिमिटेड के अभिलेख की जांच की। निर्धारिती की संवीक्षा निर्धारण निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए पूरा किया गया था; और निर्धारण वर्ष 2015-16 से निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए सारांश निर्धारण किया गया था। इन निर्धारण वर्ष के लिए आईटीडी द्वारा उठाए गए टर्नओवर, रिटर्न में दर्शाई गई आय, निर्धारित आय और मांग जैसे निर्धारण विवरण निम्न तालिका 4.24 में दिखाए गए हैं:

तालिका 4.24: मैसर्स एटी प्राइवेट लिमिटेड के निर्धारण विवरण						
						(₹ करोड़ में)
निर्धारण वर्ष	वर्ष के लिए टर्नओवर	रिटर्न आय	निर्धारण संबंधी धारा	निर्धारित आय	आदेश की तिथि	मांग
2014	165.21	6.76	143(3)	11.49	29.12.2016	2.29
2015	165.56	6.86	143(1)	6.86	धारा 143(1) के तहत संसाधित आदेश लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था	
2016	145.95	5.60	143(1)	5.60		
2017	133.17	7.72	143(1)	7.72		
2018	145.76	0.00	143(1)	0.00		
स्रोत: आईटीडी के निर्धारण अभिलेख						

फरवरी 2011 में निगमित उपरोक्त निर्धारिती कंपनी ने मैसर्स एजे को एक गोइंग कंसर्न के रूप में (अप्रैल 2013) अधिग्रहण किया। निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2014-15 (सितंबर 2014) के लिए ₹ 6.76 करोड़ की आय पर आय का रिटर्न दाखिल किया था और निर्धारण अधिकारी ने धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण (दिसंबर 2016) पूरा किया था, जिसमें ₹ 11.49 करोड़ की आय निर्धारित की गई थी।

मैसर्स एटी प्राइवेट लिमिटेड (पीसीआईटी-1 बंगलुरु) के संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेख: इस निर्धारिती के संबंध में निर्धारण वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए अधिनियम की धारा 143(1) के तहत पारित आदेश लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

निर्धारिती कंपनी के निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारण अभिलेख के 360-डिग्री विश्लेषण से पता चला है कि मैसर्स एजे के अधिग्रहण के बाद बही-लेखा में अंत स्टॉक के अल्प-अधिग्रहण और नकदी और बैंक बैलेंस का अल्प-लेखांकन

किया गया है। लेखापरीक्षा में विभिन्न अनियमितताओं का पता चला, जो निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए संवीक्षा निर्धारण के दौरान गौर नहीं की गई। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विवरणों को नीचे पैरा 4.2.5.1 से 4.2.5.2 में लाए गए हैं:

4.2.5.1 अंत स्टॉक के अल्प-अभिग्रहण के कारण अल्प निर्धारण

अधिग्रहण के दौरान, निर्धारिती ने मैसर्स एजे की पुस्तकों में रखी गई ₹ 60.70 करोड़ की वास्तविक राशि के बजाय अपने बही-लेखा में ₹ 40.75 करोड़ के अंतिम स्टॉक को गलत तरीके से अपनाया था। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की आय में ₹ 19.95 करोड़ की अंतर राशि नहीं जोड़ी थी। इसके परिणामस्वरूप धारा 234बी के तहत ₹ 2.24 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 9.02 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 19.95 करोड़ का कम निर्धारण हुआ।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.2.5.2 अथ नकद शेष राशि के लघु लेखांकन के कारण अल्प निर्धारण

मैसर्स एजे की नकदी और बैंक शेष राशि निर्धारिती द्वारा केवल ₹ 2.99 लाख लेखांकित की गई थी, जबकि वास्तविक राशि ₹ 4.45 करोड़ थी। निर्धारण अधिकारी ने इस विसंगति को इंगित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप धारा 234 बी के तहत ₹ 49.59 लाख के ब्याज सहित ₹ 2.00 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 4.45 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

आईटीडी अंत स्टॉक को कम अपनाने और निर्धारिती के नकदी और बैंक बैलेंस के अल्प लेखांकन के गैर-सत्यापन के कारणों की जांच करने पर विचार कर सकता है। आईटीडी लेखापरीक्षा परीक्षा के लिए निर्धारण अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारणों की भी जांच कर सकता है।

4.2.6 मैसर्स केडी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षा के निष्कर्ष [प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), जयपुर]

लेखापरीक्षा में मैसर्स केडी प्राइवेट लिमिटेड के दो संबंधित पार्टियों⁴⁴ के अभिलेखों की जांच की गई और कोई अभ्युक्ति नहीं पायी गयी। इसके अतिरिक्त, निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए एक अन्य संबंधित पार्टी (केआई (पी) लिमिटेड) के अभिलेख लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इस निर्धारिती के संबंधित पार्टियों का विवरण इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक एच की क्र.सं. 25 पर दिया गया है।

⁴⁴ मैसर्स के1 (पी) लिमिटेड और मैसर्स केसी प्राइवेट लिमिटेड

4.2.6.1 निर्दिष्ट व्यक्ति को ₹ 66.50 लाख के ऋण/जमा का सत्यापन न करना

निर्धारिती ने ₹ 27.70 करोड़ की आय पर निर्धारण वर्ष 2013-14 (नवंबर 2013) के लिए आय का रिटर्न दाखिल किया और निर्धारण अधिकारी ने धारा 143(3) के तहत जांच निर्धारण (दिसंबर 2016) पूरा किया, जिसमें रिटर्न आय को स्वीकार किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया (अक्टूबर 2020) कि निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2013-14 में एक निर्दिष्ट व्यक्ति मैसर्स के1 प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए ₹ 66.50 लाख के ऋण/ जमा का प्रकटीकरण नहीं किया था, हालांकि मैसर्स के1 प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी पुस्तकों में प्रकटीकरण किया कि उसने निर्धारण वर्ष 2013-14 में निर्धारिती से उपरोक्त ऋण/ जमा स्वीकार कर लिया था। हालांकि ₹ 66.50 लाख की राशि एक अघोषित ऋण/ जमा बनी रही, लेकिन संवीक्षा निर्धारण के दौरान अधिनियम की धारा 69 के तहत निर्धारिती की आय में इसे नहीं जोड़ा गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 66.50 लाख की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 21.58 लाख का कर कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2020) कि मामले की जांच की जाएगी।

4.2.6.2 निर्दिष्ट व्यक्ति को माल की क्रय के भुगतान का गैर-सत्यापन

निर्धारिती ने ₹ 27.70 करोड़ की आय पर निर्धारण वर्ष 2013-14 (नवंबर 2013) के लिए आय का रिटर्न दाखिल किया और निर्धारण अधिकारी ने धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण (दिसंबर 2016) पूरा किया, जिसमें रिटर्न आय को स्वीकार किया गया। लेखापरीक्षा ने (अक्टूबर 2020) पाया कि निर्दिष्ट व्यक्ति मैसर्स एसजी इंक के मामले में, कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में गलत पैर दर्शाया गया था। निर्धारण वर्ष 2013-14 में उपरोक्त पार्टी के साथ ₹ 10.64 लाख के सामान की क्रय के लिए एक संव्यवहार किया गया था। विभाग ने सूचित किया था कि उक्त पैर मौजूद नहीं था। इस प्रकार, निर्धारण के दौरान मैसर्स एसजी इंक के साथ ₹ 10.64 लाख की राशि के संव्यवहार की सत्यता असत्यापित रही, और इसलिए अधिनियम की धारा 69 के तहत निर्धारिती की कुल आय में राशि को जोड़ा जाना आवश्यक था। इसके परिणामस्वरूप आय का ₹ 10.64 लाख का कम निर्धारण हुआ और इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.45 लाख का कम कर लगा।

यह अभ्युक्ति अक्टूबर 2020 में विभाग को बतायी गयी थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.2.7 मैसर्स एसएल लिमिटेड (पीसीआईटी-4 अहमदाबाद) के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2015-16 और निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए पीसीआईटी-4 अहमदाबाद के तहत निर्धारण किए गए मैसर्स एसएल लिमिटेड के अभिलेख की जांच की। निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए पूरा किया गया था और निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए संक्षिप्त निर्धारण किया गया था। इन निर्धारण वर्ष के लिए आईटीडी द्वारा उठाए गए टर्नओवर, रिटर्न आय, निर्धारित आय और मांग नीचे दी गई तालिका 4.25 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.25: मैसर्स एसएल लिमिटेड के निर्धारण विवरण					(₹ करोड़ में)	
निर्धारण वर्ष	वर्ष के लिए टर्नओवर	रिटर्न आय	निर्धारण संबंधी धारा	निर्धारित आय	मांग	
2015	153.49	0	143(1)(ए)	0	0.14	
2016	119.66	0	143(3)	0	0.01	

स्रोत: आईटीडी के निर्धारण अभिलेख

निर्धारिती कंपनी ने नवंबर 2016 में निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आय का रिटर्न दाखिल किया था, जिसमें शून्य आय की घोषणा की गई थी और उक्त निर्धारण वर्ष के लिए संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में धारा 143(3) के तहत रिटर्न आय को स्वीकार करते हुए पूरा किया गया था।

लेखापरीक्षा में मैसर्स एसएल लिमिटेड के सात संबंधित पार्टियों⁴⁵ के अभिलेखों की जांच की गई और वेतन, किराए के व्यय आदि की राशि में विसंगति देखी गई। इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2015-16 और निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए एक अन्य संबंधित पार्टी (एमपी) के अभिलेख लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इस निर्धारिती के संबंधित पार्टियों का विवरण इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक एच के क्र.सं.2 पर दिया गया है।

निर्धारिती कंपनी की व्यावसायिक गतिविधि के 360-डिग्री विश्लेषण से निम्नलिखित अभ्युक्तियों का पता चला:

- निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2016-17 में चार संबंधित पार्टियों (एपी, डीपी, एमपी एवं एलपी) के विरुद्ध ₹ 1.06 करोड़ के कुल वेतन व्यय का दावा किया था; हालांकि, इन पार्टियों ने अपने आईटीआर में ₹ 1.01 करोड़ की

⁴⁵ एलपी(व्यक्ति); एपी (व्यक्ति); डीपी (व्यक्ति); एमटी (व्यक्ति); एपी एचयूएफ; एमपी (व्यक्ति); एसएस - फर्म

कुल वेतन आय की पेशकश की। इस प्रकार, ₹ 4.56 लाख के वेतन व्यय के संबंध में बेमेल था।

- इसके अलावा, निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2016-17 में एक अन्य संबंधित पार्टी एसएस को ₹ 12.29 लाख के रूप में प्रतिपूर्ति दिखाई थी, हालांकि ये विवरण एसएस की कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में नहीं पाए गए थे।
- निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2016-17 में एसएस को दिए गए किराए के व्यय को ₹ 1.78 करोड़ के रूप में दिखाया था; हालांकि एसएस ने निर्धारिती से किराया आय को ₹ 1.56 करोड़ के रूप में दिखाया था, जिससे ₹ 21.73 लाख का अंतर किराया व्यय हुआ था।

निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारण मामले के संबंध में वेतन और किराए के व्यय में उपरोक्त अंतर भी देखे गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने उपरोक्त विसंगति के संबंध में कोई सत्यापन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप कम निर्धारण और परिणामी कम मांग हो सकती है।

यह अभ्युक्ति अक्टूबर 2020 में विभाग को इंगित किया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.2.8 आयकर अधिनियम की धारा 142 (2ए) के तहत विशेष लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने रत्न और आभूषण क्षेत्र से संबंधित मुंबई में 1,089 निर्धारण अभिलेखों की जांच की और विभिन्न प्रणालीगत और अनुपालन मुद्दों का अवलोकन किया। फिर भी, लेखापरीक्षा में ऐसा कोई मामला नहीं मिला जहां विभाग ने धारा 142(2ए)⁴⁶ के तहत विशेष लेखापरीक्षा की हो। रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के संबंध में वि.व 2015-16 से वि.व 2018-19 तक की अवधि के दौरान आयोजित विशेष लेखापरीक्षा, यदि कोई हो, के बारे में जानकारी विभाग (अक्टूबर 2021) से मांगी गई है।

⁴⁶ आयकर अधिनियम की धारा 142(2ए) के प्रावधानों के अनुसार, यदि, निर्धारण अधिकारी की राय में यदि उसके सामने कार्यवाही के किसी भी चरण में, लेखा की प्रकृति और जटिलता, लेखा की मात्रा, लेखा की शुद्धता के बारे में संदेह, लेखा में संव्यवहार की बहुलता या निर्धारिती की व्यावसायिक गतिविधि की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, और राजस्व के हितों में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पिछले अनुमोदन के साथ, निर्धारिती को एक लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा प्राप्त करने का निर्देश दे सकता है, जैसा कि धारा 288 की उप-धारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस संबंध में नामित और ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित निर्धारित फॉर्म में ऐसी लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और ऐसे विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए जो पूर्वोक्त हो सकते हैं।

लेखापरीक्षा ने नोट किया कि लेखापरीक्षा नमूने में शामिल किए गए निर्धारणों के मामले में सभी शर्तों को पूरा करने के बावजूद, विशेष रूप से 31 निर्धारितियों के 74 मामलों के लिए, अर्थात् व्यावसायिक संव्यवहार की जटिल प्रकृति, लेखा की जटिलता, लेखा की मात्रा, लेखा की शुद्धता के बारे में संदेह, लेखा में संव्यवहार की बहुलता या व्यावसायिक गतिविधि की विशेष प्रकृति, और राजस्व के हितों, आयकर अधिनियम की धारा 142(2ए) के तहत प्रावधानों को लेखापरीक्षा द्वारा चयनित किसी भी निर्धारितियों के निर्धारण के लिए लागू नहीं किया गया प्रतीत होता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.3 अनियमित छूट/कटौती/प्रदत्त राहत

आयकर अधिनियम, 1961 में प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी को निर्धारितियों द्वारा दावा की गई छूट/कटौती/ विभिन्न व्ययों, जैसा भी मामला हो की जांच करने की आवश्यकता है ताकि कुल आय या हानि का सही निर्धारण और कर या वापसी की सही राशि निर्धारित की जा सके।

15 वर्षों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10ए के तहत कर अवकाश एसईजेड में नव स्थापित इकाइयों के लिए उपलब्ध है (पहले पांच वर्षों के लिए 100 प्रतिशत, अगले पांच वर्षों के लिए 50 प्रतिशत और विशेष रिजर्व के सृजन के अध्यक्षीन अगले पांच वर्षों के लिए 50 प्रतिशत की और कटौती)।

इसके अलावा, 01 अप्रैल 2018 को धारा 10ए के तहत स्पष्टीकरण के द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, 'इस धारा के तहत कटौती की राशि को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना किए गए निर्धारितियों की कुल आय से अनुमति दी जाएगी, इस धारा के प्रावधानों को प्रभावी करने से पहले और इस धारा के तहत कटौती निर्धारितियों की ऐसी कुल आय से अधिक नहीं होगी।' चूंकि यह मौजूदा प्रावधान का स्पष्टीकरण है, इसलिए यह धारा 10ए की शुरुआत की तारीख से प्रभावी है।

महाराष्ट्र में आठ निर्धारण मामलों में लेखापरीक्षा ने देखा कि जहां धारा 10ए के तहत कटौती जिसमें ₹ 18.64 करोड़ का धन मूल्य शामिल था, की गलत तरीके से अनुमति दी गई थी। ऐसे तीन मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

बॉक्स 4.1: धारा 10ए के तहत कटौती के गलत दावे का उदाहरण

(क) प्रभार: प्रधान सीआईटी 14, मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स सीएम

निर्धारण वर्ष: 2012-13

निर्धारिती, एक कंपनी ने नवंबर 2012 में ₹ 4.72 करोड़ की आय पर निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए आय का रिटर्न दाखिल किया और मई 2016 में अधिनियम की धारा 144 सी (3) के साथ पठित धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था, जिससे ₹ 5.39 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया था, जिससे ₹ 0.16 लाख की मांग बढ़ गई थी। वित्तीय वर्ष 2011-12 के लाभ और हानि लेखा के अनुसार, निर्धारिती कंपनी का कुल टर्नओवर ₹ 226.86 करोड़ था।

निर्धारिती कंपनी ने एसईजेड, सूरत में स्थित इकाइयों के संबंध में अधिनियम की धारा 10ए के तहत ₹ 13.55 करोड़ की छूट का दावा किया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एसईजेड इकाई में कोई कारखाना भवन नहीं था और संयंत्र और केवल ₹ 8.44 लाख के महत्वहीन मूल्य की मशीनरी को दर्शाया गया था। इसके अलावा, एसईजेड इकाई के लिए कोई किराया व्यय नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि ₹ 226.86 करोड़ का टर्नओवर बिना किसी कारखाने के भवन के और छोटे संयंत्र और मशीनरी के साथ हासिल किया गया है। इसने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि घोषित एसईजेड इकाई में कोई विनिर्माण गतिविधि नहीं थी और एसईजेड इकाई केवल व्यापारिक गतिविधि में शामिल थी। धारा 10ए के तहत दी गई छूट अनियमित थी और इसे अस्वीकार करने की आवश्यकता थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 13.55 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया था जिसमें ₹ 4.40 करोड़ का कम उद्ग्रहण शामिल था।

यह अभ्युक्ति फरवरी 2017 में विभाग को बतायी गयी थी। मंत्रालय ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा आपत्ति (जनवरी 2022) को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि 10 दिसंबर 2019 को धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के तहत एक आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी 4, मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स एजी प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2012-13

निर्धारिती, एक कंपनी, ने सितंबर 2012 में निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए आय का रिटर्न ₹ 14.65 करोड़ दाखिल किया और दिसंबर 2018 में धारा 147 के साथ

पठित धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें ₹ 25.71 करोड़ की आय निर्धारित की गई, जिससे निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए शून्य मांग बढ़ गई। वित्तीय वर्ष 2011-12 के लाभ और हानि लेखा के अनुसार निर्धारिती कंपनी का कुल टर्नओवर ₹ 2,558.74 करोड़ था।

निर्धारिती एसईजेड, सूरत में स्थित दो इकाइयों का संचालन कर रहा था और सादे और जड़ित सोने के आभूषणों के निर्यात पर धारा 10ए के तहत ₹ 23.91 करोड़ की छूट का दावा किया। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण आदेश में निष्कर्ष निकाला कि निर्धारिती एसईजेड या इसकी इकाई में कोई विनिर्माण गतिविधि नहीं कर रहा था और दावा की गई छूट को वापस लिया जाना था। हालांकि, इसने ₹ 23.91 करोड़ की पूरी छूट की तुलना में केवल ₹ 11.06 करोड़ की अनुमति नहीं दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.85 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिससे ₹ 4.37 करोड़ का कर प्रभाव पड़ा।

यह अभ्युक्ति सितंबर 2019 में विभाग को बतायी गयी थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

(ग) प्रभार: प्रधान सीआईटी-9, मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स सीजे प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2013-14

निर्धारिती, एक कंपनी ने सितंबर 2013 में ₹ 1.86 करोड़ की हानि पर निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आय का रिटर्न दाखिल किया और मार्च 2016 में धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था, जिसमें ₹ 89.82 लाख के हानि का निर्धारण किया गया था। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लाभ और हानि लेखा के अनुसार निर्धारिती कंपनी का कुल टर्नओवर ₹ 41.92 करोड़ था।

बोर्ड ने दिनांक 16 जुलाई, 2013 के परिपत्र संख्या 7 के माध्यम से स्पष्ट किया कि आयकर अधिनियम की 10ए/10एए इकाइयों की कटौती की अनुमति देने से पहले पात्र इकाइयों के लाभ के मुकाबले अपात्र इकाइयों के हानि को निर्धारित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती को ₹ 35.30 लाख (धारा 10ए के तहत कटौती का दावा करने से पहले) की हानि हुई थी, जो कोचीन-I-एसईजेड और कोचीन-II-एसईजेड इकाइयों के संबंध में धारा 10ए के तहत ₹ 59.59 लाख की कटौती का दावा करने के बाद बढ़कर ₹ 94.89 लाख हो गया। चूंकि अपात्र इकाई के संबंध में हानि पात्र इकाइयों से आय से अधिक थी, इसलिए निर्धारिती को

ऊपर उद्धृत परिपत्र के अनुसार धारा 10ए के तहत कटौती का लाभ उठाने से पहले अपात्र इकाई से व्युत्पन्न हुई हानि को समायोजित करना चाहिए था। परिणामस्वरूप, निर्धारिती धारा 10ए के तहत ₹ 59.60 लाख की कटौती का दावा करने का हकदार नहीं होगा, और ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 59.60 लाख की हानि का अधिक अग्रोषण हुआ, जिसमें ₹ 19.36 लाख के संभावित कर का कम उद्ग्रहण शामिल था।

यह अभ्युक्ति नवंबर 2020 में विभाग को इंगित की गई थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.4 व्यावसायिक व्यय की अनियमित अनुमति

लेखापरीक्षा में नौ राज्यों में ₹ 188.40 करोड़ के कर प्रभाव वाले व्यावसायिक व्यय के गलत अनुमति से संबंधित 40 मामले पाए गए।

4.4.1 बैंक ऋण पर ब्याज व्यय की अनुमति, जो एनपीए में बदल गया

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत, किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, बैंक आदि से उधार लिए गए किसी भी ऋण पर ब्याज के रूप में निर्धारिती द्वारा देय किसी भी राशि को पिछले वर्ष में कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है, यदि राशि वास्तव में पिछले वर्ष के दौरान भुगतान की जाती है। धारा के स्पष्टीकरण 3सी/3डी ने स्पष्ट किया है कि कोई भी ब्याज जिसे ऋण या उधार में परिवर्तित कर दिया गया है, उसे वास्तव में भुगतान किया गया नहीं माना जाएगा। इसे सीबीडीटी परिपत्र संख्या 7/2006 दिनांक 17 जुलाई, 2006 में भी स्पष्ट रूप से समझाया गया है।

इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 133(6) आयकर अधिकारियों को बैंकिंग कंपनी या उसके किसी अधिकारी समेत किसी भी व्यक्ति को, ऐसे बिंदुओं या मामलों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने या निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से सत्यापित लेखा और मामलों के विवरण प्रस्तुत करने के लिए, ऐसे बिंदुओं या मामलों के संबंध में जानकारी देते हुए, जैसा निर्धारण अधिकारी की राय में, इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होगा, के लिए बाध्य करने का अधिकार देती है।

लेखापरीक्षा ने महाराष्ट्र में पांच निर्धारण मामलों में पाया कि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में बदलने वाले बैंक ऋणों पर ₹ 90.35 करोड़ के कुल ब्याज व्यय की अनुमति दी गई थी। कर प्रभाव ₹ 27.80 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया। ऐसे दो मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

बॉक्स 4.2: सत्यापन के बिना बैंक ऋण पर ब्याज व्यय के अनुमति के उदाहरण**(क) प्रभार: पीसीआईटी 4, मुंबई****निर्धारिती: मैसर्स एजी प्राइवेट लिमिटेड****निर्धारण वर्ष: 2011-12, 2012-13 और 2013-14**

इस मामले में, निर्धारण वर्ष 2011-12, निर्धारण वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए आय का रिटर्न क्रमशः ₹ 4.67 करोड़ (सितंबर 2011), ₹ 14.65 करोड़ (सितंबर 2012) और ₹ 1.26 लाख (नवंबर 2013) की आय पर दाखिल किया गया था। इन मामलों में संवीक्षा निर्धारण धारा 143(3) के तहत क्रमशः ₹ 17.39 करोड़ (दिसंबर 2018), ₹ 25.71 करोड़ (दिसंबर 2018) और ₹ 90.20 करोड़ (दिसंबर 2018) की आय पर आय का निर्धारण किया गया था। निर्धारण वर्ष 2011-12, निर्धारण वर्ष 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः ₹ 8.37 करोड़, ₹ शून्य और ₹ 49.04 करोड़ की माँग उठाई गई थी। निर्धारण वर्ष 2011-12, निर्धारण वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए निर्धारिती कंपनी का कुल टर्नओवर क्रमशः ₹ 1,771.58 करोड़ ₹ 2,558.75 करोड़ और ₹ 3,686.12 करोड़ था।

निर्धारण वर्ष 2011-12, निर्धारण वर्ष 2012-13 और निर्धारण वर्ष 2013-14 और उसके साथ संलग्न कार्यालय नोट्स के लिए निर्धारण आदेशों के अनुसार, निर्धारिती कंपनी और उसके निवेशकों द्वारा आयात व निर्यात के दस्तावेज़ गठने और ऐसे जाली दस्तावेज़ों के आधार पर बैंक ऋण प्राप्त करने के संबंध में प्रधान डीआईटी (जांच)-1 मुंबई [फरवरी 2018] के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्धारिती कंपनी के मामलों को (मार्च 2018) पुनः खोला गया था। लेखापरीक्षा ने नोट किया कि निर्धारण आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि उक्त बैंक ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां(एनपीए) पाए गए थे, इसलिए अधिनियम की धारा 41(1) के तहत लाभ और हानि लेखा में दावा किए गए ब्याज की पुनः जांच करने और वापस लेने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा (सितंबर 2019) में पाया गया कि वि.व 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए निम्नलिखित राशियों को बैंकों से ऋण और बैंक ऋण पर ब्याज के रूप में दिखाया गया था।

वित्त वर्ष	वर्ष के अंत में बकाया कुल ऋण (टर्म ऋण + वाहन ऋण + नकद क्रेडिट) (₹ करोड़ में)	लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए ऋण पर ब्याज (₹ करोड़ में)
2010-11	117.20	10.67
2011-12	163.51	19.38
2012-13	209.63	28.22
	कुल	58.27

हालांकि, बैंक ऋणों पर ब्याज के निर्धारिती का दावा, जो एनपीए में बदल गया था, की जांच करने के लिए मामलों को पुनः खोला गया था, निर्धारण अधिकारी ने इस आधार पर ब्याज भुगतान की कोई अस्वीकृति नहीं दी थी कि वि.व 2014-15 और 2015-16 में बैंक ऋण बाद में एनपीए बन गया था। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के प्रस्तुतीकरण को स्वीकार कर लिया था कि अनुसूचित बैंक के लिए कोई ब्याज बकाया नहीं था और वित्तीय विवरण और कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उचित प्रकटीकरण किए गए थे।

लेखापरीक्षा का विचार है कि बैंकों द्वारा एनपीए की घोषणा से संकेत मिलता है कि निर्धारिती उस तारीख से बहुत पहले ब्याज के भुगतान में चूक कर रहा था जिस पर ऋण को एनपीए के रूप में घोषित किया गया था। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने स्वयं निर्धारण आदेश में उल्लेख किया था कि निर्धारिती के आयात और निर्यात वास्तविक नहीं थे और धोखाधड़ी के अभ्यावेदन पर आधारित थे और निर्धारिती द्वारा अन्य गलत बयानी की संभावना भी थी। इस प्रकार, प्रधान डीआईटी (जांच) -1 के कार्यालय से प्राप्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए, निर्धारण अधिकारी को ब्याज व्ययों की अनुमति देने के लिए बही लेखा और कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। इसके बजाय, ऋण और ब्याज के भुगतान के निर्धारिती के दावे को बैंकों के अभिलेख के अनुसार विवरण के साथ प्रति सत्यापित किया जाना चाहिए था। इस संबंध में चूक के परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2011-12 से निर्धारण वर्ष 2013-14 के दौरान एनपीए ऋणों पर ₹ 58.27 करोड़ के कुल ब्याज व्यय की गलत अनुमति मिली, जिसमें ₹ 18.13 करोड़ के संभावित कर प्रभाव शामिल थे।

यह अभ्युक्ति सितंबर 2019 में विभाग को इंगित की गई थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी 4, मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स आरजी प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2015-16

इस मामले में, निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए आय का रिटर्न ₹ 9.94 करोड़ की हानि पर (फरवरी 2017) दाखिल किया गया था और संवीक्षा निर्धारण धारा 143(3) (दिसंबर 2017) के तहत किया गया था, जिसमें रिटर्न्ड आय को स्वीकार किया गया था, जिससे निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए शून्य मांग बढ़ गई थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लाभ और हानि लेखा के अनुसार निर्धारिती कंपनी का कुल टर्नओवर ₹ 286.63 करोड़ था।

वि.व 2014-15 की बैलेंस शीट के अनुसार, निर्धारिती ने बैंक से ₹ 71.26 करोड़ का सुरक्षित ऋण लिया था और निर्धारण वर्ष 2015-16 में उस पर ₹ 12.08 करोड़ का ब्याज डेबिट किया गया था। वित्तीय विवरणों के नोटों के अनुसार, बैंक ने मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं करने के कारण कंपनी के लेखा को एनपीए के रूप में माना था। इसके अलावा, बैंक ने निर्धारिती को ₹ 68.00 करोड़ का नकद क्रेडिट दिया था और नकद क्रेडिट में ब्याज जोड़ा गया था। हालांकि, नकद क्रेडिट में इस तरह से जोड़ी गई ब्याज राशि को ब्याज के वास्तविक भुगतान के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसे भुगतान नहीं माना जाना चाहिए था और धारा 43बी के तहत आय में वापस जोड़ा जाना चाहिए था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 12.08 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 3.62 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था।

यह अभ्युक्ति जून 2018 में विभाग को इंगित की गई थी। मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2022) में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया और कहा कि 30 मार्च 2021 को अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

4.4.2 विभिन्न व्ययों/कटौतियों की अनियमित अनुमति

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यय निर्धारिती के पूंजीगत व्यय या व्यक्तिगत व्ययों की प्रकृति में नहीं, जो व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह और विशेष रूप से निर्धारित या व्यय किया गया है या पेशे को "व्यवसाय या पेशे के लाभ और प्राप्तियां" के तहत प्रभार्य आय की गणना करने की अनुमति दी जाएगी।

लेखापरीक्षा में नौ राज्यों⁴⁷ के 28 मामलों में पाया गया कि आईटीडी द्वारा दावे की सत्यता की पुष्टि किए बिना व्यय/कटौती की अनुमति दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.98 करोड़ का कम कर लगाया गया था। दो मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

⁴⁷ महाराष्ट्र (4); गुजरात (4); एपी और तेलंगाना (1); पंजाब और हरियाणा (1); तमिलनाडु (3); दिल्ली (1); केरल (2); पश्चिम बंगाल और सिक्किम (10) और कर्नाटक और गोवा (2)

बॉक्स 4.3: चोरी से होने वाले हानि की अनियमित अनुमति के उदाहरण

(क) प्रभार: प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-3, मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स एजी प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2014-15

इस मामले में, निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आय का रिटर्न (नवंबर 2014) ₹ 11.61 करोड़ पर दाखिल किया गया था और निर्धारण धारा 143(3) (दिसंबर 2017) के तहत संवीक्षा में किया गया था, जिसमें ₹ 75.98 करोड़ देय कर का निर्धारण किया गया था, जिससे निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए 37.80 की मांग बढ़ गई थी। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लाभ और हानि लेखा के अनुसार निर्धारिती कंपनी का कुल टर्नओवर ₹ 3,672.07 करोड़ था।

निर्धारिती ने कंपनी के एक कर्मचारी द्वारा कच्चे माल के गबन के कारण हानि से संबंधित लाभ और हानि लेखा में ₹ 2.26 करोड़ डेबिट किए थे। हालांकि, उपरोक्त दावे की वास्तविकता को साबित करने के लिए निर्धारण अभिलेख पर कुछ भी उपलब्ध नहीं था। चूंकि यह हानि अनुमान के आधार पर थी, इसलिए निर्धारण के दौरान इसे अस्वीकार करने की आवश्यकता थी। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.26 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 76.64 लाख के कर का कम उद्ग्रहण है।

यह अभ्युक्ति सितंबर 2018 में विभाग को इंगित की गई थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

(ख) प्रभार: प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकत्ता

निर्धारिती: एआर एचयुएफ, मैसर्स एसआर के मालिक

निर्धारण वर्ष: 2013-14

इस मामले में, नि.व. 2013-14 के लिए आय का रिटर्न ₹ 8.75 लाख फाइल किया गया था (सितंबर 2013) और ₹ 8.76 लाख की आय का निर्धारण करते हुए धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण किया गया था (मार्च 2016), जिससे मांग शून्य हो गई। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लाभ और हानि लेखे के अनुसार, निर्धारिती कंपनी का कुल कारोबार ₹ 32.24 करोड़ था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने 'विनिमय अंतर के प्रावधान' के कारण ₹ 53.18 लाख के व्यय का दावा किया था, लेकिन यह अधिनियम की धारा 37(1) के तहत स्वीकार्य व्यय नहीं था और निर्धारण के दौरान विभाग द्वारा इसे

अस्वीकार करने की आवश्यकता थी। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 53.18 लाख की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप धारा 234बी के तहत ₹ 5.18 लाख के ब्याज सहित ₹ 21.48 लाख के कर का कम उदग्रहण हुआ।

इस अभ्युक्ति को सितंबर 2019 में विभाग को इंगित की गई थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.4.3 मूल्यहास की अनियमित अनुमति

लेखापरीक्षा में महाराष्ट्र में ₹ 484.92 करोड़ के मूल्यहास के अनियमित भत्ते के चार मामले पाए गए, जिनमें ₹ 151.12 करोड़ का कर प्रभाव था। उपरोक्त चार मामलों में से तीन में, निर्धारितियों ने व्ययों को बढ़ाने और कर देयता को कम करने के लिए कृत्रिम रूप से साख बनाई थी। इन पर नीचे पैरा 4.4.3.1 में चर्चा की गई है:

4.4.3.1 कृत्रिम रूप से सृजित साख पर मूल्यहास की अनियमित अनुमति

अधिनियम की धारा 32(ii) में यह निर्धारित किया गया है कि मूल्यहास व्यवहार ज्ञान, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रैंचाइज़ी या किसी अन्य कारोबार या समान प्रकृति के वाणिज्यिक अधिकारों पर निर्धारित दरों पर स्वीकार्य है, जो 1 अप्रैल, 1998 या उसके बाद अर्जित अमूर्त परिसंपत्ति है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 32(1) के परंतुक 5 में यह प्रावधान है कि समामेलन के मामले में, भवनों, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के मूल्यहास के संबंध में, कुल कटौती, अमूर्त परिसंपत्ति होने के नाते या व्यवहार ज्ञान, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रैंचाइज़ी या समान प्रकृति के किसी भी अन्य कारोबार या वाणिज्यिक अधिकार समामेलक कंपनी और समामेलित कंपनी को समामेलित करने के लिए स्वीकार्य है, किसी भी पिछले वर्ष में निर्धारित दरों पर गणना की गई कटौती से अधिक नहीं होगी जैसे कि समामेलन नहीं हुआ था।

यद्यपि अधिनियम की धारा 32 मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान करती है, जो कारोबार के प्रयोजनों के लिए निर्धारित द्वारा अधिग्रहित और उपयोग की जाती हैं, 'साख' को न तो परिभाषित किया गया है और न ही अधिनियम में इसे अमूर्त परिसंपत्तियों में से एक के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। सामान्य शब्दकोशों ने इसे एक कारोबार की स्थापित प्रतिष्ठा के रूप में वर्णित किया है जिसे एक मात्रात्मक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है। लेखांकन मानक 26 के अनुसार, 'साख' जो समयवधि में स्वयं बनती है, कंपनी/फर्म

के लेखों की लेखाबहियों में एक परिसंपत्ति के रूप में दर्ज नहीं की जाती है। हालांकि, विलय और समामेलन के दौरान, खरीदार द्वारा विक्रेता को भुगतान किए गए किसी भी प्रीमियम को कारोबार के रिकॉर्ड किए गए निवल मूल्य से ऊपर, अर्थात् देनदारियों को घटाकर अन्य सभी परिसंपत्तियों का मूल्य, अक्सर खरीदार की लेखाबहियों में 'साख' के रूप में दर्ज किया जाता है। क्या इस तरह की 'साख' को अधिग्रहित किया गया या केवल लेखांकन सुधार कहा जा सकता है; और क्या खरीदार इस तरह की 'साख' पर मूल्यहास का हकदार है, यह बहस का विषय रहा है। हालांकि 'साख' को स्पष्ट रूप से आयकर अधिनियम में अमूर्त परिसंपत्तियों में से एक के रूप में उल्लेख नहीं किया गया था, उच्चतम न्यायालय ने इसे एक अमूर्त संपत्ति के रूप में माना⁴⁸ है।

तथापि, आईटीएटी, बंगलौर⁴⁹ ने उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय पर चर्चा करने के बाद एक विरोधाभासी दृष्टिकोण अपनाया और समामेलन के कारण बनाई गई साख पर मूल्यहास की अनुमति नहीं दी और यह मानते हुए कि अधिनियम की धारा 32(1) (अब छठा परंतुक)⁵⁰ के पांचवें परंतुक के संदर्भ में, निर्धारिती (एक समामेलित कंपनी होने के नाते) समामेलन की योजना में अर्जित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का दावा नहीं कर सकता है या उसे मूल्यहास की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तब से, कंपनियां 'साख' का उपयोग एक मूल्यहास परिसंपत्ति के रूप में कर रही थीं और उस पर मूल्यहास का दावा कर रही थीं, जबकि 'साख' पर मूल्यहास की अनुमति देने पर विभाग के भीतर कोई एकरूपता नहीं थी। इस प्रकार, विलय और समामेलन के दौरान बनाई गई 'साख' पर मूल्यहास का दावा वित्त अधिनियम 2021 तक एक बहस का मुद्दा रहा है। लेकिन वित्त अधिनियम 2021⁵¹

⁴⁸ सीआईटी के मामले में, कोलकाता बनाम स्मिफ्स सिक्योरिटीज लिमिटेड (2010)

⁴⁹ यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड के मामले में (आई.टी.ए. सं. 722, 801 व 1065/बेंग/2014 दिनांक 30 सितंबर 2016)

⁵⁰ पिछले वर्ष के दौरान उत्तराधिकार/समामेलन/डिमर्जर के मामले में, मूल्यहास की गणना की जानी चाहिए जैसे कि उत्तराधिकार या समामेलन या डीमर्जर पिछले वर्ष के दौरान नहीं हुआ है और पूर्ववर्ती और उत्तराधिकारी, या समामेलक कंपनी और समामेलित कंपनी, या विघटित कंपनी और परिणामी कंपनी के बीच विभाजित किया जाना है, जैसा कि मामला हो सकता है, उन दिनों की संख्या के अनुपात में जिनके लिए संपत्ति का उपयोग उनके द्वारा किया गया था।

⁵¹ वित्त विधेयक, 2021 के प्रावधानों की व्याख्या करने वाले जापन में कहा गया है कि जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि किसी कारोबार या पेशे की साख एक अवमूल्यन योग्य संपत्ति है, साख पर मूल्यहास की वास्तविक गणना अधिनियम के विभिन्न अन्य प्रावधानों के अनुसार की जानी आवश्यक है। एक बार जब हम इन प्रावधानों को लागू करते हैं, तो कुछ स्थितियों में (जैसे कि कारोबार पुनर्गठन) वास्तविक लागत शून्य होने के कारण कोई मूल्यहास नहीं हो सकता है और पूर्ववर्ती/समामेलक कंपनी के हाथ में उस संपत्ति का लिखित मूल्य शून्य है। हालांकि, कुछ अन्य मामलों में (जैसे कि खरीद द्वारा साख का अधिग्रहण) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार साख पर मूल्यहास का वैध दावा हो सकता है, जो किसी कारोबार या पेशे की साख को एक अवमूल्यन योग्य संपत्ति के रूप में रखता है।

के बाद, 'साख' को अब एक मूल्यहास परिसंपत्ति के रूप में नहीं माना जाता है और इस संबंध में धारा 32 और धारा 2(11) में प्रावधान जोड़े गए हैं।

आंतरिक रूप से उत्पन्न साख पर मूल्यहास के अनियमित दावे के दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

बॉक्स 4.4: कृत्रिम रूप से बनाई गई साख पर मूल्यहास की अनियमित अनुमति के उदाहरण

(क) प्रभार: पीसीआईटी 5, मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स बीजी प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2015-16 और 2016-17

इस मामले में, नि.व.2015-16 और 2016-17 के लिए आय का रिटर्न क्रमशः ₹ 16.20 करोड़ (नवंबर 2015) और ₹ 9.44 करोड़ (नवंबर 2016) की आय पर फाइल किया गया था। इन मामलों में क्रमशः ₹ 16.21 करोड़ (दिसंबर 2017) और ₹ 9.44 करोड़ (नवंबर 2018) की आय का निर्धारण करते हुए धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण किया गया था। नि.व. 2015-16 और 2016-17 के लिए मांग क्रमशः ₹ 7.99 लाख और ₹ 1.56 लाख की गई थी। नि.व. 2015-16 और 2016-17 के लिए निर्धारिती कंपनी का कुल कारोबार क्रमशः ₹ 1,001.18 करोड़ और ₹ 588.43 करोड़ था।

इस मामले में, निर्धारिती ने अन्य बातों के साथ-साथ नि.व. 2015-16 और 2016-17 में क्रमशः ₹ 6.50 करोड़ और ₹ 4.87 करोड़ की साख पर मूल्यहास का दावा किया था और विभाग द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी। लेखापरीक्षा ने वि.व. 2011-12 के वार्षिक लेखों में पाया कि साख का अधिग्रहण या खरीददारी किसी अन्य इकाई से नहीं की गई थी, और यह निर्धारिती कंपनी⁵² में रूपांतरण से पहले पूर्ववर्ती साझेदारी फर्म अर्थात् मैसर्स बीजी द्वारा एक स्वयं उत्पन्न हुई साख थी। यह ध्यान देने योग्य है कि नि.व. 2012-13 से 2014-15 के दौरान, निर्धारिती कंपनी ने इस साख पर किसी भी मूल्यहास का दावा नहीं किया था। इसने नि.व. 2015-16 से साख पर मूल्यहास का दावा करना शुरू कर दिया।

चूंकि स्वयं उत्पन्न हुई साख पर मूल्यहास मौजूदा प्रावधानों के अनुसार एक स्वीकार्य कटौती नहीं है, इसलिए निर्धारण अधिकारी को साख पर मूल्यहास को अस्वीकार करना चाहिए था और इसे निर्धारिती की आय में जोड़ना चाहिए था।

⁵² निर्धारिती कंपनी को मार्च 2012 में पूर्ववर्ती साझेदारी फर्म अर्थात् मैसर्स बीजी के रूपांतरण द्वारा निगमित किया गया था।

ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप नि.व. 2015-16 और 2016-17 में क्रमशः ₹ 2.20 करोड़ और ₹ 1.68 करोड़ कर का कम उदग्रहण हुआ। इसके अलावा, उपरोक्त स्वयं उत्पन्न साख के संबंध में ₹ 14.62 करोड़ का हासित मूल्य(डब्ल्यूडीवी) का गलत अग्रेषण भी था, जिसमें ₹ 5.06 करोड़ के कर का संभावित कम उदग्रहण था। कुल कर प्रभाव ₹ 8.94 करोड़ हुआ।

इस अभ्युक्ति को मई 2019 और अक्टूबर 2020 में विभाग को बताया गया था। विभाग ने अपने उत्तर (मई 2019) में नि.व. 2016-17 के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार न करते हुए कहा कि 'साख' की उक्त परिसंपत्ति निर्धारिती की पूर्ववर्ती फर्म में बैलेंस शीट में पहले से ही थी। निर्धारिती कंपनी ने उपरोक्त परिसंपत्तियों सहित कारोबार के अधिग्रहण के लिए शेयर जारी किए। इसलिए, आयकर अधिनियम के तहत इस पर मूल्यहास स्वीकार्य है।

विभाग का उत्तर इस आधार पर स्वीकार्य नहीं है कि उक्त साख पूर्ववर्ती फर्म द्वारा स्वयं उत्पन्न हुई/आंतरिक रूप से उत्पन्न हुई साख थी। उस पर मूल्यहास न तो फर्म और न ही कारोबार का अधिग्रहण करने के बाद निर्धारिती कंपनी के लिए स्वीकार्य था। इसके अलावा, फर्म के भागीदारों में कोई बदलाव नहीं किया गया था जो बाद में कंपनी के प्रमोटर/शेयरधारक बन गए। इस प्रकार, कंपनी में फर्म का रूपांतरण और साख का आंतरिक रूप से बनाया जाना लाभ को छुपाने के लिए एक रंगीनी उपकरण⁵³ था। विभाग के आगे के उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

(ख) प्रभार: प्र.सीआइटी (केंद्रीय)-1, मुंबई
निर्धारिती: मैसर्स एनबी लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2015-16

इस मामले में, नि.व. 2015-16 के लिए आय का रिटर्न (नवंबर 2015) शून्य पर फाइल किया गया था और संक्षिप्त निर्धारण धारा 143(1) (फरवरी 2017) के तहत इस तरह से रिटर्न आय को स्वीकार करते हुए किया गया था, जिससे नि.व. 2015-16 के लिए शून्य मांग की गई थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लाभ

⁵³ मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (154 आईटीआर 148) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 17-4-1985 को देखा, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कानून के भीतर कर नियोजन की अनुमति है, लेकिन रंगीनी उपकरण कर योजना का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 'रंगीनी उपकरण' शब्द का उपयोग कर नियोजन और कर चोरी के बीच अंतर करने के लिए किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि कर नियोजन वैध हो सकता है बशर्ते कि यह कानून के ढांचे के भीतर हो। रंगीनी उपकरण कर योजना का हिस्सा नहीं हो सकते हैं और संदिग्ध तरीकों का सहारा लेकर कर के भुगतान से बचना सम्मानजनक है, इस विश्वास को, प्रोत्साहित करना या मनोरंजन करना, गलत है।

और हानि लेखे के अनुसार, निर्धारिती कंपनी का कुल टर्नओवर ₹ 2,605.09 करोड़ था।

निर्धारिती कंपनी ने 22.04.2016 को माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित समामेलन की योजना के तहत दो कंपनियों मैसर्स एजे लिमिटेड और मैसर्स एसजे लिमिटेड का विलय कर दिया। परिणामस्वरूप, समामेलन कंपनियों, मैसर्स एजे लिमिटेड और मैसर्स एसजे लिमिटेड के शेयरधारकों को निर्धारिती कंपनी के क्रमशः ₹ 4,477.88 प्रति शेयर की दर से 12,45,675 और 64,140 शेयर जारी किए गए थे। इसके बदले में, निर्धारिती ने अन्य बातों के साथ-साथ अचल परिसंपत्तियों में ₹ 459.94 करोड़ के ब्रांड/ट्रेडमार्क के रूप में कृत्रिम रूप से अमूर्त परिसंपत्ति को जोड़ा, हालांकि समामेलक कंपनियों या परिणामी कंपनी के पास विलय से पहले किसी भी अवधि में ब्रांड/ट्रेडमार्क की कोई अमूर्त परिसंपत्ति नहीं थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने नि.व.2015-16 में अमूर्त परिसंपत्तियों पर संशोधित आईटीआर में ₹ 114.98 करोड़ के 25 प्रतिशत मूल्यहास का दावा किया था। चूंकि शेयरों के जारी करने के विरुद्ध मूल्य केवल एक लेखांकन प्रविष्टि थी, इस तरह के कृत्रिम रूप से बनाई गई अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का दावा अनुचित था और इसने गलत मूल्यहास का दावा करके कर से बचने के लिए निर्धारिती के उद्देश्य को दर्शाया। इसे ध्यान में रखते हुए, विभाग को ₹ 114.98 करोड़ के मूल्यहास के दावे को अस्वीकार करना चाहिए था, जिसमें ₹ 35.53 करोड़ के कर का संभावित कम उदग्रहण था। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप ₹ 106.59 करोड़ के संभावित कर निहितार्थ के साथ बाद के वर्षों में ₹ 344.96 करोड़ की साख के डब्ल्यूडीवी को गलत तरीके से अग्रेषित किया गया। कुल कर प्रभाव ₹ 142.12 करोड़ हो गया।

लेखापरीक्षा ने नोट किया कि हालांकि इस तरह के कृत्रिम रूप से अमूर्त परिसंपत्तियों पर अत्याधिक मूल्यहास हुआ, जिसके परिणामस्वरूप भारी हानि हुई, मामले को संवीक्षा निर्धारण के लिए नहीं चुना गया था। इसने संकेत दिया कि चयन मानदंडों में ऐसे मामलों को उच्च जोखिम वाली श्रेणी के रूप में चिन्हित करने के लिए परिवर्तनों की आवश्यकता होती है

इस अभ्युक्ति को अक्टूबर 2020 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2022) में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया और कहा कि 30 मार्च 2021 को आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी।

4.4.4 ग्रे मार्केट से नकद में की गई खरीद के संबंध में अधिनियम की धारा 40ए (3) के प्रावधानों को लागू न करना

अधिनियम की धारा 40ए(3) में यह निर्धारित किया गया है कि जहां निर्धारिती किसी भी व्यय को वहन करता है जिसके संबंध में एक दिन में किसी व्यक्ति को किए गए भुगतान या कुल भुगतान, अन्यथा बैंक को बैंक से आहरित खाते के आदाता चेक या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट पर, जो बीस हजार रुपये से अधिक है, ऐसे व्यय के संबंध में किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। धारा 40ए(3) को वित्त अधिनियम 1968 द्वारा एक प्रावधान के रूप में पेश किया गया था जिसे फिजूलखर्ची और अत्यधिक व्यय को रोकने और व्यय के दावों के माध्यम से कर अपवंचन को रोकने के लिए बनाया गया था।

लेखापरीक्षा ने दो राज्यों⁵⁴ में ₹ 2.50 करोड़ के कर प्रभाव वाले नकद में खरीद के दो मामले पाए। एक निर्दर्शी मामला नीचे दिया गया है।

बॉक्स 4.5: नकद में की गई खरीद के संबंध में अधिनियम की धारा 40ए(3) के प्रावधानों को लागू न करने का निर्दर्शी मामला

(क) प्रभार: प्र.सीआईटी-23, मुंबई
निर्धारिती: मैसर्स ए.एम
निर्धारण वर्ष: 2013-14

निर्धारिती, एक कंपनी ने सितंबर 2013 में ₹ 1.08 करोड़ की आय पर नि.व. 2013-14 के लिए आय का रिटर्न फाइल किया और जनवरी 2016 में धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण किया गया, जिसमें ₹ 1.24 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया, जिससे ₹ 6.94 लाख की मांग हुई। निर्धारिती ने वित्त वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 17.49 करोड़ का सकल टर्नओवर दर्शाया गया था।

निर्धारण आदेश के अनुसार, निर्धारिती ने बीजे समूह द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित संस्था से ₹ 8.06 करोड़ की फर्जी खरीद की थी। निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि निर्धारिती ने नकदी का भुगतान करके ग्रे मार्केट से सामग्री खरीदी; और उसके लिए कमीशन पर समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं से बिलों की व्यवस्था की। इसे ध्यान में रखते हुए, आईटी अधिनियम की धारा 40ए(3) के तहत नकद में सामग्री की उक्त खरीद को अस्वीकृत करने की

⁵⁴ महाराष्ट्र (1) और पश्चिम बंगाल और सिक्किम (1)

आवश्यकता थी। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 8.06 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 2.49 करोड़ के कर का कम उदग्रहण किया गया। इस अभ्युक्ति को अप्रैल 2016 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2022) में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है (जून 2021)।

4.5 हानियों का अनियमित समंजन/अग्रेषण

लेखापरीक्षा ने ₹ 40.14 करोड़ के कर प्रभाव वाले पांच राज्यों⁵⁵ में 14 मामलों में पाया, जहां आयकर विभाग द्वारा अनियमित समंजन/हानि को अग्रेषित करने की अनुमति दी गई थी। मामलों की आगे के पैराग्राफ में चर्चा की गई है:

4.5.1 अधिनियम की धारा 68 और 69 के तहत किए गए परिवर्धन के विरुद्ध समायोजित हानि

धारा 115बीबीई(1) में प्रावधान है कि जहां एक निर्धारिती की कुल आय में धारा 68, धारा 69, धारा 69 ए, धारा 69 बी, धारा 69 सी या धारा 69 डी में निर्दिष्ट कोई आय शामिल है, देय आयकर 30 प्रतिशत की दर से धारा 68, धारा 69, धारा 69 ए, धारा 69 बी, धारा 69 सी या धारा 69 डी में निर्दिष्ट आय पर गणना किए गए आयकर की राशि का कुल योग होगा। इसके अलावा उपधारा (2) में प्रावधान है कि इस अधिनियम में निहित किसी भी बिन्दु के होते हुए भी, उप-धारा (1) के खंड (ए) और खंड (बी) में निर्दिष्ट उसकी आय की गणना करने में इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी व्यय या भत्ते या किसी भी हानि के समंजन के संबंध में किसी भी कटौती की निर्धारिती को अनुमति नहीं दी जाएगी।

लेखापरीक्षा में महाराष्ट्र में दो ऐसे मामले पाए गए जहां अधिनियम की धारा 115बीबीई के उल्लंघन में हानि के विरुद्ध निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन का समंजन किया गया था। इन गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 34.00 करोड़ के राजस्व का हानि हुई। ऐसा एक निर्दर्शी मामला नीचे दिया गया है।

⁵⁵ महाराष्ट्र (9), गुजरात (2), कर्नाटक और गोवा (1), दिल्ली (1) और पश्चिम बंगाल और सिक्किम (1)

बॉक्स 4.6: अधिनियम की धारा 68 और 69 के तहत किए गए परिवर्धन के विरुद्ध समायोजित हानि का निर्दर्शी मामला

(क) प्रभार: प्र.सीआई टी-5, मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स पीएस लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2015-16

निर्धारिती, एक कंपनी ने सितंबर 2016 में ₹85.44 करोड़ के हानि पर नि.व. 2015-16 के लिए आय का रिटर्न फाइल किया और दिसंबर 2017 में धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें ₹74.28 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया, जिससे ₹36.06 करोड़ की मांग हुई। निर्धारिती ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कुल ₹959.15 करोड़ का कुल टर्नओवर दर्शाया था।

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2019) कि, संवीक्षा निर्धारण पूरा करते समय, निर्धारण अधिकारी ने धारा 68 के तहत अस्पष्टीकृत नकद क्रेडिट के रूप में ₹141.61 करोड़ और अधिनियम की धारा 69 सी के तहत अस्पष्टीकृत व्यय के रूप में ₹5.55 लाख जोड़े थे। तथापि, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इसे चालू वर्ष में ₹85.44 करोड़ की हानि के विरुद्ध समायोजित किया गया था। इन गलतियों के परिणामस्वरूप ₹85.44 करोड़ का कम निर्धारण और ₹32.98 करोड़ के कर का कम उदग्रहण किया गया।

इस अभ्युक्ति को फरवरी 2019 में विभाग को बताया गया था। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया (सितंबर 2021) और कहा कि अधिनियम की धारा 154 के तहत एक आदेश पारित कर उपचारात्मक कार्रवाई की गई है (अप्रैल 2019)।

4.5.2 हानियों का अनियमित समंजन/अग्रेषण

अधिनियम की धारा 72(1) के अनुसार, जहां किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए, "कारोबार या पेशे के लाभ और प्राप्तियाँ" शीर्षक के तहत गणना का निवल परिणाम निर्धारिती के लिए एक हानि है, न कि एक सट्टा कारोबार में निरंतर हानि; और इस तरह की हानि को धारा के प्रावधानों के अनुसार आय के किसी भी शीर्षक के तहत आय के विरुद्ध पूरी तरह से समंजन नहीं किया जा सकता है या नहीं किया गया है, इतनी हानि जिसका समंजन नहीं किया गया है या, जहां उसे किसी अन्य शीर्षक के तहत कोई आय नहीं है, पूरी हानि इस अध्याय के अन्य प्रावधानों के अधीन होगी, अगले निर्धारण वर्ष के लिए अग्रेषित की जानी चाहिए, और इसे उसके

द्वारा किए गए किसी⁵⁶ भी कारोबार या पेशे के लाभ और प्राप्तियाँ, यदि कोई हो के विरुद्ध समंजन किया जाएगा और उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण योग्य होगा; यदि हानि को पूरी तरह से समंजन नहीं किया जा सकता है, तो इस तरह से समंजन नहीं की गई हानि की मात्रा को अगले निर्धारण वर्ष और इसी तरह से अगले वर्षों में अग्रेषित किया जाएगा।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 157 के अनुसार, जब किसी भी निर्धारिती की कुल आय के निर्धारण के दौरान, यह स्थापित किया जाता है कि एक हानि हुई है जिसे निर्धारिती को धारा 72 की उप-धारा (1), धारा 73 की उप-धारा (2), धारा 74 की उपधारा (1) या उप-धारा (3) या धारा 74ए की उप-धारा (3) के प्रावधानों के तहत अग्रेषित करने और समंजन करने का अधिकार है, कर निर्धारण अधिकारी धारा 72 की उप-धारा (1), धारा 73 की उप-धारा (2), धारा 74 की उप-धारा (1) या धारा 74 ए की उप-धारा (3) या धारा 74 ए की उप-धारा (3) के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा गणना की गई हानि की राशि को एक लिखित आदेश द्वारा निर्धारिती को सूचित करेगा।

लेखापरीक्षा में ₹ 6.14 करोड़ के कर के कम उदग्रहण के साथ पांच राज्यों⁵⁷ के 12 मामलों में हानियों का अनियमित समंजन/अग्रेषण पाया गया। ऐसे दो निर्दर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

बॉक्स 4.7: हानियों के अनियमित समंजन/अग्रेषण के निर्दर्शी मामले

(क) प्रभार: प्र.सीआइटी (केन्द्रीय)-2, मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स एसजी

निर्धारण वर्ष: 2011-12

निर्धारिती, एक कंपनी ने दिसंबर 2016 में ₹ 2.21 करोड़ की आय पर नि.व. 2011-12 के लिए आय का रिटर्न फाइल किया और दिसंबर 2017 में धारा 153 ए के साथ पठित धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था, जिसमें ₹ 6.45 करोड़ पर आय को निर्धारित किया गया था, जिससे नि.व. 2011-12 के लिए ₹ 2.22 करोड़ की मांग हुई थी।

⁵⁶ धारा 72(1)(i) के पूर्व परंतुक के अनुसार, जिस कारोबार या पेशे के लिए हानि की गणना की गई थी, उसे अग्रेषित करने और हानि के समंजन के लिए जारी रखा जाना चाहिए। तथापि, इस परंतुक को 1 अप्रैल, 2000 से वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा हटा दिया गया था। इस प्रकार, 1 अप्रैल 2000 से, किसी भी कारोबार की हानि(सहा कारोबार को छोड़कर) को किसी भी कारोबार के लाभ के विरुद्ध समंजन किया जा सकता है। सहा कारोबार की हानि को केवल सहा कारोबार के लाभ के विरुद्ध समंजन किया जा सकता है।

⁵⁷ महाराष्ट्र (7); गुजरात (2); कर्नाटक और गोवा (1); दिल्ली (1) और पश्चिम बंगाल और सिक्किम (1)

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2019) कि निर्धारिती को ₹ 50.93 लाख की उपलब्ध हानि की तुलना में ₹ 2.92 करोड़ की हानि के समंजन की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.41 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 74.44 लाख के कर का कम उदग्रहण हुआ।

इस अभ्युक्ति को फरवरी 2019 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (जनवरी 2022) और कहा कि 14 फरवरी 2019 को माननीय सीआईटी (अपील) के आदेश को प्रभावी बनाने के आदेश को पारित करते समय उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

(ख) प्रभार: प्र.सीआई टी-4, अहमदाबाद

निर्धारिती: मैसर्स एसएल लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2015-16 और 2016-17

निर्धारिती ने नि.व. 2016-17 के ₹ 1.04 करोड़ और नि.व. 2015-16 के ₹ 2.78 करोड़ की अपनी आय का समंजन किया था, जिसमें नि.व. 2011-12 और नि.व. 2014-15 के बीच जमा पिछले वर्षों की हानि को अग्रणीत किया गया था। तथापि, नि.व. 2014-15 के संवीक्षा निर्धारण अभिलेखों के अनुसार, समंजन के लिए कोई हानि उपलब्ध नहीं थी। फिर भी, विभाग ने दोनों निर्धारण वर्षों में हानि के समंजन की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त दो निर्धारण वर्षों में कुल मिलाकर ₹ 3.81 करोड़ के हानि का अनियमित समंजन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.24 करोड़ के कुल कर का कम उदग्रहण हुआ।

इस अभ्युक्ति को जुलाई 2020 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2022) में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि नि.व. 2015-16 और नि.व. 2016-17 के लिए क्रमशः 30 मार्च 2021 और 27 मार्च 2021 को अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी कर उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

4.6 निर्धारण से बची आय

आयकर अधिनियम, 1961 में प्रावधान है कि किसी भी पिछले वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय में किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न, वास्तव में प्राप्त या अर्जित या प्राप्त या अर्जित होने के लिए समझा जाने वाले किसी भी स्रोत से सभी आय शामिल होगी। लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण पाए गए जहां निर्धारण अधिकारी ने

आय का गैर-निर्धारण/कम निर्धारण किया जिसके परिणामस्वरूप 11 राज्यों में 67 निर्धारण मामलों में ₹ 164.28 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ।

4.6.1 अस्पष्टीकृत निवेश/ व्यय/नकद क्रेडिट का गैर-संवर्धन

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 68 में प्रावधान है कि जहां किसी भी राशि को किसी भी पिछले वर्ष के लिए बनाए गए निर्धारिती की लेखाबहियों में क्रेडिट किया जाता है, और निर्धारिती उसकी प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा पेश किया गया स्पष्टीकरण, निर्धारण अधिकारी की राय में, संतोषजनक नहीं है, इस तरह क्रेडिट की गई राशि को उस पिछले वर्ष के निर्धारिती की आय के रूप में आयकर के लिए प्रभारित किया जा सकता है। निर्धारिती को क्रेडिटर की पहचान का प्रमाण, क्रेडिटर की धन अग्रिम करने की क्षमता और संव्यवहार की प्रामाणिकता स्थापित करने की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा में अस्पष्टीकृत निवेश/नकद क्रेडिट के 33 मामले पाए गए, जिनमें नौ राज्यों⁵⁸ में ₹ 105.42 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। सात निर्दर्शी मामले नीचे दिए गए हैं

बॉक्स 4.8: अस्पष्टीकृत निवेश/व्यय/नकद क्रेडिट का संवर्धन न होने के निर्दर्शी मामले

(क) प्रभार: प्र.सीआइटी 5, मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स डीइ प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2014-15

निर्धारिती, एक कंपनी ने सितंबर 2014 में ₹ 4.56 लाख की आय पर नि.व. 2014-15 के लिए आय का रिटर्न फाइल किया और नवंबर 2016 में रिटर्न आय को स्वीकार करते हुए धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था, जिससे शून्य मांग हुई।

मार्च 2013 में निगमित निर्धारिती कंपनी ने नि.व. 2014-15 के दौरान ₹ 24.03 करोड़ की बिक्री और ₹ 23.90 करोड़ की खरीद दर्शाई थी। कुल ₹ 23.90 करोड़ की खरीद के बावजूद कुल क्रेडिटर का आंकड़ा ₹ 53.57 करोड़ रहा। लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2018) कि अधिकांश बिक्री और विविध क्रेडिटर को ऐसी कंपनियों के विरुद्ध दर्शाया गया था, जिन्हें अगस्त 2017 में जारी सूची में केंद्र सरकार द्वारा मुखौटा कंपनियों के रूप में पुष्टि की गई थी। इसके अलावा, निम्नलिखित अनियमितताएं भी पाई गई थीं-

⁵⁸ महाराष्ट्र (4); दिल्ली (16); बिहार (1); झारखंड (2); गुजरात (2); पंजाब और हरियाणा (4); तमिलनाडु (1); उड़ीसा (2) और पश्चिम बंगाल और सिक्किम

(i) कंपनी के निदेशकों श्री एस और श्री केएस को हवाला ऑपरेटरों के रूप में पाया गया था, जो एक अन्य हवाला ऑपरेटर श्री पीजे के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करते थे।

(ii) अधिनियम (अक्टूबर 2013) की धारा 132 के तहत उस परिसर में तलाशी और जब्ती की गई थी जहां निर्धारिती कंपनी पंजीकृत थी। तलाशी के दौरान, जांच अधिकारियों ने पाया कि चार कंपनियां मैसर्स एन जी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स डीई प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एसजी प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स वीई प्राइवेट लिमिटेड केवल समायोजन प्रविष्टियां प्रदान करने के कारोबार में थीं। निर्धारिती कंपनी के निदेशक मैसर्स एनजी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भी थे।

(iii) निर्धारिती ने एसबी, हांगकांग को ₹ 24.71 करोड़ और एआई को ₹ 24.87 करोड़ भेजे थे। इन कंपनियों के पूर्ववर्ती का पता नहीं लगा था, और इन कंपनियों के बारे में सार्वजनिक डोमेन में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

(iv) निर्धारिती ने एम टी लिमिटेड, हांगकांग और सी एस लिमिटेड, हांगकांग से हीरे आयात करने की भी बात कही थी। सार्वजनिक डोमेन⁵⁹ में उपलब्ध सूचना के अनुसार, एम एफ लिमिटेड, जो संयुक्त अरब अमीरात स्थित सत्व थी, हवाला रैकेट में शामिल थी और हीरे के निर्यात के लिए नकली बिल दे रही थी। इन आरोपों की पुष्टि पुलिस संवीक्षा अधिकारियों ने भी की थी।

उपरोक्त सभी विसंगतियों ने सुझाव दिया कि निर्धारिती किसी भी वास्तविक कारोबार गतिविधि में शामिल नहीं था और केवल समायोजन प्रविष्टि प्रदान कर रहा था या हवाला लेन-देन कर रहा था। इस तरह की गतिविधियों का सहारा लेकर, निर्धारिती ने विभिन्न मुखौटा कंपनियों (जिन्हे विविध क्रेडिटर के रूप में दर्शाया गया है) के माध्यम से अपने स्वयं के या अपने निदेशक के बेहिसाब धन को ₹ 53.57 करोड़ की सीमा तक लाया और अग्रिम या आयात की आड़ में विदेशी मुखौटा कंपनियों को भेज दिया। नतीजतन, उपरोक्त राशि को निर्धारिती की आय में अस्पष्टीकृत क्रेडिट के रूप में जोड़ा जाना आवश्यक था।

इन चेतावनियों के बावजूद, निर्धारण अधिकारी ने अपने विभिन्न संदिग्ध लेनदेनों की पूरी तरह से संवीक्षा के लिए और राजस्व की सुरक्षा के लिए इन्हें जोड़ने के लिए न तो विभिन्न क्रेडिटर का कोई सत्यापन किया और न ही निर्धारिती के विरुद्ध कोई कार्रवाई की ताकि इसके मामले को केंद्रीकृत किया जा सके (जैसा कि

⁵⁹ टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिनांक 12 अप्रैल, 2014 को सूचना दी, जो आईसीआईसीआई बैंक ने मैसर्स आरए डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड के मामले में पाया था।

मैसर्स एन जी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में किया गया है)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 53.57 करोड़ की न्यूनतम राशि का कम निर्धारण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.20 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ।

इस अभ्युक्ति को फरवरी 2019 में विभाग को बताया गया था। विभाग ने अपने उत्तर (दिसंबर 2020) में कहा कि उपचारात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। कृत कार्रवाई के विवरण लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किए जा सके। मंत्रालय के उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

(ख) प्रभार: प्र. सीआइटी रांची

निर्धारिती: मैसर्स एसए

निर्धारण वर्ष: 2013-14

आभूषण व्यापार के एक खुदरा विक्रेता, निर्धारिती ने सितंबर 2013 में नि.व. 2013-14 के लिए आय का रिटर्न ₹ 35 लाख पर फाइल किया और संवीक्षा निर्धारण धारा 143(3) (मार्च 2016) के तहत पूरा किया गया था, जिसमें ₹ 38.19 लाख की आय निर्धारित की गई थी, जिससे ₹ 1.42 लाख की मांग हुई। निर्धारिती ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए कुल ₹ 9.10 करोड़ का टर्नओवर दर्शाया था।

लेखापरीक्षा ने कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पाया (सितंबर 2020) कि स्टॉक की अतिरिक्त मात्रा (18 कैरट सोने का 2,459.99 ग्राम और 22 कैरट सोने का 3,807.72 ग्राम) थी। तथापि, न तो कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया था और न ही निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण के दौरान इस पहलू की संवीक्षा की थी। किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में, स्टॉक की अतिरिक्त मात्रा के संबंधित मूल्य को निर्धारिती की आय के लिए अस्पष्टीकृत क्रेडिट के रूप में जोड़ा जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 62.83 लाख के कर का कम उदग्रहण के साथ ₹ 1.50 करोड़ मूल्य के सोने के स्टॉक के अस्पष्टीकृत क्रेडिट का संवर्धन नहीं किए जाने के कारण कम निर्धारण हुआ।

इस अभ्युक्ति को सितंबर 2020 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय के उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

(ग) प्रभार: प्र.सीआई टी-1, भुवनेश्वर
निर्धारिती: मैसर्स ईजे प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2015-16

इस मामले में, नि.व. 2015-16 के लिए आय का रिटर्न सितंबर 2015 में ₹ 1.61 करोड़ की आय पर फाइल किया गया था और दिसंबर 2017 में धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था, जिसमें ₹ 1.62 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया था, जिससे ₹ 0.25 लाख की मांग हुई थी। निर्धारिती ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 71.43 करोड़ का कुल टर्नओवर दर्शाया गया था।

निर्धारिती ने नि.व. 2015-16 के दौरान अपने एक निदेशक से लिए ₹ 1.26 करोड़ के असुरक्षित ऋण दर्शाये थे। लेखापरीक्षा ने उक्त निदेशक द्वारा फाइल आईटीआर से पाया कि नि.व. 2015-16 के दौरान निर्धारिती को दिए गए ऋण और अग्रिम केवल ₹ 75.00 लाख थे। इसे ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 68 के तहत ₹ 51.29 लाख की बकाया असुरक्षित ऋण को अस्वीकार करने की आवश्यकता है। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 22.31 लाख के कर का कम उदग्रहण के साथ ₹ 51.29 लाख की आय का कम निर्धारण हुआ।

इस अभ्युक्ति को अगस्त 2020 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2022) और कहा कि 20 अप्रैल 2021 को आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी।

(घ) प्रभार: सेंट्रल सर्कल 1, चंडीगढ़
निर्धारिती: मैसर्स एसएच
निर्धारण वर्ष: 2017-18

निर्धारिती ने अक्टूबर 2017 में ₹ 10.86 करोड़ की आय पर नि.व. 2017-18 के लिए आय का रिटर्न फाइल किया और दिसंबर 2018 में धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें ₹ 25.72 करोड़ की आय निर्धारित की गई, जिससे ₹ 13.86 करोड़ की मांग हुई। निर्धारिती ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 85.30 करोड़ का कुल टर्नओवर दर्शाया था।

निर्धारिती ने बैलेंस शीट में ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में ₹ 1.65 करोड़ की राशि दर्शाई थी। निर्धारण अधिकारी द्वारा उपरोक्त राशि के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य और ग्राहकों के पूर्ण विवरण के बारे में पूछे जाने पर, निर्धारिती इसे प्रस्तुत करने में विफल रहा। इसे ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त राशि को अस्पष्टीकृत क्रेडिट के रूप में जोड़ा जाना आवश्यक था, हालांकि, ऐसा नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.27 करोड़ के कर प्रभाव के साथ ₹ 1.65 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

इस अभ्युक्ति को अक्टूबर 2020 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय के उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

(ड) प्रभार: प्र. सीआइटी 2, अहमदाबाद
निर्धारिती: एचके
निर्धारण वर्ष: 2013-14

इस मामले में, नि.व. 2013-14 के लिए आय का रिटर्न सितंबर 2013 में ₹ 6.75 लाख पर फाइल किया गया था और फरवरी 2016 में धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था, जिसमें रिटर्न की गई आय को स्वीकार किया गया था, जिससे नि.व. 2013-14 के लिए शून्य मांग हुई थी। निर्धारिती ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 192.96 करोड़ का कुल टर्नओवर दर्शाया था।

निर्धारण प्रक्रिया के दौरान, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती को एक लाख से अधिक की अंत शेष राशि वाले सभी क्रेडिटर के संबंध में विवरण (नाम, स्थायी खाता संख्या, कॉन्ट्रा खाता बही) प्रस्तुत करने के लिए कहा, हालांकि, निर्धारिती ₹ 27.57 करोड़ की भारी अंत शेष राशि वाले एक विविध क्रेडिटर के संबंध में इस तरह का विवरण प्रस्तुत नहीं कर सका। इस प्रकार, हालांकि राशि अस्पष्टीकृत रही, अधिनियम की धारा 68 के तहत इस राशि को जोड़े बिना निर्धारण पूरा किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.57 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234 बी के तहत ब्याज सहित ₹ 11.50 करोड़ के कर का संभावित कम उदग्रहण हुआ।

इस अभ्युक्ति को जुलाई 2020 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय के उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

(च) प्रभार: प्र.सीआई टी-1, भुवनेश्वर
निर्धारिती: मैसर्स एल जे प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2014-15

इस मामले में, नि.व. 2014-15 के लिए आय का रिटर्न ₹ 3.55 करोड़ की आय पर फाइल किया गया था (नवंबर 2014) और दिसंबर 2016 में धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था, जिसमें ₹ 3.75 करोड़ की आय निर्धारित की गई थी, जिससे मांग ₹ 0.11 लाख हो गई थी। निर्धारिती ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 266.41 करोड़ का कुल टर्नओवर दर्शाया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने नि.व. 2014-15 के दौरान एक संबंधित पार्टी (मैसर्स एलबी प्राइवेट लिमिटेड) को दिए गए ₹ 32.96 लाख के अग्रिम राशि को दर्शाया था। तथापि, नि.व. 2014-15 के लिए संबंधित पार्टी मैसर्स एलबी प्राइवेट लिमिटेड के आईटीआर के अनुसार, अल्पकालिक उधारी ₹ शून्य थी और इसलिए, इसे अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए था और अधिनियम की धारा 69 के तहत निर्धारिती की कुल आय में वापस जोड़ा जाना चाहिए था। इसके अलावा, निर्धारिती ने नि.व. 2014-15 के लिए एक अन्य संबंधित पार्टी अर्थात् मैसर्स ए लिमिटेड के विपरीत ₹ 1.86 करोड़ के देय व्यापार को दर्शाया था। तथापि, मैसर्स ए लिमिटेड के देनदारों की अनुसूची के अनुसार, संबंधित पक्ष द्वारा देय वास्तविक राशि ₹ 219.54 लाख थी। इसलिए, ₹ 33.76 लाख के व्यापार देय को कम बताया गया था, जिसे अधिनियम की धारा 68 के तहत निर्धारिती की निर्धारित आय में जोड़ा जाना आवश्यक था। इस प्रकार, ₹ 24.59 लाख के कर प्रभाव वाले पार्टियों के संव्यवहारों के तहत ₹ 66.72 लाख (₹ 32.96 लाख + ₹ 33.76 लाख) की आय का कुल कम निर्धारण किया गया था।

इस अभ्युक्ति को अगस्त 2020 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया (जनवरी 2022) और कहा कि 31 मार्च 2021 को आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी।

(छ) प्रभार: प्र.सीआईटी-5, अहमदाबाद
निर्धारिती: बी एम
निर्धारण वर्ष: 2016-17

इस मामले में, नि. व. 2016-17 के लिए आय का रिटर्न दिसंबर 2016 में ₹ 13.46 लाख की आय पर फाइल किया गया था और सितंबर 2018 में धारा

143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था, जिसमें ₹ 13.49 लाख की आय निर्धारित की गई थी, जिससे नि. व. 2016-17 के लिए ₹ 0.01 लाख की मांग हुई थी। निर्धारिती ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 6.54 करोड़ का कुल टर्नओवर दर्शाया था।

निर्धारिती के मामले को बहिर्मुखी प्रेषण के विभिन्न पहलुओं को सत्यापित करने के लिए "सीमित संवीक्षा" के तहत चुना गया था। निर्धारिती ने हीरे के आयात के विरुद्ध किए गए विदेशी प्रेषण के समर्थन में निर्धारण के दौरान 15सीए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रेषण की प्रकृति को 15सीए प्रमाणपत्रों में "सॉफ्टवेयर की खरीद" के रूप में दर्शाया गया था। तथापि, निर्धारिती के पी एंड एल के अनुसार, सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए कोई व्यय बुक नहीं किया गया था। इस प्रकार, निर्धारिती द्वारा किए गए ₹ 6.36 करोड़ का विदेशी प्रेषण संदिग्ध था और अस्पष्टीकृत व्यय के रूप में जोड़ा जाना आवश्यक था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 6.36 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 2.20 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

इस अभ्युक्ति को सितंबर 2020 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय के उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.6.2 अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आय का निर्धारण न होना

आयकर अधिनियम की धारा 41(1) के अनुसार, जहां निर्धारिती द्वारा की गई हानि, व्यय या व्यापारिक देयता के संबंध में और बाद में किसी भी पिछले वर्ष के दौरान किसी भी वर्ष के लिए निर्धारण में एक अनुमति या कटौती की गई है, और निर्धारिती ने चाहे नकद में या किसी अन्य तरीके से प्राप्त किया है, इस तरह के हानि या व्यय के संबंध में कोई राशि या इस तरह के व्यापारिक देयता के संबंध में कुछ लाभ छूट या उसकी समाप्ति, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि या उसे प्राप्त होने वाले लाभ के मूल्य को कारोबार या पेशे के लाभ और प्राप्तियों के रूप में माना जाएगा और तदनुसार उस पिछले वर्ष की आय के आयकर के लिए प्रभार्य माना जाएगा, चाहे वह कारोबार या पेशा, जिसके संबंध में अनुमति या कटौती की गई है, उस वर्ष में अस्तित्व में है या नहीं।

अधिनियम की धारा 56(2)(viiबी) यह निर्धारित करती है कि जहां एक कंपनी, एक ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता काफी रुचि रखती है, किसी भी पिछले वर्ष में, किसी भी व्यक्ति से निवासी होने के नाते, शेयरों के जारी करने के लिए कोई प्रतिफल प्राप्त करती है जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, ऐसे शेयरों के

लिए प्राप्त कुल प्रतिफल जो शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक है, "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के तहत आयकर के लिए प्रभार्य होगा। आयकर नियमावली के नियम 11यूए(2) में प्रावधान है कि धारा 56(2)(viiबी) के प्रयोजनों के लिए गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य निर्धारित सूत्र के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 115जेबी उन मामलों में बहीखाता लाभ की गणना करने के तरीके को निर्दिष्ट करती है जहां सामान्य प्रावधान के तहत कर मैट प्रावधान की तुलना में कम है।

लेखापरीक्षा ने 10 राज्यों⁶⁰ में, जहां निर्धारण अधिकारी आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आय पर विचार करने में विफल रहने के 34 मामलों को पाया। इस तरह की आय में देयता की समाप्ति, धारा 115 जेबी के तहत आय की गणना, निर्धारिती द्वारा स्टॉक/बिक्री की रिपोर्टिंग आदि शामिल हैं। इन सभी मामलों में शामिल कुल कर प्रभाव ₹ 58.86 करोड़ तक हुआ। चार निर्दर्शी मामलों को नीचे दिया गया है:

बॉक्स 4.9: अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्धारण नहीं की गई आय का निर्दर्शी मामला

क) प्रभार: सीआईटी, त्रिशूर
निर्धारिती: मैसर्स के जे प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2015-16

संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2016 में धारा 143(3) के तहत पूरा किया गया था, जिसमें सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 79.77 लाख और धारा 115 जेबी के तहत ₹ 99.79 करोड़ की आय स्वीकार की गई थी, जैसा कि निर्धारिती द्वारा वापस की गई थी। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान सोने के मूल्य जोखिम को सीमित करने के लिए, कंपनी ने यूएसडी /आईएनआर जोखिम को सीमित करने के लिए कमोडिटी फॉरवर्ड संविदाओं और साथ ही विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड संविदाओं में प्रवेश किया था। वर्ष के दौरान, निर्धारिती ने कुल ₹ 55.63 करोड़ के सोने के फारवर्ड संविदाओं पर बाजार से बाजार (एमटीएम) लाभ अर्जित किया था और लाभ और हानि विवरण में इसे मान्यता दी थी। हालांकि, आयकर अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत आय को कुल आय से बाहर रखा गया था। अधिनियम की

⁶⁰ महाराष्ट्र (8); गुजरात (3); कर्नाटक और गोवा (5); पंजाब और हरियाणा (1); तमिलनाडु (1); केरल (2); दिल्ली (5); उड़ीसा (1); पश्चिम बंगाल और सिक्किम (6) और बिहार (2)

धारा 145(1) के तहत परिकल्पित कंपनी द्वारा नियमित रूप से पालन किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त एमटीएम लाभ को संचय के आधार पर बाहर रखने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, निर्धारिती ने पिछले निर्धारण वर्ष के दौरान संचय के आधार पर एमटीएम हानि का दावा किया था। गलत भत्ते के परिणामस्वरूप ₹ 18.91 करोड़ के संभावित कर प्रभाव के साथ सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 55.63 करोड़ के निर्धारण से आय बच गई थी।

इस अभ्युक्ति को जुलाई 2018 में विभाग को बताया गया था। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (सितंबर 2021) को स्वीकार कर लिया और जुलाई 2021 में अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की। हालांकि, कर की गणना करते समय, सामान्य प्रावधानों के बजाय अधिनियम की धारा 115जेबी के तहत संग्रहण किया गया था। इसे विभाग के ध्यान में लाया गया था और अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी -32, मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स एसडी

निर्धारण वर्ष: 2014-15

इस मामले में, नि.व. 2014-15 के लिए आय का रिटर्न ₹ 78.81 लाख की आय पर फाइल किया गया था (सितंबर 2014) और संवीक्षा निर्धारण धारा 143(3) (दिसंबर 2016) के तहत किया गया था, जिसमें रिटर्न की गई आय को स्वीकार किया गया था, जिससे मांग ₹ 3.33 लाख हो गई थी। निर्धारणकर्ता ने वित्त वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 80.81 करोड़ का कुल टर्नओवर दर्शाया था।

इस मामले को पिछले वर्ष की तुलना में व्यावसायिक आय में कमी के विरुद्ध विविध क्रेडिटर में बड़ी वृद्धि को सत्यापित करने के लिए सीएएसएस के तहत चुना गया था। लेखापरीक्षा ने 31-03-2014 को समाप्त वर्ष के लिए निर्धारिती की बैलेंस शीट से पाया कि वर्ष के अंत में विविध क्रेडिटर की राशि सात पक्षों की तुलना में ₹ 45.39 करोड़ थी। तथापि, क्रेडिटर को जारी किए गए पुष्टिकरण विवरणों से यह पाया गया कि संबंधित पक्षों द्वारा किसी भी विवरण पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। इस प्रकार, उपरोक्त क्रेडिट शेष अस्पष्टीकृत रहा और ₹ 45.39 करोड़ की विविध क्रेडिटर की पूरी राशि को देनदारियों की समाप्ति के रूप में आय में जोड़ा जाना चाहिए था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप

₹ 45.39 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.43 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

इस अभ्युक्ति को अक्टूबर 2017 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया (जनवरी 2022) और कहा कि 17 दिसंबर 2019 को आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 263 के तहत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

(ग) प्रभार: प्र.सीआईटी -15

निर्धारिती: मैसर्स के के प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2014-15

निर्धारिती, एक कंपनी ने नवंबर 2014 में ₹ 1.40 करोड़ की आय पर नि.व. 2014-15 के लिए आय का रिटर्न फाइल किया और दिसंबर 2016 में धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें ₹ 1.59 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया, जिससे ₹ 8.67 लाख की मांग हुई थी।

निर्धारिती ने मैसर्स यू आई को ₹ 1,250 प्रति शेयर (₹ 1,150 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित) के मूल्य पर 48,000 इक्विटी शेयर जारी किए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया (अप्रैल 2017) कि निर्धारिती को वित्तीय वर्ष 2012-13 में शेयर आवेदन राशि के रूप में ₹ 6.00 करोड़ प्राप्त हुए थे, जिसे 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट में पूंजी और रिजर्व में शामिल किया गया था।

उपरोक्त पूंजी और रिजर्वों पर निर्धारिती द्वारा निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पद्धति के तहत 31-03-2013 की स्थिति के अनुसार शेयरों के उचित बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार किया गया था। हालांकि, यह सही नहीं था क्योंकि आवेदन राशि लंबित आवंटन को कंपनी के निवल मूल्य पर पहुंचने के उद्देश्य से पूंजी या रिजर्व के रूप में नहीं माना जा सकता है। नतीजतन, निर्धारण अधिकारी को पूंजी और रिजर्व से शेयर आवेदन राशि को बाहर करने के बाद एफएमवी की फिर से गणना करनी चाहिए थी। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 668/- के वास्तविक एफएमवी की तुलना में इनफ्लेट होकर एफएमवी ₹ 1,286/- पर शेयर पहुंच गया। इसमें ₹ 2.79 करोड़ का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 90.64 लाख का कर प्रभाव शामिल था।

इस अभ्युक्ति को अप्रैल 2017 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय के उत्तर प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2022)।

(घ) प्रभार: प्र.सीआइटी (केंद्रीय)-2, मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स एमजी

निर्धारण वर्ष: 2015-16

रत्न और आभूषण के विनिर्माण/व्यापार के कारोबार में लगे निर्धारिती ने सितंबर 2015 में शून्य आय पर नि.व. 2015-16 के लिए आय का रिटर्न फाइल किया और दिसंबर 2017 में धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें रिटर्न की गई आय को स्वीकार किया गया, जिससे शून्य मांग हुई थी।

बैलेंस शीट के अनुसार, दिनांक 31-03-2015 की स्थिति के अनुसार, ₹ 65.99 करोड़ की राशि को एक वर्ष से अधिक समय के लिए बकाया के रूप में दर्शाया गया था। रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला है कि क्रेडिट नि.व. 2010-11 से बकाया थे और यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि क्या विविध क्रेडिटर को देय राशि किसी भी कानूनी विवाद के तहत थी या निर्धारिती से संबंधित थी। चूंकि क्रेडिटर बहुत लंबी अवधि के लिए लंबित थे और देयता की वास्तविकता का पता लगाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था, इसलिए इसे आयकर अधिनियम की धारा 41(1) के तहत देयता की समाप्ति के रूप में माना जाना चाहिए था।

इस अभ्युक्ति को फरवरी 2019 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा आपत्ति (जनवरी 2022) को स्वीकार कर लिया और कहा कि 31 मार्च 2021 को अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी।

4.7 कर और ब्याज की गणना में गलतियाँ

लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण पाए गए जहां निर्धारण अधिकारी ने कर, अधिभार, ब्याज, दंड और प्रतिदाय की गणना में गलती की जिसके परिणामस्वरूप 10 राज्यों में 58 निर्धारण मामलों में ₹ 112.31 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ।

4.7.1 आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) में प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी, इस तरह के साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, जो निर्धारिती पेश कर सकता है और ऐसे अन्य साक्ष्य जो निर्धारण अधिकारी को निर्दिष्ट बिंदुओं पर आवश्यक हो सकते हैं, और सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखने के बाद जो उसने एकत्र की है लिखित रूप में एक आदेश द्वारा, निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण

करेगा और उसके द्वारा देय राशि का निर्धारण करेगा या ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा देय किसी भी राशि के प्रतिदाय का निर्धारण करेगा।

लेखापरीक्षा में तीन राज्यों⁶¹ के नौ मामलों में आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां पाई गई हैं जिनमें ₹ 10.90 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। दो निदर्शी मामलों को नीचे दिए गए हैं:

बॉक्स 4.10: आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों का निदर्शी मामला

(क) प्रभार: प्र.सीआई टी-5, मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स के जी प्राइवेट लिमिटेड

नि.व.: 2016-17

इस मामले में, नि.व. 2016-17 के लिए आय का रिटर्न ₹ 37.95 करोड़ की आय पर (नवंबर 2016) फाइल किया गया था और संवीक्षा निर्धारण धारा 143(3) (दिसंबर 2018) के तहत किया गया था, जिसमें ₹ 38.63 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया था, जिससे शून्य मांग हुई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर देयता की गणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने गलती से निर्धारण की गई आय के बजाय रिटर्न आय पर विचार किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 23.48 लाख के कर की कम मांग हुई।

इस अभ्युक्ति को अक्टूबर 2019 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मार्च 2022) और कहा कि फरवरी 2022 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 154 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।

(ख) प्रभार: सीआईटी (केंद्रीय)-2, दिल्ली

निर्धारिती: एनके

नि.व.: 2013-14 से 2016-17

इस मामले में, निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए आय का रिटर्न क्रमशः ₹ 8.74 लाख, ₹ 8.36 लाख, ₹ 9.37 लाख और ₹ 10.48 लाख की आय पर फाइल किया गया था (क्रमशः अक्टूबर 2013, नवम्बर 2014, सितम्बर 2015 और अक्टूबर 2016) तथा क्रमशः ₹ 136.41 करोड़, ₹ 228.42 करोड़, ₹ 108.82 करोड़ और ₹ 67.17 करोड़ की आय का निर्धारण करते समय धारा

⁶¹ महाराष्ट्र (2); दिल्ली (6) और बिहार (1)

143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण (दिसम्बर 2018) किया गया था, जिसमें क्रमशः ₹ 70.96 करोड़, ₹ 121.51 करोड़, ₹ 53.63 करोड़ और ₹ 30.48 करोड़ की माँग हुई। वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लाभ और हानि लेखे के अनुसार, निर्धारिती कंपनी का कुल टर्नओवर क्रमशः ₹ 133.79 करोड़, ₹ 223.86 करोड़, ₹ 101.03 करोड़ और ₹ 65.79 करोड़ था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नि.व. 2014-15 के निर्धारण में निर्धारण अधिकारी ने गलती से ₹ 124.96 करोड़ की वास्तविक मांग के बजाय ₹ 121.51 करोड़ की मांग की थी। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 3.44 करोड़ की कर मांग कम हो गई। नि.व. 2013-14, 2015-16 और 2016-17 के लिए निर्धारिती के निर्धारण में पाई गई गणना में इसी तरह की गलतियों के परिणामस्वरूप क्रमशः ₹ 1.92 करोड़, ₹ 1.43 करोड़ और ₹ 1.31 करोड़ का कर प्रभाव हुआ।

इस अभ्युक्ति को दिसंबर 2019 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (जनवरी 2022) और कहा कि नि.व. 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए 23 जून 2021 और नि.व. 2016-17 के लिए 02 अगस्त 2021 को आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

4.7.2 कर, अधिभार, ब्याज और शास्ति के उद्ग्रहण में गलती

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4(1) में प्रावधान है कि संबंधित वित्त अधिनियम के तहत निर्धारित दरों के अनुसार, निर्धारिती के पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक नि.व. के लिए आयकर प्रभार्य है।

आयकर अधिनियम, 1961 में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारिती की ओर से चूक के लिए ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 234ए में विनिर्दिष्ट दरों पर और विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए आय के रिटर्न को प्रस्तुत करने में चूक के कारण ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 234बी में विनिर्दिष्ट दरों पर और विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए अग्रिम कर के भुगतान में चूक के कारण ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 234सी में विनिर्दिष्ट दरों पर और विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए अग्रिम कर की किस्तों के भुगतान में चूक के कारण ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 244ए(1) में यह प्रावधान है कि जहां किसी भी राशि का प्रतिदाय अधिनियम के तहत निर्धारिती के कारण देय हो जाता है, वह, इस धारा के

प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उक्त राशि के अलावा, निर्धारित तरीके से गणना की गई साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा।

₹ 99.16 करोड़ के कर प्रभाव वाले 10 राज्यों⁶² में 41 मामलों में कर, अधिभार, ब्याज, शास्ति और प्रतिदाय के उदग्रहण में गलती से संबंधित मुद्दे लेखापरीक्षा में पाए गए। ऐसे दो निर्दर्शी मामले नीचे दिए गए हैं

बॉक्स 4.11: कर और अधिभार की गलत दरों के लागू करने के निर्दर्शी मामले

(क) प्रभार: प्र.सीआइटी (केंद्रीय) (2), दिल्ली

निर्धारिती: एन के

नि. व.: 2017-18

निर्धारिती ने मार्च 2018 में नि.व. 2017-18 के लिए ₹ 34.90 लाख की आय पर आय का रिटर्न फाइल किया और दिसंबर 2018 में धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें ₹ 115.32 करोड़ की आय निर्धारित की गई, जिससे मांग ₹ 52.50 करोड़ हुई। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लाभ और हानि लेखे के अनुसार, निर्धारिती कंपनी का कुल टर्नओवर ₹ 96.43 करोड़ था।

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में धारा 143(3) के तहत नि.व. 2017-18 के लिए निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण को ₹ 115.32 करोड़ की निर्धारित आय और उस पर ₹ 40.80 करोड़ की कर देयता पर पूरा किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त निर्धारित आय में अघोषित आय और अस्पष्टीकृत नकद जमाओं के कारण संग्रहित किए गए ₹ 114.02 करोड़ शामिल थे, जो 60 प्रतिशत की कर दर और 25 प्रतिशत के अधिभार को आकर्षित करते थे। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की अंतिम मांग की गणना करते समय कर की सामान्य दर पर पूरे संवर्धन पर कर लगाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 61.56 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ।

इस अभ्युक्ति को दिसंबर 2019 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (जनवरी 2022) और कहा कि 09 दिसंबर 2021 को आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी।

⁶² महाराष्ट्र (21); गुजरात (7); कर्नाटक और गोवा (1); पंजाब और हरियाणा (3); तमिलनाडु (1); दिल्ली (4); छत्तीसगढ़ (1); उड़ीसा (1) ; बिहार (1) और पश्चिम बंगाल और सिक्किम (1)

(ख) प्रभार: प्र.सीआई टी -25, मुम्बई
निर्धारिती: मैसर्स जेडजे एलएलपी
नि. व.: 2014-15

इस मामले में, नि.व. 2014-15 के लिए आय का रिटर्न नवंबर 2013 में ₹ 51.18 लाख की आय पर फाइल किया गया था और दिसंबर 2017 में धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था, जिसमें रिटर्न आय को स्वीकार किया गया था, जिससे शून्य मांग हुई थी। कर की गणना ₹ 8.82 करोड़ की आय पर की गई थी जिसे धारा 115जेबी के तहत निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षा ने कर गणना शीट से पाया कि यद्यपि निर्धारित आय एक करोड़ से अधिक थी, लेकिन 10 प्रतिशत की दर से उद्ग्रहीत अधिभार को उद्ग्रहीत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.87 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

इस अभ्युक्ति को मई 2018 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय के उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

4.7.3 गलत ब्याज के उद्ग्रहण द्वारा प्रतिदाय को अवरुद्ध करना

तीन राज्यों⁶³ में पांच मामलों में लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने धारा 234बी के तहत ब्याज को मैनुअल संशोधित किया और ₹ 29.22 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण किया, जो कि उद्ग्रहण योग्य नहीं था, ताकि प्रतिदाय जारी करने से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र में ₹ 1.78 करोड़ के कर प्रभाव वाले दो मामलों⁶⁴ में, निर्धारण अधिकारी ने दो वर्ष बीत जाने के बावजूद आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। बिहार में एक मामले⁶⁵ में, आंतरिक लेखापरीक्षा आय और ब्याज की गणना में गलती को इंगित करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.40 लाख का कर प्रभाव पड़ा।

⁶³ महाराष्ट्र (3); राजस्थान (1); पंजाब और हरियाणा (1)

⁶⁴ प्र.सीआईटी 19, मुम्बई में, नि.व. 2015-16 के लिए मैसर्स एनजी और मैसर्स केजी

⁶⁵ प्र.सीआईटी-1 पटना में नि.व. 2011-12 के लिए मैसर्स एसजे प्राइवेट लिमिटेड

4.8 आर्म्स लेंथ मूल्य और स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी (टीपीओ) को मामलों का संदर्भ

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92सीए में प्रावधान है कि जहां किसी भी व्यक्ति ने, निर्धारिती होने के नाते किसी भी पिछले वर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार किया है और निर्धारण अधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन मानता है, वह प्रधान आयुक्त के पिछले अनुमोदन के साथ उक्त अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में आर्म्स लेंथ मूल्य की गणना को ट्रांसफर प्राइसिंग अधिकारी (टीपीओ) को संदर्भित कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने महाराष्ट्र में ₹ 16.41 करोड़ के कर प्रभाव वाले सात निर्धारण मामलों में आर्म्स लेंथ मूल्य के गलत अनुमान, मामलों को टीपीओ को न भेजने और फॉर्म संख्या 3सीईबी में अनिवार्य रिपोर्ट फाइल न करने से संबंधित मुद्दों को पाया।

4.8.1 आर्म्स लेंथ मूल्य का गलत अनुमान

अधिनियम की धारा 92सी(1) में प्रावधान है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में आर्म्स लेंथ मूल्य किसी भी विधि द्वारा सबसे उपयुक्त विधि होने के नाते, संव्यवहार की प्रकृति या संव्यवहार के वर्ग या संबद्ध व्यक्तियों के वर्ग या ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों या ऐसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए जो बोर्ड निर्धारित कर सकता है, के द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में महाराष्ट्र में एक मामले में आर्म्स लेंथ मूल्य का गलत अनुमान पाया गया, जिसमें ₹ 1.34 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। निदर्शी मामला नीचे दिया गया है।

बॉक्स 4.12: आर्म्स लेंथ मूल्य के गलत अनुमान का निदर्शी मामला

प्रभार: सीआईटी (टीपी), मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स एन डब्ल्यू लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2016-17

इस मामले में, नि.व. 2016-17 के लिए आय का रिटर्न शून्य आय पर फाइल किया गया था (नवंबर 2016) और रिटर्न को धारा 143(1) (दिसंबर 2016) के तहत संसाधित किया गया था, जिसमें इस तरह की आय को स्वीकार किया, जिससे ₹ 0.05 लाख की मांग हुई थी। निर्धारिती ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कुल टर्नओवर ₹ 1,484.07 करोड़ दर्शाया था।

निर्धारिती (पहले मैसर्स जी2 लिमिटेड के रूप में जाना जाता था), एन समूह की कंपनियों का एक हिस्सा, अपने एसोसिएट एंटरप्राइजेज के साथ अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार और निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के संबंध में आर्म्स लंबाई मूल्य (एएलपी) निर्धारित करने के लिए डीसीआईटी सेंट्रल सर्कल 1(2), मुंबई द्वारा डीसीआईटी (टीपी) -3(1)(2), मुंबई (दिसंबर 2018) को संदर्भित किया गया था। स्थांनातरण मूल्य निर्धारण अधिकारी (टीपीओ) ने अधिनियम की धारा 92सीए(3) के तहत ₹ 52.82 करोड़ के एएलपी समायोजन के साथ आदेश पारित किया (अक्टूबर 2019)।

लेखापरीक्षा ने हस्तांतरण मूल्य निर्धारण आदेश से पाया (फरवरी 2020) कि टीपीओ ने छह तुलनीयों के संबंध में ₹ 107.06 करोड़ की परिचालन लागत के 7.40 प्रतिशत पर अंकगणितीय मध्यमान निर्धारित किया और अधिनियम की धारा 92सीए के तहत एएलपी समायोजन की गणना ₹ 52.82 करोड़ पर की। तथापि, टीपीओ ने आयकर नियम 10सीए के नियम 2 के साथ पठित उप नियम 4 के अनुसार परसेंटाइल रेंज कॉन्सेप्ट डेटा सेट में निर्धारित माध्यिका के बजाय सरल अंकगणितीय मध्यमान के आधार पर एएलपी तैयार किया। दिए गए डेटा सेट के लिए आर्म्स लेंथ का माध्यिका टीपीओ द्वारा गणना किए गए 7.40 प्रतिशत के सरल अंकगणितीय मध्यमान की तुलना में 8.49 प्रतिशत होगी, इस प्रकार, माध्यिका की गलत गणना के परिणामस्वरूप ₹ 1.34 करोड़ के संभावित कर प्रभाव के साथ ₹ 4.33 करोड़ का कम एएलपी समायोजन हुआ है।

इस अभ्युक्ति को फरवरी 2020 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया (जनवरी 2022) और कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 154 के साथ पठित धारा 92सीए(5) के तहत 03 नवंबर 2020 को आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी।

4.8.2 फार्म 3 सीईबी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए शास्ति का गैर-उदग्रहण

आयकर अधिनियम की धारा 92ई के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसने पिछले वर्ष के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार (एसडीटी) में प्रवेश किया है, वह एक लेखाकार से एक रिपोर्ट प्राप्त करेगा और निर्धारित तिथि पर या उससे पहले निर्धारित फार्म में ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिस पर ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित किया गया है और ऐसे विवरणों को निर्धारित किया जाएगा जो निर्धारित किए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति धारा 92ई

के तहत आवश्यकतानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो चूककर्ता धारा 271बीए के तहत एक लाख की राशि की शास्ति का भुगतान के लिए उत्तरदायी है।

इसके अलावा, धारा 271ए में प्रावधान है कि यदि ऐसा व्यक्ति (i) धारा 92डी द्वारा आवश्यक ऐसी किसी भी जानकारी और दस्तावेज को रखने और उसका रखरखाव करने में विफल रहता है; (ii) ऐसे संव्यवहार की रिपोर्ट करने में विफल रहता है जो उसे ऐसा करने के लिए आवश्यक है; या (iii) एक गलत जानकारी या दस्तावेज का रखरखाव करता है या प्रस्तुत करता है, निर्धारण अधिकारी या कमिश्नर (अपील) यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के माध्यम से, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या ऐसे व्यक्ति द्वारा दर्ज किए गए निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

2016 के सीबीडीटी अनुदेश संख्या 3 के अनुसार, संवीक्षा के लिए चयनित सभी मामलों को या तो सीएएसएस प्रणाली के तहत या अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के संबंध में हस्तांतरण मूल्य निर्धारण जोखिम मापदंडों के आधार पर अनिवार्य मैनुअल चयन प्रणाली के तहत या दोनों को अनिवार्य रूप से टीपीओ को भेजा जाना चाहिए। तथापि, गैर-अंतरण मूल्य निर्धारण जोखिम पैरामीटरों पर संवीक्षा के लिए चुने गए मामलों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिदष्ट घरेलू संव्यवहार वाले मामलों को केवल उक्त अनुदेशों में निर्धारित सीमित परिस्थितियों में ही टीपीओ को भेजा जाएगा। टीपीओ को अनिवार्य रूप से संदर्भित करने के लिए शर्तों में से एक ऐसा मामला है जहां निर्धारण अधिकारी को पता चलता है कि करदाता ने अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार या दोनों में प्रवेश किया है, लेकिन करदाता ने या तो धारा 92 ई के तहत लेखाकार की रिपोर्ट फाइल नहीं की है या लेखाकार की फाइल रिपोर्ट में उक्त संव्यवहार का खुलासा नहीं किया है।

लेखापरीक्षा ने महाराष्ट्र में दो निर्धारितियों के छह निर्धारण मामलों को पाया जहां निर्धारितियों ने संबंधित पक्षों के साथ पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय और निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के बावजूद फॉर्म 3सीईबी में लेखापरीक्षा रिपोर्ट फाइल नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 271ए और 271बीए के तहत ₹ 15.07 करोड़ की शास्ति का उद्ग्रहण नहीं किया गया। ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

बॉक्स 4.13: फॉर्म 3सीईबी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता के लिए शास्ति के उदग्रहण न होने का निदर्शी मामला

प्रभार: प्र.सीआइटी 5 मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स एचके प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2014-15, 2016-17 और 2017-18

इस मामले में, नि.व. 2014-15, नि.व. 2016-17 और नि.व. 2017-18 के लिए आय का रिटर्न क्रमशः ₹ 191.63 करोड़ (नवंबर 2014), ₹ 163.83 करोड़ (अक्टूबर 2016) और ₹ 222.78 करोड़ (अक्टूबर 2017) की आय पर फाइल किया गया था। नि.व. 2014-15 (दिसंबर 2016), नि.व. 2016-17 (दिसंबर 2018) और नि.व. 2017-18 (दिसंबर 2019) के लिए संवीक्षा निर्धारण धारा 143(3) के तहत क्रमशः ₹ 191.66 करोड़, ₹ 163.83 करोड़ और ₹ 222.78 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए पूरा किया गया था। नि.व. 2014-15, नि.व. 2016-17 और नि.व. 2017-18 की मांग क्रमशः ₹ 7.51 लाख, शून्य और शून्य पर बढ़ा दी गई थी। निर्धारिती ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 4,309.68 करोड़, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 4,452.81 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 6,030.77 करोड़ का कुल टर्नओवर दर्शाया था।

लेखापरीक्षा (नवंबर 2020) में पाया गया कि निर्धारिती ने नि.व. 2014-15, 2016-17 और 2017-18 के लिए प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान क्रमशः ₹ 223.83 करोड़, ₹ 275.96 करोड़ और ₹ 250.79 करोड़ की सीमा तक संबंधित पक्षों के साथ निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार में प्रवेश किया था। धारा 92ई के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारिती उक्त निर्धारण वर्षों के लिए फॉर्म 3सीईबी में लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए उत्तरदायी था। हालांकि, निर्धारिती ने नि.व. 2014-15, नि.व. 2016-17 और नि.व. 2017-18 के संबंध में फॉर्म 3सीईबी में रिपोर्ट फाइल नहीं की थी। चूक के परिणामस्वरूप विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों की रिपोर्टिंग की गई जिसके लिए विभाग को धारा 271बीए के तहत और धारा 271ए के तहत शास्ति लगाया जाना चाहिए था।

धारा 271ए के तहत रिपोर्ट नहीं की गई राशि के दो प्रतिशत की दर से कुल शास्ति नि.व. 2014-15, 2016-17 और 2017-18 के लिए ₹ 15.01 करोड़ पर लगाई गई। इसके अलावा, निर्धारिती उक्त निर्धारण वर्षों के लिए धारा 271बीए के तहत प्रत्येक में ₹1 लाख की शास्ति के लिए भी उत्तरदायी था।

इस अभ्युक्ति को नवंबर 2020 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय ने अपने

उत्तर में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है (मार्च 2022) और कहा है कि नि. व. 2014-15, 2016-17 और 2017-18 के लिए 18 जनवरी 2022 को धारा 271बीए के तहत और धारा 271ए के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

लेखापरीक्षा ने नोट किया कि अधिनियम की धारा 271बीए के तहत फॉर्म 3सीईबी फाइल नहीं करने के लिए शास्ति ₹ एक लाख है, जबकि गलत जानकारी प्रस्तुत करने या अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार की रिपोर्ट करने में विफलता के लिए शास्ति जहां निर्धारिती को ऐसा करने की आवश्यकता होती है, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के मूल्य के 2 प्रतिशत के शास्ति को आकर्षित करता है। चूंकि फॉर्म 3सीईबी प्रस्तुत नहीं करने के लिए शास्ति की राशि गलत रिपोर्टिंग के लिए दंड की तुलना में नाममात्र है, इसलिए यह निर्धारितियों को काफी उच्च मूल्य वाले अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार में लगे हुए निर्धारितियों को फॉर्म 3सीईबी के प्रस्तुतीकरण को त्यागने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

4.9 निष्कर्ष

360-डिग्री विश्लेषण के तहत मामलों की जाँच करते समय, लेखापरीक्षा ने संदिग्ध व्यावसायिक गतिविधियों की जाँच न होना; अस्पष्टीकृत अतिरिक्त आउटपुट, स्टॉक का कम लेखाकरण, और संबंधित पार्टों के रिकॉर्ड की तुलना में निर्धारिती के रिकॉर्ड के अनुसार निर्धारिती द्वारा किए गए दावों में अंतर का गैर-सत्यापन जैसी अनियमितताओं को पाया। इस तरह की अनियमितताओं में कर अपवंचन का अंतर्निहित जोखिम था जिसके लिए आगामी जांच और विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा में कटौती/व्यय/समंजन की अनुमति के संबंध में अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने और हानियों का अग्रषेण करने, कर और ब्याज की गणना में गलतियों, टीडीएस की कटौती न करने, शास्ति आदि का उद्ग्रहण न होना आदि के मामलों को पाया।

निर्धारण अधिकारी ने आयकर अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी करते हुए निर्धारण में त्रुटियां कीं। आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों वाले गलत निर्धारण के मामले स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि आयकर विभाग में निर्धारण प्रक्रियाएं स्वचालित हैं और निर्धारण आयकर विभाग सिस्टम और अनुप्रयोगों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। त्रुटियां इस तथ्य का संकेतक हैं कि आयकर

विभाग प्रणाली पर्याप्त नहीं थी या उसके पास आवश्यक कार्यक्षमता नहीं थी।

कर और अधिभार की गलत दरों का अनुप्रयोग, रिटर्न प्रस्तुत करने में चूक के लिए ब्याज उद्ग्रहण में त्रुटियां और अग्रिम कर के भुगतान आदि निर्धारण प्रक्रिया में कमजोरियों और आयकर विभाग के आंतरिक नियंत्रणों की ओर इशारा करते हैं, जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।

4.10 सिफारिशों का सार

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की है कि:

क. सीबीडीटी रत्न और आभूषण कारोबार में लगी संस्थाओं के निर्धारण के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार कर सकता है जिसमें त्रुटि मुक्त निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट जोखिम क्षेत्रों के लिए निर्देश शामिल हैं। सीबीडीटी निम्नलिखित लाइनों पर रत्न और आभूषण कारोबार में लगे निर्धारितियों के संबंध में कंप्यूटर सहाय्यित संवीक्षा चयन (सीएएसएस) के तहत सीमित और पूर्ण संवीक्षा के लिए मामलों की पहचान के लिए जोखिम मापदंडों के संयोजन को लागू करने पर विचार कर सकता है: बिक्री टर्नओवर ₹ 500 करोड़ या ₹ 1000 करोड़ की सीमा मूल्य से अधिक या बोर्ड द्वारा सही समझे जाने वाले किसी भी अन्य उच्च मूल्य से अधिक है, बिक्री टर्नओवर के 0.5 प्रतिशत से कम की आय, एक वर्ष से अधिक समय से रत्न और आभूषणों की मर्दों के निर्यात के बदले विदेशी मुद्रा आय की वसूली न करना, प्रपत्र 3 सीईबी फाइल न करना आदि।

[पैरा 4.1]

सीबीडीटी ने अपने उत्तर (जनवरी 2022) में कहा है कि दिशानिर्देश तैयार करने के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सुझाव को नोट कर लिया है और इसकी जाँच की जा रही है। सीबीडीटी ने आगे कहा है कि सीएएसएस जोखिम पैरामीटर को अंतिम रूप देने का काम इस संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा गठित एक समर्पित सीएएसएस समिति द्वारा किया जाता है और यह मामला सीएएसएस 2022 के लिए सीएएसएस समिति के विचाराधीन है।

ख. सीबीडीटी संदिग्ध प्रकृति के संव्यवहार की पहचान करने और कर अपवंचन की संभावना को रोकने के लिए रत्न और आभूषण कारोबार में लगी किसी भी सत्व द्वारा सीबीडीटी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली एक निश्चित सीमा से परे संबंधित पक्षों के साथ किए गए निर्यात और आयात संव्यवहार के विवरण को प्राप्त करने

पर विचार कर सकता है, हालांकि संवीक्षा के अधीन ऐसे मामलों की विस्तृत संवीक्षा की जा रही है।

[पैरा 4.1.2.1]

सीबीडीटी ने अपने उत्तर (जनवरी 2022) में कहा है कि इस बारे में जोखिम पैरामीटर पहले से ही अस्तित्व में हैं।

सीबीडीटी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आयकर रिटर्न या कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मौजूदा प्रारूप में निर्धारितियों द्वारा किए गए निर्यात और आयात संव्यवहार के विवरण को प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है। सीबीडीटी रत्न और आभूषण कारोबार में लगे सत्वों द्वारा किए गए संव्यवहार की संदिग्ध प्रकृति के जोखिम को देखते हुए संबंधित पक्षों के साथ किए जाने वाले एक निश्चित सीमा से अधिक आयात और निर्यात संव्यवहार और कर अपवंचन के जोखिम के विवरण कैप्चर करने पर पुनर्विचार कर सकता है, जैसा कि इस क्षेत्र को विनियमित करने वाली कई एजेंसियों द्वारा समय-समय पर रिपोर्ट भी की गई है।

ग. सीबीडीटी फॉर्म 3सीडी के माध्यम से सीबीडीटी द्वारा निर्दिष्ट एक निश्चित सीमा से परे संव्यवहार के लिए संबंधित पक्षों के पैन विवरण का अनिवार्य प्रकटीकरण सुनिश्चित कर सकता है और संबंधित पक्षों के पैन के सत्यापन पर भी विचार कर सकता है।

[पैरा 4.2]

सीबीडीटी ने अपने उत्तर (जनवरी 2022) में कहा है कि फॉर्म 3सीडी खंड 23 में संबंधित पक्ष के विवरण की रिपोर्ट करने का प्रावधान है जिसके साथ संव्यवहार किया जाता है (पैन सहित)। जब कोई संव्यवहार नहीं होता है तब भी इसे सभी संबंधित पक्षों तक विस्तारित करना, 3सीडी बोझिल बना देगा और करदाता पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। प्रत्येक संव्यवहार में संबंधित पक्षों के पैन का सत्यापन भी प्रशासन पर भारी बोझ डालेगा। हालांकि, संवीक्षा कार्यवाही के दौरान उसे हमेशा निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि प्रपत्र 3सीडी के खंड 23 में, केवल संबंधित पक्षों को किए गए भुगतानों का खुलासा किया जाना है। तथापि, संबंधित पक्षों के संबंध में प्राप्तियों के विवरण को प्राप्त करने के लिए फॉर्म 3सीडी में ऐसा कोई खंड नहीं है। सीबीडीटी द्वारा तय की जाने वाली एक निश्चित सीमा से ऊपर फॉर्म 3सीडी में संबंधित पक्षों से प्राप्त प्राप्तियों के विवरण को कैप्चर करने और फॉर्म 3सीडी के माध्यम से संबंधित पक्षों के पैन विवरणों का अनिवार्य प्रकटीकरण सुनिश्चित करने

पर भी विचार कर सकता है और संबंधित पक्षों के पैन के सत्यापन पर भी विचार कर सकता है। सीबीडीटी आयकर विभाग की धारणा के आधार पर उच्च जोखिम वाले मामलों का कवरेज सुनिश्चित करने के लिए आयकर विभाग के डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी के विश्लेषण के अनुसार परिभाषित एक निश्चित निर्दिष्ट सीमा से ऊपर के संबंधित पार्टी संव्यवहार के संबंध में पैन सत्यापन सुविधा शुरू करने पर विचार कर सकता है। इसके अलावा, आयकर विभाग सत्यापन/निर्धारण प्रक्रिया के दौरान मैनुअल सत्यापन और प्रशासनिक हस्तक्षेप के बोझ को कम करने के लिए फेसलेस निर्धारण व्यवस्था के तहत प्रौद्योगिकी संचालित उपकरणों के इष्टतम उपयोग पर विचार कर सकता है।

घ. आयकर विभाग लाभ और हानि खाते और टीएआर के अनुसार स्टॉक के प्रकटीकरण में अंतर के गैर-सत्यापन के कारणों की संवीक्षा विशेष रूप से बड़े बिक्री टर्नओवर वाली सत्वों में और अस्पष्टीकृत अतिरिक्त आउटपुट का गैर-सत्यापन करने के लिए बिक्री के छिपाव और बेहिसाब कच्चे माल की शुरुआत के माध्यम से अपवंचन की संभावना को रोकने के लिए विचार कर सकता है।

[पैरा 4.2]

सीबीडीटी ने अपने उत्तर (जनवरी 2022) में कहा है कि जहां तक पी एंड एल लेखे के अनुसार स्टॉक के प्रकटीकरण के गैर-सत्यापन के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सिफारिश और विशेष रूप से बड़े बिक्री टर्नओवर वाली सत्वों में टीएआर के संबंध में, यह उल्लेख किया गया है कि अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 की अवधि के लिए बार-बार/सामान्य त्रुटियों के संबंध में छमाही रिपोर्ट में इसी तरह के मुद्दे को सीआईटी (लेखापरीक्षा) हैदराबाद द्वारा फ्लैग किया गया था। इसके बाद, लेखापरीक्षा मैनुअल 2019 में और लेखापरीक्षा और निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी लेखापरीक्षा 2020-21 के सार-संग्रह में, लेखापरीक्षा चेकलिस्ट में संगणित लाभ और प्राप्तियों और कारोबार या पेशे के लाभ के संबंध में निम्नलिखित मदों में से दो शामिल हैं:

- क्या निर्यात सहित टर्नओवर/सकल प्राप्तियों/बिक्री का सही ढंग से खुलासा एआईआर/आईटीएस विवरण/360-डिग्री आंकड़ों में उपलब्ध सूचना के अनुसार किया गया है।
- क्या कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई अभ्युक्तियों पर अस्वीकृत करने के लिए विधिवत विचार किया गया है।

इस प्रकार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सिफारिश के इस पहलू को पर्याप्त रूप से कवर किया गया है।

यह भी कहा गया था कि बिक्री के छिपाव और बेहिसाब कच्चे माल के समावेशन से अपवंचन की संभावना को रोकने के लिए अस्पष्टीकृत अतिरिक्त उत्पादन के गैर-सत्यापन के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सिफारिश को आगामी '2021-22 के लिए लेखापरीक्षा के सार-संग्रह' के लिए लेखापरीक्षा चेकलिस्ट तैयार करने के दौरान उचित विचार के लिए नोट किया गया है।

चूंकि आगामी '2021-22 के लिए लेखापरीक्षा का सार-संग्रह' के लिए लेखापरीक्षा चेकलिस्ट तैयार करने के दौरान उचित विचार के लिए सिफारिश को नोट किया गया है, इसलिए इस संबंध में आगे की गई कार्रवाई के विवरण को लेखापरीक्षा को सूचित किया जा सकता है।

ड. आयकर विभाग सिस्टम संवीक्षा निर्धारण के तहत विस्तृत जाँच के लिए एक विशेष निर्धारण वर्ष में एक ही निर्धारिती द्वारा विभिन्न स्रोतों के माध्यम से किए गए स्टॉक के मात्रात्मक विवरणों में प्रकटीकरण में अंतर से जुड़े मामलों के चयन को प्राथमिकता दे सकता है।

[पैरा 4.2]

सीबीडीटी ने अपने उत्तर (जनवरी 2022) में कहा है कि संवीक्षा के लिए मामलों के चयन के लिए इसी तरह के जोखिम मापदंड पहले से मौजूद हैं।

लेखापरीक्षा का विचार है कि यद्यपि एक विशेष निर्धारण वर्ष में एक ही निर्धारिती द्वारा विभिन्न स्रोतों के माध्यम से किए गए स्टॉक के मात्रात्मक विवरणों में प्रकटीकरण में अंतर के समान जोखिम मापदंड संवीक्षा हेतु मामलों के चयन के लिए मौजूद हैं, लेखापरीक्षा ने आयकर रिटर्न और टीएआर के माध्यम से किए गए खुलासों में विसंगतियों के उदाहरणों को उसी निर्धारिती के मामले में पाया, जिन्हें निर्धारिती द्वारा किए गए खुलासे की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संवीक्षा की आवश्यकता होती है। सीबीडीटी को आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई आयकर रिटर्न एवं कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किए गए खुलासों में विसंगतियों की पहचान द्वारा सुधारात्मक उपाय करने के लिए प्रणाली की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

च. रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों की कारोबारी गतिविधि की विशेष प्रकृति और इस तरह के कारोबार में शामिल संव्यवहार की बहुलता को ध्यान में रखते हुए, सीबीडीटी स्टॉक के मात्रात्मक विवरणों के अनुचित प्रकटीकरण, असामान्य

प्राप्ति/ अपव्यय से संबंधित मुद्दों, संबंधित पक्षों आदि के अभिलेखों में प्रकटीकरण की तुलना में मुख्य निर्धारिती के अभिलेखों के अनुसार दावों की जाँच करने के लिए निर्धारितियों और उनके संबंधित पक्षों की धारा 142(2ए) के तहत विशेष लेखापरीक्षा करने पर विचार कर सकता है।

[पैरा 4.2.8]

सीबीडीटी ने अपने उत्तर (जनवरी 2022) में कहा है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142(2ए) के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारण अधिकारी एक राय बना सकता है कि क्या लेखों की प्रकृति और जटिलता, लेखों की मात्रा, लेखों की सटीकता संबंधी संदेह, लेखों में संव्यवहार की बहुलता या निर्धारिती की कारोबारी गतिविधि की विशेष प्रकृति और राजस्व के हितों जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष मामले में विशेष लेखापरीक्षा करना आवश्यक है। इसलिए, विशेष लेखापरीक्षा आयोजित की जानी है या नहीं, इसकी जाँच मामले-दर-मामले के आधार पर की जानी चाहिए और इस मुद्दे पर एक समान मानकीकृत दिशानिर्देश जारी करना संभव नहीं हो सकता है।

लेखापरीक्षा में कहा गया है कि यद्यपि आयकर अधिनियम के तहत विशेष लेखापरीक्षा के प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन लेखापरीक्षा के दौरान रत्न और आभूषण क्षेत्र के उच्च जोखिम निर्धारण मामलों के संबंध में विशेष शक्तियों के उपयोग की सीमा का पता नहीं लगाया जा सका है। यद्यपि रत्न और आभूषण क्षेत्र विशेष लेखापरीक्षा के लिए सभी अपेक्षित मानदंडों जैसे संव्यवहार/ लेखों की बहुलता और जटिलता, व्यावसायिक गतिविधि की विशेष प्रकृति आदि पर जोर देता है, विभाग द्वारा 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान नमूना मामलों में भी कोई विशेष लेखापरीक्षा नहीं किया गया था। इस प्रकार सीबीडीटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विशेष लेखापरीक्षा के लिए मामलों की पहचान करने के लिए क्षेत्रीय जोखिम निर्धारण करने पर विचार कर सकता है।

छ. सीबीडीटी, ऐसी त्रुटियों के कारणों का पता लगाने के लिए आय, कर, ब्याज आदि की गणना में त्रुटियों और अनियमितताओं से जुड़े निर्धारणों पर फिर से विचार कर सकता है और ऐसी परिहार्य त्रुटियों की संभावना को समाप्त करने और निर्धारण अधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित कर सकता है।

[पैरा 4.7]

सीबीडीटी ने अपने उत्तर में कहा है (जनवरी 2022) कि पुराने रिकॉर्ड के साथ सत्यापित करने के बाद निर्धारितियों की आय की गणना की पूर्व प्रणाली त्रुटीगत थी, जिसे निर्धारण कार्यों के लिए 'आयकर कारोबार एप्लीकेशन' ('आईटीबीए') नामक एक नए एप्लीकेशन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। आईटीबीए में आय और करों की सही और एकसमान गणना का ध्यान रखा जा रहा है। पुरानी एएसटी प्रणाली से आईटीबीए में निर्धारण आदेश पारित करने के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय अंतर है। आईटीबीए में, निर्धारण अधिकारी को कर योग्य आय की गणना करने के लिए संवर्धन/अस्वीकृत करते समय अधिक विस्तृत और व्यापक दृष्टिकोण का पालन करने की आवश्यकता होती है और इन प्रणालीगत विकासों के परिणामस्वरूप, गणना संबंधी त्रुटियों से बचा जा सकता है। रत्न और आभूषण क्षेत्र के कई मामलों में आयकर विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा ने पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा आपत्तियां उठाई हैं।

जैसा कि सीबीडीटी द्वारा कहा गया है, आईटीबीए में आय और करों की सही और समान गणना का ध्यान रखा जा रहा है। तथापि, चाहे संगणना की मैन्युअल/प्रणालीगत पद्धति कुछ भी हो, लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए, संगणना त्रुटियां चिंता का विषय हैं। लेखापरीक्षा को इसके सत्यापन के लिए आईटीबीए प्रणाली तक पहुंच प्रदान की जा सकती है।

ज. इस अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद अस्वीकार्य दावों और व्यय की मदों की अनियमित अनुमति तथा कटौती के कारणों की सीबीडीटी द्वारा समीक्षा की जा सकती है। आयकर विभाग अनियमित अनुमति की उच्च प्रवृत्ति के साथ व्यय और कटौती की मदों की पहचान कर सकता है और अनियमित अनुमति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए एक चेकलिस्ट तैयार कर सकता है।

[पैरा 4.3, 4.4]

सीबीडीटी ने अपने उत्तर में कहा है कि दिशा-निर्देश तैयार करने के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सुझाव पर ध्यान दिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा 2019 में, लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण निदेशालय ने विभागीय हितधारकों के लिए एक लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका को जारी किया, जिसमें लेखापरीक्षक द्वारा देखे जाने वाले मामलों की एक विस्तृत जांच-सूची शामिल है, जबकि निर्धारण में निर्धारण अधिकारियों द्वारा अस्वीकार्य दावों की गलत स्वीकार्यता को भविष्य में होने से रोकने की भी मांग की गई है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2018-19 के बाद से, आयकर विभाग और क्षेत्रीय संरचनाओं में

लेखापरीक्षकों के मार्गदर्शन के लिए लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण निदेशालय, आंतरिक लेखापरीक्षा और राजस्व लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई सामान्य गलतियों का एक वार्षिक संग्रह जारी कर रहा है, जिसने त्रुटि-मुक्त निर्धारण करने में विभागीय हितधारकों के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में कार्य किया है और इस प्रकार राजस्व कटौती/व्यय, जो अस्वीकार्य या जिनके लिए उच्च प्रवृत्ति के अनियमित दावे हैं, पर अंकुश लगाकर राजस्व के रिसाव को रोका है।

आयकर विभाग द्वारा त्रुटि मुक्त निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा और राजस्व लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई सामान्य गलतियों का वार्षिक संग्रह लाने के संबंध में किए गए प्रयासों की सराहना की जाती है। सीबीडीटी भविष्य में इतनी बड़ी संख्या में विसंगतियों/अनियमितताओं की घटना से बचने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए विभागीय हितधारकों के बीच अनियमित अनुमति या उच्च प्रवृत्ति दावों वाले मामलों के बारे में जागरूकता के बावजूद लेखापरीक्षा में उल्लिखित अनियमितताओं की घटना के कारणों की समीक्षा करने पर आगे विचार कर सकता है।

डॉ. सीबीडीटी यह सुनिश्चित कर सकता है कि क्या त्रुटियां/अनियमितताएं कमीशन की त्रुटियां हैं और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा। आयकर विभाग, त्रुटियों और अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय कर सकता है।

सीबीडीटी ने अपने उत्तर में कहा है (जनवरी 2022) कि क्या निर्धारण को तैयार करने के दौरान की गई गलती है और आंतरिक लेखापरीक्षा के दौरान पता चली, दुर्भावनापूर्ण/प्रामाणिक है, इसको पर्यवेक्षी प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयकर विभाग के पास आंतरिक लेखापरीक्षा के दौरान सामने आने वाले कमीशन की त्रुटि के किसी भी उदाहरण से निपटने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर एक सुस्थापित तंत्र मौजूद है।

सीबीडीटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रणाली/तंत्र प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहा था जैसा कि इस रिपोर्ट में लाई गई प्रणालीगत और अनुपालन अनियमितताओं से स्पष्ट था जो लेखापरीक्षा ने पाया कि इस रिपोर्ट में सामने लायी गई प्रणालीगत और अनुपालन अनियमितताओं को आयकर विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा नहीं उठाया गया था। सीबीडीटी, सीएजी लेखापरीक्षा में उल्लिखित कमियों को देखते हुए आयकर विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग की कार्यात्मक प्रभावशीलता की समीक्षा कर सकता है।

ज. सीबीडीटी अन्य जोखिम कारकों के साथ संयोजन में अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के संबंध में फॉर्म 3 सीईबी को फाइल न करने से जुड़े मामलों के चयन को प्राथमिकता दे सकता है क्योंकि निर्धारितियों द्वारा फॉर्म 3 सीईबी फाइल करने की संभावना हो सकती है जिससे सीएसएस के मापदंडों के तहत ऐसे मामलों के चयन की संभावना कम हो सकती है।

[पैरा 4.8.2]

सीबीडीटी ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2022) कि इसपर सीएसएस समिति के समक्ष विचार किया जाएगा।

चूंकि सिफारिश को सीएसएस समिति के समक्ष विचारार्थ नोट किया गया है, इसलिए इस संबंध में आगे की गई कार्रवाई के विवरण को लेखापरीक्षा को सूचित किया जा सकता है।

अध्याय-5: रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के निर्धारण से संबंधित प्रणालीगत मामले

निष्पादन लेखापरीक्षा में यह पता लगाया गया है कि क्या आयकर विभाग के पास उचित समय पर कार्रवाई और गुणवत्ता निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और मॉनिटरिंग तंत्र था। रत्न और आभूषण क्षेत्र से संबंधित कारोबार में लगे संस्थाओं के निर्धारणों की लेखापरीक्षा जाँच में निर्धारितियों द्वारा भरे गए गलत कारोबार कोड के उदाहरण, आयकर रिटर्न फाइल करने के प्रारंभिक चरण में अननुपालन, रिटर्न के प्रसंस्करण और निर्धारण को अंतिम रूप देने के दौरान इनवेंटरी के मात्रात्मक विवरण के प्रकटीकरण में विसंगतियों के अपर्याप्त सत्यापन, असुरक्षित ऋणों का सत्यापन न करने, स्टॉक की कमी/अधिकता का गैर-सत्यापन और हीरे की प्राप्ति के संबंध में किए गए प्रकटीकरण का गैर-सत्यापन का पता चला है। इन कमियों में क्षेत्र विशिष्ट मुद्दों का सत्यापन न होने, गलत और अविश्वसनीय सूचना के सृजन का जोखिम, असत्यापित दावों की अनुमति का जोखिम, लाभ के छिपाव का जोखिम या स्टॉक की कमी/अधिकता के माध्यम से बेहिसाब आय लाने या प्राप्ति के सत्यापन न होने के कारण राजस्व को छिपाने का जोखिम शामिल है। रत्न और आभूषण क्षेत्र की संस्थाओं से संबंधित सूचना के सत्यापन और मॉनिटरिंग के लिए आयकर विभाग के भीतर मौजूदा प्रणाली और प्रक्रिया से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर इस अध्याय के पैरा 5.1 से 5.8 में चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा ने भारी टर्नओवर की तुलना में तुच्छ व्यय के उदाहरणों को देखा, जो निर्धारितियों की गैर-वास्तविक कारोबार गतिविधियों का सूचक था जिसकी विभाग द्वारा और अधिक सत्यापन की आवश्यकता थी। रत्न और आभूषण क्षेत्र की संस्थाओं के निर्धारण में संदिग्ध कारोबार गतिविधियों के उदाहरणों पर इस अध्याय के पैरा 5.8 में चर्चा की गई है। इस अध्याय में चर्चा किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों की प्रकृति को नीचे दी गई तालिका 5.1 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 5.1: रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के निर्धारण के संबंध में प्रणालीगत मामलों पर श्रेणी-वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष			
क्र. सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	मामलों की सं.	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
1	5.1 विभाग द्वारा सेक्टरल डेटाबेस का रखरखाव न करना	-	प्रणालीगत मामले
2	5.2.1 नॉन-फाइलर प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता	-	प्रणालीगत मामले
3	5.2.2 धारा 271 एफ के तहत शास्ति/ धारा 234एफ के तहत विलंब शुल्क का गैर-उदग्रहण	349	प्रणालीगत मामले

तालिका 5.1: रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के निर्धारण के संबंध में प्रणालीगत मामलों पर श्रेणी-वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष			
क्र. सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	मामलों की सं.	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
4	5.3 वास्तविक आईटीआर डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा का बेमेल होना	261	प्रणालीगत मामले
5	5.4 आयकर रिटर्न (आईटीआर) और कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों में किए गए प्रकटनों का बेमेल होना	1,038	प्रणालीगत मामले
6	5.5 स्टॉक की कमी/अधिकता का सत्यापन	180	प्रणालीगत मामले
7	5.6 पॉलिश किए गए हीरे की प्राप्ति /अपव्यय में भिन्नता का गैर-सत्यापन	357	प्रणालीगत मामले
8	5.7 असुरक्षित ऋणों की साख का गैर-सत्यापन	45	प्रणालीगत मामले
9	5.8.1 रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों द्वारा संदिग्ध कारोबार गतिविधियां	15	प्रणालीगत मामले
10	5.9 रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतें	--	प्रणालीगत मामले
	कुल	2,245	

लेखापरीक्षा जाँच के परिणामों को अनुगामी पैराग्राफ में दिया गया है।

5.1 विभाग द्वारा क्षेत्रीय डेटाबेस का रखरखाव न करना:- क्षेत्र विशिष्ट कारोबार कोड को न भरना

आयकर विभाग ने रत्न और आभूषण क्षेत्र में लगे निर्धारितियों को आयकर रिटर्न फॉर्म के लिए विशिष्ट कारोबार कोड आवंटित किए हैं। विभिन्न कारोबार के लिए विशिष्ट कोडों का आबंटन उचित मॉनिटरिंग, संग्रहण और प्रासंगिक जानकारी के आदान-प्रदान के साथ-साथ निर्धारण के दौरान क्षेत्र-विशिष्ट मामलों की विशेषज्ञ हैंडलिंग के लिए आवश्यक है। मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध वित्तपोषण के लिए रत्न और आभूषण कारोबार के दुरुपयोग को बताने वाली विभिन्न रिपोर्टों⁶⁶ के संदर्भ में रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों की मॉनिटरिंग महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, हीरा क्षेत्र की अनुचित मॉनिटरिंग के लिए एक कर रहित दृष्टिकोण भी है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने अक्टूबर 2013 में अपनी रिपोर्ट में भारत को सतर्क किया था कि उसके पास ऐसे उदाहरण हैं जहां हीरे के कारोबार का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ निर्धारिती, नियामकों और

⁶⁶ हीरे के व्यापार के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पर वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की रिपोर्ट। एफएटीएफ पेरिस स्थित एक वैश्विक निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। वर्ष 2010 में भारत इसका सदस्य बना था।

जांच एजेंसियों के ध्यान से बचने के लिए जानबूझकर गलत कारोबार कोड भर रहे हैं।

क्षेत्र के महत्व और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंक वित्तपोषण और सरकारी राजस्व की हानि के जोखिम को ध्यान में रखते हुए, रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए अधिक विस्तृत कोडों की सख्त आवश्यकता है, ताकि निर्धारितियों को कारोबार के सटीक प्रकार का चयन करने में सक्षम बनाया जा सके और क्षेत्र में निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके क्योंकि पूर्ण और विश्वसनीय क्षेत्रीय डेटाबेस विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारण के दौरान क्षेत्र-विशिष्ट मामलों से निपटने की सुविधा प्रदान करेगा।

कारोबार कोड को नि. व. 2018-19 से संशोधित किया गया था। रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए विशिष्ट पुराने और नए कारोबार कोड निम्नानुसार हैं:

तालिका 5.2: रत्न और आभूषण कारोबार में लगे निर्धारितियों के लिए कारोबार कोड	
कारोबार की प्रकृति	कारोबार कोड
नि. व. 2017-18 तक के कारोबार कोड	
विनिर्माण उद्योग [हीरा काटना]	104
नि. व. 2018-19 से कारोबार कोड	
विनिर्माण - आभूषणों का विनिर्माण करना	4093
खनन और उत्खनन - रत्नों का खनन	3009

डीजीआईटी (सिस्टम्स) ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान किए गए निर्धारण के लिए रत्न और आभूषण कारोबार में लगे निर्धारितियों का समग्र और निर्धारित-वार डेटा प्रदान किया। डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा प्रदान किए गए डेटा में 1,52,927 रिकॉर्ड थे। डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा प्रदान किए गए डेटा की पूर्णता का पता लगाने के लिए, डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा प्रदान किए गए डेटा के साथ निर्धारण प्रभागों में पूर्ण किए गए रत्न और आभूषण मामलों के वास्तविक संवीक्षा निर्धारण की तुलना करते हुए एक परीक्षण जांच की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार राज्यों⁶⁷ में डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा प्रदान किए गए डेटा में रत्न और आभूषण क्षेत्र से संबंधित 1,089 मामले नहीं थे। यह विसंगति, निर्धारितियों द्वारा भरे गए गलत कारोबार कोड के कारण थी। नि. व. 2017-18 तक, हीरे की कटाई के लिए कोड '0104' था, लेकिन कई मामलों में, निर्धारितियों ने 'विनिर्माण अन्य-0124' या कारोबार अन्य- 0204' का उल्लेख किया

⁶⁷ महाराष्ट्र (1,065); दिल्ली (19); मध्य प्रदेश (1) और छत्तीसगढ़ (4)

था। इसके अलावा, 'आभूषणों के विनिर्माण' के लिए संशोधित कोड (नि. व. 2018-19 से) '04093' था। परंतु, कई निर्धारितियों ने 'अन्य विनिर्माण- 04097' के रूप में कोड भरा था।

लेखापरीक्षा ने 10 राज्यों⁶⁸ में 41 मामलों में पाया कि हालांकि निर्धारिती रत्न और आभूषण क्षेत्र से संबंधित नहीं थे, उन्होंने आईटीआर में 104 (हीरे की कटाई) के रूप में कारोबार कोड का उल्लेख किया, जिसके कारण इन मामलों को रत्न और आभूषण के लिए डीजीआईटी (सिस्टम्स) डेटाबेस में कैप्चर किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि नि. व. 2017-18 तक, आभूषणों के विनिर्माण के लिए कोई अलग कोड नहीं था। इसके अलावा, नि. व. 2018-19 से संशोधित कोड में, हीरे की कटाई और पॉलिशिंग; हीरे, सोने या कीमती धातुओं, सोने की रिफाइनरियों आदि में व्यापार के लिए कोई अलग कोड नहीं था। रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित कोड की अनुपस्थिति में, कई निर्धारिती, कोड को 'विनिर्माण अन्य' या 'व्यापार अन्य' के रूप में डाल रहे हैं। परिणामस्वरूप, रत्न और आभूषण निर्धारण मामलों के विवरण, क्षेत्र विशिष्ट डेटा में परिलक्षित नहीं हो रहे हैं।

एक निर्धारण अधिकारी को संवीक्षा निर्धारण के तहत आय के रिटर्न में निर्धारिती द्वारा घोषित कारोबार कोड की सटीकता को सत्यापित करना होता है, इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट कोड की अनुपस्थिति में, आय की विवरणी में निर्धारितियों द्वारा घोषित कारोबार कोड की निवलता और सटीकता को लेखापरीक्षित मामलों में सत्यापित नहीं पाया गया था।

ऊपर सुझाए गए प्रमुख क्षेत्रों की स्पष्ट मैपिंग और वर्गीकरण के बिना, सीएसएस के तहत चयन और संवीक्षा निर्धारण के लिए एक व्यवस्थित और सुसंगत दृष्टिकोण मुश्किल होगा। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से पता चलता है कि पूर्ण, व्यापक और विश्वसनीय क्षेत्रीय डेटाबेस के अभाव में विभाग, अन्य सरकारी एजेंसियों और विभागों को प्रासंगिक सूचना की उचित मॉनिटरिंग, संग्रहण और समय पर अन्य सरकारी एजेंसियों और विभागों की सूचना साझा करने में सक्षम नहीं होगा। किसी भी क्षेत्र विशेष के मामले का सत्यापन न होने के कारण राजस्व न एकत्रित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

⁶⁸ गुजरात (1); कर्नाटक और गोवा (2); पंजाब और हरियाणा (3); दिल्ली (4); मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (2); आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (5); राजस्थान (6); बिहार (1) और महाराष्ट्र (17)।

5.2 आयकर रिटर्न फाइल करने के चरण और प्रसंस्करण चरण में मॉनिटरिंग की आवश्यकता वाले मामले

प्रसंस्करण और निर्धारण के विभिन्न चरणों में जोखिमों के संकेत देने वाले 2,261 निर्धारण मामलों की जांच के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को तालिका 5.1 में दर्शाए गए अनियमितता की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और इस अध्याय के पैरा 5.2.1 से 5.9 में चर्चा की गई है।

5.2.1 नॉन-फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम की प्रभावशीलता

संभावित कर देनदारियों वाले नॉन-फाइलर्स पर कार्रवाई को प्राथमिकता देने के लिए, नॉन-फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएस) को आयकर विभाग द्वारा लागू किया गया था (सितंबर 2013)। डेटा विश्लेषण उन नॉन-फाइलर्स की पहचान करने के लिए किया गया था जिनके बारे में विशिष्ट जानकारी एआईआर डेटा और टीडीएस/टीसीएस रिटर्न में उपलब्ध थी। सीबीडीटी (बोर्ड) द्वारा जारी मानक प्रचालनात्मक प्रक्रिया के अनुसार, निर्धारण अधिकारियों को नॉन-फाइलर्स को पत्र जारी करने, पत्र की सुपुर्दगी तिथि को कैप्चर करने, एएसटी में रिटर्न के विवरण को कैप्चर करने (यदि रिटर्न नॉन-फाइलर्स द्वारा फाइल किया जाता है) और एनएमएस मॉड्यूल में धारा 143(2)/ 148 के तहत कार्यवाही शुरू करने (यदि रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है) की आवश्यकता होती है। तथापि, नॉन-फाइलर्स/स्टॉप फाइलर्स और गैप फाइलर्स की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए एक उचित प्रणाली स्थापित करने के बावजूद, लेखापरीक्षा ने डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा प्रदान किए गए डेटा में विसंगतियों को पाया:

लेखापरीक्षा ने इस क्षेत्र की सभी संस्थाओं से अपेक्षित अनिवार्य प्रारंभिक अनुपालन को निर्धारित करने के लिए निर्धारितियों के आयकर रिटर्न फाइलिंग पैटर्न की जांच की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि हालांकि 16 राज्यों⁶⁹ में 125 निर्धारितियों के 243 मामलों⁷⁰ में निर्धारितियों ने या तो आय का रिटर्न फाइल करना बंद किया था या नियमित रूप से रिटर्न फाइल नहीं किया था, आयकर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा, 10 राज्यों⁷¹ में 26 मामलों के संबंध में हालांकि,

⁶⁹ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (7), महाराष्ट्र (82); मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (18); गुजरात (48); कर्नाटक और गोवा (8); उत्तर प्रदेश (15); ओडिशा (7); राजस्थान (5); पंजाब और हरियाणा (5); तमिलनाडु (4); केरल (25); दिल्ली (7); बिहार और झारखंड (6) और पश्चिम बंगाल और सिक्किम (1)।

⁷⁰ 243 मामलों में धारा 143(1) के तहत संसाधित 149 मामले, अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण किए गए 36 मामले और अधिनियम की अन्य धाराओं [147, 154, 250 और 254] के तहत निर्धारण किए गए 54 मामले शामिल थे। शेष चार मामलों में विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

⁷¹ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (3); मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (1); उत्तर प्रदेश (14); राजस्थान (1); कर्नाटक और गोवा (1); ओडिशा (1); पंजाब और हरियाणा (1) तमिलनाडु (2) और पश्चिम बंगाल और सिक्किम (2)।

डीजीआईटी (सिस्टम्स) के डेटा ने उन्हें स्टॉप फाइलर्स/गैप फाइलर्स के रूप में इंगित किया है, तथापि यह पुष्टि नहीं की जा सकती है कि क्या निर्धारिती वास्तव में 'स्टॉप फाइलर्स/गैप फाइलर्स' थे क्योंकि संबंधित विवरण आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे। नि. व. 2016-17 से नि. व. 2019-20 के दौरान फाइलर्स और नॉन-फाइलर्स के पैन पंजीकरण श्रेणी-वार रुझानों को नीचे दी गई तालिका 5.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.3: फाइलर्स और नॉन-फाइलर्स का श्रेणी-वार पैन पंजीकरण विवरण								
श्रेणी	नि.व. 2016-17		नि.व. 2017-18		नि.व. 2018-19		नि.व. 2019-20	
	फाइलर्स	नॉन-फाइलर्स	फाइलर्स	नॉन-फाइलर्स	फाइलर्स	नॉन-फाइलर्स	फाइलर्स	नॉन-फाइलर्स
कंपनी	237	12	238	13	222	26	217	28
एओपी	6	1	6	2	8	0	7	1
फर्म	384	12	389	10	384	10	348	19
एचयूएफ	29	1	30	1	32	0	30	0
व्यक्ति	746	12	736	22	775	30	699	43
ट्रस्ट	2	0	2	0	5	0	1	0
कुल	1,404	38	1,401	48	1,423	66	1,302	91

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नि. व. 2016-17 से नि. व. 2019-20 के दौरान, कुल संस्थानों के अनुपात में नॉन-फाइलर्स के मामले 2.6 प्रतिशत से बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गए, जो अननुपालन में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में नॉन-फाइलर्स की वृद्धि नि. व. 2016-17 से नि. व. 2019-20 के दौरान 26 प्रतिशत से 38 प्रतिशत के बीच थी।

कुल संस्थानों के अनुपात के रूप में फाइल करने वालों के मामले 97.4 प्रतिशत से घटकर 93.5 प्रतिशत रह गए जो आईटीआर फाइल करने के संदर्भ में बुनियादी अनुपालन में कमी को दर्शाते हैं। नि. व. 2017-18 [साल-दर-साल] में फाइलर्स की संख्या 0.2 प्रतिशत घटकर 1,401 हो गई, इसके बाद नि. व. 2018-19 में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,423 हो गई और 2019-20 में 8.5 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,302 हो गई।

लेखापरीक्षा में 19 निर्धारितियों [विशिष्ट पैन] से संबंधित ₹ 30,560.46 करोड़ के बिक्री टर्नओवर के 33 निर्धारण मामले पाए गए, जहां सभी चार नि.व. में आईटीआर फाइल नहीं किए गए थे। नॉन-फाइलर्स के निर्धारिती-वार विवरण अनुलग्नक-आई में

सारणीबद्ध किए गए हैं। लेखापरीक्षा में इन मामलों में संबंधित क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का पता नहीं लगाया जा सका।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस प्रणाली की प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग नहीं की गई थी, क्योंकि संबंधित निर्धारण अधिकारियों द्वारा नॉन-फाइलर्स के विरुद्ध उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए विभाग के भीतर सूचना का समय पर आदान-प्रदान भी सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

5.2.2 धारा 271एफ के तहत शास्ति/ धारा 234एफ के तहत विलंब शुल्क का गैर-उदग्रहण

आयकर अधिनियम की धारा 139(1) में यह निर्धारित किया गया है कि किसी कंपनी या फर्म के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को आय का रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आवश्यकता होती है, यदि उसकी कुल आय जो आयकर के लिए गैर-प्रभार्य अधिकतम राशि से अधिक है। इसके अलावा, नि. व. 2018-19 तक अधिनियम की धारा 271एफ के अनुसार, जहां निर्धारिती ने आय की रिटर्न संबंधित निर्धारण वर्ष की अंतिम तिथि के भीतर फाइल नहीं की है, निर्धारण अधिकारी के पास ₹ 5000 की शास्ति लगाने का विवेकाधिकार है।

नि. व. 2018-19 से, धारा 234एफ के तहत जहां निर्धारिती ने संबंधित नि. व. के 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, शास्ति का ₹ 5000 भुगतान किया जाना चाहिए। जहां निर्धारिती ने संबंधित नि.व. के 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल किया, वहां ₹ 10,000 की शास्ति का उदग्रहण किया जाएगा। इसके अलावा, जहां निर्धारिती की कर योग्य आय ₹ 5.00 लाख से कम है, वहां ₹ 1,000 की अधिकतम शास्ति लगाई जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों द्वारा विनिर्दिष्ट नियत तिथियों के भीतर आयकर रिटर्न फाइल करने के संबंध में अनुपालन की सीमा को सुनिश्चित करने के लिए नमूने में 1,637 निर्धारितियों⁷² के 2,244 निर्धारण मामलों की जांच की। निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि 2,244 मामलों में से, 1,836 मामलों में आईटीआर विनिर्दिष्ट नियत तिथियों के भीतर फाइल किए गए थे जबकि 364 मामलों में आईटीआर नियत तिथियों के बाद फाइल किए गए थे। फाइलर्स और नॉन-फाइलर्स के निर्धारण विवरण पर इस अध्याय के पैरा 5.2.3 और 5.2.4 में चर्चा की गई है।

⁷² विशिष्ट पैर-वार

5.2.3 रिटर्न फाइल करने की नियत तिथियों के भीतर आईटीआर फाइल करने के श्रेणी-वार निर्धारण विवरण

आईटीआर के अनुपालन करने वालों के मामलों का पैन पंजीकरण श्रेणी-वार विवरण नीचे दी गई तालिका 5.4 में दिखाया गया है।

तालिका 5.4: नियत तिथियों के भीतर आईटीआर फाइलर्स का श्रेणी-वार पैन पंजीकरण विवरण [₹ करोड़ में]					
श्रेणी	निर्धारण मामलों की संख्या	सकल प्राप्तियां/ बिक्री टर्नओवर	रिटर्न आय	निर्धारित आय	नवीनतम आदेश के अनुसार मांग
कंपनी	579	4,81,067.89	9,212.58	10,422.51	1,676.10
फर्म	617	90,005.83	2,680.26	4,212.80	106.64
व्यक्ति	592	8,826.65	334.76	678.94	176.28
एचयूएफ	32	312.15	4.37	2.33	0.00
एओपी	11	17.21	0.25	0.25	0.00
ट्रस्ट	5	0	0.01	0.00	0.00
कुल	1,836	5,80,229.73	12,232.23	15,316.83	1,959.02

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1,836 मामलों में से जिनमें ₹ 5,80,229.73 करोड़ की सकल प्राप्तियों और रिटर्न आय और निर्धारित आय क्रमशः ₹ 12,232.23 करोड़ और ₹ 15,316.83 करोड़ थी, फर्मों, व्यक्तियों और कॉर्पोरेट निर्धारितियों के अनुरूप नियत तिथियों के भीतर आईटीआर फाइल किए गए मामलों की संख्या में क्रमशः कुल मामलों की संख्या का 33.6 प्रतिशत, 32.2 प्रतिशत और 31.5 प्रतिशत शामिल था। शेष 2.7 प्रतिशत में एचयूएफ, एओपी और ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत निर्धारित शामिल हैं।

5.2.4 देरी से फाइल आईटीआर का श्रेणी-वार निर्धारण विवरण

आईटीआर फाइल करने में देरी के मामलों का पैन पंजीकरण श्रेणी-वार निर्धारण विवरण नीचे दी गई तालिका 5.5 में दिखाया गया है।

तालिका 5.5: देरी से फाइल आईटीआर का श्रेणी-वार पैन पंजीकरण विवरण [₹ करोड़ में]					
श्रेणी	निर्धारण मामलों की संख्या	सकल प्राप्तियां	रिटर्न आय	निर्धारित आय	नवीनतम आदेश के अनुसार मांग
व्यक्ति	269	593.58	10.14	238.37	123.03
फर्म	49	6,573.44	140.19	148.49	4.62

तालिका 5.5: देरी से फाइल आईटीआर का श्रेणी-वार पैन पंजीकरण विवरण					[₹ करोड़ में]
श्रेणी	निर्धारण मामलों की संख्या	सकल प्राप्तियाँ	रिटर्न आय	निर्धारित आय	नवीनतम आदेश के अनुसार मांग
कंपनी	26	22,576.87	182.23	223.25	52.76
एचयूएफ	4	1.19	0.14	0.09	0.00
एओपी	14	0.14	0.03	0.03	0.00
ट्रस्ट	2	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	364	29,745.22	332.73	610.23	180.41

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 364 मामलों में से जिनमें ₹ 29,745.22 करोड़ की सकल प्राप्तियाँ और रिटर्न आय और निर्धारित आय क्रमशः ₹ 332.73 करोड़ और ₹ 610.23 करोड़ शामिल हैं, व्यक्तियों, फर्मों और कॉर्पोरेट निर्धारितियों के अनुरूप नियत तिथियों के बाद आईटीआर फाइल किए गए मामलों की संख्या में क्रमशः कुल मामलों की संख्या का 74 प्रतिशत, 13 प्रतिशत और 7 प्रतिशत है। शेष 6 प्रतिशत में एओपी, एचयूएफ और ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत निर्धारितों शामिल हैं।

5.2.5 देरी से फाइल की गई आईटीआर का क्षेत्रवार वितरण

लेखापरीक्षा ने 364⁷³ मामलों में पाया कि निर्धारितियों ने सीबीडीटी द्वारा निर्धारित नियत तिथि के बाद आईटीआर फाइल किया था, आयकर विभाग ने केवल 15 मामलों में धारा 234एफ/271एफ के तहत शास्ति के उद्ग्रहण के लिए आवश्यक कार्रवाई की थी, जबकि शेष 349 मामलों में, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए रिकॉर्डों पर यह दिखाने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं था कि क्या आयकर विभाग ने शास्ति का उद्ग्रहण किया था या औचित्य के साथ इसे माफ कर दिया था। इसके अलावा, 25 मामलों में, निर्धारितियों द्वारा फाइल आईटीआर दोषपूर्ण/ अमान्य पाए गए; तथापि, आयकर विभाग ने 15 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई की थी जबकि शेष 10 मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई की कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। यह भी पाया गया कि सीपीसी प्रणाली में संक्षिप्त मामलों में शास्ति लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। आयकर रिटर्न फाइल करने में देरी का क्षेत्र-वार वितरण नीचे दी गई तालिका 5.6 में दर्शाया गया है।

⁷³ 364 मामले धारा 143(1) के तहत संसाधित 273 मामले, धारा 143(3) के तहत निर्धारण किए गए 28 मामले, अन्य धाराओं (147, 154, 250 आदि) के तहत निर्धारण किए गए 61 मामलों और कोई विवरण नहीं (2 मामले) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (11); बिहार और झारखंड (16); दिल्ली (11); गुजरात (117); कर्नाटक और गोवा (7); ओडिशा (16); पंजाब और हरियाणा (10); तमिलनाडु (24); मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (24); राजस्थान (29); केरल (32); उत्तर प्रदेश (5); महाराष्ट्र (48) और पश्चिम बंगाल और सिक्किम (14) से संबंधित हैं।

तालिका 5.6: आयकर रिटर्न फाइल करने में देरी का क्षेत्र-वार वितरण								[निर्धारण-वार विवरण]
क्र. सं.	क्षेत्र/राज्य	एओपी	कॉरपोरेट	फर्म	एचयू एफ	व्यक्ति	ट्रस्ट	कुल
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना			3		8		11
2	बिहार और झारखंड					16		16
3	दिल्ली		1	1		9		11
4	गुजरात	9	2	12	3	91		117
5	कर्नाटक और गोवा					7		7
6	केरल		5	9		18		32
7	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़			2	1		21	24
8	महाराष्ट्र	5	11	16		14	2	48
9	उत्तर पश्चिम क्षेत्र			1		9		10
10	ओडिशा			2		14		16
11	राजस्थान		3	2		24		29
12	तमिलनाडु		2		1	21		24
13	उत्तर प्रदेश (पूर्व)			1		2		3
14	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)					2		2
15	पश्चिम बंगाल और सिक्किम			1		13		14
	कुल	14	26	49	4	269	2	364

रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के बीच आईटीआर फाइल करने में देरी के मामले आनुपातिक रूप से गुजरात में 31.2 प्रतिशत थे, इसके बाद महाराष्ट्र में 13.2 प्रतिशत, केरल में 8.8 प्रतिशत, राजस्थान में 8.0 प्रतिशत और तमिलनाडु में 6.6 प्रतिशत थे।

5.3 आईटीआर और निर्धारण रिकॉर्ड से कैप्चर किए गए वास्तविक डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा का बेमेल होना

डीजीआईटी (सिस्टम्स), निर्धारितियों द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत आईटीआर से कैप्चर किए गए डेटा के माध्यम से निर्धारितियों द्वारा रिटर्न आय, व्यय, छूट और कटौती के विवरण और उसके बाद निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए निर्धारणों के बारे में केंद्रीकृत सम्पूर्ण जानकारी का रखरखाव करता है। चूंकि सिस्टम और प्रक्रियाओं को

आईटीआर स्तर के डेटा और निर्धारण स्तर के डेटा को कैप्चर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, अतः डीजीआईटी (सिस्टम्स) और निर्धारण यूनिटों के पास उपलब्ध डेटा के बीच आदर्श रूप से कोई बेमेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आईटीआर और निर्धारण प्रक्रिया जैसे एक ही स्रोत से निकलते हैं। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जांच किए गए कुल 2,201 मामलों⁷⁴ में से पांच राज्यों⁷⁵ में 73 निर्धारितियों के 117 मामलों⁷⁶ में डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा प्रदान की गई रिटर्न में दर्शाई गई आय, निर्धारित आय, मांग, अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार आदि की जानकारी आईटीआर और निर्धारण रिकॉर्ड से एकत्र किए गए वास्तविक डेटा से मेल नहीं खा रही थी।

इसके अलावा, 117 मामलों में से, 83 मामलों में लेखापरीक्षा में एक ही मानक में (उदाहरण के लिए केवल रिटर्न में दर्शाई गई आय, निर्धारित आय, बढ़ी हुई मांग आदि में) बेमेल पाया गया जबकि शेष 34 मामलों में लेखापरीक्षा ने एक से अधिक मानकों में बेमेल पाया। लेखापरीक्षा में डेटा में के बेमेल का मामला-वार विवरण नीचे तालिका 5.7 में दिया गया है:

क्र. सं.	वे मानक जिनमें लेखापरीक्षा में डेटा बेमेल देखा गया	केवल एक मानक में बेमेल मामलों की संख्या	दो या दो से अधिक मानक में बेमेल मामलों की संख्या	बेमेल डेटा की त्रुटियों की कुल संख्या
1.	रिटर्न आय	63	13	86
2.	निर्धारित आय	5	16	21
3.	की गई मांग	6	13	19
4.	अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार	3	3	6
5.	असुरक्षित ऋण	2	0	2
6.	सकल प्राप्तियाँ	2	1	3
7.	धारा 10एए के तहत कटौती का दावा	2	3	5

⁷⁴ विशिष्ट पैन-नि. व. निर्धारण मामले जिसमें धारा 143(1) के तहत 10 मामले शामिल हैं, जबकि शेष 2191 मामलों को अधिनियम की धारा 143(3), 147, 144, 154, 250, 254, 263 आदि के तहत संसाधित किया गया है।

⁷⁵ गुजरात (6); महाराष्ट्र (104); मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (1); कर्नाटक और गोवा (3) और पश्चिम बंगाल और सिक्किम (3)।

⁷⁶ 117 मामलों में अधिनियम की धारा 143(1) के तहत संसाधित 10 मामले, धारा 143(3) के तहत निर्धारण किए गए 45 मामले और अधिनियम की अन्य धाराओं (144, 147, 154, 250, 254 और 263) के तहत निर्धारण किए गए 62 मामले शामिल हैं।

तालिका 5.7: निर्धारण डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) के अनुसार डेटा में बेमेलता का विवरण				
क्र. सं.	वे मानक जिनमें लेखापरीक्षा में डेटा बेमेल देखा गया	केवल एक मानक में बेमेल मामलों की संख्या	दो या दो से अधिक मानक में बेमेल मामलों की संख्या	बेमेल डेटा की त्रुटियों की कुल संख्या
8.	धारा 10एए के तहत कटौती की अनुमति	0	8	8
9.	अन्य	0	6	6
	कुल	83	63	156

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा में त्रुटियों से जुड़े 117 मामलों में से, 10 मामलों को धारा 143(1) के तहत संसाधित किया गया था, जबकि शेष मामलों का निर्धारण आयकर अधिनियम की धारा 143(3), 147, 144, 154, 250, 254, 263 और 92सीए(4) के तहत किया गया था।

गुजरात में 129 मामलों⁷⁷ में लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि रिटर्न आय (आरआई) की कुल राशि ₹ 13.15 करोड़ थी, लेकिन धारा 154 के तहत संशोधन के बाद निर्धारण आय (एआई) को घटाकर ₹ 0.90 लाख कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारण आय में ₹ 13.14 करोड़ का ऋणात्मक संवर्धन हुआ था। उपरोक्त 129 मामलों में से 116 मामलों में, निर्धारित आय शून्य के रूप में उल्लिखित की गई थी, जबकि शेष 13 मामलों में निर्धारित आय⁷⁸ ₹ एक और ₹ 40,588 के बीच थी और निर्धारण की गई आय में ऋणात्मक संवर्धन ₹ 2.07 लाख और ₹ 1.72 करोड़ के बीच था। इन कमियों के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका, क्योंकि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए थे।

इसी प्रकार, राजस्थान में भी 15 मामलों में लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कुल निर्धारित आय ₹ 7.23 लाख थी, जबकि विभाग की निर्धारण यूनिटों द्वारा प्रस्तुत की गई निर्धारित कुल आय ₹ 2.40 करोड़ थी। केंद्रीकृत डेटा में डेटा के गलत प्रतिबिंब के ऐसे उदाहरणों को रोकने के लिए निर्धारण रिकॉर्ड से निर्धारित आय के विवरण की समीक्षा और अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

डीजीआईटी (सिस्टम्स) निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत आईटीआर के माध्यम से कैप्चर किए गए डेटा और निर्धारण अधिकारियों द्वारा किए गए निर्धारणों के माध्यम से रिटर्न में दर्शाई गई आय, व्यय, छूट और कटौती के विवरण पर केंद्रीकृत सूक्ष्म

⁷⁷ नि. व. 2017-18 और नि. व. 2018-19 से संबंधित धारा 143(1) के तहत निर्धारण किया गया और बाद में 2018-19 के दौरान धारा 154 के तहत सुधार किया गया

⁷⁸ एक मामले को छोड़कर, जहां निर्धारण अधिकारी से सूचना लंबित है, धारा 154 के तहत अंतिम आदेश के अनुसार मांग की राशि (राउंड ऑफ करने से पहले) को डीजी सिस्टम्स के डेटा के अनुसार निर्धारण आय के रूप में दिखाया गया था।

जानकारी एकत्र करता है। बेमेल के कारणों की समीक्षा की जा सकती है क्योंकि आदर्श रूप से डीजीआईटी (सिस्टम्स) और निर्धारण यूनिटों के पास उपलब्ध डेटा के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। बेमेल डेटा के उदाहरण प्रणालीगत मुद्दों, प्रवेश स्तर पर डेटा की कमी से निपटने और आयकर विभाग की क्षेत्र संरचनाओं द्वारा निर्धारण डेटा के गैर-अद्यतन के संकेत थे। बेमेल डेटा के ऐसे उदाहरण गलत और अविश्वसनीय जानकारी के उत्पन्न होने की संभावना को जन्म देते हैं जिसके लिए आयकर विभाग प्रणालियों को सुव्यवस्थित और मजबूत करना और मॉनिटरिंग और समीक्षा तंत्र को स्थापित करना और प्राथमिकता के आधार पर डेटा के मिलान के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है।

5.4 आयकर रिटर्न (आईटीआर) और कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों में किए गए प्रकटीकरण में अंतर:

एक निर्धारिती को आईटीआर में आय और व्यय के उचित और सही प्रकटीकरण करने की आवश्यकता होती है। आईटीआर के भाग ए में निर्धारिती के सामान्य विवरण शामिल हैं, जिसमें अधिनियम की धारा 44एबी के तहत कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट को प्रमाणित करने वाले कर लेखापरीक्षक का विवरण भी शामिल है। आईटीआर बैलेंस शीट के माध्यम से किए गए प्रकटीकरण को भी कैप्चर करता है (अर्थात् परिसंपत्तियों, देनदारियों, ऋणों और उधारों का विवरण)। आईटीआर संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए विनिर्माण खाते, ट्रेडिंग खाते, लाभ और हानि खाते का विवरण कैप्चर करता है। आईटीआर अन्य सूचना (ओआई) और मात्रात्मक विवरण (क्यूडी) को भी कैप्चर करता है जो प्रकटीकरण के लिए अनिवार्य हैं यदि निर्धारिती अधिनियम की धारा 44एबी के तहत लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है।

5.4.1 आईटीआर का मात्रात्मक विवरण भाग

आयकर रिटर्न का मात्रात्मक विवरण भाग निम्नलिखित विवरण कैप्चर करता है:

- अथ स्टॉक, पिछले वर्ष के दौरान की गई खरीद और बिक्री, अंत स्टॉक और व्यापारिक संस्था के मामले में कमी/ अधिकता, यदि कोई है
- विनिर्माण संस्था का कच्चे माल का विवरण जैसे पिछले वर्ष के दौरान अथ स्टॉक, खरीद, खपत और बिक्री, अंत स्टॉक, तैयार उत्पादों की प्राप्ति, प्राप्ति का प्रतिशत और कमी/ अधिकता, यदि कोई हो।
- विनिर्माण संस्था के मामले में तैयार उत्पादों का विवरण, जैसे कि पिछले वर्ष के दौरान विनिर्माण संस्था का अथ स्टॉक, खरीद, विनिर्मित मात्रा और बिक्री, अंत स्टॉक, और कमी/ अधिक, यदि कोई हो।

चूंकि रत्न और आभूषण क्षेत्र, सोने, चांदी, अन्य कीमती धातुओं, हीरे, मोती, कीमती पत्थरों, आभूषणों आदि जैसी वस्तुओं के कारोबार और विनिर्माण से संबंधित है, आईटीआर और टीएआर के माध्यम से किए गए मात्रात्मक प्रकटीकरण, सत्यापन और निर्धारण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे इस क्षेत्र में लगी संस्थाओं के कारोबार संचालन से राजस्व और व्यय को सीधे प्रभावित करते हैं। आईटीआर में प्रदान किए गए सभी आवश्यक कॉलम को ठीक से भरा जाना चाहिए ताकि कारोबार की एक सही और निष्पक्ष तस्वीर दी जा सके।

5.4.2 कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किए गए प्रकटीकरण

सीबीडीटी ने नि. व. 2014-15 से इस धारा के तहत कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट की ई-फाइलिंग को अनिवार्य कर दिया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44एबी में किसी संस्था की कर लेखापरीक्षा⁷⁹ के लिए प्रावधान हैं। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कर लेखापरीक्षा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जाएगी जो यह सुनिश्चित करता है कि जिन करदाताओं की आय कारोबार⁸⁰ के तहत है, उन्होंने लेखों के उचित बही-खातों को बनाए रखा है और आयकर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किए गए कर लेखापरीक्षा की सूचना आयकर रिटर्न के साथ फॉर्म संख्या 3सीए/3सीबी और फॉर्म संख्या 3सीडी⁸¹ में भरकर आयकर विभाग को दी जाती है।

प्रपत्र 3सीडी, निर्धारिती के सामान्य विवरणों को कैप्चर करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कारोबार या पेशे की प्रकृति, लेखों के बही-खातों को बनाए रखना और पिछले वर्ष में नियोजित अंत स्टॉक के निर्धारण की विधि शामिल है। इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होते हैं:

- प्रपत्र 3सीडी का खंड 35(क) व्यापार की गई वस्तुओं की प्रमुख मदों जैसे पिछले वर्ष के दौरान अथ स्टॉक, खरीद और बिक्री, अंत स्टॉक, कमी/अधिकता, यदि कोई हो, के मात्रात्मक विवरण को कैप्चर करता है।
- प्रपत्र 3सीडी के खंड 35(ख) में कच्चे माल, तैयार उत्पादों/उप-उत्पादों जैसे अथ स्टॉक, खरीद, खपत/उत्पादित मात्रा, बिक्री, अंत स्टॉक, तैयार उत्पादों

⁷⁹ कर लेखापरीक्षा एक ऐसी लेखापरीक्षा है, जिसे आयकर अधिनियम द्वारा अनिवार्य बनाया गया है, यदि निर्धारिती का वार्षिक सकल टर्नओवर/प्राप्तियां निर्दिष्ट सीमा से अधिक हैं। कर लेखापरीक्षा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44एबी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जाती है।

⁸⁰ ₹ एक करोड़ से कम कारोबार टर्नओवर और ₹ 50 लाख से कम व्यावसायिक आय वाली कंपनी के अलावा अन्य निर्धारितियों को छूट दी गई है।

⁸¹ फॉर्म 3सीडी आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक विवरणों का एक विवरण है।

की प्राप्ति, प्राप्ति का प्रतिशत, कमी/अधिकता, यदि कोई हो, की प्रमुख मद्दों के मात्रात्मक विवरण शामिल हैं।

- इसके अतिरिक्त यह वित्तीय विवरणों जैसे कुल टर्नओवर, सकल लाभ/ टर्नओवर, निवल लाभ/ टर्नओवर, स्टॉक-इन-ट्रेड/ टर्नओवर और पिछले वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष के लिए उत्पादित सामग्री/ तैयार माल जैसे अनुपातों को कैप्चर करता है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 271जे⁸² में यह निर्धारित किया गया है कि यदि निर्धारण अधिकारी या कमिश्नर (अपील) इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के दौरान यह पाता है कि एक लेखाकार या एक मर्चेंट बैंकर या एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता ने इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रस्तुत किसी भी रिपोर्ट या प्रमाण पत्र में गलत जानकारी प्रस्तुत की है तो निर्धारण अधिकारी या कमिश्नर (अपील) यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा लेखाकार या मर्चेंट बैंकर या पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता, जैसा भी मामला हो, शास्ति के माध्यम से, ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट या प्रमाण पत्र के लिए दस हजार रुपये की राशि का भुगतान करेगा।

5.4.3 प्रासंगिक लेखापरीक्षा नमूने का श्रेणी-वार निर्धारण विवरण

लेखापरीक्षा ने 1,335 मामलों की जांच की जहां आयकर रिटर्न में किए गए मात्रात्मक प्रकटीकरण को कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों में किए गए प्रकटीकरण के साथ समानता की जांच करने के लिए सत्यापित किया गया। लेखापरीक्षा में जांचे गए मामलों का पैल पंजीकरण श्रेणी-वार वितरण नीचे दी गई तालिका 5.8 में सारणीबद्ध है:

तालिका 5.8: आईटीआर और कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रकटीकरण में निरंतरता के लिए जांचे गए नमूने का श्रेणी-वार निर्धारण विवरण [₹ करोड़ में]								
निर्धारित की श्रेणी	मामलों की संख्या [143(1)]	मामलों की संख्या [143(3)]	मामलों की संख्या [अन्य धारा: 144, 147, 154, 250 आदि]	मामलों की कुल संख्या	सकल प्राप्तियां/ बिक्री टर्नओवर	रिटर्न आय	निर्धारित आय	किए गए संवर्धन
स्तंभ 1	स्तंभ 2	स्तंभ 3	स्तंभ 4	स्तंभ 5= स्तंभ (2+3+4)	स्तंभ 6	स्तंभ 7	स्तंभ 8	स्तंभ 9= स्तंभ 8- स्तंभ 7
कंपनी	160	214	127	501	4,74,446.91	9,291.19	9,931.28	640.09
फर्म	246	258	55	559	88,587.43	2,640.06	4,205.06	1,565.00
व्यक्ति	162	26	67	255	8172.94	107.38	123.70	16.32
एचयूएफ	8	4	1	13	304.81	2.84	1.76	-1.08
एओपी	5	0	2	7	13.89	0.16	0.17	0.00
कुल	581	502	252	1,335	5,71,525.98	12,041.63	14,261.97	2,220.34

⁸² 2017 के वित्त अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित (1-4-2017 से प्रभावी) ।

लेखापरीक्षा ने यह जांचने की कोशिश की कि क्या कारोबार/विनिर्मित वस्तुओं [कच्चे माल (अथ स्टॉक, खरीद, खपत, बिक्री, अंत स्टॉक, प्राप्ति, प्राप्ति का प्रतिशत, कमी/अधिकता, यदि कोई हो), तैयार उत्पादों (अथ स्टॉक, खरीद, विनिर्मित मात्रा, बिक्री, अंत स्टॉक, कमी/अधिकता, यदि कोई हो)] के मात्रात्मक विवरण फार्म 3 सीडी निर्धारिती के लेखों के बही खातों में बताए गए विवरणों के अनुरूप थे। लेखापरीक्षा में यह पता लगाने की कोशिश की गई थी कि क्या कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से प्रमाणित किए जाने वाले प्रकटीकरण का पर्याप्त रूप से अनुपालन किया गया था। आईटीआर और टीएआर में किए गए प्रकटीकरण में पाई गई कमियों पर पैरा 5.4.4 से 5.4.6 में चर्चा की गई है।

5.4.4 माल सूची के मात्रात्मक विवरण का गैर-प्रकटीकरण

आईटीआर के अनुसार, एक निर्धारिती जो धारा 44एबी के तहत लेखापरीक्षा किए जाने के लिए उत्तरदायी है, को आईटीआर के निर्धारित खंडों में स्टॉक/ खरीद, बिक्री और अन्य का मात्रात्मक विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है।

13 राज्यों⁸³ में 346 मामलों में लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारितियों ने आईटीआर मात्रात्मक विवरण (क्यूडी) भाग में (209 मामले⁸⁴) या कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में (13 मामले⁸⁵) या आईटीआर के साथ-साथ टीएआर दोनों (124 मामले⁸⁶) की माल सूची के मात्रात्मक विवरणों का प्रकटीकरण नहीं किया था। इसके अलावा, 87 मामलों⁸⁷ में या तो टीएआर (73 मामले⁸⁸) या आईटीआर (13 मामले⁸⁹) या

⁸³ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (8); बिहार और झारखंड (1); दिल्ली (31); गुजरात (54); कर्नाटक और गोवा (4); केरल (12); मप्र और छत्तीसगढ़ (11); महाराष्ट्र (145); पंजाब और हरियाणा (22); ओडिशा (4); राजस्थान (10); तमिलनाडु (29); उत्तर प्रदेश (6) और पश्चिम बंगाल और सिक्किम (9)।

⁸⁴ 209 मामलों में अधिनियम की धारा 143(1) के तहत संसाधित 98 मामले, अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण किए गए 36 मामले, अधिनियम की अन्य धाराओं (अधिनियम की धारा 147, 154, 250 आदि) के तहत निर्धारण किए गए 46 मामले शामिल थे, जबकि 29 मामलों में विवरण उपलब्ध नहीं थे।

⁸⁵ 13 मामलों में अधिनियम की धारा 143(1) के तहत संसाधित 9 मामले, अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण किए गए 2 मामले, अधिनियम की अन्य धाराओं (अधिनियम की धारा 143(3) और 154) के तहत निर्धारण किए गए 2 मामले शामिल थे।

⁸⁶ 124 मामलों में अधिनियम की धारा 143(1) के तहत संसाधित 63 मामले, अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण किए गए 24 मामले और अधिनियम की धारा 148 के तहत निर्धारण किए गए 1 मामले शामिल थे।

⁸⁷ 87 मामलों में अधिनियम की धारा 143(1) के तहत संसाधित 26 मामले, अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण किए गए 24 मामले और अधिनियम की धाराओं (अधिनियम की धारा 147, 154) के तहत निर्धारण किए गए 18 मामले शामिल थे, जबकि शेष मामलों में विवरण उपलब्ध नहीं थे।

⁸⁸ 73 मामलों में अधिनियम की धारा 143(1) के तहत संसाधित 22 मामले, अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण किए गए 16 मामले और अधिनियम की धाराओं (अधिनियम की धारा 147, 154, 250 आदि) के तहत निर्धारण किए गए 16 मामले शामिल थे, जबकि 19 मामलों में विवरण उपलब्ध नहीं थे।

⁸⁹ 13 मामलों में अधिनियम की धारा 143(1) के तहत संसाधित 4 मामले, अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण किए गए 8 मामले, अधिनियम की अन्य धारा (अधिनियम की धारा 143(3) और 154) के तहत निर्धारण किया गया एक मामला शामिल था।

दोनों (1 मामला⁹⁰) उपलब्ध नहीं थे। परिणामस्वरूप, आईटीआर में उल्लिखित स्टॉक/खरीद की मात्रा को टीएआर में बताई गई मात्राओं के साथ सत्यापित नहीं किया जा सका। इसके अलावा, इन मामलों में आईटीआर/लेखों में दावा किए गए स्टॉक और खरीद के मूल्य की सटीकता का पता नहीं लगाया जा सका। कोलकाता⁹¹ में एक मामले में, हमने आईटीआर में मूल्य की तुलना में मात्रा के संदर्भ में अथ और अंत स्टॉक राशि के प्रकटीकरण के संबंध में विसंगतियां देखीं, जबकि दिल्ली⁹² में एक अन्य मामले में, अंत मात्रा की उपलब्धता के बावजूद, लाभ और हानि खाते में तदनुसूची मूल्य घोषित नहीं किया गया था। विभाग द्वारा इन विसंगतियों की पहचान नहीं की जा सकी। इसी प्रकार, दो राज्यों⁹³ में दो मामलों में, अंत शेष को बाद के वर्ष में अग्रेशन में गलती की विभाग द्वारा जांच नहीं की गई थी। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के सत्त्वों के संबंध में मात्रात्मक विवरणों के प्रकटीकरण और उसका सत्यापन न किए जाने के संबंध में आकस्मिक दृष्टिकोण में आय की कम रिपोर्टिंग का जोखिम शामिल हो सकता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि आईटीडी प्रणाली के माध्यम से मामलों को संसाधित करने के बावजूद प्रकटीकरण में विसंगतियों पर किसी का ध्यान नहीं गया। आदर्श रूप से, आईटीडी प्रणालियों को, जहां तक संभव हो, संक्षिप्त संसाधन चरण में आईटीआर और टीएआर में ऐसी विसंगतियों की पहचान करनी चाहिए। संवीक्षा के तहत बाद में जांच किए गए मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि स्टॉक के प्रकटीकरण की सटीकता के सत्यापन और जांच के विवरण कई मामलों में निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण रिकॉर्ड में दर्ज या प्रलेखित नहीं किए जा रहे हैं। दो निदर्शी मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

बॉक्स 5.1: आईटीआर में माल सूची और अन्य गलतियों के मात्रात्मक विवरणों के गैर-प्रकटीकरण का निदर्शी मामला

(क) प्रभार: सीआईटी (केन्द्रीय)-1, दिल्ली

निर्धारिती: मैसर्स जेएम

निर्धारण वर्ष: 2018-19

इस मामले में, नि. व. 2018-19 के लिए आय का रिटर्न अगस्त 2018 में ₹ 25.27 लाख पर फाइल किया गया था और आयकर रिटर्न को फरवरी 2019 में धारा 143(1) के तहत संक्षिप्त तरीके से संसाधित किया गया था, जिसमें रिटर्न में

⁹⁰ अधिनियम की धारा 147 के तहत एक मामला संसाधित किया गया।

⁹¹ नि.व. 2018-19 के लिए पीसीआईटी-15, कोलकाता में आईटीओ वार्ड 43(3) के तहत मै. आर जी

⁹² नि. व. 2018-19 के लिए मै. जे एम

⁹³ नि. व. 2018-19 के लिए पीसीआईटी धनबाद, झारखंड [यू वी (व्यक्ति)] और चंडीगढ़ (प्रधान सीआईटी हिसार)

दर्शाई गई आय को स्वीकार किया गया था, जिससे नि. व. 2018-19 के लिए शून्य मांग हुई थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लाभ और हानि खाते के अनुसार, निर्धारिती कंपनी का कुल कारोबार ₹ 81.69 करोड़ था। आईटीआर और टीएआर के माध्यम से किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, निर्धारिती ने फॉर्म 3सीडी और आईटीआर में कच्चे माल (सोने की छड़) के अंत स्टॉक का मात्रात्मक विवरण 2,17,109 ग्राम के रूप में दर्शाया था, जबकि आईटीआर में लाभ और हानि खाते में अंत स्टॉक का मूल्य शून्य के रूप में दर्शाया गया था। इस प्रकार, आईटीआर में गलत प्रकटीकरण के कारण 2,17,109 ग्राम सोने की छड़ों के मूल्य के बराबर अंत स्टॉक का छिपाव किया गया था। चूंकि इस मामले को अधिनियम की धारा 143(1) के तहत संसाधित किया गया था, इसलिए आयकर विभाग प्रणालियों द्वारा प्रकटीकरण में विसंगति का पता नहीं लगाया जा सका और इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.05 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 3,068 प्रति ग्राम की दर से ₹ 66.61 करोड़ के लाभ की कम रिपोर्टिंग की गई। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी-19, मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स एडी

निर्धारण वर्ष: 2013-14

इस मामले में, नि. व. 2013-14 के लिए आय के रिटर्न को ₹ 1.77 करोड़ की आय पर फाइल किया गया था (नवंबर 2013) और संवीक्षा निर्धारण धारा 143(3) (नवंबर 2016) के तहत रिटर्न में दर्शाई गई आय को स्वीकार करते हुए किया गया था, जिससे नि.व. 2013-14 के लिए शून्य मांग हुई थी। वित्त वर्ष 2017-18 के लाभ और हानि खाते के अनुसार, निर्धारिती कंपनी का कुल टर्नओवर ₹ 174.89 करोड़ था।

लेखापरीक्षा ने देखा (नवंबर 2020) कि निर्धारिती ने आईटीआर और टीएआर में स्टॉक (व्यापार, कच्चे माल और विनिर्माण वस्तुओं) के मात्रात्मक विवरण का प्रकटीकरण नहीं किया था, हालांकि, निर्यात बिक्री और हीरे की खरीद के मूल्य का लाभ और हानि खाते में विधिवत रूप से प्रकटीकरण किया गया था। इसके अलावा, निर्धारिती ने फॉर्म 3सीईबी रिपोर्ट में अनगढ़ हीरे के आयात के तदनुसूची मूल्य के साथ मात्रात्मक विवरण का भी प्रकटीकरण किया था। इस प्रकार, निर्धारिती द्वारा आईटीआर और टीएआर में मात्रात्मक विवरणों का प्रकटीकरण नहीं किया गया था; हालांकि, इस मामले की संवीक्षा निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई थी।

आदर्श रूप से आईटीआर और टीएआर में ऐसी विसंगतियों की पहचान आयकर विभाग सिस्टम्स द्वारा फाइलिंग चरण में की जानी चाहिए। तथापि, संवीक्षा निर्धारण के दौरान स्टॉक के मात्रात्मक विवरण के प्रकटीकरण की सटीकता का सत्यापन और जांच को भी निर्धारण अभिलेखों में प्रलेखित और दर्ज किया जाना चाहिए।

सीबीडीटी ने निम्नलिखित कारणों को देते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया है:-

हीरा उद्योग एक अभिप्राय में एक बहुत ही अजीब उद्योग है, जिसमें हीरा, अनगढ़ हीरे से निर्मित होते हैं और इसे विनिर्माण प्रक्रियाओं के विभिन्न चरणों के बाद पॉलिश करने की आवश्यकता होती है। आजकल निर्धारिती विनिर्माण के साथ-साथ इस उद्योग में भी ट्रेडिंग व्यवसाय कर रहा है; पॉलिश किए गए हीरे के व्यापारिक स्टॉक और पॉलिश किए गए हीरे के निर्मित स्टॉक के बीच विभाजित करना व्यावहारिक रूप से मुश्किल है। इन दो प्रकार के हीरे को आमतौर पर मिश्रित किया जाता है और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए फिर से मिश्रित किया जाता है, इसलिए वे अपनी मूल पहचान खो देते हैं; इसलिए, दो श्रेणियों के बीच हीरे को विभाजित करना आसान नहीं है। तथापि, वर्तमान निर्धारिती के मामले में, जो अनगढ़ हीरे का व्यापारी है, प्रासंगिक वर्ष में हीरे का कोई अथ और अंत स्टॉक विचाराधीन नहीं था, विचाराधीन वर्ष के दौरान जो भी खरीद की जाती है, सब कुछ बेचा जाता है और सभी बिक्री और खरीद को आयकर अधिनियम और हस्तांतरण कीमत निर्धारण प्रावधानों के तहत उचित रूप से लेखा-जोखा रखा जाता है और लेखापरीक्षा की जाती है। संवीक्षा निर्धारण के दौरान लेखा बही खातों को प्रस्तुत और पूर्व निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया था। जैसा कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति आईटीआर और टीएआर में विधिवत रूप से पंच नहीं की गई मात्रा से संबंधित है; तथापि, लेखापरीक्षा में लाभ और हानि खाते में और फार्म 3सीईबी में विधिवत रूप से रिपोर्ट की गई उक्त मात्राओं को भी पाया गया है। चूंकि मात्रात्मक विवरणों को लाभ और हानि और अन्य वित्तीय क्षेत्रों में विधिवत रूप से लेखांकित किया गया था, इसलिए, यह लाभप्रदता या आय के न दर्शाने पर बिल्कुल भी प्रभाव या कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि सभी बिक्री और खरीद को लेखापरीक्षित वित्त लेखाओं में सही प्रकार से दिखाया गया है और पूर्व निर्धारण अधिकारी और हस्तांतरण कीमत निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है। इस प्रकार, लेखापरीक्षा पार्टी ने केवल एक अभ्युक्ति को पाया था कि निर्धारिती ने आईटीआर और टीएआर में स्टॉक (व्यापार, कच्चे माल और विनिर्माण वस्तुओं) के मात्रात्मक

विवरण का प्रकटीकरण नहीं किया था, हालांकि लेखापरीक्षा पार्टी ने स्वयं कहा कि निर्यात बिक्री और हीरे की खरीद के मूल्य का लाभ और हानि खाते में विधिवत रूप से प्रकटीकरण किया गया था, जिसे पूर्ववर्ती निर्धारण अधिकारी और टीपीओ द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया था और तदनुसार उक्त प्राधिकारियों ने कोई संवर्धन/अस्वीकृति/समायोजन नहीं किया था। इसलिए, जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है, निर्धारिती के इस मामले में संबंधित अवधि के लिए कोई आय की छूट नहीं हुई है। हालांकि, इस लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को, अन्य मामलों में भी अनुपालन के लिए, भविष्य में संदर्भ के लिए नोट किया गया है।

सीबीडीटी का उत्तर निम्नलिखित आधारों पर उचित नहीं है: लेखापरीक्षा ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि निर्धारिती ने आईटीआर और टीएआर में मात्रात्मक विवरणों का प्रकटीकरण नहीं किया था, हालांकि इन विवरणों का विधिवत रूप से फॉर्म 3सीईबी में प्रकटीकरण किया गया था। इससे पता चलता है कि निर्धारिती के पास माल सूची का मात्रात्मक विवरण था; फिर भी इसने आईटीआर और टीएआर के प्रासंगिक कॉलम को खाली छोड़ दिया। इसके अलावा, सीबीडीटी ने उत्तर में उल्लेख किया है कि निर्धारिती अनगढ़ हीरे का एक व्यापारी था; इसलिए, व्यापार और विनिर्माण के बीच माल सूची के विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता है। निर्धारिती आसानी से रिटर्न में मात्रात्मक विवरण का प्रकटीकरण कर सकता था। इसके अलावा, यदि सीबीडीटी के विचार को स्वीकार किया जाता है कि अनगढ़ हीरे के व्यापारिक स्टॉक और पॉलिश किए गए हीरे के विनिर्माण स्टॉक के बीच विभाजित करना व्यावहारिक रूप से कठिन है, तो इसने आईटीआर और टीएआर में मात्रात्मक विवरणों का प्रकटीकरण करने से हीरा उद्योग को छूट देने के लिए उपयुक्त निर्देश/परिपत्र जारी किए होंगे; तथापि, आज की तिथि तक ऐसा कोई परिपत्र/अनुदेश जारी नहीं किया गया है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि आयकर विभाग को निर्धारिती द्वारा निर्धारित प्रारूप में सभी प्रासंगिक विवरणों का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता होती है और मात्रात्मक विवरण केवल तभी खाली छोड़ा जा सकता है जब निर्धारिती के पास कोई माल सूची नहीं है। निर्धारिती द्वारा आईटीआर और टीएआर में माल सूची के प्रासंगिक विवरणों के प्रकटीकरण न करने और निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा गैर-सत्यापन जारी करने के लिए आयकर विभाग द्वारा गुणवत्ता निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत मामले के रूप में संबोधित किया जाना आवश्यक है, भले ही उनके पास कोई राजस्व निहितार्थ न हो। इसलिए सीबीडीटी इस पैरा पर पुनर्विचार कर सकते हैं।

चूंकि ऐसी प्रविष्टियों के लिए एक अलग प्रावधान होने के बावजूद मात्रात्मक विवरण नहीं भरे जाते हैं, इसलिए लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि बिना प्रकटीकरण के मामलों में प्रणाली द्वारा आईटीआर/टीएआर को कैसे स्वीकार किया गया। इसके अलावा, यह पता नहीं लगाया जा सका कि आयकर विभाग ने स्टॉक के निर्धारण और निर्धारिती द्वारा की गई खरीद के दावों की सटीकता को कैसे सुनिश्चित किया। इस प्रकार, निर्धारिती द्वारा फाइल आईटीआर/टीएआर के माध्यम से मात्रात्मक विवरण प्राप्त किए जाने के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा रहा है। इस तरह की विसंगतियों का सत्यापन न होने से आय के निर्धारण से बचने का जोखिम होता है।

5.4.5 आईटीआर और कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बीच माल सूची के मात्रात्मक विवरण का बेमेल होना

आईटीआर में दिए गए मात्रात्मक विवरण को 3 सीडी रिपोर्ट में दिए गए विवरणों से मेल खाना चाहिए जैसा कि कर लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया है। 3 सीडी रिपोर्ट में इंगित किसी भी अंतर को निर्धारिती की कर योग्य आय में वापस जोड़ा जाना चाहिए।

13 राज्यों⁹⁴ में 362 मामलों⁹⁵ में लेखापरीक्षा ने कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रकटीकरण की तुलना में आईटीआर के अनुसार मात्रात्मक विवरण को बेमेल पाया; जिसमें प्रकटीकरण में विसंगतियां और मात्रात्मक विवरण आदि के अपूर्ण प्रकटीकरण के उदाहरण शामिल हैं। ऐसा ही एक मामला जहां विभाग ने मात्रात्मक विवरणों में बेमेल की जांच नहीं की है, नीचे दर्शाया गया है:

बॉक्स 5.2: आईटीआर और टीएआर के अनुसार मात्रात्मक विवरणों में बेमेल का निदर्शी मामला

(क) प्रभार: पीसीआईटी (केन्द्रीय)-3, मुंबई
निर्धारिती: मैसर्स एफ आई प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2013-14

इस मामले में, नि. व. 2013-14 के लिए आय का रिटर्न शून्य आय पर फाइल किया गया था (नवंबर 2013) और संवीक्षा निर्धारण धारा 144(13) के साथ

⁹⁴ दिल्ली (21); गुजरात (52); कर्नाटक और गोवा (3); केरल (2); एपी और तेलंगाना (9); मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (1), महाराष्ट्र (232); पंजाब और हरियाणा (7); राजस्थान (7); तमिलनाडु (13); उत्तर प्रदेश (1) और पश्चिम बंगाल और सिक्किम (14)।

⁹⁵ 362 मामलों में अधिनियम की धारा 143(1) के तहत संसाधित 141 मामले, धारा 143(3) के तहत निर्धारण किए गए 137 मामले, अन्य धाराओं (अधिनियम की धारा 144, 147, 154, 250 आदि) के तहत निर्धारण किए गए 60 मामले शामिल थे, जबकि 24 मामलों में विवरण उपलब्ध नहीं थे।

पठित धारा 143(3) के तहत किया गया था, जिसमें ₹ शून्य (जनवरी 2017) की आय का निर्धारण किया गया था, जिससे ₹ 16.83 लाख की मांग हुई थी। निर्धारिती ने वित्त वर्ष 2012-13 के लाभ और हानि खाते में ₹ 3,454.80 करोड़ का कुल टर्नओवर दिखाया था जो नि. व. 2013-14 से संबंधित था।

लेखापरीक्षा ने विभिन्न मदों के मात्रात्मक विवरण से यह पाया (अक्टूबर 2020), जैसा कि आईटीआर और कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट (टीएआर) में प्रकटीकरण किया गया है कि अनगढ़ हीरे, पॉलिश किए गए हीरे, अंगुठियां आदि की मात्रा बेमेल थी आईटीआर और टीएआर के अनुसार व्यापारिक वस्तुओं के मात्रात्मक विवरण नीचे सारणीबद्ध हैं:

(क) ट्रेडिंग सामान									
मद का नाम	इकाई	अथ स्टॉक		पिछले वर्ष के दौरान खरीदारी		विक्रय मात्रा		अंतिम स्टॉक	
		आईटीआर के अनुसार	टीएआर के अनुसार	आईटीआर के अनुसार	टीएआर के अनुसार	आईटीआर के अनुसार	टीएआर के अनुसार	आईटीआर के अनुसार	टीएआर के अनुसार
हीरे	112	35862	35861	32962	32962	57568	57567	11256	11256
अनगढ़ अस्वीकृति	112	100000	100000	0	0	0	100000	100000	0

आईटीआर और टीएआर के अनुसार विनिर्माण से संबंधित कच्चे माल के मात्रात्मक विवरण नीचे सारणीबद्ध हैं:

(ख) विनिर्माण संबंधित (कच्चा माल)											
मद का नाम	इकाई	अथ स्टॉक		पिछले वर्ष के दौरान खरीदारी		खपत		विक्रय मात्रा		अंत स्टॉक	
		आईटीआर के अनुसार	टीएआर के अनुसार	आईटीआर के अनुसार	टीएआर के अनुसार	आईटीआर के अनुसार	टीएआर के अनुसार	आईटीआर के अनुसार	टीएआर के अनुसार	आईटीआर के अनुसार	टीएआर के अनुसार
अनगढ़ हीरे	112	26738	26738	35938	35938	6654	6794	37779	37779	18103	18103
अनगढ़ अस्वीकृति	112	1693	दर्शाया गया	0	0			141		1834	दर्शाया गया
पॉलिश हीरे	112	7788	7788	59294	59293	40338	39383	0	954	26744	26744
रंगीन पत्थर	112	926	दर्शाया गया	574		1209	दर्शाया गया	0		291	दर्शाया गया

आईटीआर और टीएआर के अनुसार विनिर्माण से संबंधित तैयार माल के मात्रात्मक विवरण नीचे सारणीबद्ध हैं:

(ग) विनिर्माण संबंधित (तैयार माल)									
मद का नाम	इकाई	अथ स्टॉक		विनिर्मित तैयार माल		विक्रय मात्रा		अंत स्टॉक	
		आईटी आर के अनुसार	टीएआर के अनुसार	आईटीआर के अनुसार	टीएआर के अनुसार	आईटी आर के अनुसार	टीएआर के अनुसार	आईटी आर के अनुसार	टीएआर के अनुसार
पॉलिश हीरे	112	24393	24393	2242	1812	15949	15519	10686	10686
अंगूठियां	107	2558	2558	14147	12228	15134	13215	1571	1571
पेंडेंट	107	220	220	17203	16980	17421	17198	2	2
बालियाँ	107	326	326	695	403	959	667	62	62
हार	107	18	18	318	315	317	314	19	19
कंगन	107	76	76	69		129	60	16	16

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि निर्धारण को संवीक्षा के अधीन पूरा कर लिया गया था, लेकिन रिकॉर्ड से यह पता नहीं लगाया जा सका कि विभाग ने इस मामले की जांच की थी या नहीं।

इस अभ्युक्ति को अक्टूबर 2020 में विभाग को बताया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

प्रकटन में विसंगतियां इस तथ्य का संकेत हैं कि आईटीआर के संक्षिप्त प्रसंस्करण के दौरान ऐसी अनियमितताओं से जुड़े मामलों की पहचान के लिए मौजूदा प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, संवीक्षा निर्धारण चरण के दौरान भी ऐसी विसंगतियों की जांच नहीं की जा रही है। यह डेटा की अनौपचारिक हैंडलिंग का भी संकेतक है, जिसके परिणामस्वरूप विसंगतियां होती हैं। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया है कि रत्न और आभूषण क्षेत्र के 1.53 लाख निर्धारणों में से, संवीक्षा निर्धारण के तहत केवल 1.89 प्रतिशत मामलों की जांच की गई थी, जबकि 96.07 प्रतिशत के एक महत्वपूर्ण अनुपात को संक्षिप्त निर्धारण के तहत संसाधित किया गया था, जिससे संक्षिप्त चरण में सत्यापन तंत्र को मजबूत करना अधिक अनिवार्य हो गया।

5.4.6 कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में विसंगतियां

लेखापरीक्षा में 13 राज्यों⁹⁶ में 330 मामलों⁹⁷ में कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों में विसंगतियां पाई गई हैं। विसंगतियों में अंत स्टॉक के गलत अग्रेशन, टर्नओवर, सकल लाभ आदि से संबंधित विवरण का प्रकटीकरण करने में गलतियां, (कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों की क्रम संख्या 40), आयकर अधिनियम के तहत अपेक्षित विभिन्न प्रकटीकरण में गलतियां और अन्य शामिल थी। इन सभी मामलों में, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी उपलब्ध नहीं था कि विभाग ने इस मामले को हल करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की थी। दो मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

बॉक्स 5.3: कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में विसंगतियों के निदर्शी मामले

(क) प्रभार: प्रधान सीआईटी-5, मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स डी बी प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2014-15

निर्धारिती ने एक कंपनी के रूप में नवंबर 2014 में नि. व. 2014-15 के लिए आय का रिटर्न ₹ 13.47 करोड़ पर फाइल किया था और दिसंबर 2016 में धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था, जिसमें रिटर्न में दर्शाई गई आय को स्वीकार किया गया था, जिससे नि. व. 2014-15 के लिए शून्य मांग हुई थी। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लाभ और हानि खाते के अनुसार निर्धारिती कंपनी का कुल टर्नओवर ₹ 482.31 करोड़ था। लेखापरीक्षा ने कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट से यह पाया कि नि. व. 2013-14 में तैयार माल का अंत शेष 2,58,635 इकाई था, जबकि नि. व. 2014-15 के आदि शेष में इसे शून्य के रूप में दिखाया गया था। यद्यपि मामले का निर्धारण धारा 143(3) के तहत संवीक्षा के तौर पर किया गया था, लेकिन विभाग द्वारा विसंगति को इंगित नहीं किया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

⁹⁶ गुजरात (143); कर्नाटक और गोवा (7); ओडिशा (5); पंजाब और हरियाणा (20); तमिलनाडु (7); दिल्ली (14); मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (10); एपी और तेलंगाना (8); राजस्थान (16); केरल (11); पश्चिम बंगाल और सिक्किम (8); उत्तर प्रदेश (2) और महाराष्ट्र (79)।

⁹⁷ 330 मामलों में अधिनियम की धारा 143(1) के तहत संसाधित 190 मामले, धारा 143(3) के तहत निर्धारण किए गए 57 मामले, अन्य धाराओं (अधिनियम की धारा 144, 147, 154, 250 आदि) के तहत निर्धारण किए गए 61 मामले शामिल हैं, जबकि 22 मामलों में विवरण उपलब्ध नहीं थे।

(ख) प्रभार: प्रधान सीआईटी-1, भुवनेश्वर
निर्धारिती: मैसर्स इजे
निर्धारण वर्ष: 2015-16

निर्धारिती ने एक कंपनी के रूप में सितंबर 2015 में नि. व. 2015-16 के लिए आय का रिटर्न ₹ 1.61 करोड़ पर फाइल किया था और दिसंबर 2017 में धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था, जिसमें ₹ 1.62 करोड़ की आय निर्धारित की गई थी, जिससे नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 0.24 लाख की मांग हुई थी। निर्धारिती कंपनी का कुल टर्नओवर वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लाभ और हानि खाते के अनुसार ₹ 71.43 करोड़ था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट की क्र.सं. 35(ए) में व्यापार की गई प्रमुख मदों के मात्रात्मक विवरण शून्य के रूप में उल्लिखित थे, लेकिन आईटीआर में उनका विधिवत प्रकटीकरण किया गया था। हालांकि, निर्धारण के दौरान विसंगति असत्यापित रही। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

टीएआर में पाई गई विसंगतियां इस तथ्य का संकेत हैं कि आईटीडी प्रणालियों में संक्षिप्त चरण में ऐसी विसंगतियों की पहचान करने में कमी है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने नोट किया कि संवीक्षा निर्धारण चरण में की गई जाँच के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज की कमी थी। टीएआर में पाई गई विसंगतियों का सत्यापन न करना मॉनिटरिंग प्रणाली में कमजोरियों का संकेतक है, जिसके लिए विभाग को राजस्व के छूटने के जोखिम से बचाव और भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता होती है।

5.5 स्टॉक की कमी/अधिकता का सत्यापन

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), निर्यात के लिए कतिपय मदों के लिए मानक इनपुट-आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) निर्धारित करता है। लेकिन रत्न और आभूषण की वस्तुओं के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, डीजीएफटी ने निर्यात प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए रत्न और आभूषणों की कतिपय मदों के संबंध में अपव्यय मानदंड निर्धारित किए हैं। वाणिज्य विभाग द्वारा जारी हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स [2015-2020] के साथ पठित 2015 से 2020 के लिए विदेश व्यापार नीति के अनुसार, निर्यात मद में सोना/प्लैटिनम/चाँदी सामग्री के संदर्भ में सोने/चाँदी/प्लैटिनम आभूषणों और उनके गहनों पर अधिकतम अपव्यय या

विनिर्माण हानि विनिर्दिष्ट⁹⁸ की गई है। हीरे के निर्यात के लिए ऐसे मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं। आयकर विभाग ने रत्न और आभूषण की वस्तुओं के लिए ऐसे कोई मानदंड विनिर्दिष्ट नहीं किए हैं। तथापि, स्टॉक की कमी/अधिकता का प्रकटीकरण कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में मात्रात्मक विवरण के अंतर्गत किया जाना अपेक्षित है।

रत्न और आभूषण क्षेत्र में विनिर्मित मात्रा का इसमें शामिल उच्चतम प्रति यूनिट दरों को देखते हुए समग्र लाभप्रदता पर काफी प्रभाव पड़ता है। अतिरिक्त आउटपुट के द्वारा कुछ बेहिसाब कच्चे माल को कारोबार में शामिल की जाने का जोखिम हो सकता है, जबकि कम आउटपुट के द्वारा कुछ बेहिसाब बिक्री किए जाने का जोखिम हो सकता है, जिससे बेहिसाब आय का निर्माण हुआ है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11 राज्यों⁹⁹ में जांच किए गए 2,261 मामलों में से 180 मामलों¹⁰⁰ में यद्यपि आईटीआर/कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रकट किए गए मात्रात्मक विवरण के अनुसार स्टॉक में कमी/अधिकता थी, लेकिन निर्धारण रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं था जिससे यह पता चल सके कि विभाग ने ऐसी विसंगतियों के संबंध में कोई जांच/सत्यापन किया है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि उपरोक्त 180 मामलों में से 81 मामलों को संवीक्षा निर्धारण के अंतर्गत पूरा कर लिया गया था और इन 81 संवीक्षा मामलों में से 56 मामलों को पूर्ण संवीक्षा के लिए चुना गया था। इससे यह परिलक्षित होता है कि विभाग के पास यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र नहीं है कि निर्धारिती किसी भी लाभ को छुपा नहीं रहे थे या स्टॉक की कमी/अधिकता के माध्यम से बेहिसाब आय नहीं ला रहे थे। एक मामला नीचे दर्शाया गया है:

⁹⁸ सोने और प्लैटिनम के लिए अपव्यय मानदंड 0.9 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत के बीच है जबकि चांदी के लिए अपव्यय मानदंड 0.9 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के बीच है।

⁹⁹ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (7), दिल्ली (3); गुजरात (9); कर्नाटक और गोवा (2), केरल (1), मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (1), पंजाब और हरियाणा (1), राजस्थान (5); महाराष्ट्र (142); तमिलनाडु (4); और पश्चिम बंगाल और सिक्किम (5)।

¹⁰⁰ 180 मामलों में अधिनियम की धारा 143(1) के तहत संसाधित 64 मामले, अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण किए गए 81 मामले, अन्य धाराओं (144, 147, 154, 250) के तहत निर्धारण किए गए 29 मामले और 6 मामले शामिल थे जहां विवरण उपलब्ध नहीं थे।

बॉक्स 5.4: स्टॉक की कमी/अधिकता के सत्यापन का निदर्शी मामला**(क) प्रभार: पीसीआईटी 5, मुंबई****निर्धारिती: मैसर्स जीडी प्राइवेट लिमिटेड****निर्धारण वर्ष: 2016-17**

अनगढ़ हीरे/कटे और पॉलिश किए गए हीरे के विनिर्माण और व्यापार में लगी कंपनी ने निर्धारिती के रूप में अक्टूबर 2016 में ₹ 60.54 लाख की आय पर नि. व. 2016-17 के लिए आय का रिटर्न फाइल किया और दिसंबर 2018 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लाभ और हानि खाते के अनुसार, निर्धारिती कंपनी का कुल टर्नओवर ₹ 41.16 करोड़ था। लेखापरीक्षा ने कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दिए गए मात्रात्मक विवरणों से पाया (मई 2019) कि 589 कैरेट के अनगढ़ हीरे की कमी थी, जिसके कारण इसकी लागत के लिए जिम्मेदार लाभ को विचाराधीन वर्ष के लिए कम कर दिया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए, विभाग को इस तरह की कमी के कारणों की जांच करनी चाहिए थी और अनगढ़ हीरे की कमी के कारण होने वाली लागत को निर्धारिती की आय में संवर्धित करना चाहिए था। तथापि, निर्धारण अभिलेखों में ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं था जिससे यह पता चले कि विभाग ने इस संबंध में कोई सत्यापन किया है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

5.6 पॉलिश किए गए हीरे की प्राप्ति /अपव्यय में भिन्नता का गैर-सत्यापन

कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट [फार्म 3सीए/3सीडी], में विनिर्दिष्ट सकल टर्नओवर या सकल प्राप्तियों की सीमा से अधिक मामलों के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है, एक व्यापारिक संस्था के मामले में व्यापार किए जाने वाले माल की प्रमुख वस्तुओं के मात्रात्मक विवरण और अंत स्टॉक, तैयार उत्पादों की प्राप्ति, प्राप्ति का प्रतिशत, कमी/ अधिक, यदि कोई हो आदि के विवरण के साथ-साथ विनिर्माण संस्था के मामले में, कच्चे माल, तैयार उत्पादों और उप-उत्पादों की प्रमुख वस्तुओं के मात्रात्मक विवरणों को कैप्चर करती है, चूंकि निर्धारण अधिकारियों के लिए व्यापार और विनिर्माण संबंधी संस्थाओं के मामलों में स्टॉक/माल सूची के मात्रात्मक विवरण को सत्यापित करना प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, इसलिए वे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा किए गए तीसरे पक्ष के प्रमाणन पर निर्भर रहते हैं और प्रमाणित लेखों के बही खातों और कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से किए गए प्रकटीकरण के आधार पर अपने निर्धारण को अंतिम रूप देते हैं।

रत्न और आभूषण क्षेत्र में, प्राप्ति को कम दर्शाना उत्पादन को कम दिखाने का एक संभावित तरीका है। प्राप्ति, अनगढ़ हीरे की गुणवत्ता और आकार पर निर्भर करती है। दो से तीन प्रतिशत तक की प्राप्ति को कम करके आंकना एक महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। इसके अलावा, यह देखा गया कि तैयार उत्पादों की प्राप्ति के प्रतिशत के संबंध में उद्योग के लिए कोई मानक मानदंड मौजूद नहीं है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने पांच राज्यों¹⁰¹ में 357 मामलों¹⁰² में प्राप्ति से संबंधित मामलों की जांच नहीं की। इन मामलों में प्राप्ति का प्रतिशत 22 प्रतिशत से 94 प्रतिशत तक भिन्न था। इसके अलावा, निर्धारितियों ने उपरोक्त 357 मामलों में से 116 मामलों¹⁰³ में कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्राप्ति (मात्रा और/या प्रतिशत) के विवरण का प्रकटीकरण नहीं किया था। इसके अलावा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड में यह दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं था कि विभाग द्वारा प्राप्ति के कम/अप्रकटीकरण के संबंध में किसी भी औचित्य का कोई सत्यापन किया गया था या किसी स्पष्टीकरण के लिए कहा गया था। लेखापरीक्षा में ₹ 100 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले मामलों के सकल टर्न ओवर-वार वितरण का विश्लेषण किया गया जिसमें निर्धारण के दौरान प्राप्ति से संबंधित मामलों को सत्यापित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 357 में से 98 मामलों में जहां प्राप्ति से संबंधित मुद्दे को सत्यापित नहीं किया गया था, निर्धारिती का सकल कारोबार ₹ 500 करोड़ से अधिक था, जो बिक्री या उच्च धन मूल्य संव्यवहार की महत्वपूर्ण मात्रा को दर्शाता है। प्राप्ति का सत्यापन न किए जाने से संबंधित उच्च मूल्य के मामलों का विवरण नीचे दी गई तालिका 5.9 में दिया गया है।

तालिका 5.9: प्राप्ति का गैर-सत्यापन			[₹ करोड़ में]
क्र. सं.	सकल टर्नओवर/ प्राप्तियों का मूल्य	ऐसे मामलों की संख्या जहां प्राप्ति सत्यापित नहीं की गई थी	टर्नओवर की कुल राशि
1.	>= ₹ 100 करोड़ & < ₹ 500 करोड़	79	18,267.87
2.	>= ₹ 500 करोड़ & < ₹ 1000 करोड़	23	15,082.63
3.	>= ₹ 1000 करोड़ & < ₹ 1500 करोड़	19	23,869.00
4.	>= ₹ 1500 करोड़ & < ₹ 2000 करोड़	16	28,016.34
5.	>= ₹ 2000 करोड़ & < ₹ 2500 करोड़	9	19,578.77

¹⁰¹ महाराष्ट्र (339); तमिलनाडु (3); दिल्ली (7); ओडिशा (1) और राजस्थान (7)

¹⁰² 357 मामलों में धारा 143(1) के तहत संसाधित 4 मामले, धारा 143(3) के तहत निर्धारण किए गए 274 मामले और अधिनियम की अन्य धाराओं (144, 147, 153 सी, 154 और 250) के तहत निर्धारण किए गए 79 मामले शामिल थे।

¹⁰³ 116 मामलों में धारा 143(1) के तहत संसाधित 4 मामले, धारा 143(3) के तहत निर्धारण किए गए 62 मामले और अधिनियम की अन्य धाराओं (144, 147, 153 सी, 154 और 250) के तहत निर्धारण किए गए 49 मामले और एक मामला शामिल था जहां विवरण उपलब्ध नहीं थे।

तालिका 5.9: प्राप्ति का गैर-सत्यापन			[₹ करोड़ में]
क्र. सं.	सकल टर्नओवर/ प्राप्तियों का मूल्य	ऐसे मामलों की संख्या जहां प्राप्ति सत्यापित नहीं की गई थी	टर्नओवर की कुल राशि
6.	>= ₹ 2500 करोड़ & < ₹ 3000 करोड़	9	24,150.72
7.	>= ₹ 3000 करोड़ & < ₹ 4000 करोड़	6	19,788.02
8.	>= ₹ 4000 करोड़ & < ₹ 5000 करोड़	6	26,692.00
9.	>= ₹ 5000 करोड़	10	70,581.35
	कुल	177	2,46,026.70

स्रोत: आईटीडी के निर्धारण रिकॉर्ड

357 मामलों में से जहां प्राप्ति के सत्यापन के लिए कोई साक्ष्य नहीं था, 28.4 प्रतिशत मामलों में ₹ 100 करोड़ और ₹ 1000 करोड़ के बीच सकल टर्न ओवर की सूचना दी गई; 18.1 प्रतिशत मामलों में ₹ 1000 करोड़ और ₹ 5000 करोड़ के बीच के सकल टर्न ओवर की सूचना दी और 2.8 प्रतिशत मामलों में ₹ 5000 करोड़ से अधिक के सकल टर्न ओवर की सूचना दी, जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है।

इससे संकेत मिलता है कि विभाग के पास हीरे की प्राप्ति की सटीकता पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त तंत्र नहीं था, जैसा कि निर्धारितियों द्वारा उनके लेखों के बही खातों में दिखाया गया है। यद्यपि प्राप्ति और प्राप्ति का प्रतिशत सीधे राजस्व के सृजन/राजस्व के छिपाने से संबंधित है, तथापि आईटीआर के निर्धारण/प्रसंस्करण के दौरान आयकर विभाग द्वारा इस पहलू को राजस्व हानि के अंतर्निहित जोखिम के साथ सत्यापित नहीं किया गया था।

5.7 असुरक्षित ऋणों की साख का गैर-सत्यापन

लेखापरीक्षा ने 366 निर्धारण मामलों¹⁰⁴ की जांच की, जहां निर्धारितियों ने लेखों के बही खातों में ₹ 5,389.96 करोड़ के असुरक्षित ऋणों की राशि का प्रकटीकरण किया था, यह पता लगाने के लिए, कि क्या निर्धारण अधिकारी ने असुरक्षित ऋणों के संव्यवहार की वास्तविकता और ऐसे असुरक्षित ऋण देने वाले उधारदाताओं की साख और वित्तीय क्षमता को सत्यापित किया था। लेखापरीक्षा ने चयनित निर्धारण अभिलेखों की जांच की ताकि ऋणदाताओं की पहचान, साख और सत्यता जैसे

¹⁰⁴ 366 मामलों में से, अधिनियम की धारा 143(1) के तहत 52 मामलों को संसाधित किया गया, अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण किए गए 218 मामलों और अधिनियम की अन्य धाराओं अर्थात् आयकर अधिनियम की धारा 144, 147, 154, 250 और 254 के तहत 95 मामलों का निर्धारण किया गया। 366 मामले दिल्ली (6), गुजरात (8) कर्नाटक और गोवा (1), केरल (16), मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (1), महाराष्ट्र (271), राजस्थान (40), तमिलनाडु (4), बिहार और झारखंड (5), ओडिशा (3), उत्तर प्रदेश (5) और पश्चिम बंगाल और सिक्किम (6) से संबंधित थे।

मानदंडों पर आयकर विभाग द्वारा प्राप्त आश्वासन की सीमा को सत्यापित किया जा सके।

लेखापरीक्षा में पांच राज्यों¹⁰⁵ के 45 मामलों¹⁰⁶ में पाया गया कि यद्यपि निर्धारितियों ने विभिन्न पक्षों से असुरक्षित ऋण लिए थे, तथापि वार्षिक खातों, आय के रिटर्न, बैंक विवरणों और ऋणदाता की पुष्टि जैसे दस्तावेजी साक्ष्य ऋणदाताओं की पहचान, साख और सत्यता के सत्यापन के प्रमाण के रूप में रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं थे।

इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा ऋणदाताओं की वित्तीय क्षमता की जांच करने के लिए ऋणदाताओं के संबंधित निर्धारण अधिकारी के साथ सूचना साझा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे। इन विवरणों के अभाव में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सका कि आयकर विभाग द्वारा असुरक्षित ऋण प्रदान करने वाले ऋणदाताओं की विश्वसनीयता और साख कैसे सुनिश्चित की गई थी। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

बॉक्स 5.5: असुरक्षित ऋणों की साख का सत्यापन न करने का निदर्शी मामला

(क) प्रभार: प्रधान. सीआईटी -2, बेंगलोर

निर्धारिती: मैसर्स सीआई प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2013-14

इस मामले में, नि. व. 2013-14 के लिए आय का रिटर्न ₹ 63.19 लाख पर फाइल किया गया था (सितंबर 2013) और निर्धारण धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण किया गया था (जनवरी 2016), जिसमें ₹ 64.49 लाख की आय का निर्धारण किया गया था, जिससे नि. व. 2013-14 के लिए शून्य मांग हुई थी। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लाभ और हानि खाते के अनुसार निर्धारिती कंपनी का कुल टर्न ओवर ₹ 38.04 करोड़ था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने पांच संबंधित पार्टियों से ₹ 2.34 करोड़ का असुरक्षित ऋण प्राप्त किया था, लेकिन विभाग ने न तो संव्यवहार की क्रेडिट योग्यता और सत्यता की पुष्टि की थी और न ही उधारदाताओं की वित्तीय क्षमता की जांच की थी। इसलिए, केवल एक समायोजन प्रविष्टि के रूप में ₹ 2.34 करोड़ के असुरक्षित ऋण की संभावना असत्यापित रही थी।

¹⁰⁵ महाराष्ट्र (32); दिल्ली (3); पश्चिम बंगाल और सिक्किम (5); बिहार और झारखंड (4) और कर्नाटक और गोवा (1)।

¹⁰⁶ 45 मामलों में से 35 मामलों को अधिनियम की धारा 143(1) के तहत संसाधित किया गया था और 10 मामलों का निर्धारण अधिनियम की अन्य धाराओं अर्थात् आयकर अधिनियम की धारा 147 और 154 के तहत किया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं करते हुए कहा है (जनवरी 2021) कि निर्धारित से वर्ष के दौरान ₹ 0.1 करोड़ से अधिक के प्राप्त असुरक्षित ऋणों / जमाओं का विवरण मांगा गया था। तथापि, चूंकि वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष से कोई ऋण प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए संवीक्षा के दौरान सत्यापन के लिए कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी। जो ऋण बकाया था वह पिछले वर्षों के दौरान प्राप्त किया गया है।

विभाग के उत्तर के अनुसार, बकाया ऋणों और अग्रिमों का निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया है। संबंधित पक्ष से प्राप्त ऋणों और अग्रिमों की जांच न किए जाने के मामलों को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति में इंगित किया गया है। चूंकि फाइल किए गए रिटर्न के एक प्रतिशत से भी कम का चयन संवीक्षा के लिए किया जा रहा है, इसलिए विभाग के पास संवीक्षा के वर्ष में सीबीडीटी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली विनिर्दिष्ट सीमा राशि से ऊपर संबंधित पार्टी ऋणों और अग्रिमों से संबंधित बकाया को सत्यापित करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। इस प्रकार, पैरा पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

जांच के विभिन्न चरणों में असुरक्षित ऋणों के कारण अनुमत दावों की सत्यता और सत्यता के सत्यापन और निर्धारण मामलों को अंतिम रूप देने अर्थात् सीपीसी के माध्यम से संक्षिप्त प्रसंस्करण और आयकर विभाग प्रणालियों के माध्यम से संवीक्षा निर्धारण का पता लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच किए गए निर्धारण अभिलेखों से नहीं लगाया जा सका। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

5.8 निर्धारितियों द्वारा संदिग्ध कारोबार गतिविधियां

हीरे की कटाई और पॉलिशिंग और आभूषणों के विनिर्माण की एक वास्तविक कारोबार गतिविधि में श्रम और कर्मचारी व्यय, बिजली और ईंधन की खपत, मूल्यहास, परिवहन, बीमा, किराया कमीशन आदि के संदर्भ में कुछ न्यूनतम व्यय शामिल होने चाहिए।

3,232 मामलों¹⁰⁷, के कुल नमूने में से, 124 मामले¹⁰⁸ (विशिष्ट पैन-नि. व.) 39 निर्धारितियों¹⁰⁹ से संबंधित थे, जिनका वार्षिक टर्नओवर ₹ 1,500 करोड़ से अधिक

¹⁰⁷ 3,232 मामलों में धारा 143(1) के तहत संसाधित 1,440 मामले, धारा 143(3) के तहत निर्धारण किए गए 965 मामले और अधिनियम की अन्य धाराओं [144, 147, 154, 250, 254, 263 आदि] के तहत निर्धारण किए गए 827 मामले शामिल थे।

¹⁰⁸ 124 मामलों में धारा 143(1) के तहत संसाधित 36 मामले, धारा 143(3) के तहत निर्धारण किए गए 51 मामले और अधिनियम की अन्य धाराओं [144, 147, 154, 250 और 263] के तहत निर्धारण किए गए 38 मामले शामिल थे।

¹⁰⁹ 32 कॉरपोरेट निर्धारितियों (111 मामले) और 7 गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों (13 मामले)

था। दो राज्यों¹¹⁰ में 12 निर्धारितियों के 15 मामलों में, लेखापरीक्षा में संभावित संदिग्ध कारोबार गतिविधियों का संकेत देने वाली अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है, जैसे कि वार्षिक टर्नओवर की तुलना में बहुत कम व्यय और कच्चे माल की खपत की तुलना में तैयार माल के अतिरिक्त विनिर्माण, जिससे विस्तृत जांच की आवश्यकता हुई थी। इन मामलों में देखी गई विसंगतियों पर अनुगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है:

5.8.1 वार्षिक टर्नओवर की तुलना में कम व्यय

लेखापरीक्षा ने महाराष्ट्र के पांच मामलों में पाया कि निर्धारितियों ने कुल टर्नओवर की तुलना में विनिर्माण, बिजली और ईंधन, मूल्यहास, विज्ञापन और कमीशन और कर्मचारियों/श्रम व्ययों को असामान्य रूप से कम दिखाया था। इसी तरह की अनियमितताएं दिल्ली में ₹ 500 करोड़ से कम के वार्षिक टर्नओवर वाले 10 अन्य मामलों में भी देखी गई थीं। टर्नओवर की तुलना में व्यय का मामला-वार विवरण इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक जे** में सारणीबद्ध किया गया है। भारी टर्न ओवर की तुलना में इस तरह के नगण्य व्यय निर्धारितियों की संभावित गैर-वास्तविक कारोबार गतिविधियों का संकेत थे और आयकर विभाग द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए थी। ऐसे मामलों में निर्धारिती के केवल समायोजन प्रविष्टि या हवाला कार्यों में शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महाराष्ट्र में एक निर्धारिती, मैसर्स डीएफ के मामले में, जैसा कि इस रिपोर्ट के पैरा 4.2.1 में सामने लाया गया है, नि. व. 2013-14 से 2016-17 के दौरान रिपोर्ट किए गए बिक्री टर्नओवर की तुलना में व्यय नगण्य और गैर-न्यायसंगत होने के बावजूद निर्धारण के दौरान निर्धारिती की गतिविधि की विस्तृत जांच नहीं की गई थी। इसके अलावा, एक ही निर्धारिती के मामले में गोल्ड डोरे बार की निर्मित मात्रा नि. व. 2016-17 में 9,195.64 किलोग्राम और नि. व. 2017-18 में 6,871.09 किलोग्राम की अतिरिक्त प्राप्ति के साथ प्रसंस्करण के बाद लगभग दोगुनी हो गई, जिस कारण यह पता लगाने के लिए आगे की जांच की आवश्यकता थी कि क्या यह अस्पष्टीकृत अतिरिक्त आउटपुट था।

¹¹⁰ महाराष्ट्र (5) और दिल्ली (10)

लेखापरीक्षा, निर्धारण आदेश में ऐसे विवरण दर्ज न किए जाने के कारण संदिग्ध संव्यवहार के संकेतों के मामलों में निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई जांच के विवरण का पता नहीं लगा सका।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

5.9 संज्ञान में आये अन्य मामले

5.9.1 रत्न और आभूषण क्षेत्र द्वारा दर्ज शिकायतें

आयकर विभाग (आईटीडी) ने निर्धारितियों की शिकायतों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए 2003 में एक शिकायत निवारण तंत्र शुरू किया था। कार्यालय प्रक्रियाओं की नियम पुस्तिका (एमओपी) में आयकर के मुख्य कमीश्नर के कार्यालय में क्षेत्रीय शिकायत प्रकोष्ठों के गठन का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें जनता से प्राप्त शिकायत याचिकाओं को निपटाने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। शिकायत प्रकोष्ठ का नेतृत्व जनसंपर्क अधिकारी द्वारा किया जाता है जो सीधे क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तालय के अधीन कार्य करता है। इसके अलावा, नागरिक चार्टर 2014 में दो महीने की समय-सीमा के भीतर शिकायतों के निवारण का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने 17 राज्यों¹¹¹ में 2,252 मामलों में निर्धारितियों द्वारा दर्ज शिकायतों का विवरण मांगा। विभाग ने 804 प्रकरणों के संबंध में सूचना उपलब्ध करायी, जिसमें से 796 प्रकरणों में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गयी, जबकि आठ शिकायतों का उचित निराकरण किया गया। इसके अलावा, बार-बार मांगे जाने के बावजूद, 1,448 मामलों के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस तरह के विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा में जांचे गए नमूना मामलों के संबंध में विभाग के शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावशीलता का पता नहीं लगाया जा सका।

5.10 निष्कर्ष

प्रधान डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा रत्न और आभूषण क्षेत्र से संबंधित निर्धारणों को अंतिम रूप देने वाले निर्धारण प्रभागों के साथ केंद्रीय रूप से रखे गए डेटाबेस का उचित प्रकार से अद्यतन और मिलान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि क्या आयकर विभाग सिस्टम आईटीआर के फाइलिंग

¹¹¹ कर्नाटक (46); ओडिशा (23); पंजाब और हरियाणा (71); आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (61); तमिलनाडु (94); दिल्ली (124); महाराष्ट्र (1088); पूर्वोत्तर क्षेत्र (4); मध्य प्रदेश (48); गुजरात (374); केरल (61); कोलकाता (82); उत्तर प्रदेश (22); बिहार (12); झारखंड (16) छत्तीसगढ़ (10) और राजस्थान (116)

और प्रसंस्करण चरणों में आईटीआर के माध्यम से प्रस्तुत गलत कारोबार कोड का पता लगा सकता है। परिणामस्वरूप, क्षेत्र विशिष्ट की सटीक जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए, रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए विस्तृत कोड निर्धारित करने की आवश्यकता है ताकि निर्धारिती सही प्रकार के कारोबार कोड का चयन कर सके।

लेखापरीक्षा ने निर्धारण इकाइयों में निर्धारण अभिलेखों के अनुसार डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा केंद्रीय रूप से रखे गए डेटा के बीच बेमेल के उदाहरणों को देखा। डेटा के बेमेल होने के उदाहरण प्रणालीगत मुद्दों, प्रवेश स्तर पर डेटा की कमी और आयकर विभाग की क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा निर्धारण डेटा के गैर-अद्यतन के संकेतक थे।

लेखापरीक्षा में टीएआर/आईटीआर के माध्यम से किए गए मात्रात्मक प्रकटन में बेमेल होने या कारोबार और विनिमत मदों के मात्रात्मक विवरण का प्रकटन न किए जाने के उदाहरणों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के तहत मामलों में अनिवार्य रूप से प्रकट किए जाने की आवश्यकता होती है, जो इस तथ्य का संकेत देते हैं कि आईटीडी प्रणालियों में संक्षिप्त चरण में आईटीआर प्रसंस्करण में विसंगतियों और अंतरालों का पता लगाने में कमियां थीं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण अधिकारी निर्धारण के समय रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों की मालसूची के मूल्यांकन की जांच करते समय या तो निर्धारिती द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण या आईटीआर और टीएआर में किए गए मात्रात्मक प्रकटीकरण पर भरोसा कर रहे हैं। निर्धारण अभिलेखों में आईटीआर और टीएआर में प्रकटीकरण के अनुसार की गई जांच/सूची के मात्रात्मक विवरण के सत्यापन का विवरण नहीं था; आय के छिपाने की संभावना से राजस्व हानि होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आयकर विभाग को रत्न और आभूषण कारोबार के संव्यवहार और खेप की मॉनीटरिंग करने वाले अन्य विभागों और एजेंसियों के समन्वय में आईटीआर और कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार रत्न और आभूषण क्षेत्र से संबंधित निर्धारण सूची के सत्यापन के मौजूदा तंत्र की समीक्षा करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा जांच और निर्धारण मामलों अर्थात् जांचें गए नमूने में सीपीसी के माध्यम से संक्षिप्त प्रसंस्करण और आयकर विभाग सिस्टम के माध्यम से संवीक्षा निर्धारण को अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में असुरक्षित ऋणों के कारण

अनुमत दावों की सत्यता और प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए विभाग के भीतर मौजूदा तंत्र का पता नहीं लगाया जा सका।

5.11 सिफारिशों का सार

क) सीबीडीटी को रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों द्वारा दर्ज कारोबार कोड की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्धारण अधिकारियों को निर्देश जारी करने चाहिए। इसके अलावा, सीबीडीटी को रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए निर्धारित कारोबारी कोड की बेहतर मॉनीटरिंग, बेहतर सतर्कता, विस्तृत संवीक्षा के लिए निर्धारितियों की पहचान और अन्य हितधारकों को प्रासंगिक जानकारी समय पर साझा करने के लिए अधिक विस्तार से विचार करना चाहिए।

ख) रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए निर्धारित कारोबारी कोड प्रमुख वस्तुओं जैसे (i) हीरा, (ii) सोना, (iii) चांदी, (iv) मोती, (v) इन सभी का एक संयोजन और (vi) रत्न और आभूषण की अन्य वस्तुओं के संयोजन में लगे सत्वों को शामिल करने के लिए अधिक विस्तारपूर्वक हो सकते हैं ताकि बेहतर मॉनीटरिंग, बेहतर सतर्कता, विस्तृत संवीक्षा के लिए निर्धारितियों की पहचान की जा सके और अन्य हितधारकों को प्रासंगिक जानकारी समय पर साझा की जा सके।
(पैरा 5.1)

सीबीडीटी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2022) कि ई-ऑनलाइन आय की रिटर्न फाईल करते समय निर्धारितियों द्वारा कारोबारी कोड भरे जाते हैं। निर्धारण अधिकारी के लिए कर रिटर्न फाईल करते समय निर्धारितियों द्वारा भरे जा रहे कारोबारी कोड की सटीकता सुनिश्चित करना संभव नहीं होगा।

सीबीडीटी रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए निर्धारित विस्तृत कारोबारी कोड रखने पर विचार कर सकता है ताकि बेहतर मॉनीटरिंग, बेहतर सतर्कता, विस्तृत संवीक्षा के लिए निर्धारितियों की पहचान और अन्य हितधारकों को प्रासंगिक जानकारी समय पर साझा करने के लिए सुनिश्चित किया जा सके। यद्यपि कारोबार कोड निर्धारितियों द्वारा भरे जाते हैं, फिर भी इसे कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। निर्धारितियों द्वारा फाईल किए गए कोडों में त्रुटियों के निर्धारण के दौरान, विशेष रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्धारितियों की सही गतिविधि/कारोबार-वार वर्गीकरण सुनिश्चित करने और आयकर विभाग के भीतर केंद्रीय रूप से बनाए गए डेटाबेस से उत्पन्न विश्वसनीय एमआईएस

सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन किया जा सकता है। सीबीडीटी इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने पर विचार करे जिसमें संवीक्षा निर्धारण के समय कारोबार कोड की गलत रिपोर्टिंग के लिए निर्धारिती को नोटिस जारी करने का विकल्प भी शामिल है।

ग) आयकर विभाग को अपूर्ण आईटीआर को अस्वीकार करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए, जहां भी निर्धारिती धारा 44एबी के तहत लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है और स्टॉक/खरीद/खपत/बिक्री आदि के मात्रात्मक विवरण फाईल नहीं करता है। सिस्टम को आईटीआर स्वीकार नहीं करना चाहिए और निर्धारिती को आईटीआर के निर्धारित खंडों में विवरण भरने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके अलावा, फाइलिंग चरण में विवरण के प्रकटीकरण में निर्धारिती द्वारा अपनाए गए अनौपचारिक दृष्टिकोण को रोकने के लिए कारोबार कोड, अंत स्टॉक आदि जैसे गलत/ शून्य डेटा को उद्धृत करने के लिए निर्धारिती पर देयता निर्धारित की जानी चाहिए।

(पैरा 5.4.4 से 5.4.6 तक)

सीबीडीटी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2022) कि फॉर्म 3सीडी प्रस्तुत करने के बाद आयकर रिटर्न फाईल किया जाता है जिसमें मात्रात्मक विवरण भी होता है। यह जानकारी लागू मामलों में कैप्चर की जाती है। रिटर्न में अपूर्ण जानकारी धारा 139(9) के प्रावधानों के अधीन है जिसमें निर्धारण अधिकारी प्रस्तुत आय की रिटर्न को दोषपूर्ण घोषित कर सकता है। अतः इसके लिए तंत्र मौजूद हैं।

सीबीडीटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है यद्यपि आयकर रिटर्न और कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से मात्रात्मक विवरण प्राप्त करने के लिए एक तंत्र मौजूद है, लेखापरीक्षा ने कई उदाहरणों को पाया जहां स्टॉक पर महत्वपूर्ण जानकारी या तो टीएआर और आईटीआर में समान रूप से प्रकट नहीं की गई थी या प्रकट नहीं की गई थी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने ऐसे उदाहरण देखे जहां निर्धारण आदेश में निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए स्टॉक के मात्रात्मक प्रकटीकरण, यदि कोई हो, के सत्यापन का विवरण भी शामिल नहीं था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि हालांकि प्रकटीकरण में विसंगतियां थीं, प्रणाली ने ऐसे आईटीआर को अस्वीकार नहीं किया या उन मामलों को दोषपूर्ण के रूप में चिन्हित नहीं किया। लेखापरीक्षा रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों द्वारा प्रस्तावित किए गए स्टॉक के मूल्यांकन की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रकटीकरण के सत्यापन के लिए

मौजूद तंत्र के उपयोग की सीमा का पता नहीं लगा सका। सीबीडीटी को इस तंत्र की प्रभावशीलता की समीक्षा करनी चाहिए और आईटीआर के साथ फाईल किए गए फॉर्मों में तीसरे पक्ष द्वारा गलत रिपोर्टिंग या प्रमाणीकरण के लिए शास्ति की कार्यवाही शुरू करने पर विचार करना चाहिए जिसमें गलत प्रकटीकरण के साथ-साथ गैर-प्रकटीकरण भी शामिल हो सकते हैं।

- घ) ऐसी विसंगतियों की प्रणालीगत पहचान के लिए अगले वर्ष के अथ स्टॉक के साथ पिछले वर्ष के अंत स्टॉक से मिलान करने के लिए आयकर विभाग सिस्टम में अंतनिर्हित तंत्र हो सकता है।

(पैरा 5.4.4 से 5.4.6 तक)

सीबीडीटी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2022) कि यह पहले से ही जोखिम प्रबंधन रणनीति का हिस्सा है। इसलिए बेमेलता को सत्यापित करने के लिए सिस्टम मौजूद है।

सीबीडीटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा इस तरह के बेमेल का पता लगाने और फ्लैग करने के लिए प्रणालियों की प्रभावशीलता को सत्यापित नहीं कर सकी क्योंकि लेखापरीक्षा ने बड़ी संख्या में मामलों में मात्रात्मक प्रकटीकरण में विसंगतियों का उल्लेख किया है, यह दर्शाता है कि प्रणाली का उपयोग या तो सारांश चरण में ऐसी विसंगतियों को इंगित करने के लिए नहीं किया गया था या संवीक्षा निर्धारण के दौरान इसकी जांच और रिकॉर्ड नहीं किया गया था। सीबीडीटी तंत्र की प्रभावशीलता की समीक्षा कर सकता है और आईटीआर जिसमें गलत प्रकटीकरण के साथ-साथ गैर-प्रकटीकरण भी शामिल हो सकते हैं, के साथ फाईल किए गए फॉर्मों में गलत रिपोर्टिंग पर शास्ति की कार्यवाही शुरू करने या तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणीकरण पर विचार कर सकता है। इसके अलावा, इस संबंध में निर्धारण अधिकारियों को उपयुक्त दिशानिर्देश/एसओपी/निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

- ड) सीबीडीटी एसओपी के माध्यम से निर्धारण अधिकारी को आईटीआर और टीएआर में स्टॉक के गैर-प्रकटीकरण और स्टॉक में बेमेलता के कारणों की जांच करने पर विचार कर सकता है। इसके अलावा, रत्न और आभूषण क्षेत्र की इकाइयों द्वारा बेहिसाब स्टॉक की रूटिंग के जोखिम को कम करने और कर अपवंचन की संभावना को रोकने के लिए, जहां स्टॉक का मूल्य आईटीआर और वार्षिक लेखाओं में दिखाया गया है लेकिन मात्रात्मक विवरण

का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, और इसके साथ-साथ, इसके कारणों और लाभप्रदता पर उनके प्रभाव का निर्धारणों में पता लगाया जाना चाहिए।

(पैरा 5.4)

सीबीडीटी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2022) कि दिशानिर्देश तैयार करने के संबंध में सीएजी के सुझाव को नोट कर लिया गया है और यह विचाराधीन है। धारा 143(1) के तहत समायोजन करने के दृष्टिकोण से आय की रिटर्न में उपलब्ध आंकड़ों के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट में डेटा की तुलना की जा रही है। किए गए परिवर्तनों, यदि कोई हो, के आधार पर कानून और नियमों के प्रावधानों के आधार पर अधिक विश्लेषण किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा संक्षिप्त प्रसंस्करण चरण में सत्यापन तंत्र की प्रभावशीलता का पता नहीं लगा सकी। इसी को ध्यान में रखते हुए, सीबीडीटी, रत्न और आभूषण क्षेत्र के सत्वों द्वारा बेहिसाब स्टॉक के रूटिंग के जोखिम को कम करने और कर अपवंचन की संभावना को रोकने के लिए निर्धारण के बाद के चरणों के साथ-साथ संक्षिप्त चरण में स्टॉक के मात्रात्मक विवरणों के प्रकटन सत्यापन के लिए मौजूदा तंत्र की समीक्षा को और सुदृढ़ कर सकता है।

च) राउंड-ट्रिपिंग को प्रतिबंधित करने के लिए, डीजीएफटी की विदेश व्यापार नीति प्रक्रिया की पुस्तिका के माध्यम से रत्न और आभूषण क्षेत्र की कुछ मर्दों के आयात और निर्यात के लिए मूल्यसंवर्धन और अपव्यय मानदंड निर्धारित करती है। सीबीडीटी को नगण्य मूल्यसंवर्धन के साथ महत्वपूर्ण रूप से अन्य आयात और निर्यात वाले मामलों को विस्तृत संवीक्षा के लिए एक मानदंड के रूप में चुनने पर विचार करना चाहिए। इसी तरह, जहां उद्योग के औसत की तुलना में प्राप्त या अपव्यय असाधारण रूप से कम या अधिक है, निर्धारण अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य रूप से कारणों की मांग करनी चाहिए कि निर्धारित लाभ को छिपा तो नहीं रहा है।

(पैरा 5.7)

सीबीडीटी ने अपने उत्तर में बताया है कि सीएएसएस समिति के समक्ष इस पर विचार किया जाएगा।

जैसा कि सीएएसएस समिति के समक्ष सिफारिश पर विचार करने का प्रस्ताव है, इस संबंध में की गई आगे की कार्रवाई का विवरण लेखापरीक्षा को सूचित किया जाए।

अध्याय-6: आयकर विभाग में समन्वय और मॉनीटरिंग तंत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई थी कि क्या आयकर विभाग के पास उचित समय पर कार्रवाई और गुणवत्ता निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए विभाग के भीतर और बाहरी विभागों के साथ उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, मॉनीटरिंग और समन्वय तंत्र था। राजस्व के संभावित हानि को रोकने के लिए संबंधित निर्धारिती की जानकारी के प्रतिसत्यापन के उद्देश्य से प्रमुख जानकारी का समन्वय और समय पर साझा करना बहुत महत्वपूर्ण है।

लेखापरीक्षा ने विभाग के भीतर मौजूद समन्वय की सीमा का पता लगाने के लिए जांच इकाई और आयकर विभाग की सेंट्रल सर्कल आयुक्तालयों से रत्न और आभूषण क्षेत्र के सत्वों के निर्धारण से संबंधित विवरण मांगा। हालाँकि, विवरण अभी भी प्रस्तुत किया जाना बाकी है। लेखापरीक्षा ने, लेखापरीक्षा के दौरान जांचे गए नमूना मामलों में आयकर विभाग की विभिन्न इकाइयों के बीच सूचना के अप्रभावी साझाकरण और गैर-साझाकरण के उदाहरणों को देखा जैसा कि इस अध्याय के पैरा 6.1 में चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा ने आगे आयकर विभाग और अन्य विभागों के बीच समन्वय की सीमा का पता लगाने के लिए रत्न और आभूषण कारोबार में लगे सत्वों और जाली खरीद, फर्जी चालान, एवं अधिक चालान/कम-चालान में शामिल आयातकों/निर्यातकों के संबंध में देखी गई अनियमितताओं का विवरण अन्य विभागों, यथा, सीमा शुल्क विभाग, केंद्रीय माल और सेवा कर (जीएसटी), राज्य जीएसटी और राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों से मांगा। लेखापरीक्षा के दौरान मांगी गई सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। रत्न और आभूषण क्षेत्र से संबंधित राजस्व के निर्धारण की देखरेख करने वाले अधिकारियों द्वारा सूचना प्रस्तुत न करने के कारण, लेखापरीक्षा आयकर विभाग के भीतर और अन्य विभागों के साथ मौजूदा समन्वय की सीमा का पता नहीं लगा सका। आयकर विभाग और अन्य सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी के उदाहरणों की चर्चा इस अध्याय के पैरा 6.2 में की गई है। इस अध्याय में चर्चा किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों के स्वरूप को नीचे दी गई तालिका 6.1 में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 6.1: आयकर विभाग के भीतर और बाह्य विभागों के साथ समन्वय तंत्र पर श्रेणी-वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष			
क्र. सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	मामलों की संख्या	कर प्रभाव (₹ करोड में)
1	6.1.1 विभाग के भीतर समन्वय	6	प्रणालीगत मामले
2	6.1.2.1 समायोजन प्रविष्टि से संबंधित मामले	6	12.37
3	6.1.2.2 इसके अलावा जाली खरीद पर की गई विसंगतियां	178	प्रणालीगत मामले
4	6.1.3 निर्धारण अधिकारी के बीच असुरक्षित ऋण से संबंधित जानकारी का साझाकरण	--	प्रणालीगत मामले
5	6.2 आयकर विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय	2	0.93
	कुल	192	13.30

6.1 समन्वय तंत्र

6.1.1 आयकर विभाग के भीतर समन्वय

आयकर विभाग में निर्धारिती इकाइयों को इस तरह से संरचित किया जाता है ताकि प्रत्यक्ष करों के उदग्रहण और संग्रहण से संबंधित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को प्रशासित किया जा सके। इसके अलावा, निर्धारिती से संबंधित रिकॉर्ड के बीच कुशल सहसंबंध के उद्देश्य से और निर्धारण से संबंधित जानकारी के प्रभावी प्रतिसत्यापन के लिए, आयकर विभाग के विभिन्न विंगों के बीच समन्वय और समय-समय पर जानकारी का साझाकरण राजस्व की संभावित हानि को रोकने में महत्वपूर्ण है।

लेखापरीक्षा ने विभाग के भीतर निर्धारण और गैर-निर्धारण इकाइयों के बीच समन्वय के अस्तित्व को सत्यापित करने का प्रयास किया, जिसके लिए 2015-16 से 2018-19 के दौरान रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के संबंध में की गई जांच/सर्वेक्षण से संबंधित और प्रशासन विंग अर्थात् विभाग की जांच विंग और प्रधान आयकर आयुक्तालयों (केंद्रीय) से फर्जी चालान या खरीद में शामिल निर्धारिती से भी जानकारी मांगी गई थी (फरवरी 2020 और अक्टूबर 2020 के बीच जारी पत्रों के माध्यम से)। तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान मांगी गई सूचना अभी वांछनीय है (अक्टूबर 2021)।

लेखापरीक्षा ने पांच राज्यों¹¹² में आयकर विभाग की विभिन्न इकाइयों के बीच सूचना के अप्रभावी साझाकरण के छह उदाहरण देखे, जो आयकर विभाग के भीतर समन्वय की कमी को दर्शाता है। लेखापरीक्षा ने आयकर विभाग के जांच विंग द्वारा सूचना के गैर-प्रसारण के कारण महाराष्ट्र में छह निर्धारण मामलों में समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं से की गई खरीदी के कारण संवर्धन न करने के उदाहरणों को पाया, जैसा कि इस रिपोर्ट के पैरा 6.1.2 में चर्चा की गई है। प्रधान सीआईटी (सेंट्रल सर्कल) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, चार मामलों का विवरण प्रस्तुत किया जिनकी सर्च की गई थी। इन फाइलों के सत्यापन पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित पार्टियों के संव्यवहारों के संबंध में निर्धारण अधिकारियों के बीच जानकारी साझा नहीं की गई थी। विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2020) कि सूचनाओं का आदान-प्रदान नहीं किया गया था और इसे अब संव्यवहार के सत्यापन के लिए क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी को भेजा जा रहा है। लेनदारों, संबंधित पार्टियों और शेयर आवेदन राशि प्रदाताओं के संबंध में सूचना को साझा न करने के अन्य चार उदाहरणों को, जैसा कि लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया, नीचे दिए गए हैं।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 के अनुसार, यदि निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कर के लिए प्रभार्य कोई आय किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से बच गई है, तो वह धारा 148 से 153 के प्रावधानों के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है और ऐसी आय और कर के लिए प्रभार्य कोई अन्य आय जो निर्धारण से बच गई है और जो बाद में इस धारा के तहत कार्यवाही के दौरान उसके संज्ञान में आती है, या हानि या मूल्यहास अनुमति या कोई अन्य अनुमति, जैसा भी मामला हो, संबंधित निर्धारण वर्ष (इसके बाद, इस धारा में, और धारा 148 से 153 में, प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के रूप में संदर्भित) के लिए पुनर्गणना की जाती है।

बॉक्स 6.1: आयकर विभाग के भीतर विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय के उदाहरण

क) प्रभार: प्र. सीआईटी (केंद्रीय)-2, कोलकाता
निर्धारिती: एआर
निर्धारण वर्ष: 2010-11

निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारिती, एक व्यक्ति, का निर्धारण अधिनियम की धारा 147 के तहत दिसंबर 2017 में बिना किसी संवर्धन के पूरा किया गया

¹¹² महाराष्ट्र (1); आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (1); पश्चिम बंगाल और सिक्किम (1); दिल्ली (2) और बिहार और झारखंड (1)

था। मार्च 2017 में डीडीआईटी (जांच विंग) इकाई 8(2), मुंबई से प्राप्त जानकारी के आधार पर, निर्धारण से बचने के लिए ₹ 53 करोड़ की आय के आधार पर धारा 147 के तहत मामले को पुनः खोला गया था। डीडीआईटी (जांच विंग) इकाई 8(2), मुंबई ने अन्य 9 लेखाओं के साथ नियमित सर्कुलर लेनदेन से संबंधित निर्धारिती को विशिष्ट जानकारी, के साथ ही आयात भुगतान के लिए इस लेखा से किए गए भारी मूल्य जावक प्रेषणों को साझा किया था। आगे यह पाया गया कि वित्त वर्ष 2009-10 के लिए निर्धारिती के लाभ और हानि लेखा में खरीद, बिक्री और कुल क्रेडिट क्रमशः ₹ 49.45 करोड़, ₹ 49.49 करोड़ और ₹ 51.33 करोड़ थे। उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारिती का निवल लाभ ₹ 5.40 लाख था जो लाभ और हानि लेखा के कुल क्रेडिट (₹ 51.33 करोड़) का 0.1 प्रतिशत था।

संवीक्षा के दौरान, डीसीआईटी-4(3) कोलकाता ने डीडीआईटी (जांच विंग) इकाई 8(2), मुंबई से अन्य 9 लेखाओं के साथ सर्कुलर लेनदेन में निर्धारिती की भागीदारी के संबंध में पूर्ण विवरण मांगा (अक्टूबर 2017)। डीडीआईटी (जांच विंग) इकाई 8 (2), मुंबई ने अपने उत्तर में बताया (दिसंबर 2017) कि उक्त विवरण उपलब्ध नहीं थे, हालांकि प्रारंभिक जानकारी मुंबई डीडीआईटी (जांच विंग) इकाई 8 (2) से प्रेषित की गई थी। अन्य 9 लेखाओं के साथ सर्कुलर लेनदेन के संबंध में जानकारी के अभाव में, 26 दिसंबर 2017 को धारा 147 के तहत निर्धारण को बिना किसी संवर्धन और प्रतिकूल टिप्पणी के पूरा किया गया था। मामला शुरू में सितंबर 2020 में विभाग के संज्ञान में लाया गया था। आयकर विभाग ने पश्चिम बंगाल क्षेत्राधिकार के एग्जिट कांफ्रेंस (फरवरी 2022) के दौरान कहा कि डीजी (निरीक्षण), मुंबई से अपेक्षित जानकारी के अभाव में, निर्धारण अधिकारी के लिए निर्धारण प्रक्रिया के दौरान मामले की जांच करना मुश्किल था।

ख) दिल्ली क्षेत्र में, आयकर महानिदेशक (जांच), नई दिल्ली ने रत्न और आभूषण क्षेत्र से संबंधित "फर्जी चालान या जाली खरीद" के लाभार्थियों के संबंध में सूचना (अक्टूबर 2020) लेखापरीक्षा के साथ साझा की थी। सूची से यह पाया गया कि 46 लाभार्थियों को ₹ 136.33 करोड़ की राशि के फर्जी जीएसटी चालान, जाली खरीद आदि प्राप्त हुए थे। यद्यपि आयकर महानिदेशक (जांच), नई दिल्ली ने भी संबंधित निर्धारण अधिकारियों को मूल्यांकन रिपोर्ट भेजी थी (जैसा कि सूचना में उल्लेख किया गया है), आयकर विभाग को ₹ 85.52 करोड़ की राशि वाले नौ लाभार्थियों के पैस की जानकारी नहीं थी। पैस विवरण के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि संबंधित निर्धारण अधिकारी इन लाभार्थियों के प्रति अधिनियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए लाभार्थियों के

अधिकार क्षेत्र की पहचान कैसे करेंगे। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

ग) प्रभार: प्रधान सीआईटी-8, दिल्ली

निर्धारिती: बीएस

निर्धारण वर्ष: 2017-18

निर्धारिती, एक व्यक्ति, की संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में पूरा किया गया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 बैलस शीट के अनुसार, निर्धारिती ने देनदारियों के तहत व्यापार देय के रूप में ₹ 2.17 करोड़ बुक किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन लेनदारों की वास्तविकता स्थापित नहीं की गई थी क्योंकि निर्धारण अभिलेखों में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, निर्धारिती द्वारा रिपोर्ट किए गए क्रेडिट लेनदेन की पुष्टि करने के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी के साथ जानकारी साझा करने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था। आयकर विभाग के भीतर जांच और सूचना साझा करने के किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में, लेखापरीक्षा निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए सत्यापन की सीमा, यदि कोई हो, निर्धारण के दौरान सुनिश्चित नहीं कर सका। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

घ) प्रभार: प्रधान सीआईटी-1, पटना

निर्धारिती: मै.एसजे प्रा. लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2011-12

निर्धारिती, एक कंपनी, ने ₹ 8.68 लाख की आय पर निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए आय रिटर्न फाइल की। इसके बाद, शेयर आवेदन राशि को सत्यापित करने के लिए सर्वेक्षण (नवंबर 2016) के बाद मामले को पुनः खोला गया। दिसंबर 2018 में धारा 147 के तहत संवीक्षा के बाद निर्धारिती का पुनर्निर्धारण पूरा किया गया था, जिसमें ₹ 22.25 लाख के संवर्धन के बाद ₹ 37.13 लाख की आय का निर्धारण किया गया था क्योंकि एसके (कंपनी के निदेशक) ने स्वीकार किया था कि यह राशि उसका अपना अघोषित धन था और संव्यवहार की वास्तविकता और शेयर आवेदन राशि की उधार पात्रता स्थापित नहीं की गई थी। सर्वेक्षण रिपोर्ट में विस्तृत रूप से आठ व्यक्तियों (अर्थात व्यक्ति का नाम, पैन और संव्यवहार की राशि) से शेयर आवेदन राशि के रूप में ₹ 22.25 लाख की राशि प्राप्त होना दिखाया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने उपरोक्त जानकारी शेयर आवेदन राशि प्रदाताओं के संबंधित निर्धारण अधिकारी के साथ साझा नहीं की, हालांकि सर्वेक्षण रिपोर्ट में पैन नंबर उपलब्ध थे। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

आयकर विभाग (आईटीडी) के भीतर सूचना का साझाकरण निर्धारण के साथ-साथ गैर-निर्धारण इकाइयों द्वारा प्रभावी प्रकार से उपयोग नहीं किया गया था, जैसा कि ऊपर निदर्शी मामलों में बताया गया है, जिससे संवीक्षा निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, जिसमें विभाग में समन्वय की कमी को दर्शाया गया है। आयकर विभाग गुणवत्ता निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए विभाग के भीतर सूचनाओं के साझाकरण और प्रतिसत्यापन के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत कर सकता है।

6.1.2 समायोजन प्रविष्टि से संबंधित मुद्दे

काले धन पर श्वेत पत्र, काले धन को "ऐसी संपत्ति या संसाधन के रूप में परिभाषित करता है जो न तो सार्वजनिक प्राधिकारियों को उनके सृजन के समय सूचित किया गया और न ही उनके कब्जे के दौरान किसी भी समय प्रकट किया गया।" काले धन की महत्वपूर्ण राशि कानूनी रूप से अनुमत आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न होती है, जिसका न तो गणना की जाती है और न ही कानून या विनियमों के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकारियों को प्रकट की जाती है, ताकि कृत्रिम रूप से लाभ को कम करके करों के भुगतान से बचा जा सके।

खरीद लागत और विभिन्न खर्चों को बढ़ाकर लाभ को कम करने के सामान्य तरीकों में से एक है। ऐसे मामलों में, समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं से मामूली शुल्क/प्रभार देकर जाली बिल प्राप्त किए जाते हैं। इससे बाजार में पुनः काले धन में बढ़ोत्तरी होती है। समायोजन प्रविष्टियां आम तौर पर जाली खरीद, वास्तविक आयातकों की ओर से किए गए आयात, ऋण और अग्रिम और गैर-उद्धृत शेयरों में निवेश के लिए लाभार्थियों को दी जाती हैं। जाली खरीद/बिक्री के लिए विशिष्ट हवाला ऑपरेटरों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली¹¹³ को संक्षेप में आरेखों की सहायता से समझाया गया है जैसा कि अनुलग्नक के में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा ने क्षेत्राधिकार निर्धारण इकाइयों के साथ जानकारी साझा न करने के कारण जाली खरीद का संवर्धन न करने के उदाहरणों को पाया और चयनित प्रभारों के निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान जाली खरीद के लिए समायोजन प्रविष्टियों से संबंधित अस्वीकरणों में विसंगतियां पाई गईं, जैसा नीचे उप-पैरा में चर्चा की गई है।

¹¹³ स्रोत: श्री बी एच गुप, पी आर गुप, एस ए गुप, डी एच गुप, डी बी गुप, आर ए गुप, मैसर्स जी जी लिमिटेड और मैसर्स एस जी की बेनामी संपत्तियों की खोज और जब्ती और रिकॉर्ड के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट।

6.1.2.1 आयकर विभाग के जांच विंग से सूचना प्राप्त न होने के परिणामस्वरूप जाली खरीद का गैर-संवर्धन

लेखापरीक्षा ने चयनित प्रभारों के निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान क्षेत्राधिकार निर्धारण इकाइयों के साथ जानकारी साझा न करने के कारण जाली खरीद के संवर्धन न करने के उदाहरण देखे, जैसा नीचे उप-पैरा में चर्चा की गई है।

आयकर विभाग का जांच विंग विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करता है, जांच करता है और इन निष्कर्षों की जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्धारण अधिकारी को अपने निष्कर्ष बताता है।

लेखापरीक्षा ने पीसीआईटी 19, मुंबई प्रभार में छह मामलों¹¹⁴ के संबंध में पाया कि यद्यपि निर्धारितियों ने 17 समायोजन प्रविष्टियों प्रदाताओं से की गई खरीद के कारण ₹ 36.38 करोड़ के कुल व्यय का दावा किया था, अंतिम लाभार्थियों के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को निर्धारितियों द्वारा उन्हें उचित रूप से कुल कर में लाने के लिए नकली खरीद के बारे में सूचित नहीं किया गया था। इस प्रकार, निर्धारण अधिकारी ने न तो जांच विंग से सूचना प्राप्त की और न ही उन्होंने स्वयं ऐसे जाली खर्चों की अनुमति दी। यदि इन मामलों में 100 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जाती तो ₹ 12.37 करोड़ के कर की संभावित माँग की जा सकती थी। मामले-वार विवरण नीचे दी गई तालिका 6.2 में सारणीबद्ध हैं।

तालिका 6.2: आयकर विभाग के जांच विंग से सूचना प्राप्त न होने के परिणामस्वरूप जाली खरीद का गैर-संवर्धन						
						[₹ करोड़ में]
निर्धारिती का नाम	नि.वर्ष	रिटर्न आय	निर्धारित आय	समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं की संख्या	जाली खरीदारियों की राशि	कर प्रभाव
मैसर्स पी एस	2014-15	1.02	1.03	3	22.09	7.51
मैसर्स एल के	2014-15	0.92	0.96	2	1.35	0.46
मैसर्स वी डी	2014-15	2.45	2.45	3	6.47	2.20
मैसर्स आर ई	2009-10	7.59	7.61	5	0.62	0.21
मैसर्स एस एस	2014-15	0.73	1.41	1	1.01	0.34
एस आर	2014-15	3.58	3.58	3	4.84	1.65
कुल		16.29	17.04		36.38	12.37

¹¹⁴ धारा 143(3) के तहत निर्धारित सभी छह मामले

ऐसा ही एक मामला जहां निर्धारण अधिकारी ने समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं से की गई खरीदारी को अस्वीकार नहीं किया था, नीचे दर्शाया गया है:

बॉक्स 6.2 आयकर विभाग के जांच विंग से सूचना प्राप्त न होने के परिणामस्वरूप जाली खरीद का गैर-संवर्धन

(क) प्रभार: पीसीआईटी 19, मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स पी एस

निर्धारण वर्ष: 2014-15

निर्धारिती मैसर्स पीएस, हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग के कारोबार से जुड़ी एक साझेदारी फर्म ने नवंबर 2014 में नि.व. 2014-15 के लिए अपनी आय की रिटर्न फाईल की, जिसमें कुल आय ₹ 1.02 करोड़ घोषित की गई। इसके बाद, संवीक्षा निर्धारण नवंबर 2016 में पूरा किया गया था, जिसमें निर्धारित आय ₹ 1.03 करोड़ निर्धारित की गई थी। नि.वर्ष 2014-15 से संबंधित वित्तीय वर्ष 2013-14 के लाभ और हानि खाते के अनुसार हीरे की कुल बिक्री ₹ 91.16 करोड़ थी और कच्चे और पॉलिश किए गए हीरे की खरीद ₹ 88.84 करोड़ थी। ₹ 88.84 करोड़ के कच्चे और पॉलिश किए गए हीरे की कुल खरीद में से ₹ 43.38 करोड़ घरेलू स्तर पर खरीदे गए और शेष ₹ 45.46 करोड़ का आयात किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने श्री बी जे ग्रुप की कंपनियों¹¹⁵ के संबंध में की गई सर्च और सर्वे के दौरान उन पार्टियों से ₹ 22.09 करोड़ की खरीद की थी जिनके नाम डीजीआईटी (जांच), मुंबई द्वारा समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं के रूप में पहचाने गए थे। ऐसे समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं से मैसर्स पीएस द्वारा की गई खरीद का नाम और राशि नीचे दी गई है।

क्र.सं.	समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं के नाम	खरीद की राशि (₹ करोड़ में)
1	मैसर्स एमए	7.73
2	मैसर्स एमओ	7.29
3	मैसर्स पीआर	7.07
कुल		22.09

लेखापरीक्षा ने देखा कि मैसर्स पीएस के संबंध में उपरोक्त पार्टियों के समायोजन प्रविष्टि प्रदाता होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। हालांकि, उपरोक्त पार्टियों के

¹¹⁵ 31 अक्टूबर, 2013 को बीजे ग्रुप की कंपनियों के संबंध में डीजीआईटी (जांच), मुंबई द्वारा एक खोज और सर्वेक्षण कार्रवाई की गई थी। खोज के बाद, निर्धारिती जिसने बीजे ग्रुप से खरीद की समायोजन प्रविष्टियां ली थीं, की जानकारी डीजीआईटी (जांच), मुंबई द्वारा संबंधित क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारियों को प्रसारित की गई थी। ।

समायोजन प्रविष्टि प्रदाता होने की सूचना डीजीआईटी (जांच), मुंबई से प्राप्त हुई थी, जो उसी प्रधान सीआईटी प्रभार में निर्धारण किए गए अन्य निर्धारितियों¹¹⁶ के संबंध में थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विभाग ने इन मामलों को फिर से खोल दिया और जाली खरीद की राशि में संवर्धन किया। हालांकि, मैसर्स पीएस के संबंध में समान संवर्धन नहीं किया गया था, जिसे भी उसी समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं से खरीदा गया था। इससे पता चलता है कि डीजीआईटी (जांच), मुंबई द्वारा सूचना के प्रसार का तंत्र पर्याप्त और प्रभावी नहीं था।

यदि विभाग ने उनके पास उपलब्ध समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं की जानकारी का उपयोग किया और समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं से मैसर्स पीएस द्वारा किए गए ₹ 22.09 करोड़ के हीरे की खरीद की वैधता की जांच की होती, तो ₹ 7.51 करोड़ के कर की संभावित मांग होती। यदि इन मामलों में 100 प्रतिशत की दर से अस्वीकरण किया गया होता।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (जनवरी 2022) को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि आयकर अधिनियम (मई 2021) की धारा 148 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

6.1.2.2 समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं से फर्जी खरीद पर किए गए संवर्धन में विसंगतियां

अधिनियम की धारा 69सी में प्रावधान है कि जहां एक निर्धारिती कोई व्यय करता है, लेकिन ऐसे व्यय के स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में संतोषजनक नहीं है, ऐसे व्यय की राशि को निर्धारिती की आय माना जा सकता है। इस प्रकार, एक बार यह स्थापित हो जाने पर कि व्यय अस्पष्ट/जाली था, तो जाली व्यय की पूरी राशि में वृद्धि की जाना चाहिए। धारा 69सी में आंशिक अस्वीकृति की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा, धारा 37(1) के प्रावधानों के अनुसार, केवल कारोबार के प्रयोजनों के लिए किए गए व्यय को "कारोबार या पेशे के लाभ और प्राप्ति" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की गणना में अनुमति दी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पांच राज्यों¹¹⁷ में 178 मामलों के अभिलेखों¹¹⁸ की जांच की जहां लाभार्थियों ने कुल ₹ 2,477.73 करोड़ के जाली चालान प्राप्त किए थे। लेखापरीक्षा

¹¹⁶ एसआर, नि.व. 2013-14, प्रधान आयकर आयुक्त 19, मुंबई।

¹¹⁷ महाराष्ट्र (172); ओडिशा (1); पश्चिम बंगाल (2); तमिलनाडु (1) और बिहार (2)

¹¹⁸ 178 मामलों में धारा 143(1) के तहत संसाधित 4 मामले, अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारित 22 मामले और अधिनियम की अन्य धाराओं (144, 147, 154, 250, 254 और 263) के तहत निर्धारण किए गए 121 मामले शामिल थे।

ने पाया कि निर्धारण पूर्ण करते समय, निर्धारण अधिकारी ने या तो अपने स्वयं के अनुमान के आधार पर या जांच इकाइयों से इस आशय की सूचना प्राप्त होने के बाद विवेकाधिकार के आधार पर जाली खरीद की प्रविष्टियों के कारण आंशिक अस्वीकृति की थी। इस प्रकार, जाली प्रविष्टियों और खरीद के लिए किए गए संवर्धन में निर्धारणों में कोई एकरूपता या निरंतरता नहीं थी, बावजूद इसके संवर्धन के समान आधार थे और कुछ मामलों में, यहां तक कि निर्धारण प्रभार भी समान थे। अस्वीकृति भिन्नता का प्रतिशत 3 से 100 प्रतिशत के बीच था। धारा 145(3) के तहत अस्वीकृति की पद्धति में तदर्थ प्रतिशत, सकल लाभ मार्जिन का संवर्धन, लेखाबहियों का अस्वीकरण और विभिन्न न्यायालयों द्वारा न्यायिक निर्णयों में लिए गए विचारों के आधार शामिल थे। कई मामलों में, निर्धारण अधिकारी ने की गई अस्वीकृति के समर्थन में आयकर अधिनियम [धारा 37, 68, 69 या 145(3)] की धारा को दर्ज नहीं किया। आयकर अधिनियम के विशिष्ट प्रावधान को दर्ज न करने, जिसके तहत जाली खरीद का पुनः संवर्धन करते समय निर्धारण आदेश में अस्वीकृति की जाती है, तथा अपीलीय स्तर पर संवर्धन गैर-स्थायित्व के अंतर्निहित जोखिम के साथ अस्वीकार करने के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा अपनाए गए अपर्याप्त, व्यक्तिपरक और मनमाना आधार का संकेत है। ऐसे पांच मामले जहां समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं से की गई जाली खरीद के संबंध में की गई विसंगतियों को नीचे दर्शाया गया है:

बॉक्स 6.3: समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं से जाली खरीद पर किए गए संवर्धन में विसंगतियों के उदाहरण

(क) प्रभार: पीसीआईटी-5, मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स एसआई प्रा. लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2013-14 और 2014-15

निर्धारिती मैसर्स एस आई प्रा. लिमिटेड, के मामले में निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2014-15 के मामलों को निर्धारिती द्वारा ली गई समायोजन प्रविष्टि से संबंधित मामले की जांच करने के लिए विभाग द्वारा जांच के लिए चुना गया था। लौटाई गई आय, निर्धारित आय और आदेश की तिथियों का विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

निर्धारण वर्ष	रिटर्न आय (₹ करोड़ में)	निर्धारित आय (₹ करोड़ में)	आदेश की तिथि	आदेश की धारा
2009-10	(-)0.53	38.21	30/11/2018	143(3)/ 263
2010-11	15.52	104.47	30/11/2018	143(3)/ 263
2012-13	20.84	248.26	30/11/2018	143(3)/ 263
2013-14	16.72	24.03	28/12/2016	143(3)
2014-15	16.90	17.33	28/12/2016	143(3)

लेखापरीक्षा ने निर्धारण अभिलेखों से पाया कि निर्धारण अधिकारी ने इन मामलों में निर्धारिती द्वारा ली गई समायोजन प्रविष्टि के प्रति संवर्धन किया जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

नि.वर्ष	निर्धारिती द्वारा ली गई कुल समायोजन प्रविष्टि (₹ करोड़ में)	निर्धारण अधिकारी द्वारा संवर्धित राशि (₹ करोड़ में)	संवर्धन के लिए अपनाया गया प्रतिशत	संवर्धन के लिए आधार
2009-10	37.62	37.62	100	धारा 69सी के तहत अस्पष्टीकृत व्यय
2010-11	86.36	86.36	100	धारा 69सी के तहत अस्पष्टीकृत व्यय
2012-13	220.80	220.80	100	धारा 69सी के तहत अस्पष्टीकृत व्यय
2013-14	134.59	7.31	5.43	सकल लाभ
2014-15	6.23	0.44	6.98	सकल लाभ

लेखापरीक्षा ने निर्धारण अभिलेखों से पाया कि नि.वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2012-13 के लिए संवीक्षा निर्धारण मार्च 2016 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत विभाग द्वारा पूर्ण किए गए हैं और समायोजन प्रविष्टि के प्रति संवर्धन निर्धारिती द्वारा घोषित सकल लाभ मार्जिन के आधार पर किए गए थे। परिणामस्वरूप, इन आदेशों की सीआईटी-5, मुंबई द्वारा समीक्षा की गई और उन्होंने माना कि इन निर्धारणों के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश राजस्व के हित के लिए गलत और प्रतिकूल थे। इसके अलावा, सीआईटी-5, मुंबई ने निर्धारण अधिकारी को धारा 263 (मार्च 2018) के तहत पारित आदेशों के तहत नए सिरे से पूछताछ करने और फिर तदनुसार नए सिरे से निर्धारण करने का निर्देश दिया। इन निर्देशों के अनुसरण में, निर्धारण अधिकारी ने नवीनतम पूछताछ की और निर्धारण आदेशों में निष्कर्ष निकाला कि जिन पार्टियों से खरीद की गई थी वे केवल प्रविष्टि प्रदाता थे और निर्धारिती द्वारा इन प्रविष्टि प्रदाताओं से की गई खरीदारी वास्तविक नहीं थी। परिणामस्वरूप, निर्धारण अधिकारी ने

धारा 69सी के तहत प्रविष्टि प्रदाताओं द्वारा दिखाई गई खरीद की 100 प्रतिशत राशि का संवर्धन किया और तदनुसार मांग की।

तथापि, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2013-14 और 2014-15 के मामले को फिर से नहीं खोला, हालांकि इनमें समायोजन प्रविष्टि के समान मुद्दे शामिल थे। लेखापरीक्षा ने आगे प्रविष्टि प्रदाताओं की सूची से देखा कि सभी पार्टियां बीजे समूह से संबंधित थीं, जिनसे निर्धारिती ने सभी निर्धारण वर्ष 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में समायोजन प्रविष्टियां ली थीं। यद्यपि इन निर्धारणों के लिए निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण एक ही निर्धारण प्रभार (सर्कल 5(3)(1), मुंबई) में पूरा किया गया था, निर्धारिती द्वारा ली गई समायोजन प्रविष्टि की राशि के प्रति संवर्धन करने में असंगति थी। तीन नि.व. (2009-10, 2010-11 और 2012-13) में समायोजन प्रविष्टि की 100 प्रतिशत राशि के मामले को फिर से खोलकर अस्पष्टीकृत व्यय के रूप में संवर्धन किया गया था; जबकि, दो निर्धारण वर्ष (2013-14 और 2014-15) में राशि का केवल मार्जिन (5.43, 6.98) प्रतिशत संवर्धित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा एक ही निर्धारण प्रभार के भीतर और एक ही निर्धारिती के संबंध में समायोजन प्रविष्टियों वाले मामलों में संवर्धन करते समय असंगत रुख अपनाया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि समायोजन प्रविष्टि/जाली खरीद के लिए संवर्धन करते समय निर्धारण अधिकारी द्वारा विशिष्ट प्रतिशत को अपनाने के लिए कोई दिशानिर्देश निर्धारित नहीं है। इसके कारण, समायोजन प्रविष्टि के संबंध में निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए संवर्धन में एकरूपता या निरंतरता नहीं है।

विभाग को नवंबर 2020 में इन अभ्युक्तियों को इंगित किया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

योजना चरण के दौरान, लेखापरीक्षा ने विभाग को एक प्रश्नावली (मार्च 2019 और फरवरी 2020) जारी की थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या जाली खरीद के संबंध में कोई अध्ययन किया गया था और जाली खरीद का पुनः संवर्धन करते समय क्या निर्धारण अधिकारी द्वारा कुछ प्रतिशत को अपनाने के लिए इस तरह के अध्ययन के आधार पर मानक दिशानिर्देश जारी किए गए थे। विभाग ने उत्तर दिया (मई 2019) कि इस संबंध में न तो कोई अध्ययन किया गया और न ही मानक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

लेखापरीक्षा ने 2017 की सीएंडएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 2 में "मुखौटा कंपनियों /हवाला ऑपरेटर्स द्वारा नकली बिक्री/खरीद" से संबंधित मामले को उजागर किया था। यद्यपि मंत्रालय ने ऐसे निदर्शी मामलों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की है, फिर भी भविष्य में ऐसी चूकों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाना अभी बाकी है। हालांकि, निर्धारण में एकरूपता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए और निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यक्तिपरक और मनमाने आधार पर आय को अस्वीकार करने और पुनः संवर्धन करने के दौरान विसंगतियों के उदाहरणों से बचने के लिए इस संबंध में कोई मानक दिशानिर्देश/निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं के मामलों की बढ़ती संख्या का पता लगाने और ऐसे मामलों में संवर्धन करते समय निर्धारण अधिकारी के असंगत रुख को देखते हुए जाली प्रविष्टियों वाले मामलों के निर्धारण के लिए एक मानक संचालन दिशानिर्देश आवश्यक है।

इसके अलावा, जो व्यक्ति अपराधियों के साथ व्यवसाय या पेशे के रूप में समायोजन प्रविष्टियां प्रदान करते हैं, उन पर आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जाना चाहिए ताकि ऐसी अवैध गतिविधियों और जानबूझकर कर अपवंचन के खिलाफ रोकथाम सुनिश्चित की जा सके।

6.1.3 निर्धारण अधिकारियों के बीच असुरक्षित ऋण से संबंधित जानकारी का साझाकरण

उचित समय पर सुधारात्मक कार्रवाई और गुणवत्ता निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए निर्धारण प्रभारों के बीच महत्वपूर्ण जानकारी का सामयिक तौर पर साझा करना महत्वपूर्ण है। निर्धारण अधिकारी संवीक्षा निर्धारण के दौरान देखे गए तीसरे पक्ष से संबंधित और अन्य क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (जेएओ) के साथ और इसके विपरीत उस व्यक्ति के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण मानी गई जानकारी साझा कर सकते हैं।

पहचाने गए निर्धारण मामलों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर विभाग आमतौर पर ऋण पुष्टि, बैंक विवरण, आईटीआर, बैलेंस शीट और कुछ मामलों में लाभ और हानि लेखा की मांग करके वर्ष के दौरान लिए गए असुरक्षित ऋण की पहचान, वास्तविकता और साख की पुष्टि करता है। यदि इन दस्तावेजों को निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य बातों के साथ-साथ देनदारों या

बैंकों से जानकारी मांगने के लिए अधिनियम की धारा 133 (6) के तहत शक्तियों का प्रयोग करके निर्धारण अधिकारी द्वारा आवश्यक तथ्य एकत्र किए जाते हैं।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा को ऐसा कोई मामला नहीं मिला जहां निर्धारण अधिकारी ने निधियों के स्रोतों के सत्यापन के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारियों के साथ असुरक्षित ऋण प्रदान करने वाले सत्त्वों के बारे में जानकारी साझा की हो। इसके अलावा, कई न्यायिक निर्णय हैं जो स्पष्ट करते हैं कि निर्धारण अधिकारी देनदारों के स्रोत को सत्यापित नहीं कर सकता है, यानी ऐसे स्रोत जहां से लेनदारों ने राशि का संचयन किया है, जिसे उन्होंने ऋण के रूप में अग्रिम निर्धारिती को दिया है।

लेखापरीक्षा ने आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा के माध्यम से पता लगाया कि एक क्षेत्राधिकार के सीसीआईटी/सीआईटी/डीसीआईटी/ निर्धारण अधिकारी के पास केवल अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित डेटा तक सीमित पहुंच है और किसी अन्य क्षेत्राधिकार के डेटा तक पहुंच नहीं है। हालांकि, वे देनदारों के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी से जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं। यह सूचित किया गया था कि वे आमतौर पर सत्यापन के लिए देनदारों के क्षेत्राधिकार वाले निर्धारण अधिकारी को संदर्भित नहीं करते हैं क्योंकि अधिनियम के वर्तमान प्रावधान जेएओ को निर्धारिती को नोटिस जारी करके या उनके पत्रों के आधार पर मामले को पुनः खोलने की अनुमति नहीं देते हैं।

6.2 आयकर विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 131(1) के अनुसार, निर्धारण अधिकारी के पास, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत किसी न्यायालय में निहित हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, "लेखाबहियों और अन्य दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के लिए बाध्य करना" शामिल है। इसके अलावा, सीबीडीटी द्वारा निर्धारित कार्यालय प्रक्रिया का आयकर विभाग मैनुअल आयकर विभाग को अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों जैसे प्रवर्तन निदेशालय, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, बिक्री कर और व्यापार कर विभागों, राज्य उत्पाद शुल्क विभागों के साथ संपर्क करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है जो जिला प्रशासन, आर्थिक अपराधों से निपटने वाली सरकारी एजेंसियां और पुलिस प्राधिकरण आयकर अधिकारियों को मौजूदा और संभावित दोनों तरह के निर्धारितियों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण पूरा करते समय निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्य विभागों के पास उपलब्ध निर्धारिती की

जानकारी का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया था, जिसमें राजस्व की हानि की गुंजाइश बची हुई थी।

लेखापरीक्षा ने बाहरी विभागों के साथ आयकर विभाग के समन्वय तंत्र को सत्यापित करने का प्रयास किया, जिसके लिए (फरवरी 2020 से जुलाई 2020, अक्टूबर 2020 के बीच) फर्जी जीएसटी की सूचना लाभार्थियों द्वारा प्राप्त और विभाग द्वारा पता लगाई गई जाली खरीद और 2012-13 से 2018-19 की अवधि के दौरान अधिक चालान/कम चालान में शामिल आयातकों/निर्यातकों के विवरण के बारे में संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् सीमा शुल्क कमिश्नरी, अपर महानिदेशक का कार्यालय, राजस्व आसूचना निदेशालय, प्रधान मुख्य कमिश्नर का कार्यालय, केंद्रीय जीएसटी और राज्य कर कमिश्नर (राज्य जीएसटी) से जानकारी मांगी गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा मांगी गई जानकारी अभी तक इन कार्यालयों से प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2021)। लेखापरीक्षा विवरण प्रस्तुत न किए जाने के कारण आयकर के परिप्रेक्ष्य से आयात के अधिक चालान और निर्यात के कम चालान के प्रभाव की जांच नहीं कर सकी। तथापि, नमूना मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए गैर-समन्वय से संबंधित मामलों पर नीचे चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा में महाराष्ट्र में दो मामलों में आयकर विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के उदाहरण देखे। मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

बॉक्स 6.4: आयकर विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच गैर-समन्वय के उदाहरण

(क) प्रभार: प्रधान सीआईटी-4, मुंबई
निर्धारिती: मैसर्स आरयु प्रा. लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2015-2016

निर्धारिती, एक कंपनी ने फरवरी 2017 में नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 9.94 करोड़ की हानि पर आय की रिटर्न फाईल की और दिसंबर 2017 में धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था, जिसमें रिटर्न में दर्शाई गई आय को स्वीकार किया गया था और नि.व. 2015-16 के लिए शून्य मांग थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लाभ और हानि खाता के अनुसार, निर्धारिती कंपनी का कुल कारोबार ₹ 286.63 करोड़ था। निर्धारिती सोने के आभूषणों और अन्य समान वस्तुओं के निर्माण के कारोबार में लगा हुआ था। इस मामले को चालू वर्ष के अथ स्टॉक और पिछले वर्ष के अंत स्टॉक और बैलेंस शीट में कुल परिसंपत्तियों की

तुलना में वर्तमान देनदारियों में महत्वपूर्ण अंतर के कारण सीमित संवीक्षा के लिए चुना गया था।

लेखापरीक्षा ने वित्तीय विवरण की अभ्युक्तियों से पाया कि जनवरी 2016 में निर्धारिती के कार्यालय परिसर में वैट प्राधिकारियों द्वारा सर्च की गई थी। तलाशी कार्यवाही के दौरान, वैट प्राधिकारियों ने लेखाबहियों और भौतिक स्टॉक के अनुसार ₹ 65.64 करोड़ की राशि के स्टॉक में अंतर पाया था। इसके अलावा, निर्धारिती ने नि.वर्ष 2014-15 में ₹ 286.63 करोड़ की कुल बिक्री और ₹ 39.25 करोड़ का अंत स्टॉक दिखाया था, जो नि.वर्ष 2015-16 से संबंधित था। वैट प्राधिकारियों द्वारा पाए गए स्टॉक का अंतर नि. वर्ष 2014-15 से भी संबंधित हो सकता है। हालांकि, न तो वैट प्राधिकारियों ने स्वयं आयकर विभाग को प्रासंगिक डेटा दिया और न ही आयकर विभाग ने वैट प्राधिकारियों से जानकारी मांगी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

(बी) प्रभार: प्रधान सीआईटी-6, मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स एसए प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वतः मैसर्स एवी प्राइवेट लिमिटेड)

निर्धारण वर्ष: 2015-2016

निर्धारिती, एक कंपनी, ने सितंबर 2015 में शून्य आय पर नि.व. 2015-16 के लिए आय की रिटर्न फाईल की और संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2017 में पूरा किया गया था, जिसमें रिटर्न में दर्शाई गई आय को स्वीकार किया गया था। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लाभ और हानि खाते के अनुसार, निर्धारिती कंपनी का कुल टर्नओवर ₹ 8.77 करोड़ था। इस मामले को सीएएसएस में पूर्ण संवीक्षा के लिए चुना गया था ताकि लेखापरीक्षा रिपोर्ट और आईटीआर में रिपोर्ट की गई धारा 40ए(2)(बी) के तहत ब्याज से पहले कम लाभ और कर और संबंधित व्यक्तियों को भुगतान की गई राशि में बेमेलता की जांच की जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि निर्धारिती ने बिक्री कर रिटर्न के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 10.81 करोड़ का बिक्री टर्नओवर दर्ज किया था, जबकि सकल बिक्री संचालन से आय के रूप में लाभ और हानि विवरण में केवल ₹ 8.60 करोड़ की राशि दिखाई गई थी। यह भी पाया गया कि निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का निवल बिक्री मूल्य वित्त वर्ष 2014-15 के लिए एसटी-3 रिटर्न के अनुसार ₹ 70.57 लाख था, जबकि लाभ और हानि खाते के अनुसार सेवाओं की बिक्री को ₹ 17.25 लाख के रूप में दिखाया गया था। इसलिए, बिक्री को प्रत्यक्ष तौर पर लाभ और हानि खाते में ₹ 2.74 करोड़ तक कम कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप समान राशि से आय का निर्धारण कम हो गया था और

परिणामस्वरूप ₹ 93.30 लाख का कम कर लगाया गया था। लेखापरीक्षा का विचार है कि विभाग को निर्धारिती से मिलान की मांग करनी चाहिए थी या बिक्री कर/सेवा कर विभाग [अब माल और सेवा कर विभाग] के साथ इसे क्रॉस चेक किया जाना चाहिए था। मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2022) में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि 21 जून 2021 को अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी कर उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

लेखापरीक्षा ने इन उदाहरणों में निर्धारण अधिकारियों के पास उपलब्ध अभिलेखों में आयकर विभाग और अन्य विभागों के बीच समन्वय और सूचना के साझाकरण की कमी को पाया।

लेखापरीक्षा ने प्रवर्तन निदेशालय और राजस्व विभाग (सितंबर 2021) के बीच रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए मौजूदा पद्धति और प्रणाली का विवरण मांगा (सितंबर 2021)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2021) कि ईडी, एक प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी है जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973; विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999; धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 आदि जैसे कानूनों के तहत प्रावधानों को लागू करने के लिए अनिवार्य है, जिसने जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए जांच के लिए धन शोधन (एमएल) के संभावित मामलों की पहचान करने के लिए अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र तैयार किया है। इसमें आगे बताया गया है कि ईडी के अनुरोध पर, सीबीडीटी ने आयकर विभाग और ईडी के बीच सूचना के आदान-प्रदान के लिए कमिश्नर (जांच), सीबीडीटी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है। इसी तरह, प्रवर्तन के विशेष निदेशक (एचओ) को ईडी और आयकर विभाग के बीच सूचना के आदान-प्रदान के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

लेखापरीक्षा क्षेत्र स्तर पर स्थानीय न्यायिक निर्धारण अधिकारी के साथ केंद्रीय स्तर पर अन्य सरकारी एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं की प्रभावशीलता और समय पर साझाकरण की जाँच नहीं कर सकी।

6.4 आयकर विभाग द्वारा पर्याप्त मॉनीटरिंग की आवश्यकता वाले मामले

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मुद्दों को पाया जो रत्न और आभूषण क्षेत्र के संबंध में आयकर विभाग में कमजोर मॉनीटरिंग तंत्र को दर्शाते हैं:

i) **रत्न और आभूषण क्षेत्र की वस्तुओं का प्रवृत्ति विश्लेषण:** अनगढ़ हीरे के घरेलू उत्पादन, आयात और निर्यात की प्रवृत्ति विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों में भारत में आयातित अनगढ़ हीरे की मात्रा वैश्विक स्तर पर खनन किए गए अनगढ़ हीरे की मात्रा से अधिक थी। इसके अलावा, अनगढ़ हीरे के आयात और निर्यात का अधिकांश हिस्सा तीन देशों अर्थात् संयुक्त अरब अमीरात, बेल्जियम और हांगकांग को किया गया था, जिनका वैश्विक हीरे के खनन में योगदान नगण्य था। लेखापरीक्षा ने मोतियों के आयात और निर्यात का भी विश्लेषण किया और भारत में मोतियों के आयात में असामान्य प्रवृत्ति और मोतियों के समग्र वैश्विक उत्पादन की तुलना में देश के भीतर इसकी खपत को पाया। इस प्रकार, उपरोक्त विसंगतियों में आयकर विभाग द्वारा आगे की जांच की आवश्यकता है। रत्न और आभूषण क्षेत्र की वस्तुओं में असामान्य प्रवृत्ति को इस रिपोर्ट के पैरा 2.2.1, 2.2.2 और 2.2.3 में विस्तार से बताया गया है।

ii) **गलत कारोबार कोड को फाईल करना:** लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से पता चलता है कि आईटीआर में निर्धारितियों द्वारा फाईल किए गए कारोबार कोड की स्टीकता या तो फाइलिंग चरण में या निर्धारण कार्यवाही के दौरान सत्यापित नहीं की जाती है। इस संबंध में गैर-सत्यापन के परिणामस्वरूप निर्धारिती नियामकों और जांच एजेंसियों द्वारा मॉनिटरिंग से बचने के लिए जानबूझकर गलत कारोबार कोड फाईल कर सकता है। रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारणकर्ताओं द्वारा भरे जा रहे कोडों का सत्यापन न किए जाने के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर इस रिपोर्ट के पैरा 5.1 में विस्तार से चर्चा की गई है।

iii) **भारत में निर्यात आय लाने के लिए समय सीमा का अभाव:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि धारा 10ए के तहत कटौती का दावा करने के लिए देश में निर्यात आय लाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा, एक बार धारा 10ए के तहत कटौती की अनुमति दे दी गई तो, आयकर विभाग के पास निर्यात आय की अनुवर्ती उगाही/गैर-उगाही की मॉनीटरिंग करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। परिणामस्वरूप, आयकर विभाग के लिए यह संभव नहीं हो सकता है कि वह देश में विदेशी मुद्रा को वास्तव में लाए बिना निर्धारितियों द्वारा दावा की गई कुल कर रियायतों के परिमाण का विश्वसनीय अनुमान लगाए। इस संबंध में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर इस रिपोर्ट के पैरा 3.1 में चर्चा की गई है।

iv) **स्टॉक के मूल्यांकन से संबंधित मामले:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्टॉक का मूल्यांकन संवीक्षा निर्धारण के दौरान विस्तृत सत्यापन या जांच के अधीन नहीं था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या मूल्यांकन तंत्र संवीक्षा

निर्धारण के दौरान माल-सूची के मात्रात्मक प्रकटीकरण की विस्तृत जांच के लिए अंतर्निहित था या नहीं। इस मुद्दे को इस रिपोर्ट के अध्याय 3, 4 और 5 में दर्शाया गया है।

v) **प्रकटीकरण और संदिग्ध कारोबारी गतिविधियों से संबंधित मामले:** निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, हमने आईटीआर और टीएआर में मात्रात्मक विवरणों के गैर-प्रकटीकरण / गलत प्रकटीकरण, अंत स्टॉक को अग्रेनीत करने में गलतियों, स्टॉक की कमी आदि से संबंधित मामलों को पाया। लेखापरीक्षा ने उन उदाहरणों को भी पाया जहां निर्धारितियों ने भारी टर्नओवर के प्रति बहुत ही मामूली कारोबारी व्यय (किराया, बिजली और ईंधन, आदि) का दावा किया था। इसके अलावा, कुछ मामलों में निर्धारितियों ने अतिरिक्त उत्पादन की घोषणा की थी और बाजार दर से बहुत कम पर माल की बिक्री/खरीद दिखाई थी। तथापि, संवीक्षा मूल्यांकन के दौरान इन मामलों की जांच नहीं की गई थी। इस संबंध में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर इस रिपोर्ट के पैरा 4.2, 5.4, 5.6, 5.8.1 में विधिवत चर्चा की गई है।

vi) **दिशानिर्देशों / एसओपी / निर्देशों की कमी:** लेखापरीक्षा ने देखा कि सीबीडीटी ने रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए विशिष्ट निर्धारितियों के निर्धारण को पूरा करने के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) या निर्देश/दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं। इसके अलावा, आयकर विभाग की जांच शाखा ने इस क्षेत्र में प्रचलित जाली खरीद/समायोजन प्रविष्टियों के कई मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया था; तथापि, जाली खरीद/समायोजन प्रविष्टियों के प्रति किए गए संवर्धन के संबंध में निरंतरता बनाए रखने के लिए कोई एसओपी/दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

vii) **विशेष लेखापरीक्षा:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर विभाग अधिनियम की धारा 142(2ए) के तहत विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए निहित शक्तियों का उपयोग नहीं कर रहा है, यहां तक कि उन मामलों में भी नहीं कर रहा जहां संदिग्ध कारोबारी गतिविधियों और संव्यवहार की भारी मात्रा में देखा गया था।

ऊपर उल्लिखित सभी मामलों से संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र को उचित महत्व देने की आवश्यकता है; और आयकर विभाग को धन शोधन, राउंड ट्रिपिंग, गलत चालान, काले धन के उत्पादन और उपभोग की क्षमता के उच्च जोखिमों को देखते हुए रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारण के संबंध में प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने और अपने मॉनीटरिंग तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है, जिसे भारत सरकार और एफएटीएफ की विभिन्न समितियों द्वारा भी उजागर किया गया है।

6.5 निष्कर्ष

आयकर विभाग (आईटीडी) के भीतर जानकारी साझाकरण निर्धारण के साथ-साथ गैर-निर्धारण इकाइयों द्वारा प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया था, जिससे संवीक्षा निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित हुई और राजस्व हानि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जो विभाग के भीतर समन्वय की कमी को दर्शाती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग के पास समायोजन प्रविष्टियों/जाली खरीदों की अस्वीकृति के लिए किसी भी दिशा-निर्देशों/एसओपी के अभाव में जाली प्रविष्टियों/खरीदों से संबंधित समान रूप से रखे गए मामलों में अस्वीकृति देने में सुसंगतताओं की कमी थी। संवर्धन, एक मनमाने ढंग से या विवेकाधीन तरीके से किए गए थे और अपीलीय चरण में संवर्धन की गैर-स्थिरता के एक अंतर्निहित जोखिम के साथ निर्धारण आदेश में उचित औचित्य दर्ज किए बिना किए गए थे।

लेखापरीक्षा के दौरान मांगी गई सूचना प्रस्तुत न किए जाने के कारण लेखापरीक्षा आयकर विभाग और अन्य विभागों के बीच मौजूद समन्वय की सीमा का पता नहीं लगा सका। लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि रत्न और आभूषण व्यवसाय में लगी संस्थाओं से संबंधित संव्यवहार की विसंगतियों या अनियमितताओं का पता लगाने के लिए बाहरी एजेंसियों के साथ जानकारी साझा की गई थी या नहीं।

लेखापरीक्षा में रत्न और आभूषण क्षेत्र के संबंध में आयकर विभाग में कमजोर मॉनिटरिंग तंत्र के संकेत वाले मामलों को पाया। इन क्षेत्रों में रत्न और आभूषण क्षेत्र की वस्तुओं के निर्यात और आयात में असामान्य प्रवृत्ति, फाइलिंग चरण में या मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान आईटीआर में निर्धारितियों द्वारा दर्ज किए गए कारोबार कोड की सटीकता का सत्यापन न करना, धारा 10ए के तहत कटौती का दावा करने के लिए भारत में निर्यात आय लाने के लिए समय सीमा की अनुपस्थिति, जांच मूल्यांकन के दौरान आईटीआर और टीएआर में इन्वेंट्री के मात्रात्मक प्रकटीकरण का सत्यापन न करना और एसओपी या रत्न और आभूषण क्षेत्र के विशिष्ट निर्धारितियों के निर्धारण के लिए निर्देशों / दिशानिर्देशों की कमी शामिल है। इन क्षेत्रों में सख्त मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है क्योंकि रत्न और आभूषण क्षेत्र में धन शोधन, राउंड ट्रिपिंग, गलत बीजक, और संव्यवहार और दावों की आड़ में काले धन के रूटिंग के जोखिम का महत्वपूर्ण जोखिम शामिल है। लेखापरीक्षा में पाया गया है कि इन मुद्दों पर दिशानिर्देशों/एसओपी और

जोखिमों को दूर करने के लिए इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट अनुदेशों के अभाव में आईटीडी द्वारा जांच से बचना चाहिए, जिसे विभिन्न सरकारी समितियों और एफएटीएफ द्वारा समय-समय पर उजागर भी किया जाता है। इसके अलावा, इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट जोखिमों को दूर करने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण की अनुपस्थिति क्षेत्र स्तर पर सत्यापन और मॉनिटरिंग तंत्र की कमी के कारण जटिल हो जाती है।

6.6 सिफारिशों का सार

क) आयकर विभाग को आयकर विभाग के भीतर विभिन्न इकाइयों के बीच सामयिक जानकारी साझा करने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए ताकि रत्न और आभूषण क्षेत्र में खरीद, बिक्री, देनदारों, लेनदारों, असुरक्षित ऋणों और संबंधित पार्टी संव्यवहार आदि पर जाली बीजकों, जाली खरीद और समायोजन प्रविष्टियों के बारे में जानकारी साझा न किए जाने/उनका उपयोग न किए जाने के कारण कर अपवंचन के जोखिम को ध्यान में रखते हुए अन्य इनपुट के सत्यापन की सुविधा प्रदान की जा सके।

(पैरा 6.1.1)

सीबीडीटी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2022) कि मौजूदा प्रथाओं/ तंत्रों में विभाग के भीतर और साथ ही अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करने का प्रावधान है। किसी विशेष मामले के पहचाने गए सीएसएसएस परिदृश्य से संबंधित उपलब्ध जानकारी इनसाइट पोर्टल के प्रोफाइल दृष्टिकोण के माध्यम से क्षेत्रीय उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

सीबीडीटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में पाया गया है कि सूचनाओं का आदान-प्रदान क्षेत्र स्तर पर नहीं किया जा रहा है। सीबीडीटी सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने, क्षेत्राधिकार वाले निर्धारण अधिकारी को समय पर आदानों का रेफरल सुनिश्चित करने और जाली बीजकों, फर्जी खरीद और समायोजन प्रविष्टियों पर सूचना के गैर-साझाकरण/गैर-उपयोग के कारण कर अपवंचन के जोखिम को कम करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर निर्धारण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जमीनी स्तर पर आदानों के उपयोग की सख्त मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की समीक्षा को और सुदृढ़ कर सकता है।

ख) सीबीडीटी निर्धारिती (ओं) द्वारा की गई समायोजन प्रविष्टि, यदि कोई हो, से संबंधित मामले की जांच के दौरान उपयोग के लिए काउंटर पार्टियों के निर्धारण

अधिकारियों के साथ रत्न और आभूषण क्षेत्र में समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं की सूची साझा करने सहित इनपुट की अंतर-क्षेत्राधिकार साझाकरण के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत कर सकता है। इसके अलावा, न्यायालय में स्थायी परिवर्धन के लिए अपनाए गए आधार में निरंतरता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड समायोजन प्रविष्टि के मामलों के संबंध में संवर्धन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश निर्धारित कर सकता है।

(पैरा 6.1.2)

सीबीडीटी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2022) कि आयकर विभाग निर्धारण अधिकारियों या क्षेत्राधिकारों में किसी भी जानकारी के व्यापक साझाकरण पर विचार नहीं करता है। विभाग ने लगातार केवल उन लोगों को संवेदनशील जानकारी की सीमित पहुंच प्रदान करने की नीति का पालन किया है, जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है या वास्तव में इसका उपयोग करना पड़ सकता है। यह सराहना की जानी चाहिए कि विभाग प्रत्ययी क्षमता में कोई भी जानकारी रखता है और यह पूरे भारत में निर्धारण अधिकारियों/ अधिकारियों के बीच इस तरह की संवेदनशील जानकारी का प्रसार करने के लिए इसे प्रभावित नहीं कर सकता है, विशेषकर जब इसकी प्रासंगिकता किसी विशेष क्षेत्र (ओं) या क्षेत्र (ओं) आदि में कुछ निर्धारण अधिकारियों तक सीमित है। जैसा कि यह हो सकता है, यह स्पष्ट करना प्रासंगिक है कि 01.04.2021 से, विधायिका ने पुनर्निर्धारण कार्यवाही शुरू करने के तरीके और कार्यवाही को पुनः खोलने के लिए समय सीमा में संशोधन किए हैं। जबकि समय सीमा को केवल तीन पिछले निर्धारण वर्षों तक कम कर दिया गया है, किसी भी कारण से पुनर्निर्धारण के लिए एक मामले के चयन की प्रक्रिया (समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं के लाभार्थियों के मामलों सहित) अब एक जोखिम प्रबंधन रणनीति के अधीन है। इस प्रकार, अब एक मामले का चयन एक उपयुक्त समय बिंदु पर तैयार की गई जोखिम प्रोफाइलिंग रणनीति पर निर्भर करता है।

सीबीडीटी ने अपने उत्तर में आगे बताया है कि दिशानिर्देशों को तैयार करने के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सुझाव को नोट कर लिया गया है और जांच के अधीन है।

लेखापरीक्षा ने आयकर विभाग के भीतर इनपुट को साझा न करने के कारण जाली दावों के गैर संवर्धन और संवर्धन के समान आधार होने के बावजूद समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं से जाली खरीद पर किए गए संवर्धन में विसंगतियों के उदाहरणों को पाया जैसा कि इस रिपोर्ट के पैरा 6.1.2 में बताए गए हैं। लेखापरीक्षा का विचार है कि निर्धारण की गुणवत्ता में सुधार लाने और कर अपवंचन को रोकने के लिए

इस तरह की सूचनाओं को समय पर संबंधित निर्धारण अधिकारियों के साथ साझा किया जा सकता है। सीबीडीटी निर्धारण में निरंतरता और एकरूपता सुनिश्चित करने और नकली संव्यवहार और कर अपवंचन की अनुमति के जोखिम को समाप्त करने और शास्ति की कार्यवाही शुरू न करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।

ग) आयकर विभाग को एक ऑनलाइन सिस्टम डिजाइन करना चाहिए जहां एक निर्धारण अधिकारी जो आवश्यक जानकारी साझा करना या प्राप्त करना चाहता है, उसे व्यक्तियों (पैन के साथ) के सत्यापन के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को दिया जा सकता है।

(पैरा 6.1.3)

सीबीडीटी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2022) कि फेसलेस निर्धारण योजना के तहत, सत्यापन, यदि निर्धारण इकाई द्वारा आवश्यक हो, तो सत्यापन इकाई द्वारा किया जाना है, न कि क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारियों द्वारा। आयकर करोबार अनुप्रयोग (आईटीबीए) में पहले से ही एक कार्यात्मकता मौजूद है, जिस पर निर्धारण कार्यवाहियां सत्यापन इकाई को सत्यापन करने के लिए निर्धारण अधिकारियों को अनुरोध भेजने के लिए एक फेसलेस तरीके से की जा रही है। फेसलेस निर्धारण योजना के बाहर के मामलों के निर्धारण के लिए (जैसे केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कराधान प्रभारों द्वारा किए गए निर्धारण), निर्धारण प्रक्रियाएं क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी द्वारा ही की जाती हैं और सिफारिश उस मामले में लागू नहीं होगी। आयकर विभाग उपयोगकर्ताओं के पास जहां भी उचित समझा जाता है, जानकारी को फ्लैग/ साझा करने के लिए आईटीबीए/इनसाइट पोर्टल के तहत विभिन्न कार्यात्मकताओं के साथ-साथ वेबमेल सुविधा के साथ ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध है।

सत्यापन करने के लिए आईटीबीए में कार्यात्मकता होने के संबंध में सीबीडीटी के उत्तर को नोट किया गया है। तथापि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि यद्यपि सत्यापन की शक्तियां प्री-फेसलेस निर्धारण व्यवस्था में निर्धारण अधिकारियों के पास मौजूद थीं, लेकिन लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या निर्धारण आदेश में सत्यापन के विवरणों के साक्ष्य प्रमाण का अभाव/ गैर-अभिलेखित के कारण ऐसा किया जा रहा था। इसके अलावा, फेसलेस निर्धारण व्यवस्था की परिधि में न आने की स्थिति में भी, आयकर विभाग के भीतर इनपुट को समय पर साझा करने के माध्यम से सूचना के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विवरण के अंतर-क्षेत्राधिकार साझाकरण की सुविधा दी जा सकती है। लेखापरीक्षा को इसके सत्यापन के लिए आईटीबीए प्रणाली तक पहुंच प्रदान की जा सकती है।

घ) डीओआर को सूचना के अंतर-विभागीय साझाकरण के लिए सख्त मॉनिटरिंग तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए ताकि प्रमुख आयातकों, निर्यातकों और घरेलू विक्रेताओं की पहचान की जा सके और कर राजस्वों की हानि की संभावना को रोकने के लिए कराधान के दृष्टिकोण से सत्यापित किया जा सके।

(पैरा 6.2)

सीबीडीटी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2022) कि सीबीडीटी द्वारा जानकारी साझा करना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 द्वारा शासित होता है। आयकर विभाग (आईटीडी), आयकर अधिनियम की धारा 138 के तहत विधिवत अधिसूचित संबंधित एजेंसियों को कार्रवाई योग्य इनपुट/आसूचना/कानूनी परामर्श साझा करता है। इसके अलावा, आरईआईसी (क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समिति) की बैठकों के रूप में पहले से ही एक तंत्र मौजूद है जिसमें आयकर कार्यवाहियों के दौरान एकत्र की गई प्रासंगिक जानकारी पर आयकर विभाग द्वारा उचित रूप से चर्चा की जाती है और अन्य एजेंसियों के साथ साझा की जाती है। इसके अलावा, सूचना का अनुरोध आधारित साझाकरण नोडल अधिकारी के रूप में कमिश्नर (जांच), सीबीडीटी के माध्यम से होता है। यह तंत्र ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ, आरबीआई, सेबी, सीबीआईसी/डीआरआई, एफआईयू-इंडिया और दिल्ली पुलिस के साथ जानकारी साझा करने पर लागू होता है। सीबीडीटी और सीबीआईसी के बीच डेटा साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन भी मौजूद है और निर्यात-आयात डेटा, जीएसटी डेटा, आईटीआर डेटा को दोनों के बीच आदान-प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार, मौजूदा प्रथाओं/तंत्रों में विभाग के भीतर और साथ ही अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ सूचना के साझाकरण का प्रावधान है।

सीबीडीटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के सम्बन्ध में आयकर विभाग और अन्य विभागों के बीच सूचना के आदान-प्रदान के विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा के दौरान इन विभागों से मांगे गए विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि आयकर विभाग और अन्य विभागों अर्थात् सीमा शुल्क विभाग, राजस्व आसूचना निदेशालय, केंद्रीय माल और सेवा कर विभाग और राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग के बीच किए गए आंकड़ों/सूचनाओं के साझाकरण की क्या सीमा है।

राजस्व विभाग रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के सत्वों से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण डेटा/सूचनाके आदान-प्रदान और उपयोग की कड़ी मॉनीटरिंग को सुनिश्चित कर सकता है चूंकि इसमें धन की हेराफेरी का अत्यधिक जोखिम, राउंड ट्रिपिंग, गलत बीजक बनाने, लेनदेनों और दावों के रूप में कालेधन की राउटिंग का जोखिम शामिल

है। इस क्षेत्र के लिए उन जोखिम को सम्बोधित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देशों/एसओपी और अनुदेशों के अभाव में ये मुद्दे आयकर विभाग की जांच में छूट गए जिनका समय-समय पर विभिन्न सरकारी समितियों और एफएटीएफ द्वारा भी उल्लेख किया गया था। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट जोखिम को सम्बोधित करने के लिए एक संकेन्द्रित धारणा का अभाव, क्षेत्रीय स्तर पर त्रुटिपूर्ण सत्यापन और मॉनीटरिंग तंत्र के कारण, बढ़ जाता है।

नई दिल्ली
दिनांक: 27 अप्रैल 2022



(मोनिका वर्मा)
महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर-I)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 27 अप्रैल 2022



(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक ए1

(पैरा संख्या 1.4 देखें)

प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों सहित सभी क्षेत्रों के संबंध में प्रासंगिक सामान्य कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार प्रावधानों की व्याख्या
धारा 44एबी	यदि निर्धारिती का वार्षिक सकल कारोबार/प्राप्तियां निर्दिष्ट सीमा से अधिक है तो आयकर अधिनियम की धारा 44एबी में संस्था के कर लेखापरीक्षा के प्रावधान शामिल हैं। इन प्रावधानों के अनुसार, एक सनदी लेखाकार द्वारा कर लेखापरीक्षा की जाएगी जो यह सुनिश्चित करता है कि करदाताओं ने उचित लेखाबहियों को बनाए रखा है और आयकर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया है। एक सनदी लेखाकार द्वारा कर लेखापरीक्षा की जाती है जिसे आयकर रिटर्न के साथ प्रपत्र सं. 3सीए/3सीबी और प्रपत्र सं. 3सीडी में आयकर विभाग को सूचित किया जाता है।
धारा 92सीए	आयकर अधिनियम की धारा 92सीए(1) के अनुसार, जहां किसी भी व्यक्ति, निर्धारिती होने के नाते, कोई भी पिछले वर्ष में किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार करता है, और निर्धारण अधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो वह प्रधान कमिश्नर या कमिश्नर के पूर्व अनुमोदन से, उक्त अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या धारा 92सी के तहत निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के संबंध में आर्म्स लेंथ प्राइस की गणना को ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को संदर्भित कर सकता है।
धारा 92ई	आयकर अधिनियम की धारा 92ई के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार से संबंधित सभी विवरण दिखाते हुए निर्धारित प्रपत्र 3सीईबी में एक लेखाकार से एक रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी।
धारा 139	धारा 139 में आय की रिटर्न प्रस्तुत करने से संबंधित प्रासंगिक प्रावधान शामिल हैं।
धारा 142ए	धारा 142(2ए) विशेष लेखापरीक्षा से संबंधित है। धारा 142(2ए) के अनुसार, यदि धारा 142(2ए) में दी गई विशेष लेखापरीक्षा को उचित ठहराने वाली शर्तें पूरी होती हैं, तो निर्धारण अधिकारी करदाता को प्रधान चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर या प्रधान कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा नामित सनदी लेखाकार से अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराने का निर्देश देगा और ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा।
धारा 143(1)	अधिनियम की धारा 143(1) निर्धारिती को बुलाए बिना संक्षिप्त निर्धारण का प्रावधान करती है। इसमें रिटर्न की प्रारंभिक जांच शामिल है। इस स्तर पर रिटर्न में दर्शाई गई आय की विस्तृत संवीक्षा नहीं की जाती है और कुल आय या हानि

<p>आयकर अधिनियम, 1961 की धारा</p>	<p>आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार प्रावधानों की व्याख्या</p>
	<p>की गणना निम्नलिखित समायोजन करने के बाद की जाती है। धारा 143(1) के तहत निर्धारण उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 9 महीने की अवधि के भीतर किया जा सकता है जिसमें आय की रिटर्न फाईल की जाती है।</p>
<p>धारा 143(3)</p>	<p>अधिनियम की धारा 143(3) विस्तृत निर्धारण का प्रावधान करती है और इसे संवीक्षा निर्धारण के रूप में संदर्भित की जाती है। इस स्तर पर आय की रिटर्न की विस्तृत संवीक्षा की जाएगी ताकि आय की रिटर्न में करदाता द्वारा किए गए विभिन्न दावों, कटौतियों आदि की सत्यता और वास्तविकता की पुष्टि की जा सके। संवीक्षा निर्धारण का उद्देश्य यह पुष्टि करना है कि करदाता ने आय को कम नहीं किया है या अत्यधिक हानि की गणना नहीं की है या किसी भी तरह से कम कर का भुगतान किया है।</p>
<p>धारा 144</p>	<p>अधिनियम की धारा 144 के तहत निर्धारण, एक निर्धारण अधिकारी के सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उसके द्वारा एकत्रित सभी प्रासंगिक सामग्री के आधार पर किया निर्धारण है। यह निर्धारण उन मामलों में किया जाता है जहां करदाता धारा 144 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है।</p>
<p>धारा 145</p>	<p>अधिनियम की धारा 145(1) के अनुसार शीर्ष 'कारोबार या पेशे के तहत आय' और शीर्ष 'अन्य स्रोतों के तहत आय' की गणना निर्धारिती द्वारा नकद आधार पर या नियमित रूप से नियोजित लेखांकन के व्यापारिक आधार पर की जानी है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 145(2) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार समय-समय पर सरकारी राजपत्र में आय की गणना और प्रकटीकरण मानकों को अधिसूचित कर सकती है जिनका किसी भी वर्ग के निर्धारिती द्वारा या आय के किसी भी वर्ग के संबंध में पालन किया जाना है। अधिनियम की धारा 145(3) में प्रावधान है कि जहां निर्धारण अधिकारी निर्धारिती के लेखाओं की सटीकता या पूर्णता के बारे में संतुष्ट नहीं है, या जहां निर्धारिती द्वारा लेखांकन की पद्धति का नियमित रूप से पालन नहीं किया गया है या आय की गणना अधिसूचित मानकों के अनुसार नहीं की गई है तो निर्धारण अधिकारी धारा 144 के तहत निर्धारण कर सकते हैं।</p>

अनुलग्नक ए2

(पैरा संख्या 1.4 देखें)

प्रासंगिक न्यायिक निर्णय

रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के संबंध में कानूनी/न्यायिक निर्णय निम्न हैं:

क्र.सं.	कानूनी मामला स.	प्राधिकरण	सार
1	एन.के प्रोटीन्स लिमिटेड बनाम डीसीआईटी [2017] 250 टैक्समैन 0022	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अप्रकटित आय के आधार पर संवर्धन को कुछ प्रतिशत तक सीमित नहीं किया जा सकता है जब पूर्ण संव्यवहार ही जाली पाया गया हो।
2	श्री गणेश राइस मिल्स बनाम सीआईटी [2007] 294	माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय।	माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गैर-मौजूदा फर्मों से की गई संपूर्ण खरीद को अस्वीकार करने के लिए निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई को बरकरार रखा।
3	मैसर्स कांचवाला जेम्स बनाम जेसीआईटी आईटीए नंबर 134/जेपी/2002 दिनांक 10.12.2003	माननीय सर्वोच्च न्यायालय।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय आईटीएटी, जयपुर के निर्णय की पुष्टि की जिसमें यह माना गया है कि आदाता खाता चेक द्वारा भुगतान भी खरीद की वास्तविकता को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
4	सीआईटी बनाम भोलानाथ पॉलीफैब प्रा. लिमिटेड (2013) 355 आईटीआर 290 (गुजरात)	माननीय गुजरात उच्च न्यायालय।	माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि जब निर्धारिती ने प्राकृतिक परिणाम के रूप में तैयार माल की खरीद और बिक्री की, तो फर्जी खरीद के तहत कवर की गई पूरी राशि कर के अधीन नहीं होगी, बल्कि उसमें केवल लाभ तत्व निहित होगा। सीआईटी बनाम सिमित पी. सेठ [38 टैक्समैन.कॉम 385] के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है।
5	डीआईटी बनाम भारत डायमंड बोर्स [2003] 126	माननीय सर्वोच्च न्यायालय।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जहां 'संस्था' का प्राथमिक या प्रमुख उद्देश्य धर्मार्थ और अन्य उद्देश्य हैं, जो

क्र.सं.	कानूनी मामला स.	प्राधिकरण	सार
	टैक्समैन 365 (सर्वोच्च न्यायालय)		स्वयं धर्मार्थ नहीं हो सकते हैं, लेकिन प्राथमिक या प्रमुख उद्देश्य के लिए सहायक या आकस्मिक हैं, वही 'संस्था' को वैध रूप से दान के रूप में मान्यता देने से नहीं रोकेगा।
6	सीआईटी बनाम जेम इंडिया मैन्यू. कंपनी, [2001] 117 टैक्समैन 368 (सर्वोच्च न्यायालय)	माननीय सर्वोच्च न्यायालय।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि हीरे की कटाई और पॉलिश करना धारा 80-आई के उद्देश्य के लिए माल का निर्माण या उत्पादन नहीं है, जबकि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिससे इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके।
7	डी. सुभाषचंद्र एंड कंपनी बनाम एसीआईटी, [2010] 123 आईटीडी 635 (एएचडी)	माननीय आईटीएटी अहमदाबाद बेंच	माननीय आईटीएटी अहमदाबाद बेंच, ने माना कि पॉलिश किए गए हीरों के अंत स्टॉक के मूल्यांकन की निर्धारिती की पद्धति निवल उगाही योग्य मूल्य का आधार सही नहीं है। भले ही निवल उगाही योग्य मूल्य पद्धति एएस-2 द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त है, फिर भी यह साबित करना निर्धारिती पर है कि निवल उगाही योग्य मूल्य, जो भी उसके द्वारा दिखाया गया है, सही मूल्य है और लागत से कम है।
8	कचवाला जेम्स बनाम जेसीआईटी [2007] 158 टैक्समैन 71 (सर्वोच्च न्यायालय)	माननीय सर्वोच्च न्यायालय।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि निस्संदेह, संबंधित अधिकारियों को सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण में भी आय का एक उचित और निष्पक्ष अनुमान लगाने का प्रयास करना चाहिए, और पूरी तरह से मनमाने ढंग से कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छे निर्णय निर्धारण में आवश्यक रूप से कुछ अनुमान कार्य शामिल हैं, और यह स्वयं निर्धारिती है जो दोषी है क्योंकि उसने उचित लेखा प्रस्तुत नहीं किए थे। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की लेखाबहियों को खारिज कर दिया और धारा 144 के तहत सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण का सहारा लिया। चूंकि

क्र.सं.	कानूनी मामला स.	प्राधिकरण	सार
			निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए ठोस कारण दिए गए थे, इसलिए अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं था।
9	डीसीआईटी बनाम समीर डायमंड्स एक्सपोर्ट, [1999] 71 आईटीडी 75 (मुम्बई)	आईटीएटी मुंबई बेंच	आईटीएटी मुंबई बेंच ने तथ्यों के आधार पर निर्धारिती के लाभों का अनुमान लगाने में निर्धारण अधिकारी के आदेश को बरकरार रखा। निर्धारिती ने निर्धारण अधिकारी के समक्ष स्वीकार किया कि उसने तौल, कटिंग, स्पष्टता, आकार और टुकड़ों की संख्या के आधार पर पॉलिश किए गए हीरों का विवरण नहीं रखा। निर्धारिती ने काटने, पॉलिश करने आदि के लिए श्रमिक दलों को बहुत सारे कच्चे हीरे जारी करने और वास्तविक प्राप्ति के बारे में विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि बताया गया था कि माल की वापस प्राप्ति के बाद उन्हें नष्ट कर दिया गया था। इसलिए, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि महत्वपूर्ण विवरणों के अभाव में और लेखाबहियों की अपूर्णता को देखते हुए, बही परिणामों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और निर्धारिती के स्वयं के रिकॉर्ड और सहयोगी कंपनियों द्वारा प्रकट किए गए परिणामों के आधार पर, पाँच प्रतिशत पर बिक्री का प्रकटीकरण किया। आईटीएटी ने माना कि निर्धारिती यह दावा नहीं कर सकता कि चूंकि उसके लेखाबहियों पूर्ववर्ती वर्षों में सही और पूर्ण पाई गई थीं, यह इस तथ्य का एक निर्णायक प्रमाण है कि वे सही हैं और बाद के वर्ष के लिए भी पूर्ण हैं।
10	मैसर्स सर्जम्स बनाम संयुक्त सीआईटी रेंज 16(3) आईटीएटी	आईटीएटी मुंबई 'ई' बेंच	आईटीएटी ने लेखाबहियों की अस्वीकृति में और लेखाबहियों की विश्वसनीयता के अभाव में लाभ का अनुमान लगाने

क्र.सं.	कानूनी मामला स.	प्राधिकरण	सार
	मुंबई 'ई' बेंच में (आईटीए संख्या 376/मुं./08)		में निर्धारण अधिकारी के आदेश को बरकरार रखा।
11	सीआईटी बनाम पी.पी. ज्वैलर्स [2009] 180 टैक्समैन 50 (दिल्ली)	माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय	विभाग ने तौल, आभूषण और उसके बाद स्टॉक रजिस्टर के साथ तुलना करने के लिए थोक वजन पद्धति को अपनाया था। ट्रिब्यूनल ने पाया कि उक्त पद्धति में विभिन्न कमियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसका अर्थ था कि तौल मद-वार नहीं किया गया था और, परिणामस्वरूप, निर्धारिती द्वारा बनाए गए स्टॉक रजिस्ट्रों के अनुसार नहीं था, तौल सरल नहीं था और संदेह से मुक्त भी नहीं था और, तदनुसार, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए संवर्धन को, ट्रिब्यूनल द्वारा हटाना उचित था।
12	सीआईटी बनाम शत्रुंजय डायमंड्स [2003] 128 टैक्समैन 759 (बॉम्बे)	माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय	माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है कि निर्धारिती के प्रति निर्धारण अधिकारी का संवर्धन धारा 40ए(2)(बी) के अधीन है, जिसमें न्यूयॉर्क में एक सहायक कंपनी से आयातित हीरे और आयातित हीरे की कीमतों की तुलना करने पर, निर्धारण अधिकारी ने पाया कि हीरे की कीमत बहुत अधिक है।
13	डायलस्ट बनाम डीसीआईटी [2003] 133 टैक्समैन 810 (बॉम्बे)	माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय	माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्व के निष्कर्षों को बरकरार रखा है और माना है कि जब्त किए गए हीरे निर्धारिती की बेहिसाब आय को बताते हैं और किए गए संवर्धन कानून के अनुसार थे। पार्टियों के आचरण के साथ-साथ साक्ष्य, स्रोत की वास्तविकता को साबित करने में विफल रहे और उनकी स्वीकारोक्ति निम्न अधिकारियों में विश्वास को प्रेरित करने में विफल रहा।

अनुलग्नक बी

(पैरा नं. 1.5.5, 2.1.5 देखें)

लेखापरीक्षा में जांचे गए नमूना मामलों का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार वार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	मामलों की संख्या [विशिष्ट पैर-निर्धारण वर्ष.]				बिक्री टर्नओवर/ सकल प्राप्तियां	रिटर्न आय	निर्धारित आय	नवीनतम आदेश के अनुसार की गई मांग
	संक्षिप्त	संवीक्षा	अन्य	कुल				
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	58	0	3	61	1,460.02	18.58	13.74	0.00
बिहार और झारखंड	23	1	1	25	11.55	0.97	1.00	0.01
दिल्ली	88	17	19	124	2,308.44	39.70	763.96	425.11
गुजरात	200	8	166	374	18,208.87	511.42	350.17	3.88
कर्नाटक और गोवा	38	6	3	47	1397.30	37.09	46.88	4.39
केरल	55	15	1	71	31,166.77	879.51	880.58	0.58
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	51	3	4	58	265.12	2.34	4.71	1.57
महाराष्ट्र	295	496	298	1,089	5,47,632.13	10,720.89	13,615.24	1,692.87
पूर्वोत्तर क्षेत्र	3	0	1	4	213.03	1.69	0.00	0.00
उत्तर पश्चिम क्षेत्र	58	0	13	71	796.50	9.04	8.60	0.01
उड़ीसा	19	3	1	23	389.60	6.74	12.46	2.67
राजस्थान	92	7	17	116	15,699.72	160.66	185.78	18.35
तमिलनाडु	78	9	7	94	11,620.78	212.81	212.65	70.07
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	9	0	0	9	96.27	7.08	7.08	0.00
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	12	0	1	13	30.23	0.95	0.86	0.00
पश्चिम बंगाल और सिक्किम	68	7	7	82	1,300.73	27.29	24.01	0.58
कुल योग	1,147	572	542	2,261	6,32,597.05	12,636.76	16,127.72	2,220.10

अनुलग्नक सी

(पैरा नं.1.5.5 देखें)

लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार वार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	प्रस्तुत नहीं किए गए मामलों की संख्या				रिटर्न आय	निर्धारित आय	नवीनतम आदेश के अनुसार की गई मांग
	संक्षिप्त	संवीक्षा	अन्य	कुल			
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	3	0	1	4	0.25	0.17	0.00
बिहार और झारखंड	1	0	0	1	0.10	0.10	0.00
दिल्ली	1	0	0	1	0.01	0.02	0.01
गुजरात	1	1	1	3	5.23	5.23	0.00
कर्नाटक और गोवा	1	0	1	2	0.10	0.01	0.00
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	1	0	0	1	0.03	0.03	0.00
महाराष्ट्र	27	116	50	193	899.52	919.85	127.64
उत्तर पश्चिम क्षेत्र	2	0	0	2	0.00	0.01	0.00
राजस्थान	5	5	4	14	46.59	46.49	0.29
तमिलनाडु	3	1	0	4	0.14	0.14	0.00
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	20	0	0	20	0.79	0.79	0.00
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	34	0	4	38	6.59	6.01	0.00
पश्चिम बंगाल और सिक्किम	9	0	0	9	0.89	0.89	0.00
कुल योग	108	123	61	292	960.24	979.74	127.94

अनुलग्नक डी

(पैरा नं. 3.3.1 देखें)

हीरे का मूल्य निर्धारण


निर्धारण के उद्देश्य के लिए हीरे का निर्धारण महत्वपूर्ण हिस्सा है। हीरों का निर्धारण 4सी यानी कैरेट, कट, रंग और स्पष्टता पर निर्भर करता है। इन 4सी का विवरण निम्नानुसार दिखाया गया है:

i) **कैरेट-** कैरेट वास्तव में माप की एक मानक इकाई है जो हीरे के वजन को परिभाषित करती है। एक कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। कैरेट के आकार को "पॉइंट" के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, जिसमें एक कैरेट हीरा 100 पॉइंट के बराबर होता है, एक आधा कैरेट हीरा 50 पॉइंट वाला होता है, तीन-चौथाई कैरेट हीरा 75 पॉइंट वाला होता है, और इसी तरह।

ii) **रंग-** जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका (जी.आई.ए.) रंग को वर्णानुक्रम में डी (पूर्णतः रंगहीन) से ज़ेड (पीला) में ग्रेड करता है:



iii) **कट-** एक अच्छा कट हीरे को उसकी प्रभा/उत्कृष्टता प्रदान करता है, यह वह चमक है जो हीरे के हृदय से आती प्रतीत होती है। किसी भी हीरे के कोण और फिनिश वह होता है जो प्रकाश को नियंत्रित/संभालने की उसकी क्षमता को निर्धारित करता है, जिससे प्रभा/उत्कृष्टता आती है।



iv) **स्पष्टता-** हीरे को स्पष्टता के लिए 10 गुणा लूप आवर्धन के तहत ग्रेड प्रदान किया जाता है। स्पष्टता ग्रेड आंतरिक रूप से त्रुटिहीन हीरे से प्रारम्भ होती है, जोकि पूर्णतः दोषमुक्त और 10 गुणा आवर्धन के तहत समावेशन, से त्रुटिपूर्ण 3 जिनमें बड़े, भारी दोष वाले और समावेशन जो नंगी आंखों से देखने योग्य हीरे, आती है।

GIA	FL - IF	VVS1	VVS2	VS1	VS2	SI1	SI2	I1	I2	I3
clarity grading scale	Internally Flawless	Very Very Slight inclusions	Very Slight inclusions	Very Slight inclusions	Slight inclusions	Imperfect				

अनुलग्नक ई

(पैरा संख्या 4.1.1 देखें)

एम समूह की समूह कंपनियों के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियां

क्रम सं.	निर्धारितियों का विवरण	बिक्री टर्नओवर (₹ करोड़ में)	अनुपालन के मुद्दे	सूचना संबंधी मुद्दे	सत्यापन संबंधी मुद्दे	संदिग्ध कारोबारी गतिविधि
1	मैसर्स जी1 लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2013 आदेश धारा 143(3) के तहत दिनांक 29/12/2016	472.08	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	--	प्राप्ति में भिन्नता का सत्यापन न होना	--
2	मैसर्स जी1 लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2014 आदेश धारा 143(3) के तहत दिनांक 29/01/2018	395.00	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	आईटीआर और फॉर्म 3सीडी के अनुसार मात्रात्मक विवरण बेमेल होना	स्टॉक की कमी/अधिकता का सत्यापन न करना	जाली खरीद के लिए किया गया वर्धन
3	मैसर्स जी1 लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2015 आदेश धारा 143(3) के तहत दिनांक 14/02/2019	8,427.94	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	वास्तविक डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) के अनुसार आंकड़ों में अंतर। आईटीआर और फॉर्म 3सीडी के अनुसार मात्रात्मक विवरण बेमेल होना	प्राप्ति में भिन्नता का सत्यापन न होना	जाली खरीद के लिए किया गया वर्धन
4	मैसर्स जी1 लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2017 आदेश धारा 143(1) के तहत आदेश की तिथि उपलब्ध नहीं है	10,464.77	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	आईटीआर और फॉर्म 3सीडी के अनुसार मात्रात्मक विवरण बेमेल होना	स्टॉक की कमी/अधिकता का सत्यापन न करना	
5	मैसर्स जी2 लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2011 आदेश धारा 154 के तहत दिनांक 29/12/2018	1,341.10	--	--	--	--

क्रम सं.	निर्धारितियों का विवरण	बिक्री टर्नओवर (₹ करोड़ में)	अनुपालन के मुद्दे	सूचना संबंधी मुद्दे	सत्यापन संबंधी मुद्दे	संदिग्ध कारोबारी गतिविधि
6	मैसर्स जी2 लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2013 आदेश धारा 143(3) के तहत दिनांक 29/12/2016	2,283.99	--	--	--	--
7	मैसर्स जी2 लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2014 आदेश धारा 143(3) के तहत दिनांक 23/12/2016	1,494.38	--	वास्तविक डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) के अनुसार धारा 10ए के तहत दावा की गई और अनुमत कटौती की राशि में डेटा का बेमेल होना। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में विसंगति	--	--
8	मैसर्स जी2 लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2015 धारा 143(1) के तहत आदेश दिनांक 30/06/2016	1,347.19	--	टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में विसंगति	--	--
9	मैसर्स जी2 लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2016 धारा 143(1) के तहत आदेश दिनांक 11/12/2016	1,484.07	--	--	--	--
10	मैसर्स डी लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2010 धारा 154 के तहत आदेश दिनांक 21/10/2016	291.42	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	--	--	--
11	मैसर्स डी लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2013 धारा 250 के तहत आदेश दिनांक 29/12/2016	332.89	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	आईटीआर और फॉर्म 3सीडी के अनुसार मात्रात्मक विवरण बेमेल होना।	--	--

2022 की प्रतिवेदन संख्या 6 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

क्रम सं.	निर्धारितियों का विवरण	बिक्री टर्नओवर (₹ करोड़ में)	अनुपालन के मुद्दे	सूचना संबंधी मुद्दे	सत्यापन संबंधी मुद्दे	संदिग्ध कारोबारी गतिविधि
12	मैसर्स डी लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2014 धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 26/12/2016	324.74	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	वास्तविक डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) के अनुसार धारा 10ए के तहत अनुमत कटौती की राशि में डेटा का बेमेल होना।	--	--
13	मैसर्स डी लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2015 धारा 143(1) के तहत आदेश दिनांक 20/11/2016	336.09	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	आईटीआर और फॉर्म 3सीडी के अनुसार मात्रात्मक विवरण का बेमेल होना।	--	--
14	मैसर्स डी लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2016 धारा 144 के तहत आदेश दिनांक 26/12/2018	334.43	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	वास्तविक डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) के अनुसार दर्शाई गई आय और मांग की राशि में डेटा का बेमेल होना।	--	--
15	मैसर्स जी3 लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2012 धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 22/05/2015	1833.56	--	वास्तविक डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) के अनुसार रिटर्न में दर्शाई गई आय की राशि में डेटा का बेमेल होना। आईटीआर और फॉर्म 3सीडी के अनुसार मात्रात्मक विवरण का बेमेल होना।	स्टॉक की कमी/अधिकता का सत्यापन न करना, प्राप्ति में भिन्नता	जाली खरीद के लिए किया गया वर्धन
16	मैसर्स जी3 लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2013 धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 29/12/2016	2329.58	--	आईटीआर और फॉर्म 3सीडी के अनुसार मात्रात्मक विवरण का बेमेल होना।	स्टॉक की कमी/अधिकता का सत्यापन न करना	जाली खरीद के लिए किया गया वर्धन

क्रम सं.	निर्धारितियों का विवरण	बिक्री टर्नओवर (₹ करोड़ में)	अनुपालन के मुद्दे	सूचना संबंधी मुद्दे	सत्यापन संबंधी मुद्दे	संदिग्ध कारोबारी गतिविधि
17	मैसर्स जी3 लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2014 धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 24/12/2016	2014.06	--	आईटीआर और फॉर्म 3सीडी के अनुसार मात्रात्मक विवरण का बेमेल होना।	--	--
18	मैसर्स जी3 लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2015 धारा 143(1) के तहत आदेश दिनांक 05/11/2016	2297.59	--	आईटीआर और फॉर्म 3सीडी के अनुसार मात्रात्मक विवरण का बेमेल होना।	--	--
19	मैसर्स जी4 लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2013 धारा 250 के तहत आदेश दिनांक 02/01/2018	1377.55	--	--	प्राप्ति में भिन्नता का सत्यापन न होना	--
20	मैसर्स जी4 लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2014 धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 26/12/2016	1260.02	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	वास्तविक डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) के अनुसार रिटर्न आय की मात्रा में और धारा 10ए के तहत कटौति अनुमति दी की राशि का बेमेल होना।	प्राप्ति में भिन्नता का सत्यापन न होना	--
21	मैसर्स जी4 लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2015 धारा 143(1) के तहत आदेश दिनांक 07/04/2016	1481.86	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	--	--	--
22	मैसर्स जी4 लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2016 धारा 144 के तहत आदेश दिनांक 26/12/2018	1803.95	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	--	--	जाली खरीद के लिए किया गया वर्धन
23	मैसर्स जी4 लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2017 धारा 143(1) के तहत आदेश दिनांक 28/02/2019	2343.45	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	--	--	--

2022 की प्रतिवेदन संख्या 6 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

क्रम सं.	निर्धारितियों का विवरण	बिक्री टर्नओवर (₹ करोड़ में)	अनुपालन के मुद्दे	सूचना संबंधी मुद्दे	सत्यापन संबंधी मुद्दे	संदिग्ध कारोबारी गतिविधि
24	मैसर्स एन लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2008 धारा 143(1) के तहत आदेश दिनांक 17/08/2009	163.64	--	--	--	--
25	मैसर्स एन लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2012 धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 17/04/2016	982.75	--	--	प्राप्ति में भिन्नता का सत्यापन न होना	--
26	मैसर्स एन लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2013 धारा 250 के तहत आदेश दिनांक 08/06/2018	1289.25	--	--	प्राप्ति में भिन्नता का सत्यापन न होना	--
27	मैसर्स एन लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2014 धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 26/12/2016	1240.48	--	--	प्राप्ति में भिन्नता का सत्यापन न होना कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है	--
28	मैसर्स एन लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2015 धारा 143(1) के तहत आदेश दिनांक 23/02/2017	2605.10	--	टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में विसंगति	--	--
29	मैसर्स एन लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2016 धारा 144 के तहत आदेश दिनांक 28/12/2018	3042.95	--	आईटीआर और फॉर्म 3सीडी के अनुसार मात्रात्मक विवरण में बेमेलता	स्टॉक की कमी/ अधिकता का गैर- सत्यापन, प्राप्ति में भिन्नता	जाली खरीद के लिए किया गया वर्धन

क्रम सं.	निर्धारितियों का विवरण	बिक्री टर्नओवर (₹ करोड़ में)	अनुपालन के मुद्दे	सूचना संबंधी मुद्दे	सत्यापन संबंधी मुद्दे	संदिग्ध कारोबारी गतिविधि
30	मैसर्स एन लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2017 धारा 144 के तहत आदेश दिनांक 01/03/2019	3802.23	--	वास्तविक डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) के अनुसार धारा 10ए के तहत अनुमत कटौती की राशि में डेटा की बेमेलता।	--	--
31	मैसर्स ए लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2011 धारा 154 के तहत आदेश दिनांक 29/12/2018	748.19	निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	वास्तविक डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) के अनुसार लौटाई गई आय की राशि में डेटा बेमेल।	--	जाली खरीद के लिए किया गया वर्धन
32	मैसर्स ए लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2013 धारा 250 के तहत आदेश दिनांक 08/12/2017	1367.82	निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	वास्तविक डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) के अनुसार धारा 10ए के तहत दावा की गई और अनुमत कटौती की राशि में डेटा की बेमेलता। आईटीआर और फॉर्म 3सीडी के अनुसार मात्रात्मक विवरण में बेमेलता	--	--
33	मैसर्स ए लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2014 धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 23/12/2016	1142.92	निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	वास्तविक डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) के अनुसार धारा 10ए के तहत दावा की गई और अनुमत कटौती की राशि में डेटा की बेमेलता। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में विसंगति	--	--

2022 की प्रतिवेदन संख्या 6 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

क्रम सं.	निर्धारितियों का विवरण	बिक्री टर्नओवर (₹ करोड़ में)	अनुपालन के मुद्दे	सूचना संबंधी मुद्दे	सत्यापन संबंधी मुद्दे	संदिग्ध कारोबारी गतिविधि
34	मैसर्स ए लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2015 धारा 143(1) के तहत आदेश दिनांक 12/01/2016	1226.04	निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	आईटीआर में मात्रात्मक विवरण का गैर-प्रकटीकरण	--	--
35	मैसर्स जी5 लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2013 धारा 154 के तहत आदेश दें दिनांक 10/12/2018	358.71	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	--	--	--

अनुलग्नक एफ

(पैरा संख्या 4.1.2 देखें)

एन समूह की समूह कंपनियों के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियां

क्र. स.	निर्धारित का विवरण	बिक्री टर्नओवर (₹ करोड़ में)	अनुपालन के मुद्दे	सूचना संबंधी मुद्दे	सत्यापन संबंधी मुद्दे	संदिग्ध कारोबार गतिविधि
1	मैसर्स एफ1 प्रा. लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2012 धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 23/03/2016	2,522.80	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	धारा 10ए के तहत अनुमत कटौती की राशि में डेटा बेमेलता आईटीआर और फॉर्म 3सीडी के अनुसार मात्रात्मक विवरण में बेमेलता	असुरक्षित ऋणों, स्टॉक की कमी/अधिकता, प्राप्ति का गैर-सत्यापन	--
2	मैसर्स एफ1 प्रा. लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2013 धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 20/04/2016	3,454.80	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	धारा 10ए के तहत अनुमत कटौती की राशि में डेटा बेमेलता आईटीआर और फॉर्म 3सीडी के अनुसार मात्रात्मक विवरण में बेमेलता	असुरक्षित ऋणों, स्टॉक की कमी/अधिकता, प्राप्ति का गैर-सत्यापन	--
3	मैसर्स एफ1 प्रा. लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2017 धारा 143(1) के तहत आदेश आदेश की तिथि उपलब्ध नहीं है	5,226.14	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	आईटीआर में मात्रात्मक विवरण का गैर-प्रकटीकरण	प्राप्ति में भिन्नता का गैर-सत्यापन	--
4	मैसर्स डी आर निर्धारण वर्ष 2015 धारा 143(1) के तहत आदेश आदेश की तिथि उपलब्ध नहीं है	878.93	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	आईटीआर और फॉर्म 3सीडी के अनुसार मात्रात्मक विवरण में बेमेलता	स्टॉक की कमी/अधिकता का गैर-सत्यापन	--
5	मैसर्स डी आर निर्धारण वर्ष 2016 धारा 143(1) के तहत आदेश आदेश की तिथि उपलब्ध नहीं है	1,485.08	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में विसंगति	--	--

2022 की प्रतिवेदन संख्या 6 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

क्र. स.	निर्धारिती का विवरण	बिक्री टर्नओवर (₹ करोड़ में)	अनुपालन के मुद्दे	सूचना संबंधी मुद्दे	सत्यापन संबंधी मुद्दे	संदिग्ध कारोबार गतिविधि
6	मैसर्स डी आर निर्धारण वर्ष 2017 धारा 143(1) के तहत आदेश आदेश की तिथि उपलब्ध नहीं है	2,744.66	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना	टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में विसंगति	--	--
7	मैसर्स एस डी निर्धारण वर्ष 2015 धारा 143(1) के तहत आदेश दिनांक 12/11/2018	657.14	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना फॉर्म 3सीईबी का गैर-प्रस्तुतीकरण	--	--	--
8	मैसर्स एस डी निर्धारण वर्ष 2016 धारा 143(1) के तहत आदेश दिनांक 12/11/2018	1,328.80	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना फॉर्म 3सीईबी का गैर-प्रस्तुतीकरण	--	--	--
9	मैसर्स एस डी निर्धारण वर्ष 2017 धारा 143(1) के तहत आदेश दिनांक 12/11/2018	2,654.90	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईटीआर दाखिल न करना फॉर्म 3सीईबी का गैर-प्रस्तुतीकरण	टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में विसंगति	--	--

अनुलग्नक जी

(पैरा संख्या 4.2 देखें)

तालिका: 360-डिग्री विश्लेषण के तहत जांचे गए मुख्य निर्धारितियों के संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेख

क्र. स..	पीसीआईटी चार्ज	निर्धारिती का विवरण	मुख्य निर्धारिती के संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों/दस्तावेजों की सूची
1	सीआईटी सेंट्रल-1 दिल्ली	मैसर्स डी एल निर्धारण वर्ष 2017-18 धारा 143(3)/153सी के तहत आदेश दिनांक 29/12/2019	1. संबंधित पार्टियों के निर्धारण अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे। 2. सभी लेनदारों और असुरक्षित ऋण प्रदाताओं के निर्धारण प्रभारों का विवरण। 3. उन पार्टियों के लेखाओं, आईटीआर और दस्तावेजी साक्ष्य की पुष्टि जिनसे, असुरक्षित ऋण लिया गया था। 4. विविध लेनदारों के संबंध में लेखाओं की कोई पुष्टि प्रदान नहीं की गई थी।
2	पीसीआईटी-5 अहमदाबाद	एस बिगर एचयूएफ निर्धारण वर्ष 2018-19 धारा 143(1)(ए) के तहत आदेश दिनांक 20/02/2019	आईटीएनएस 150
3	प्र. सीआईटी (सी) 1, मुंबई	मैसर्स जी जी लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2013-14 धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 29/12/2016	निर्धारण फ़ोल्डर
4	प्र. सीआईटी (सी) 1, मुंबई	मैसर्स जी जी लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2017-18 धारा 143(1) के तहत आदेश दिनांक उपलब्ध नहीं है	धारा 143(1) के तहत आदेश
5	पीसीआईटी-22 मुंबई	मैसर्स डी एफ निर्धारण वर्ष 2013-14 धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 17/07/2015	सबमिशन फ़ोल्डर; बैलेंस शीट; लाभ व हानि खाता; फॉर्म 56एफ में रिपोर्ट में रिपोर्ट; एसईजेड इकाई का लाभ एवं हानि खाता; 10एए कटौती की

2022 की प्रतिवेदन संख्या 6 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

क्र. स..	पीसीआईटी चार्ज	निर्धारिती का विवरण	मुख्य निर्धारिती के संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों/दस्तावेजों की सूची
			गणना
6	पीसीआईटी-22 मुंबई	मैसर्स डी एफ निर्धारण वर्ष 2014-15 धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 29/12/2016	खरीद (आयात) का पार्टीवार विवरण
7	पीसीआईटी-22 मुंबई	मैसर्स डी एफ निर्धारण वर्ष 2016-17 धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 29/12/2018	खरीद और बिक्री (आयात और निर्यात) का पार्टीवार विवरण
8	पीसीआईटी-1 बेंगलोर	मैसर्स ए टी प्राइवेट लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2015-16 धारा 143(1) के तहत आदेश दिनांक 29/09/2015	धारा 143(1) के तहत आदेश
9	पीसीआईटी-1 बेंगलोर	मैसर्स ए टी प्राइवेट लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2016-17 धारा 143(1) के तहत आदेश दिनांक 13/10/2016	धारा 143(1) के तहत आदेश
10	पीसीआईटी-1 बेंगलोर	मैसर्स ए टी प्राइवेट लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2017-18 धारा 143(1) के तहत आदेश दिनांक 15/10/2017	धारा 143(1) के तहत आदेश
11	पीसीआईटी-1 बेंगलोर	मैसर्स ए टी प्राइवेट लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2018-19 धारा 143(1) के तहत आदेश दिनांक 14/10/2018	धारा 143(1) के तहत आदेश
12	पीसीआईटी-2 रायपुर	मैसर्स ए आर प्राइवेट लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2011-12 धारा 147 के तहत आदेश दिनांक 26/12/2018	असुरक्षित ऋणों पर सूचना/दस्तावेज

अनुबंध एच

(पैरा संख्या 4.2 देखें)

तालिका: 360-डिग्री विश्लेषण के तहत जांचे गए मुख्य निर्धारितियों की संबंधित पार्टियों के संबंध में रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए

क्र. सं.	मुख्य निर्धारिती का विवरण	संबंधित पार्टियों का विवरण	संबंधित पार्टियों के संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों/दस्तावेजों की सूची	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की प्रकृति	टिप्पणियां
1	एएस बिगर एचयूएफ निर्धारण वर्ष 2018-19 धारा 143(1)(ए) के तहत आदेश दिनांकित 20/02/2019 पीसीआईटी-5 अहमदाबाद	(1) मैसर्स सी पी (2) आर ए (3) डी एस (4) वाई एस (5) एस एस (6) एस एस एचयूएफ (7) बी एस एचयूएफ; (8) के टी (9) एल एस (10) पी एस (11) आर एस (12) वाई एस (13) एस एस1 (14) बी एस1 (15) डी एस1 एचयूएफ (16) वाई एस एचयूएफ (17) मै. एसजे1 (18) एन एस1 (19) एम एस1	निम्नलिखित चार पार्टियों के लिए कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया: (1) बी एस एचयूएफ (2) एन एस1; (3) डी एस; (4) आर ए	लेखापरीक्षा ने बिना धन मूल्य वाली तीन अभ्युक्तियों को देखा: (1) वाई एस: निर्धारिती के फॉर्म 3सीडी की तुलना में संबंधित पार्टी के आईटीआर के अनुसार वेतन भुगतान में ₹ 4.79 लाख का अंतर; (2) एम एस: - निर्धारिती के फॉर्म 3सीडी की तुलना में संबंधित पार्टी के आईटीआर के अनुसार ब्याज भुगतान में ₹ 0.16 लाख का अंतर; (3) मै. सी पी- निर्धारिती द्वारा अपने फॉर्म 3सीडी की तुलना में संबंधित पार्टी की बैलेंस शीट की अनुसूची के अनुसार ₹ 1,890.53 लाख के असुरक्षित ऋण	सारांश के तहत संसाधित 19 संबंधित पार्टियों में से, लेखापरीक्षा ने 15 संबंधित पार्टियों के अभिलेखों की जांच की जबकि शेष 4 पार्टियों के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

2022 की प्रतिवेदन संख्या 6 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

क्र. सं.	मुख्य निर्धारिती का विवरण	संबंधित पार्टियों का विवरण	संबंधित पार्टियों के संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों/दस्तावेजों की सूची	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की प्रकृति	टिप्पणियां
				में अंतर।	
2	मैसर्स एस एल लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 पीसीआईटी 4 अहमदाबाद	(1) एल पी (2) ए पी (3) डी पी (4) एम पी (5) मै.एम टी (6) ए पी एचयूएफ; (7) एम पी1 (8) मै.एस एस1	(1) एम पी के लिए पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया; निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए। (2) निर्धारण संसाधन विवरण स्क्रीनशॉट निम्नलिखित के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया: (i) ए पी एचयूएफ; (निर्धारण वर्ष 2015 और 2016)। (ii) एम पी1; (निर्धारण वर्ष 2015 और 2016)। (iii) एस एस1 (निर्धारण वर्ष 2015 और 2016)।	लेखापरीक्षा ने बिना धन मूल्य के 12 अभ्युक्तियां देखी: (1) एल पी; (नि.व. 2015) 3सीडी की तुलना में संबंधित पार्टी के आईटीआर के अनुसार वेतन भुगतान में ₹ 2.70 लाख का अंतर। (2) ए पी; (नि.व. 2015) (i) निर्धारिती के 3सीडी की तुलना में संबंधित पार्टी के आईटीआर के अनुसार वेतन भुगतान में ₹ 2.70 लाख का अंतर। (ii) मुख्य निर्धारिती के फॉर्म 3सीडी की तुलना में संबंधित पार्टी के आईटीआर के अनुसार किराए के भुगतान में ₹ 1.80 लाख का अंतर। (3) डी पी(निर्धारण वर्ष 2015) निर्धारिती की 3सीडी की तुलना में संबंधित पार्टी के आईटीआर	16 मामलों में से आठ मामलों को संक्षेप में संसाधित किया गया था जबकि 8 संबंधित पार्टियों के निर्धारण विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

क्र. सं.	मुख्य निर्धारिती का विवरण	संबंधित पार्टियों का विवरण	संबंधित पार्टियों के संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों/दस्तावेजों की सूची	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की प्रकृति	टिप्पणियां
				<p>के अनुसार वेतन भुगतान में 0.27 लाख का अंतर।</p> <p>(4) एम पी1; (निर्धारण वर्ष 2015) निर्धारिती की 3 सीडी की तुलना में संबंधित पार्टी के आईटीआर में ₹ 0.12 लाख का अंतर (5) मै. एस एस1 (निर्धारण वर्ष 2015) मुख्य निर्धारिती के फॉर्म 3सीडी की तुलना में संबंधित पार्टी के लाभ एवं हानि खाते के अनुसार किराए के भुगतान में ₹ 15.41 लाख का अंतर।</p> <p>(6) एल पी (नि.व. 2016) निर्धारिती की 3सीडी की तुलना में संबंधित पार्टी के आईटीआर के अनुसार वेतन भुगतान में ₹ 0.52 लाख का अंतर।</p> <p>(7) ए पी; (नि.व. 2016) निर्धारिती की 3सीडी की तुलना में संबंधित पार्टी के आईटीआर के अनुसार वेतन भुगतान में</p>	

2022 की प्रतिवेदन संख्या 6 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

क्र. सं.	मुख्य निर्धारिती का विवरण	संबंधित पार्टियों का विवरण	संबंधित पार्टियों के संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों/दस्तावेजों की सूची	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की प्रकृति	टिप्पणियां
				<p>₹ 1.77 लाख का अंतर।</p> <p>(8) डी पी; (निर्धारण वर्ष 2016) निर्धारिती के 3सीडी की तुलना में पार्टी के आईटीआर के अनुसार वेतन भुगतान में ₹ 1.77 लाख का अंतर (9) एम पी1 में निर्धारिती 3सीडी की तुलना में संबंधित पार्टी के आईटीआर के अनुसार वेतन भुगतान में ₹ 0.52 लाख का अंतर</p> <p>(10) मै. एस एस1 (2016) (i) मुख्य निर्धारिती के फॉर्म 3सीडी की तुलना में संबंधित पार्टी के फॉर्म 3सीडी के अनुसार खर्चों की प्रतिपूर्ति में ₹ 12.29 लाख का अंतर</p> <p>(ii) निर्धारिती के फॉर्म 3सीडी की तुलना में संबंधित पार्टी के पी एंड एल खाता के अनुसार किराए में ₹ 21.73 लाख का अंतर</p>	

क्र. सं.	मुख्य निर्धारिती का विवरण	संबंधित पार्टियों का विवरण	संबंधित पार्टियों के संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों/दस्तावेजों की सूची	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की प्रकृति	टिप्पणियां
3	मैसर्स सी जे प्राइवेट लिमिटेड नि.व. 2013-14; 2015-16; 2016-17; 2017-18; 2018-19 प्र. सीआईटी-2(1)(1), बंगलौर	मैसर्स सी आई प्राइवेट लिमिटेड नि.व. 2013-14; धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक जनवरी 2016	शून्य	मैसर्स सी आई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पांच पार्टियों से लिए गए असुरक्षित ऋण का गैर-सत्यापन।	शून्य
4	मैसर्स डीएल निर्धारण वर्ष 2017-18 धारा 143(3)/153सी के तहत आदेश दिनांक 29/12/2019 सीआईटी सेंट्रल-1 दिल्ली	1. ए आर 2. ए सी1 3. ए सी2 4. जी टी 5. जी एस 6. के एम 7. के के 8. एम एस 9. एन सी 10. आर के 11. एस सी 12. एच सी 13. आर सी	सभी 13 संबंधित पार्टियों के निर्धारण रिकॉर्ड प्रदान नहीं किए गए थे।	शून्य	
5	मैसर्स एम एस नि.व. 2016-17 धारा 143(1) के तहत आदेश	1. ए जी 2. के जी 3. जे जी	ए जी और जे जी के आईटीआर प्रस्तुत नहीं किए गए थे।	शून्य	
6	मैसर्स एस बी 2015-16 धारा 143(1) के तहत आदेश	1. ओ पी 2. एन के 3. के बी 4. आर जी	आर जी का आईटीआर प्रस्तुत नहीं किए गए थे।	शून्य	
7	मैसर्स जी जी लिमिटेड नि.व. 2013-14 धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक	(1) मै. जी3 लिमिटेड; (2) मै. ए लिमिटेड; (3) मै. जी4 लिमिटेड; (4) मै. डी प्रा. लिमिटेड; (5) मै. एन लिमिटेड; (6) मै. जी2 लिमिटेड	शून्य	(1) मै. ए लिमिटेड (निर्धारण वर्ष 2013) वास्तविक डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) के	26 निर्धारण अभिलेखों में से नौ को संक्षिप्त में सारांश के तहत संसाधित किया गया था और 17 का

2022 की प्रतिवेदन संख्या 6 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

क्र. सं.	मुख्य निर्धारिती का विवरण	संबंधित पार्टियों का विवरण	संबंधित पार्टियों के संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों/दस्तावेजों की सूची	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की प्रकृति	टिप्पणियां
	29/12/2016; नि.व. 2015-16; नि.व. 2016-17; 2017-18 धारा 143(1) के तहत आदेश आदेश दिनांक उपलब्ध नहीं है प्रधान सीआईटी (सी) 1, मुंबई			अनुसार आंकड़ों में अंतर। (2) मै ए लिमिटेड (नि.व. 2014) वास्तविक डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) के अनुसार आंकड़ों में अंतर। (3) मै. डी प्रा. लिमिटेड (निर्धारण वर्ष 2013) धारा 10ए के तहत कटौती का अतिरिक्त अनुमति। (4) मै.डी प्रा. लिमिटेड (नि.व. 2014) वास्तविक डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) के अनुसार आंकड़ों में अंतर। (5) मै .डी प्रा. लिमिटेड (मै. बी आई.प्रा. लिमिटेड) (नि.व. 2016) वास्तविक डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) के अनुसार आंकड़ों में अंतर। (6) मै. जी4 लिमिटेड (निर्धारण वर्ष 2014) (i)	संवीक्षा के तहत निर्धारण किया गया था। लेखापरीक्षा ने ₹ 142.78 करोड़ के कर प्रभाव वाली संबंधित पार्टियों के निर्धारण में 12 अभ्युक्तियां नोट की।

क्र. सं.	मुख्य निर्धारिती का विवरण	संबंधित पार्टियों का विवरण	संबंधित पार्टियों के संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों/दस्तावेजों की सूची	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की प्रकृति	टिप्पणियां
				<p>धारा 10एए के तहत कटौती की अनियमित अनुमति ;</p> <p>(ii) वास्तविक डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम) के अनुसार आंकड़ों में अंतर।</p> <p>(7) मै. जी2 लिमिटेड (निर्धारण वर्ष 2014) वास्तविक डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) के अनुसार आंकड़ों में अंतर।</p> <p>(8) मै. जी3 लिमिटेड (निर्धारण वर्ष 2012) वास्तविक डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) के अनुसार आंकड़ों में अंतर।</p> <p>(9) मै. एन लिमिटेड (निर्धारण वर्ष 2013) वास्तविक डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) के अनुसार आंकड़ों में अंतर।</p> <p>(10) मै. एन लिमिटेड (निर्धारण</p>	

2022 की प्रतिवेदन संख्या 6 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

क्र. सं.	मुख्य निर्धारिती का विवरण	संबंधित पार्टियों का विवरण	संबंधित पार्टियों के संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों/दस्तावेजों की सूची	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की प्रकृति	टिप्पणियां
				वर्ष 2015) समामेलन पर मूल्यहास का अनियमित लाभ। (11) में एन लिमिटेड (निर्धारण वर्ष 2017) वास्तविक डेटा की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम्स) के अनुसार आंकड़ों में अंतर।	
8	मैसर्स ए जे प्रा. लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2011 प्रधान सीआईटी- 2, रायपुर	1- श्री एस जे1 2- कु. ए जे 3- कु. एन जे 4- कु. पी जे1 5- कु. पी जे2 6- कु. पी जे3 7- कु. एस जे2 8- मि. बी जे 9- मि. आर जे 10- मि. एस जे3 11- मि. एस जे4 12- आर जे 13- बी टी 14- बी जे 15- एस जे1 (एचयूएफ) 16- श्रीमती डी जे1 17- श्रीमती एस जे5 18- श्रीमती यू जे		शून्य	पैन की अनुपलब्धता के कारण, संबंधित पार्टियों के क्षेत्राधिकार निर्धारण प्रभार की पहचान नहीं की जा सकी और अभिलेखों की मांग नहीं की जा सकी।
9	ए एस (प्रॉपराइटर वी एस) निर्धारण वर्ष 2018-19 धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 17/07/2015	(1)मैसर्स वी.पी. (2)मैसर्स एन टी	2 संबंधित पार्टियों के संबंध में रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया: (1) आईटीआर, फर्म मैसर्स वी पी का बिक्री विवरण।	शून्य	शून्य

क्र. सं.	मुख्य निर्धारिती का विवरण	संबंधित पार्टियों का विवरण	संबंधित पार्टियों के संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों/दस्तावेजों की सूची	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की प्रकृति	टिप्पणियां
	प्र. सीआईटी 1 जबलपुर		(2) आईटीआर और एन टी की पुष्टि।		
10	मैसर्स के जे प्राइवेट लिमिटेड नि.व. 2013-14 नि.व. 2014-15 नि.व. 2015-16 नि.व. 2016-17 प्रधान सीआईटी, त्रिशूर	(i) मै .के जी निर्धारण वर्ष 2013-14, धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 28/01/2016; नि.व. 2014-15, धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 23/12/2016 और नि.व. 2015-16, धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 25/12/2018। (ii) श्री टी एस नि.व. 2015-16, धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 20/12/2017 और नि.व. 2016-17, धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 12/12/2018 (iii) श्री टी.के.1 नि.व. 2015-16, धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 27/12/2017 और नि.व. 2016-17, धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 27/12/2018 (iv) श्रीमती टीके 2 नि.व.2015-16, धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 29/12/2017 और नि.व. 2016-17, धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 27/12/2018 (v) मैसर्स एस ए1 नि.व. 2014-15, धारा 143(3) के तहत आदेश दिनांक 28/09/2017	शून्य	आय का निर्धारण नहीं किया गया जिसमें ₹ 7.77 लाख का कर प्रभाव शामिल है।	शून्य

2022 की प्रतिवेदन संख्या 6 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

क्र. सं.	मुख्य निर्धारिती का विवरण	संबंधित पार्टियों का विवरण	संबंधित पार्टियों के संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों/दस्तावेजों की सूची	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की प्रकृति	टिप्पणियां
11	मैसर्स एम आई निर्धारण वर्ष 2013-14 प्र. सीआईटी 11, कोलकाता	(1) के डी1 (2)के डी2 (3)आर डी2 (4) ए डी1 (5) डी डी (6) ए डी2 (7) एम डी (8) मैसर्स एम एस प्रा. लिमिटेड (9) मैसर्स एम जे (10) मैसर्स आई आर प्रा. लिमिटेड	शून्य	मै. एमएस प्रा. लि. को असुरक्षित ऋण की अदायगी में बेमेलता	10 संबंधित पार्टियों के निर्धारण (आदेश धारा और तिथि) का विवरण उपलब्ध नहीं था।
12	मैसर्स एन सी निर्धारण वर्ष 2013-14 प्र. सीआईटी 2, कोलकाता	एल बी	शून्य	निदेशक के पारिश्रमिक के भुगतान में बेमेल	एक संबंधित पार्टी के मूल्यांकन (आदेश धारा और तिथि) का विवरण उपलब्ध नहीं था।
13	मैसर्स डी एफ नि.व. 2013-14, नि.व. 2014-15, नि.व. 2015-16, नि.व. 2016-17, नि.व. 2017-18 और नि.व. 2018-19 प्र. सीआईटी-22 मुंबई	1. मैसर्स एस एम प्राईवेट लिमिटेड, निर्धारण वर्ष 2015-16, धारा 143(3) के तहत आदेश, दिनांक 06/10/2017 और नि.व. 2014-15, धारा 143(3) के तहत आदेश, दिनांक 30/11/2016। 2. मैसर्स एस पी प्राईवेट लिमिटेड	शून्य	शून्य	इन संबंधित पार्टियों को केवल ब्याज और किराया प्रभारों का भुगतान किया गया था और किराए के खर्चों को सत्यापित करने के लिए मैसर्स एस एम प्राईवेट लिमिटेड के रिकॉर्ड की जांच की गई थी। इसके अलावा, खरीद और बिक्री मुख्य रूप से विदेशी पार्टियों

क्र. सं.	मुख्य निर्धारिती का विवरण	संबंधित पार्टियों का विवरण	संबंधित पार्टियों के संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों/दस्तावेजों की सूची	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की प्रकृति	टिप्पणियां
					से आयात और निर्यात के माध्यम से की गई थी जिसे निर्धारिती द्वारा गैर-संबंधित पार्टियों के रूप में प्रकट किया गया था।
14	मैसर्स ए टी प्राईवेट लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2015-16 धारा 143(1) के तहत आदेश दिनांक 29/09/2015 प्र. सीआईटी-1 बेंगलोर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15	ए आर निर्धारण वर्ष 2015-16, प्र. सीआईटी 9, कोलकाता	(1) ए आर (एचयूएफ), (2) एल आर, (3) पी आर, (4) एस आर	शून्य	शून्य	संबंधित पार्टियों पार्टियों के निर्धारण विवरण (आदेश धारा और तिथि) उपलब्ध नहीं थे।
16	मैसर्स एल जे निर्धारण वर्ष 2015-16 प्रधान सीआईटी-1, भुवनेश्वर	1. मैसर्स एल बी लिमिटेड 2. मैसर्स यू एच लिमिटेड 3. एस जे1 4. ए एच1 5. एस एच 6. ए एच2 7. मैसर्स ए जे लिमिटेड 8. मैसर्स सी एन प्रा. लिमिटेड 9. मैसर्स आई जे प्रा. लिमिटेड 10. मैसर्स एस जे लिमिटेड 11. मैसर्स यू डी प्रा. लिमिटेड	शून्य	शून्य	संबंधित पार्टियों के निर्धारण विवरण (आदेश धारा और तिथि) उपलब्ध नहीं थे।

2022 की प्रतिवेदन संख्या 6 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

क्र. सं.	मुख्य निर्धारिती का विवरण	संबंधित पार्टियों का विवरण	संबंधित पार्टियों के संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों/दस्तावेजों की सूची	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की प्रकृति	टिप्पणियां
		12. मैसर्स ओ जी 13. मैसर्स एस जी लिमिटेड 14. मैसर्स डी जे 15 एस यू			
17	मैसर्स डी जे नि.व. 2016-17 प्रधान सीआईटी-1, भुवनेश्वर	1. मैसर्स एम जे 2. मैसर्स आर एस	शून्य	शून्य	संबंधित पार्टियों के निर्धारण विवरण (आदेश धारा और तिथि) उपलब्ध नहीं थे।
18	मैसर्स ई जे प्रा. लिमिटेड नि.व. 2015-16 प्र. सीआईटी-1, भुवनेश्वर	1. एन एन 2. ई आर 3. ई के 4. मैसर्स डी एफ लिमिटेड		शून्य	संबंधित पक्षों के निर्धारण विवरण (आदेश धारा और तिथि) उपलब्ध नहीं थे।
19	मैसर्स एम ए नि.व. 2013-14	1. आर जी1 2. यू डी 3. ए जी 4. एस जी 5. आर जी2 6. एन जी 7. एम जी (धारा 143(1) के तहत आदेश, नि.व. 2013-14)	शून्य	शून्य	
20	मैसर्स एम ए1 नि.व. 2014-15	1. वी जी 2. एस जी 3. यू डी 4. आर जी3 [धारा143(1) के तहत आदेश, नि.व. 2014-15]]	शून्य	शून्य	
21	मैसर्स एस डी प्राइवेट लिमिटेड नि.व. 2012- 13, 2015-16 और 2016-17 के धारा 143(1) के तहत आदेश प्र. सीआईटी/सीआईटी 6, चेन्नई	(1) एम डी (2) एन डी (3) मैसर्स एस एच प्राइवेट लिमिटेड (4) मैसर्स एस एन प्राइवेट लिमिटेड (5) पी सी	शून्य	शून्य	

क्र. सं.	मुख्य निर्धारिती का विवरण	संबंधित पार्टियों का विवरण	संबंधित पार्टियों के संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों/दस्तावेजों की सूची	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की प्रकृति	टिप्पणियां
22	मैसर्स जी जे प्राइवेट लिमिटेड निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 प्र. सीआईटी / सीआईटी (सेंट्रल) 1, चेन्नई	(1) मैसर्स जी आर1- फर्म, (2) जी आर2 (3) जी आर2 (एचयूएफ) (4) जी आर3 (5) जी आर3 (एचयूएफ) (6) जी आर4 (एचयूएफ) (7) मैसर्स जी आर5 प्राइवेट लिमिटेड (8) पी एस (9) आर एम (10) आर वी	शून्य	शून्य	
23	मैसर्स वी जे निर्धारण वर्ष 2015-16; 2016-17 और 2017-18 वार्ड परवानू	1 एन वी 2. एस वी 3. पी वी 4. एन वी, एचयूएफ 5. ए वी	शून्य	शून्य	
24	मैसर्स एस जे सेंट्रल सर्कल -1 चंडीगढ़	1.ए के 2.सी एस 3. एस आर 4 जी के 5 के के 6. एच एस 7.डी एस 8. जी के2 9.जी डी	शून्य	शून्य	
25	मैसर्स के डी प्राइवेट लिमिटेड डीसीआईटी सेंट्रल सर्कल 2, जयपुर	(1) मैसर्स के डी1 प्रा. लिमिटेड (2) एस जी1 (3) मैसर्स पी आई प्रा. लिमिटेड (4) मैसर्स एन जी प्रा. लिमिटेड (5) मैसर्स के डी2 प्रा. लिमिटेड (6) एम के (7) मैसर्स के जी1 प्रा.	मैसर्स के आई (पी) लिमिटेड के संबंध में कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया	मुख्य निर्धारिती से लिया गया ऋण जैसा कि नि.व. 2013-14 में संबंधित पार्टी अर्थात् मैसर्स के डी प्राइवेट लिमिटेड के 3सीडी में दिखाया गया है, लेकिन यह मुख्य निर्धारिती	निम्नलिखित 12 संबंधित पार्टियों के मामले वार्ड 12(3)(1), मुंबई में स्थानांतरित किए गए: (1) मैसर्स के डी प्रा. लिमिटेड (2) मैसर्स एस जी1

2022 की प्रतिवेदन संख्या 6 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

क्र. सं.	मुख्य निर्धारिती का विवरण	संबंधित पार्टियों का विवरण	संबंधित पार्टियों के संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों/दस्तावेजों की सूची	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की प्रकृति	टिप्पणियां
		लिमिटेड (8) एन के एचयूएफ (9) मैसर्स यू डी प्रा. लिमिटेड (10) मैसर्स के एच प्रा. लिमिटेड (11) मैसर्स ए आई प्रा. लिमिटेड (12) एन के2 (13) एस के2 (14) मैसर्स के जी2 प्रा. लिमिटेड (15) मैसर्स के डी2 लिमिटेड		के बही-लेखा में नहीं पाया गया था।	(3) मैसर्स पी आई प्रा. लिमिटेड (4) मैसर्स एन जी प्रा. लिमिटेड (5) मैसर्स के डी2 प्रा. लिमिटेड (6) एम के (7) एन के एचयूएफ (8) मैसर्स यू डी प्रा. लिमिटेड (9) मैसर्स के एच प्रा. लिमिटेड (10) मैसर्स ए आई प्रा. लिमिटेड (11) एन के2 (12) एस के2

अनुलग्नक आई
(पैरा संख्या 5.2.1 देखें)

नि.व. 2016-17 से नि.व. 2019-20 में नॉन फाइलर्स की सूची

उन निर्धारितियों की सूची जिन्होंने सभी चार निर्धारण वर्षों के दौरान आईटीआर दाखिल नहीं किया			
	निर्धारिती का नाम	नि.व.	प्र. सीआईटी प्रभार
1	मैसर्स बी बी प्राइवेट लिमिटेड	2008, 2009, 2013	प्र.सीआईटी-5 मुंबई
2	मैसर्स सी डी लिमिटेड	2009, 2012, 2013, 2014	प्र.सीआईटी-5 मुंबई
3	मैसर्स जी2 लिमिटेड	2013, 2014 , 2015	प्र.सीआईटी (सेंट्रल)-1 मुंबई
4	मैसर्स एस डी प्राइवेट लिमिटेड	2015	प्र.सीआईटी-5 मुंबई
5	मैसर्स एस जी2	2011, 2012, 2013, 2014	प्र.सीआईटी (सेंट्रल)-1 मुंबई
6	मैसर्स ए लिमिटेड	2011, 2013, 2014, 2015	प्र.सीआईटी (सेंट्रल)-1 मुंबई
7	मैसर्स जी एस प्राइवेट लिमिटेड	2013	प्र.सीआईटी-12 मुंबई
8	मैसर्स टी एल प्रा. लिमिटेड	2013	प्र.सीआईटी-11 मुंबई
9	मैसर्स एस जे2 लिमिटेड	2013, 2014	प्र.सीआईटी (सेंट्रल)-1 मुंबई
10	मैसर्स एस के प्राइवेट लिमिटेड	2015	प्र.सीआईटी-4 अहमदाबाद
11	एस जे1	2018	प्र.सीआईटी, गाजियाबाद
12	मैसर्स एस आई2	2014	प्र.सीआईटी-3 सूरत
13	मैसर्स आर बी	2015	प्र.सीआईटी-2 रायपुर
14	मैसर्स एस जे3 प्राइवेट लिमिटेड	2015	प्र.सीआईटी-5 मुंबई
15	जे जी	2014	प्र.सीआईटी-7 बेंगलोर
16	आर जी	2014	प्र.सीआईटी-6 अहमदाबाद
17	बी के	2015	प्र.सीआईटी त्रिशूर
18	ए एस	2014	प्र.सीआईटी इलाहाबाद
19	डी एस	2014	प्र.सीआईटी-2 सूरत

अनुलग्नक जे

(पैरा संख्या 5.8.1 देखें)

तालिका: वार्षिक टर्नओवर की तुलना में कम खर्च


(राशि लाख में)

क्रम सं	निर्धारित नाम	निर्धारण वर्ष	प्र. सीआईटी प्रभार	सकल टर्नओवर	विद्युत और ईंधन (बिजली)	किराया	कर्मचारी/श्रम	अन्य खर्च
1	मैसर्स एन एम	2018	प्र. सीआईटी 16, दिल्ली	578.36	0.23	0.00	6.58	3.80
2	मैसर्स जी टी	2018	प्र. सीआईटी 10, दिल्ली	2,207.40	0.24	0.62	2.36	3.10
3	मैसर्स के जे	2018	प्र. सीआईटी 17, दिल्ली	2,910.52	0.07	0.58	5.54	0.78
4	जी डी	2018	प्र. सीआईटी 17, दिल्ली	4,140.13	0.17	0.00	14.58	123.01
5	बी वाई	2018	प्र. सीआईटी 16, दिल्ली	13,097.55	0.00	0.60	2.35	1.55
6	मैसर्स एस टी	2018	प्र. सीआईटी 17, दिल्ली	1,334.04	0.24	0.99	2.16	3.31
7	एम जे	2018	प्र. सीआईटी 16, दिल्ली	49,678.90	0.85	9.00	5.20	22.47
8	मैसर्स के जे एलएलपी	2017	प्र. सीआईटी 16, दिल्ली	2,318.14	1.29	0.00	14.71	2.47
9	मैसर्स आर जी प्रा. लिमिटेड	2015	प्र. सीआईटी 7, दिल्ली	2,173.51	0.00	0.00	5.60	1.14
10	मैसर्स जे ई	2018	सीआईटी सेंट्रल 1, दिल्ली	8,169.74	0.69	10.10	17.59	2.49
11	मैसर्स डी एफ	2013	प्र. सीआईटी 22, मुंबई	4,44,930.90	0.99	0.96	63.84	17,442.80
12	मैसर्स डी एफ	2014	प्र. सीआईटी 22, मुंबई	1,89,663.30	1.26	10.12	1.12	19,760.18
13	मैसर्स डी एफ	2015	प्र. सीआईटी 22, मुंबई	2,15,718.32	4.58	4.58	255.34	3110.15
14	मैसर्स डी एफ	2016	प्र. सीआईटी 22, मुंबई	2,88,276.87	4.67	4.67	287.08	711.91
15	मैसर्स ए जी प्राईवेट लिमिटेड	2013	प्र. सीआईटी-4, मुंबई	3,68,601.78	15.87	0.00	21.54	2.34
	कुल			15,93,799.46	31.15	42.22	705.59	41,191.50

अनुलग्नक के

(पैरा संख्या 6.1.2 देखें)

समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं की कार्य प्रणाली



1. असली आयातक की ओर से बेनामी आयातकों (नाम ऋण पर देने वाली संस्थाएं) द्वारा हीरा आयात।
2. बेनामी आयातक द्वारा सीमा शुल्क की मंजूरी के बाद बहीखातों में बिक्री को दर्ज किए बिना, हीरे को वास्तविक आयातक को सौंप देना।
3. विभिन्न पार्टियों को वास्तविक आयातक द्वारा नकद में आयातित हीरों की बिक्री।
4. वास्तविक आयातकों को नकद भुगतान।
5. विभिन्न पार्टियों को उनकी नकद बिक्री के प्रति खरीद दिखाने के लिए फर्जी बिल/ समायोजन प्रविष्टियां जारी करना।
6. समायोजन प्रविष्टियां प्राप्त करने वाली पार्टियों द्वारा चेक/आरटीजीएस जारी करना।
7. विदेशी पार्टी को किया गया आरटीजीएस/चेक भुगतान।

8. *समायोजन प्रविष्टि प्रदाता को भुगतान करने के लिए अंगदिया को दिए गए आयातित हीरों की बिक्री पर वास्तविक आयातक द्वारा सृजित नकदी।*
9. *अंगदिया समायोजन प्रविष्टि प्रदाता को भुगतान करते हैं।*
10. *समायोजन प्रविष्टि प्रदाता उन पार्टियों को नकदी लौटाता है जिन्होंने समायोजन प्रविष्टियां लीं।*
11. *वास्तविक आयातक समायोजन प्रविष्टि प्रदाता को आयात टर्नओवर का 0.10 से 0.20 प्रतिशत कमीशन का भुगतान करता है।*

शब्दावली

एसीआईटी	सहायक आयकर आयुक्त
एक्ट	आयकर अधिनियम, 1961
अपर सीआईटी	अपर आयकर आयुक्त
ऐई	संबद्ध उद्यम
एआईआर	वार्षिक सूचना रिटर्न
एएलपी	आर्म्स लेंथ कीमत
एओ	निर्धारण अधिकारी
एएसटी	निर्धारण सूचना प्रणाली
नि.व.	निर्धारण वर्ष
सीएसएसएस	कंप्यूटर सहाय्यित संवीक्षा चयन
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीसीआईटी	मुख्य आयकर आयुक्त
सीआईटी	आयकर आयुक्त
सीआईटी (ए)	आयकर आयुक्त (अपील)
सीपीसी	सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, बेंगलुरु
डीसी (सीसी)	उपायुक्त (सेंट्रल सर्कल)
डीसीआईटी	आयकर उपायुक्त
डी एंड सीआर	मांग और संग्रहण रजिस्टर
डीआईटी	आयकर निदेशालय
डीजीआईटी (सिस्टम्स)	आयकर महानिदेशक (प्रणाली)
डीओआर	राजस्व विभाग
एफएमवी	उचित बाजार मूल्य
एफ वाई	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
आईसीएआई	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आईटीएटी	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
आईटीबीए	आयकर कारोबार अनुप्रयोग
आईटीडी	आयकर विभाग
आईटीओ	आयकर अधिकारी
आईटीआर	आयकर रिटर्न

2022 की प्रतिवेदन संख्या 6 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एनएमएस	नॉन-फाइलर्स मॉनीटरिंग सिस्टम
पीए	निष्पादन लेखापरीक्षा
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
पीसीसीआईटी	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
पीआर सीआईटी	प्रधान आयकर आयुक्त
भारतीय रिजर्व बैंक	भारतीय रिजर्व बैंक
नियम	आयकर नियम, 1962
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया-संचालन प्रक्रियाओं को परिभाषित करना
टीएआर	कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
टीपी	ट्रांसफर प्राइसिंग/अंतरण मूल्यांकन
टीपीओ	ट्रांसफर प्राइसिंग अधिकारी/ अंतरण मूल्यांकन अधिकारी
डब्ल्यूडीवी	हासित मूल्य

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in